Tuesday, 31st March, 1987

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

'प्रष्ट ा, खंड 26 आठवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 25, मंगलवार, 31 मार्च, 1987, 10 चैत्र, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1-30
*तारांकित प्रश्न संख्या : 474 से 476, 478, 479, 481, 483, 484, 487 और 472	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	31-190
तारांकित प्रश्न संख्या : 469 से 471, 473, 477, 480, 482, 485, 486 और 488	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4852 से 4909 और 4911 से 5078	
विशेष ार प्रश्न के बारे में	190-196
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	197-198
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	199
उन्नीसवां प्रतिवेदन	
दूरसंचार सेवाओं की कारगरता और कुशलता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में वक्तव्य	199-200
श्री अर्जुन सिंह	
समिति के लिए निर्वाचन	200-201
राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	
नियम 377 के अधीन मामले	201-205
(एक) बिहार में रेल सुविधाओं में सुधार करने हेतु आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता	
श्री सी०पी० ठाकुर	201
(दो) बिहार की बहुमूल्य प्राचीन कलाकृतियों की चोरी रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता	
श्रीमती माधुरी सिंह	201-202
(तीन) देश के बेरोजगार युवकों को "बेरोजगारी भत्ता" देने की आवश्यकता	
श्री शान्ति धारीवाल	202

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

(चार) उड़ीसा में ऋणों के वितरण और वसूली के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास वित्त सहकारी निगम की सहायता करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को निदेश देने की आवश्यकता

श्री राधाकांत डिगाल 202-203

(पांच) विभिन्न सरकारी पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के बारे में जारी किये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 203

(छह) असम में प्राकृतिक गैस-पाइप लाइन बिछाने की एक योजना तैयार करने और उसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री एम० आर० सैकिया 203-204

(सात) उड़ीसा राज्य में कोयला खानों की उचित व्यवस्था करने के लिए एक अलग प्रभाग बनाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 204

(आठ) बाढ़ नियंत्रण के लिए स्थाई उपाय करने हेतु असम राज्य सरकार को पर्याप्त धन देने की आवश्यकता

श्री पराग चालिहा 204-205

अनुदानों की मांगें, 1987-88 205-213

गृह मंत्रालय

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी 207-209

श्री अमरसिंह राठवा 210-211

श्री शिवप्रसाद साहु 211-213

ब्याज की दरों में परिवर्तन और अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में वक्तव्य 213-215

श्री ब्रह्मदत्त

नियम 193 के अधीन चर्चा 215-265

विदेशों में भारतीयों द्वारा विशाल अवैध धनराशि रखने के मामलों की जांच करने के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा अमेरिका की आर्थिक गुप्तचर संस्था फेयरफैक्स ग्रुप को कार्य सौंपे जाने के बारे में चर्चा

प्रो० मधु दण्डवते 217-237

श्री दिनेश सिंह 237-244

श्री सी० माधव रेड्डी 244-246

श्री बी०आर० भगत 246-251

श्री सोमनाथ चटर्जी 251-256

श्री पी० आर० कुमारमंगलम 256-260

श्रीमती गीता मुखर्जी 260-263

प्रो० नारायण चन्द पाराशर 263-265

नियम 377 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 265-267

श्री अमिताभ बच्चन

नियम 193 के अधीन चर्चा—(जारी) 267-288

श्री दिनेश गोस्वामी 267-270

श्री जगन्नाथ कौशल 270-273

श्री बी ० किशोर चन्द्र एस० देव 273-275

डा० ए० के० पटेल 275-276

श्री ब्रह्मदत्त 276-288

लोक सभा

मंगलवार, 31 मार्च, 1987/10 चैत्र, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री बैरागी जी क्या कह रहे हैं ?

श्री बालकवि बैरागी : मैंने हाजरी लिखवा ली है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा आप यहां कवि सम्मेलन कर रहे हैं कुछ ऐसा लगता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० बी० पाटिल—वह वहां नहीं हैं। प्रश्न सं 470 श्री असलम शेर खां—नहीं। अगला प्रश्न सं 471—श्री राम पूजन पटेल—वह भी यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न सं 472—श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन—उपस्थित नहीं है। श्री वी शोभानाद्रीश्वर राव, वह भी यहां नहीं हैं। प्रश्न सं 473—श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

प्रोफेसर साहब क्या कर रखा है आपने।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्र० सं० 473 डा० बी० एल० शैलेश।

श्री बी० एल० शैलेश : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपका धन्यवाद करूं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उद्योगों के लिए नीति ढांचे की समीक्षा

ता० प्र० सं० 474 डा० बी० एल० शैलेश : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उद्योगों के विकास और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कुछ चुने हुए उद्योगों संबंधी समूचे नीति ढांचे की व्यवस्थित ढंग से समीक्षा करना शुरू कर दिया है, जैसा कि वर्ष 1987-88 के बजट प्रस्तावों में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चुने हुए उद्योगों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त समीक्षा के क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) समूचे नीति ढांचे की सुव्यवस्थित समीक्षा हेतु चुने गए उद्योग हैं—सीमेंट, कागज, खाद्य परिष्करण, बाल बियरिंग और रोलर बियरिंग, कृषि के ट्रैक्टर, कृषि के पम्प-सैट, जी एल एस लैम्प और फ्लोरोसेंट ट्यूबें तथा साबुन और डिजटेंट।

(ग) समीक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

डा० बी० एल० शैलेश : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ताओं से संबंधित उद्योगों, कन्ज्यूमर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज के प्रस्तावित आधुनिकीकरण से किस प्रकार आम जनता को केवल सप्लाई से नहीं, बल्कि मूल्य के आधार पर लाभ पहुंचेगा ?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, जहां तक उद्योगों का संबंध है, सरकार चुने हुए उद्योगों की नीति संबंधी ढांचे की प्रणालीबद्ध रूप से पुनरीक्षा करती है तथा उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने तथा आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक प्रयत्न करती है। जहां तक उपभोक्ताओं का संबंध है, हम उद्योगों तथा उनके उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहे है जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

[हिन्दी]

डा० बी० एल० शैलेश : मंत्री महोदय को ज्ञात होगा कि ब्यूरो आफ कास्ट एंड प्राइस ने मैन-मेड फाइबर के मूल्य निर्धारण करने के लिए एक कमेटी बनाई है, लेकिन बड़े-बड़े फाइबर मैन्युफेक्चरर इस कमेटी के काम को हर तरह से असफल करने में लगे हुए हैं। क्या मंत्री महोदय बताना का कष्ट करेंगे कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है ताकि इस प्रकार बड़े-बड़े मैन्युफेक्चरर उपभोक्ताओं की कास्ट पर ज्यादा लाभ उठाने के षड़यंत्र में सफल न हो सके ?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : जहां तक हमारा संबंध है, हमें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष शिकायत बताएं तो हम उसकी छानबीन करेंगे।

डा० के० जी० अदियोडी : क्या केरल में किसी उद्योग, जैसे ग्वालियर रेयन आदि का आधुनिकीकरण किया गया है।

श्री एम० अरुणाचलम : यह काम उद्योगपतियों तथा उद्यमियों का है जिन्हें उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए आगे आना है। यह काम हमारा नहीं है।

जनजातीय क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरित करने हेतु कार्य योजना

475 **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के जनजातीय क्षेत्रों में खाद्यान्न के वितरण की स्थिति में सुधार करने के लिए हाल ही में कोई कार्य योजना तैयार की है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या प्रस्तावित कार्य योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इससे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले जनजातीय लोगों को किस सीमा तक लाभ होगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में रह रही जनता को विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल की सप्लाई करने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के अधीन, उपभोक्ताओं को गेहूं 1.50 रु० प्रति किलो ग्राम और चावल (साधारण) 1.85 रु० प्रति किलोग्राम की दर पर सप्लाई किया जाता है। यह योजना सभी समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) इस योजना के अधीन, रियायती खाद्यान्नों का लाभ लगभग 570 लाख लोगों को पहुँच रहा है जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन आदिवासियों को राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न मिल भी रहा है, जिन के लिए यह अभिप्रेत है। मुझे यह सूचना मिली है कि राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न का काफी हिस्सा आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। सरकारी अधिकारी उसे ले जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि निगरानी की प्रक्रिया क्या है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकारी अधिकारी इतने भूखे हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, यह सच नहीं है कि आदिवासियों के लिए भेजा गया खाद्यान्न सरकारी अधिकारी ले जाते हैं। संघ सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों से बराबर सम्पर्क बनाए रहते हैं तथा राज्य सरकार जिला प्रशासनों से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं। बेशक यहां ऐसी कुछ सूचनाएं भी मिली थीं तथा जिनके बारे में राज्य सरकार को भी सूचित किया जा चुका है और वे उस संबंध में पहले ही उपयुक्त ध्यान दे चुकी है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : महोदय यह कहानी काफी नहीं है कि अधिकांश आदिवासियों को इस योजना से लाभ पहुंचा है। उत्तर में उल्लिखित 570 लाख आदिवासियों में से मैं ठीक-ठीक प्रतिशत जानना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि राज सहायता प्राप्त खाद्यान्नों के वितरण से ठीक-ठीक कितने प्रतिशत आदिवासियों को लाभ हुआ है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : महोदय, यदि मैं माननीय सदस्य की बात को सही समझ पाया हूं तो मैं कहूंगा कि हमें यह बताया गया है

कि आदिवासी क्षेत्रों में भेजे जाने वाला गेहूं विभिन्न तरीकों से आदिवासी क्षेत्रों में संबंधित व्यक्तियों को दिया जा रहा है। अब हमने कुछ अध्ययन भी करवाया है और अन्तर्मंत्रालय दल ने भी अध्ययन किया है, तथा विभिन्न राज्यों में अनेक अध्ययन किए गए एवं अनेकों उपाय किये गए है ताकि विभिन्न तरीकों से इन खाद्यान्नों को जनजातियों को उपलब्ध कराया जा सके। दूरवर्ती क्षेत्रों में हम उन्हें कुछ वैने दे रहे हैं। फिर बाजारों तथा इसी प्रकार के माध्यमों से वितरण की व्यवस्था भी है। अतः इन किए जा रहे अध्ययनों के फलस्वरूप अनेकों कदम उठाये जाने हैं ताकि पर्याप्त रूप से लाभ पहुंचे। ले जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा में भी कुछ वृद्धि होती रही है। और मेरे पास 20 लाख टन के आंकड़े भी है। हमें आशा है कि अब इसका उठान कर लिया जाएगा तथा उन्हें काफी आर्थिक राज सहायता मिली है। इस प्रकार हम सभी सम्भव एहतियात बरत रहे हैं तथा सरकार को भी कहा है, मैंने मुख्यमंत्रियों को भी लिखा है कि वे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि इसका दुरुपयोग न होने पाए।

श्री भट्टेश्वर तांती : श्रीमान, महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि असम में चाय बागन श्रमिकों की संख्या लगभग 15 लाख है। इन श्रमिक वर्ग के लोगों को राजसहायता प्राप्त जो राशन दिया गया है वह मनुष्य के उपयोग के योग्य नहीं है। अधिकांश खाद्य सामग्री मिलावटी है। मैं 3 फरवरी 1987 को कुछ अधिकारियों के साथ सोनपुर चाय एस्टेट होकर आया हूं जहां पर प्रबन्धक इन श्रमिकों को राज सहायता प्राप्त राशन नहीं देते हैं। राज सहायता प्राप्त राशन के स्थान पर प्रति दिन प्रत्येक श्रमिक को 30 पैसे देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने ये रिकार्ड मंगवाए, कुछ जांच-पड़ताल की गई और तब हमें बताया गया—यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो मेरे विचार से इन माननीय सदस्य ने पहले मुझसे इस बात का उल्लेख पहले किया था। सम्भवतः मुझे ठीक-ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अभी भी माननीय सदस्य के साथ अधिकारियों का एक दल भेजने के लिए तैयार हूं ताकि राज्य सरकार के साथ इसे वहीं ही निपटा लिया जाय तथा इस प्रकार जो भी कोई तकलीफ और वास्तविक शिकायत हो उसे दूर किया जा सके।

श्री भट्टेश्वर तांती : मैं बताना चाहूंगा कि उक्त तिथि को मेरे साथ सोनपुर चाय एस्टेट तथा अन्य चाय बागनों को आपके ये अधिकारी ही गए थे तथा हमने वो मिलावटी राशन देखा था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे ले जाना और इनसे मिल लेना।

[अनुवाद]

श्री भट्टेश्वर तांती : मैं अपने प्रश्न का एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : तांती महोदय, कृपया आप उनसे मिल लेना।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, उक्त प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में यह कहा गया है : "इस योजना के अधीन, रियायती खाद्यान्नों का लाभ लगभग 570 लाख लोगों को पहुंच रहा है जिसमें

अधिकांश आदिवासी हैं।" यह सत्य है कि राज सहायता दर पर खाद्यान्न को जनजाति के लोगों को सप्लाई किया जा सकता है बशर्ते उचित कदम उठाए जाए। मैंने अपने जनजाति क्षेत्र—सौभाग्य से जिसका दौरा श्री गुलाम नबी आजाद ने भी किया है, में देखा है कि उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं। लेकिन ये उचित दर की दुकानें केवल चीनी का कोटा लेती है और उसे बेच देती है। बाकी चीजों की बिक्री नहीं की जाती यही कारण है कि साप्ताहिक बाजारों में ज्वार की कीमत 2 रु० प्रति किलो तक चली गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कैसे पता लगायेंगे कि वे अपना गेहूं तथा चावल अथवा ज्वार का आबंटित कोटा ठीक तरह से उठाते हैं? क्या आपके पास कोई अभिकरण है?

श्री एच० के० एल० भगत : पहला रास्ता तो हमारे सामने यह है कि हम राज्य सरकार को इसका अध्ययन करने का निर्देश दें क्योंकि उन्हें ही इसे क्रियान्वित करना होता है।

दूसरा रास्ता यह है कि हम कुछ अन्तर्मन्त्रालीय दल भेजें। यदि माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि उसके क्षेत्र में यह उचित ढंग से नहीं हो रहा है तो मैं माननीय सदस्य को राज्य सरकार तथा केन्द्रीय अधिकारियों के दल के साथ सम्बद्ध करने के लिए तैयार हूं ताकि हमें सही सूचना मिल सके।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार की ओर से ट्राइबल एरियाज में 1 रुपया 50 पैसे प्रति किलो में गेहूं और 1 रुपया 50 पैसे प्रति किलो में चावल दिया जा रहा है और इसका लाभ 57 मिलियन आदिवासियों को मिल रहा है। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आदिवासी इलाकों को छोड़कर जो दूसरे इलाके हैं, वहां भी आदिवासी निवास करते हैं तो उन एरियाज में गेहूं और चावल का वितरण आप किस प्रकार से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए कि हमारा एरिया टी डी ब्लाक से 100 मील दूर है, तो हमारे एरिया में जो आदिवासी लोग हैं उनमें तो इसका बंटवारा नहीं हो रहा है, फिर आप किस प्रकार से कहते हैं कि 57 मिलियन आदिवासियों को इस स्कीम का लाभ मिल रहा है? इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे एरिया में भी आप दे रहे हैं। तो जिन एरिया में अभी यह योजना लागू नहीं है, वहां पर किस प्रकार से बंटवारा करेंगे? इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठाने की बात सोच रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक योजना का संबंध है इसमें वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 570 लाख की समस्त जनसंख्या शामिल है, जिसमें जनजातियों के साथ-साथ 181 समन्वित जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र तथा छह जनजाति प्रधान राज्यों अर्थात मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप, दादर तथा नगर हवेली में रह रही गैर जनजातियां भी शामिल हैं। एक यह प्रश्न उठाया जाता है कि इन क्षेत्रों में, जहां पर आदिवासी रह रहे हैं तथा जो इन उपरोक्त खण्डों अथवा राज्यों में नहीं पड़ते, यह योजना क्यों न क्रियान्वित की जाए। हमने इस क्षेत्र में यह योजना शुरू की थी। इसका अर्थ है करोड़ों रु० की भारी राज सहायता। जरा देखें यह कैसे चल रही है। इसका अभिप्राय है कि बहुत बड़ा वित्तीय बोझ क्योंकि, जैसा मैंने कहा, खाद्यान्न तो काफी सस्ता है, इस प्रकार यह प्रश्न नीति सम्बन्धी प्रश्न है जिसे पूछा जा रहा है कि

यह योजना वहां पर भी लागू क्यों नहीं की जाए जहां देश में जनजातीय लोग भी रह रहे हैं। यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है जिसकी बड़ी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि खासकर जो हिली-एरियाज़ में आदिवासी रहते हैं वे तो आपका राशन, मिट्टी का तेल और चीनी कैसे पहुंचती है—इस संबंध में वे कुछ जानते ही नहीं हैं। उनके पास पैसा भी नहीं है कि राशन की दुकान चला सकें अतः तीस मील दूर शहर में ही सारा राशन, मिट्टी का तेल व चीनी ब्लैक में बेच दी जाती है और यह चीजें उन आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाती हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो जंगलों व पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी हैं, मुण्डा जाति के लोग हैं या जो उड़ीसा के दूसरे भागों में रहते है, जिनकी भलाई की बात आप सोचते हैं, तो क्या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या किसी दूसरे अधिकारी के माध्यम से उन लोगों तक राशन, मिट्टी का तेल और चीनी वगैरह पहुंचाने का प्रयास करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, यह हमारा सुस्पष्ट प्रयास है। उठाया जा रहा प्रश्न बहुत संगत है। स्वयं प्रधान मंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि खाद्यान्न दूरदराज के क्षेत्रों और पर्वतीय इलाकों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा : "आप उन्हें उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए कैसे सक्षम बना रहे हैं ?" अब यह निर्णय किया गया है कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिए जा सकते हैं और उसके लिए, मैंने मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे अपने जिलाधीशों को कहें—उनमें से कुछ ने कार्यवाही की है—कि जहां वे उचित मूल्य की दुकानें नहीं चला पा रहे हैं वहां उन्हें कुछ ऋण दिया जाए। दूसरी बात यह है कि कतिपय क्षेत्रों में, हमने वाहन की आवश्यकता को मान लिया है। कुछ मामलों में हमने उनसे नागरिक आपूर्ति निगम स्थापित करने को कहा है। हम परिवहन के लिए कुछ आर्थिक सहायता देते हैं। कहीं-कहीं उन्हें वितरित की जाती है स्वयं मैंने कुछ बैठकें की हैं। हम बहुत उत्सुक हैं कि यह खाद्यान्न दूर-दराज के तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पहुँचे। प्रधानमंत्री ने इस पर विशेष बल दिया है। हम विशेष ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इस मामले में सम्बन्धित मंत्रियों और कभी-कभी संबंधित मुख्य मंत्रियों के साथ भी बातचीत की है। उन क्षेत्रों में जब वर्षा तथा सड़क खराब होने आदि के कारण कठिनाई होती है तब भी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए। ये सभी उपाय सरकार के विचाराधीन है।

केरल के लिए मिट्टी के तेल का विशेष कोटा

+

***476. श्री ए० चार्ल्स** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल संरकार से परम्परागत मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए आउट बोर्ड इंजनों में इस्तेमाल हेतु मिट्टी के तेल के विशेष कोटे की सप्लाई करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) परम्परागत मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए सप्लाई की गई आउट बोर्ड इंजिनों में प्रयोग हेतु किये गये 1000 कि०लि० मिट्टी के तेल के आबंटन को बढ़ाकर 3000 मि०लि० प्रति माह करने का केरल सरकार का अनुरोध विचाराधीन है।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, हाल ही में कृषि कार्यों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया था। सरकार ने विशेष तौर पर यह अनुरोध किया था कि परम्परागत मछुआरों के लिए आउट बोर्ड इंजनों में इस्तेमाल के लिए समुचित मात्रा में मिट्टी का तेल देना होगा। क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या परम्परागत मछुआरों के लिए आउट बोर्ड इंजनों में इस्तेमाल के लिए केरल सरकार को कोई विशेष कोटा आबंटित किया गया है और यदि हां तो राज्य की आवश्यकता क्या है तथा उसे अब कितना कोटा दिया जा रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त : सामान्यत: हम राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं। केरल को 1982 में 1,50,700 कि० लिटर मिट्टी का तेल आबंटित किया गया था। 1986 में यह मात्रा बढ़कर 2,00,771 कि० लिटर हो गई। विभिन्न क्षेत्रों के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन करने का कार्य सरकार का है।

श्री ए० चार्ल्स : केरल में अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप जानते हैं कि परम्परागत मछुआरे समाज के सबसे कमजोर वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं। गत दो वर्षों के दौरान केरल सरकार ने उनकी तरक्की के लिए अनेक योजनाएं बनाई थी। मछली पकड़ने वाले जाल; छोटी नौकाएं आउटबोर्ड इंजन, मछुआरों को दी जाती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि परम्परागत मछुआरों को मिट्टी का तेल सप्लाई नहीं किया जा रहा है। उन्हें कुछ ही वर्षों में ऋण वापस करना होता है और आउटबोर्ड इंजन मछुआरों के लिए वरदान की बजाय भार बन गए हैं क्योंकि उन्हें खुले बाजार से मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता। क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या वह सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार उस क्षेत्र में मछुआरों की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए आउटबोर्ड इंजनों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से मछुआरों को मिट्टी का तेल देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री ब्रह्मदत्त : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सामान्यत: विभिन्न क्षेत्रों के लिए आबंटन का काम राज्य सरकार का है। परन्तु मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि सरकार विशेष आबंटन के इस प्रश्न पर विचार कर रही है। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि मिट्टी का तेल दुष्प्राप्य वस्तु है जिसका हम आयात करते हैं। मछुआरों को सलाह देना भी वांछनीय है कि मिट्टी के तेल से चलने वाले इंजनों का उपयोग न करें। परन्तु हम यथासम्भव भरसक प्रयास करेंगे···

श्री ए० चार्ल्स : ····सप्लाई करना सरकार का कर्तव्य है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : जैसा कि श्री चार्ल्स ने कहा है, बेचारे मछुआरों के लिए आउटबोर्ड इंजन एक भार बन गए हैं। केवल इतना ही नहीं कि है मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है बल्कि इंजन

भी बहुत मंहगा हो गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह इन इंजनों के मूल्य कम कराने और मिट्टी का तेल सुलभ कराने के लिए कुछ उपाय करेंगे। वित्त मंत्रालय के प्रभारी होने के नाते, वह इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त : मैं मिट्टी के तेल की व्यवस्था कर सकता हूं। वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध इंजनों से नहीं है और न ही यह मंत्रालय इंजनों के मूल्य निश्चित करता है। इस बारे में उद्योग मंत्री से अनुरोध किया जा सकता है। वह बहुत ही उदार व्यक्ति है और यहां उपस्थित है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप जानते हैं कि निर्धन लोगों द्वारा प्रयुक्त आउटबोर्ड इंजन पर 40% आयात शुल्क है जबकि बड़े ट्रालर्स पर ऐसा शुल्क नहीं है। आपको पता होना चाहिए। इसका इस्तेमाल निर्धन लोग करते हैं और इन पर आयात शुल्क 40% है। आउटबोर्ड मोटर का इस्तेमाल अत्यन्त निर्धन लोग करते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि इसे लिखित रूप में दे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आप इस पहलू पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त : हम निश्चित रूप से करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : बीच-बीच में टिप्पणी न करें।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे पता चला है कि मंत्रालय पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का तेल एकत्र करने पर विचार कर रहा है। यदि मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है तो क्या जम्मू व कश्मीर की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा ? जैसा कि स्वयं मंत्री जी को मालूम है सर्दियों में लेह, कारगिल, गुरेज, करनाह, केरन काफी समय तक शेष भारत से कटे रहते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल एकत्र रखना चाहिए ताकि पर्वत के दूसरी ओर रहने वाले लोगों को सर्दियों के दौरान परेशानी न हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जम्मू-कश्मीर की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

श्री ब्रह्मदत्त : महोदय, हम हमेशा ही जम्मू कश्मीर की ओर विशेष ध्यान देते हैं।

श्री सैफुद्दीन सोज : इसक लिए आपका धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : परन्तु पर्यावरण की भी समस्या है। हम हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में तेल रखने का प्रयास करते हैं। मैं जम्मू-कश्मीर सहित पर्वतीय क्षेत्रों तथा दूर-दराज के अन्य क्षेत्रों के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूं जहां कुछ दूसरी व्यवस्था के लिए लकड़ी की खपत के कारण वनों को नष्ट किया जा रहा है।

बल्क औषधों के लघु निर्माताओं की भूमिका

478. **श्री जनक राज गुप्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा औषध उद्योग के बारे में हाल ही में घोषित नीति के संदर्भ में बल्क औषधों का स्वतंत्र रूप से निर्माण करने वाले लघु निर्माताओं से क्या भूमिका निभाए जाने की आशा की जाती है, और

(ख) इस संबंध में उन्हें कौन-सी रियायतें और संरक्षण दिए जा रहे हैं।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री, (श्री आर० के० जयचन्द्रसिंह) : (क) और (ख) लघु, क्षेत्र औषध उद्योग के विकास में वही भूमिका निभाता रहेगा जो वह अब तक निभाता रहा है। इस समय लघु क्षेत्र के बल्क औषध निर्माता यूनिटों को निम्नलिखित रियायतें दी जा रही है :—

(1) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस की व्यवस्था से छूट।

(2) किसी भी बल्क औषध का किसी भी स्तर से उत्पादन करने की स्वतंत्रता यदि यह तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है।

(3) 17 औषधी को पूर्णरूप से लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण।

(4) डी जी एस एण्ड डी तथा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा लघु क्षेत्र से औषधों के खरीदे जाने के संबंध में मूल्य प्राथमिकता।

(5) बल्क औषधों तथा सूत्रयोगों के बीच अनुपात परिसीमा का लागू न होना।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित पेट्रो-केमिकल काम्पलैक्स की मांग

479. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बम्बई हाई से उपलब्ध प्राकृतिक गैस पर आधारित पेट्रोकैमिकल काम्पलैक्स स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने फ्रेकिंग और डाऊनस्ट्रीम उद्योगों और एल पी जी के निष्कर्षण के लिए गैस के आबंटन हेतु अनुरोध किया है।

(ख) साउथ बेसिन से एच बी जे पाइप लाइन द्वारा ले जाई जाने वाली गैस से एल पी जी और कुछ पेट्रो-रसायन विखंडनों को निकालने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इंडस्ट्री ने जो गैस के लिए मांग की है, तो वह कब कब मांग की है और क्या आप इन की मांगनुसार कनेक्शन देंगे। और देंगे तो कब देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त : मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आप के प्रदेश में एच० बी० जे पाइप लाईन से गैस हम जुलाई के पहले मई जून में दे पायेंगे और इस प्रोजिक्ट के लिए हम ने खरीदारों से, जो उसका उपयोग कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं की मांग की है और

हम को करीब 9 लोगों से इसके लिए आवेदन मिले हैं। उन पर हम विचार कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पेट्रो-कैमीकल्स के करीब चार यूनिट्स हैं, जिनको हमने स्वीकृत किया है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : ये यूनिट्स कहां-कहां पर होंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त : लोकेशन तो लोगों पर निर्भर करेगा उम लोगों पर जो लगाना चाहते हैं या मध्य प्रदेश सरकार पर निर्भर करेगा। आपके ऊपर भी है कि आप आकर्षित करें।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एच० बी० जे० पाइप लाईन का सबसे अधिक भाग मध्य प्रदेश से होकर गया है और उस पर आधारित पैट्रो-केमिकल काम्पलेक्स मध्य प्रदेश में काफी अच्छी तरह से आ सकते हैं, वहां गुंजाइश भी है। मैं जानना चाहूंगा कि अभी एच० बी० जे० पाइप लाईन की गैस ले जाने की क्षमता क्या है और उस क्षमता को देखते हुए उस पर आधारित जो खाद के कारखाने आ रहे हैं उनमें कितनी नेचुरल गैस का प्रयोग कर पायेंगे ? उससे अधिक जो प्राकृतिक गैस प्राप्त होगी। उसको पेट्रो-केमिकल काम्पलेक्स के लिए एच० बी० जे० पाइप लाईन से क्या दे पायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त : मान्यवर, पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स के लिए गैस का इस्तेमाल नहीं होता, नेप्था का होता है। गैस के चार कम्पोनेंट होते हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : इसमें मिथैल, इथैन, प्रोपेन, ब्यूटोन चार कम्पोनेंट रहते हैं। अभी सिर्फ मिथैल का प्रयोग कर रहे हैं। इथैन, प्रोपेन और ब्यूटोन का जब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी ऐसी इंडस्ट्रीज मांगेंगी जो प्लास्टिक के ऊपर आधारित है और उससे डवलप होती है।

श्री ब्रह्मदत्त : यह तो मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार ने जो सुझाव दिया है—एक्सट्रेक्शन आफ एल० पी० जी० एण्ड डाऊनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज की फीजेब्लिटी रिपोर्ट बन गई है और उसमें सी 2, सी 3 जिनके नाम आप बता रहे हैं वे निकलेंगे। आपकी आवश्यकता जरूरत से ज्यादा पूरी की जाएगी क्योंकि अभी तो हमारे पास खरीदारों की कमी है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में जयगढ़ पोर्ट के निकट धामनखोल में पेट्रो रसायन परियोजना

***481 श्री हुसैन दलवाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नगिरि जिले में जयगढ़ पोर्ट के निकट धामनखोल में एक पेट्रो रसायन परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में रत्नगिरि जिले में जयगढ़ पोर्ट के निकट पेट्रो रसायन परियोजना की स्थापना के लिए कुछ प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री हुसैन दलवाई : उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुछ प्रस्तावों की सिफारिश की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिस प्रस्ताव की सिफारिश की गई है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : जैसा कि मैंने पहले कहा हमें कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार द्वारा समर्पित है। मैसर्स फिरिग्रोलेक्स पाइप्स लि० ने पी०वी०सी० बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने हेतु एक आवेदन दिया है। यह प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार द्वारा समर्पित है।

श्री हुसैन दलवई : इस प्रस्ताव पर महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या यह उस पर विचार करेगी या नहीं?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : उन्होंने इसका समर्थन किया है और हम मामले पर विचार कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

*483. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों अर्थात 1985-86 और 1986-87 के दौरान मध्य प्रदेश को गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं का कुल कितनी मात्रा में प्रति तिमाही आबंटन किया गया; और

(ख) इन वस्तुओं को आबंटित की गई मात्रा में से उक्त राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितनी मात्रा में ये वस्तुएं उठाई गई?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1985-86 तथा 1986-87 के दौरान मध्य प्रदेश को आबंटित तथा उनके द्वारा उठाई गई आवश्यक वस्तुओं अर्थात गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी तथा खाद्य तेल की मात्रा दर्शाने वाला विवरण

गेहूं

(हजार मी० टन में)

मास	आबंटन	त्रैमासिक आबंटन	उठाई गई मात्रा	तिमाही में उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5
1985				
जनवरी	25.0		2.0	
फरवरी	25.0		1.8	
मार्च	25.0	75.0	1.2	5.0
अप्रैल	25.0		0.7	

1	2	3	4	5
मई	25.0		0.6	
जून	25.0	75.0	1.4	2.7
जुलाई	25.0		9.2	
अगस्त	25.0		23.7	
सितम्बर	35.0	85.0	21.5	54.4
अक्तूबर	35.0		28.7	
नवम्बर	35.0		24.0	
दिसम्बर	35.0	105.0	30.7	83.4
1986				
जनवरी	50.0		34.2	
फरवरी	50.0		30.6	
मार्च	50.0	150.0	22.3	87.1
अप्रैल	50.0		19.4	
मई	50.0		14.4	
जून	50.0	150.0	16.6	50.4
जुलाई	50.0		15.7	
अगस्त	50.0		13.9	
सितम्बर	50.0	150.0	14.9	44.5
अक्तूबर	50.0		11.4	
नवम्बर	50.0		10.8	
दिसम्बर	50.0	150.0	14.8	37.0
1987				
जनवरी	50.0		22.2	
फरवरी	50.0		22.2	
मार्च	50.0	150.0	उपलब्ध नहीं	44.4

चावल

(हजार मी० टन में)

मास	आवंटन	त्रैमासिक आवंटन	उठाई गई मात्रा	तिमाही में उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5
1985				
जनवरी	18.0		13.0	
फरवरी	18.0		12.8	
मार्च	18.0	54.0	15.1	40.9
अप्रैल	18.0		14.8	
मई	18.0		16.2	
जून	18.0	54.0	16.5	47.5
जुलाई	18.0		17.6	
अगस्त	18.0		17.6	
सितम्बर	23.0	59.0	19.2	54.4
अक्तूबर	25.0		21.0	
नवम्बर	30.0		17.8	
दिसम्बर	25.0	80.0	11.1	49.9
1986				
जनवरी	25.0		19.4	
फरवरी	25.0		17.9	
मार्च	25.0	75.0	14.4	51.7
अप्रैल	25.0		16.3	
मई	25.0		12.2	
जून	25.0	75.0	17.4	49.9
जुलाई	25.0		15.7	
अगस्त	25.0		15.8	
सितम्बर	25.0	75.0	15.0	46.5
अक्तूबर	25.0		17.8	
नवम्बर	25.0		15.3	
दिसम्बर	25.0	75.0	12.8	45.9

1	2	3	4	6
1987				
जनवरी	25.0		15.6	
फरवरी	25.0		15.6	
मार्च	25.0	75.0	उपलब्ध नहीं	31.2

मिट्टी का तेल

(मी० टन में)

मास	आबंटन	त्रैमासिक आबंटन	आपूर्ति	तिमाही में की गई आपूर्ति
1	2	3	4	5
1985-86				
अप्रैल	22000		21750	
मई	20690		20639	
जून	20690	63380	19678	62067
जुलाई	21030		19637	
अगस्त	21030		21903	
सितम्बर	21030	63090	21873	63413
अक्तूबर	22250		21030	
नवम्बर	25000		24080	
दिसम्बर	25000	72250	24751	69861
जनवरी	25000		24905	
फरवरी	25000		24027	
मार्च	23640	73640	23217	72149
1986-87				
अप्रैल	24000		22059	
मई	24000		23097	
जून	24000	72000	24309	69465
जुलाई	23000		21722	
अगस्त	24165		22274	
सितम्बर	22915	70080	22734	66730

1	2	3	4	5
अक्तूबर	23697		22879	
नवम्बर	27552		26996	
दिसम्बर	27552	78801	27361	77236
जनवरी	27552		27067	
फरवरी	27552		उपलब्ध नहीं	
मार्च	27000	82104	उपलब्ध नहीं	

लेवी चीनी

मासिक कोटा

(मी० टन में)

(1) जनवरी, 1985 से जनवरी, 1987 तक 23,276

(2) फरवरी; 1987 से आगे 25,031

इसके अलावा मध्य प्रदेश को जून, अगस्त, सितम्बर तथा नवम्बर, 1985 और सितम्बर तथा अक्तूबर, 1986 में प्रत्येक महीने के लिए 3721 मी० टन की दर से त्योहार कोटा भी आबंटित किया गया।

खाद्य तेल

मास	आबंटन	त्रैमासिक आबंटन	उठाई गई मात्रा	तिमाही में उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5
नवम्बर, 85	1500		548	
दिसम्बर, 85	1200		786	
जनवरी, 86	1000	3700	872	2206
फरवरी, 86	1000		909	
मार्च, 86	1000		623	
अप्रैल, 86	1000	3000	749	2281
मई, 86	1500		143	
जून, 86	1500		1099	
जुलाई, 86	1500	4500	1573	2815
अगस्त, 86	3000		1605	
सितम्बर, 86	3000		2233	

1	2	3	4	5
अक्तूबर, 86	3000	9000	2432	6270
	20200		13573	
1986-87				
नवम्बर, 86	3000		1903	
दिसम्बर, 86	2000		2979	
जनवरी, 87	2000	7000	2067	6949
फरवरी, 87	2000		1947	
मार्च, 87	2000	4000	उनलब्ध नहीं	
	11000		8896	

]हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : मंत्री जी ने काफी विस्तार से सवाल का जवाब दिया हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें सिर्फ मैं यह जानना चाहूंगा कि 1985-86 में मध्य प्रदेश सरकार को जो कैरोसीन और खाद्य तेल आबंटित हुआ था जिसमें से उन्होंने कम लिफ्ट किया, क्या हमारे पास उस क्वार्टर में जिस क्वार्टर के लिए कैरोसीन और खाद्य तेल का आबंटन हुआ था उतना उपलब्ध नहीं था जितने का आबंटन हुआ था ?

श्री गुलाम नबी आजाद : हमारा काम है एलोकेशन करना, स्टेट गवर्नमेंट डिमांड करती है, उतना हम एलोकैट करते हैं, उसके बाद उठाना स्टेट गवर्नमेंट का काम है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि मुझे इस विशिष्ट मामले की विशेष तौर पर जांच करनी होगी। परन्तु कभी-कभी यह होता है कि हम कुछ मात्रा आबंटित करते हैं और आपूर्ति में कुछ समस्या आ जाती है। सामान्यतः कुछ राज्यों में, अधिक मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है अतः कभी-कभी हम आबंटन कर देते हैं। सप्लाई की समस्या भी आई है। इस विशिष्ट मामले में मुझे यह मालूम करना होगा कि क्या मध्य प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया जाए अथवा सप्लाई में कोई बाधा थी या कोई अन्य कारण था।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि आबंटन की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है और इन आवश्यक वस्तुओं के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, आपने भी सही कहा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वितरण प्रणाली की शिकायतों और अनियमितताओं को देखते हुए भारत सरकार ने कोई नए मार्गदर्शी निर्देश सभी

राज्य सरकारों को भेजे हैं जिससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ग्राम पंचायत स्तर तक ज्यादा प्रभावी और व्यापक बन सके।

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूं। मैं उन कमियों के प्रति भली-भांति सजग हूं जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। अन्य भी विभिन्न तरीकों से हम जानकारी प्राप्त करते रहते हैं ताकि हम वे गलतियां मान सकें जो वितरण प्रणाली में हैं। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। साथ ही हम अध्ययन भी करते रहे हैं और उपाय भी करते रहे है। मेरे सहयोगी श्री आजाद विभिन्न राज्यों में गए और अधिकारियों के साथ तत्स्थान चर्चा की वे कुछ दुकानों में भी गए। मैंने भी कुछ राज्यों की यात्रा की, इसको सशक्त बनाने का विचार है। मैंने उन्हें समय-समय पर लिखा है और इसकी निगरानी करने तथा आगे कदम उठाने के लिए कहा है। इन कमियों और बाधाओं के होते हुए भी जो मैं समझता हूं कि देश की वितरण प्रणाली अद्वितीय है। एक तरफ यह लगभग मोटे तौर पर 2000 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता प्रदान करता है और साथ ही यदि उत्पादन का आधिक्य हो तो इससे कृषकों को भी बहुत सहायता मिलती है।

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि दूर-दराज के गांवों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। वितरण व्यवस्था के संबंध में दूर-दराज के गांवों में जहां पर लेमस तथा छोटी-छोटी पंचायतें हैं, जो कि वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या शासन गांव के वीकली मार्केट में जहां पर लोग हर हफ्ते नमक-दाल खरीदने के लिए आते हैं, उस जगह आप मूवी वाहन द्वारा सामान पहुँचा दें, जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी के जो निर्देश हैं, उनके अनुसार पूरे ग्रामीण इलाके में लोगों को ठीक से राशन मिल पाएगा। क्या आप इसके लिए राज्य शासन को निर्देश और वित्तीय सहायता देंगे ?

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्य ने जो कहा है ग्राउंड सिचुएशन की बात की है, उससे हम सहमत हैं। जहां पर वीकली बाजार लगते हैं, हाट लगते हैं, यहां पर लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाय। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है वहां पर 1985-86 में 37 लाख रुपये 20 मोबाइल वैन खरीदने के लिए दिए गए हैं, जिनसे ट्राइबल एरियाज में जो वीकली बाजार लगते हैं वहां सामान उपलब्ध करा दिया जाए।

डिस्ट्रीब्यूशन का काम राज्य सरकारों का है, हम उनको सामान उपलब्ध कराते हैं। कुछ सामान तो उनके सिविल सप्लाई कारपोरेशंस सीधे हमसे ले लेते है, कुछ फूड कारपोरेशन के माध्यम से स्टेट्स को भेजा जाता है। वीकली बाजार में सामान दिया जाए, इस बात की तरफ हमारी पूरी चेष्टा है।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : मंत्री जी ने कहा कि गेहूं के उत्पादन का अधिक था और श्री भानु प्रताप शर्मा को दी तालिका से भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश सरकार स्वयं आवंटित भाग नहीं ले रही है। आन्ध्र प्रदेश सरकार भी बार-बार यह अनुरोध कर रही है कि उन्हें गेहू नहीं चाहिए उन्हें चावल चाहिए। इसका स्पष्ट अर्थ है कि इस देश में चावल की कमी है और गेहूं फालतू है। अतः

माननीय मंत्री जी क्या कृषि मंत्रालय के माध्यम से सिफारिश करेंगे कि चावल के लिए समर्थन मूल्य और लाभकारी मूल्य की वृद्धि की जाये ताकि उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में अधिकाधिक चावल उत्पादन और गेहूं उत्पादन में कमी करने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन मिले ?

श्री एच० के० एल० भगत : जी नहीं, श्रीमान मैं कहूंगा कि यह सच नहीं है कि हमारे पास चावल की कमी है। हमारे पास चावल सीमान्त रूप से फालतू है। गेहूं हमारे पास फालतू है। यह सच है। किन्तु सभी राज्यों में चावल की जरूरत के संबंध में कई कठिनाईयां हैं। उदाहरणार्थ आन्ध्र प्रदेश में ही बाढ़ आयी और समस्याएं उत्पन्न हुई। किन्तु हम चावल की आवश्यतायें पूरी करते रहे। साथ ही हमारे पास यह सीमान्तक रूप से फालतू है। निश्चय ही हम इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि हमारे देश में चावल और अधिक हों और कृषि मंत्रालय उनके सुझाव के प्रति पहले से ही सजग है।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : हर प्रश्न के उत्तर में, सरकार की ओर से इस बात पर जोर दिया गया है कि चाहे केरोसिन आयल का सवाल हो, गेहूँ का या अन्य आवश्यक सामान का, केन्द्रीय सरकार सिर्फ एलॉटमैंट करती है और उसको आगे बितरित करने का काम राज्य सरकारों का है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का काम मात्र राज्य सरकारों की मांग पर आवश्यक वस्तुएं एलाट करना ही है या केन्द्रीय सरकार का उद्देश्य इन सातों आवश्यक आइटम्स को जनता तक पहुंचाना भी है। यदि केन्द्रीय सरकार का उद्देश्य जनता तक इन सातों आइटम्स को पहुंचाना है तो राज्य सरकारों को एलॉटमैंट के बावजूद भी, जब वे उन आइटम्स को नही उठाती है और गरीबों तक वह पहुंच नहीं पाता है तो उस स्थिति में क्या केन्द्रीय सरकार जोर देकर सिर्फ चुप रहेगी कि राज्य सरकारों का काम बितरित करना है, उन्होंने नहीं उठाया, या उसके आलावा और कोई प्रयत्न भी करेगी।

श्री एच० के० एल० भगत : ओनरेबल मैम्बर ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उनकी सेवा में कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि आवश्यक सामान लोगों को मिले, सिर्फ उसकी खानापूर्ति करना नहीं है; वास्तविक रूप से लोगों को मिले। यह उद्देश्य बहुत बड़ा है और अच्छा है जो हमारे इस देश में शुरू किया गया। इसके अलावा माननीय सदस्य खुद इस महकमे में मिनिस्टर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस लिए यह प्रश्न पूछना चाहता था क्योंकि सारे देश में एक गलत इम्प्रेशन पैदा न हो····

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उसे साफ करना चाहता हूं ···

श्री भगवत झा आजाद : क्योंकि आपके जवाब से ऐसा इम्प्रेशन आया कि केन्द्रीय सरकार का काम सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की एलाटमैंट करना है, वैसे मैं एज ए भूतपूर्व मंत्री जानता हूं कि सरकार का उद्देश्य न केवल एलाटमैंट करना है बरना जनता तक उन वस्तुओं को पहुंचाना भी है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं अपने भूतपूर्व मंत्री का धन्यवाद करता हूं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का उद्देश्य जनता तक सामान पहुंचाना है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं वर्तमान मंत्री की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं :—

मंत्री के पद की यह शान,
नहीं दीखता दोष कहीं शासन में ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं फिर उसी बात को कहना चाहता हूं कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ एलाटमैंट करना नहीं है, वरना यह भी है कि जनता तक वह सामान पहुंचे, इसीलिए सरकार सबसिडी देती है और इतना भारी बोझ बर्दाश्त करती है। फिर भी राज्य सरकारों पर वितरण की जिम्मेदारी है। यहां हम सीधे जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते परन्तु यहां जितने प्रतिनिधि-गण उपस्थित हैं, हम स्टडी करके उनको सलाह देते हैं और डैमोक्रेटिक तरीके से जो इन्फलैंस सम्भव है, उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर भी राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है, उनकी जिम्मेदारी उन्हें निभानी है और इस उद्देश्य को हम मिल-जुल कर ही पूरा कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

+

***484. श्री अख्तर हसन :**

श्री दीपानारायण बन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर नगरों और कस्बों में उचित दर की दुकानें केवल चीनी और मिट्टी का तेल ही सप्लाई करती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में उचित दर की दुकानों के माध्यम से किन-किन वस्तुओं की सप्लाई होनी चाहिए; और

(घ) उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए जनवरी, 1986 से फरवरी, 1987 तक प्रत्येक वस्तु की माहवार कितनी-कितनी मात्रा आबंटित की गई ?

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) उत्तर प्रदेश शासन ने सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश में उचित दर की दुकानों को गेहूं, चावल, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल, कंट्रोल का कपड़ा तथा साफ्ट कोक बेचना होता है।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जनवरी, 1986 से फरवरी, 1987 के दौरान उत्तर प्रदेश को गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल, लेवी चीनी, कंट्रोल के कपड़े तथा साफ्ट कोक का आबंटन।

गेहूं

(हजार मी० टनों में)

मास	आवंटन
1986	
जनवरी	45.0
फरवरी	45.0
मार्च	45.0
अप्रैल	45.0
मई	45.0
जून	45.0
जुलाई	45.0
अगस्त	45.0
अगस्त	45.0
सितम्बर	45.0
अक्तूबर	45.0
नवम्बर	45.0
दिसम्बर	45.0
1987	
जनवरी	45.0
फरवरी	45.0

चावल

(हजार मी० टन)

मास	आवंटन
1986	
जनवरी	50.0
फरवरी	50.0
मार्च	50.0
अप्रैल	50.0
मई	50.0
जून	50.0
जुलाई	50.0

मास	आबंटन
अगस्त	50.0
सितम्बर	50.0
अक्तूबर	50.0
नवम्बर	50.0
दिसम्बर	50.0
1987	
जनवरी	50.0
फरवरी	50.0

मिट्टी का तेल

(मीटरी टन में)

मास	आबंटन
1986	
जनवरी	59500
फरवरी	59000
मार्च	55960
अप्रैल	55000
मई	54500
जून	54500
जुलाई	55405
अगस्त	57000
सितम्बर	57000
अक्तूबर	61253
नवम्बर	62148
दिसम्बर	62148
1987	
जनवरी	62148
फरवरी	62148

आयातित खाद्य तेल

(मी० टन में)

मास	आबंटन
1986	
जनवरी	700
फरवरी	700
मार्च	700
अप्रैल	700
मई	1000
जून	1300
जुलाई	1300
अगस्त	1500
सितम्बर	1500
अक्तूबर	1500
नवम्बर	1500
दिसम्बर	900
1987	
जनवरी	900
फरवरी	900

लेवी चीनी :

उत्तर प्रदेश के मामले में लेवी चीनी का मासिक कोटा जनवरी, 1986 से जनवरी, 1987 तक 50466 मी० टन था। इसे फरवरी, 1987 से बढ़ाकर 52926 मी० टन कर दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को सितम्बर तथा अक्तूबर, 1986 के लिए प्रत्येक महीने 8067 मी० टन की दर से त्यौहार का अतिरिक्त कोटा आबंटित किया गया था।

कंट्रोल का कपड़ा :

वर्ष 1985-86 (अप्रैल, 1985 से मार्च, 1986 तक) के लिए कंट्रोल के कपड़े की वार्षिक हकदारी 255.130 लाख वर्ग मीटर है।

साफ्ट कोक :

उत्तर प्रदेश को जनवरी, 1986 से फरवरी, 1987 तक प्रत्येक माह के लिए साफ्ट कोक की 30000 मी० टन की मात्रा आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

श्री अख्तर हसन : अध्यक्ष महोदय, सस्ती दुकानों के जरिए दिल्ली के लोगों को 9 आइटम्स दिए जाते हैं, गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, चावल, चीनी, खाने का तेल, मिट्टी का तेल और कोयला, परन्तु उत्तर प्रदेश में उचित दर की दुकानों पर सिवाय चीनी और मिट्टी के तेल के अतिरिक्त तीसरी चीज नहीं मिलती। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में 7 चीजें बतायी हैं, मगर दो चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं मिलती।

कुछ माननीय सदस्य : यह बात सभी जगह है।

श्री अख्तर हसन : आपने भी जवाब में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई तो मैं कौन सा इंग्लैंड से आकर शिकायत कर रहा हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी शिकायत की सुनवाई होती नजर नहीं आती।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं आनरेबल मेम्बर के लिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने शिकायत की है और हम उनकी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उत्तरप्रदेश में स्पेशल टीम भेजकर, राज्य सरकारों से बात करके कुछ दुकानों की स्टडी करवायेंगे। अभी उत्तरप्रदेश सरकार के साथ भी वहां के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम खुद बातचीत करने वाले हैं, जो शिकायत सदस्य महोदय ने की है, उसकी हम जांच करायेंगे, स्टडी करायेंगे और कुछ का सैम्पल सर्वे भी करायेंगे।

श्री राम स्वरूप राम : मंत्री महोदय ने कहा है कि हम स्पेशल कमोडिटीज की सप्लाई के लिए डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में कपड़ा; कोयला, किरासिन आयल सब चीज देते हैं, लेकिन मेरी पूरी जानकारी है कि बिहार में जितने भी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के केन्द्र हैं, वहां से सिर्फ गेहूं और चीनी दिया जाता है, ना कपड़ा, ना कोयला, ना किरासिन तेल दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो कमिटमेंट उन्होंने की है गरीबों में एसेंशियल कमोडिटीज को सप्लाई करने की तो उसमें दो ही चीजें वह सप्लाई कर रहे हैं, बाकी चीजों को कैसे सप्लाई करेंगे ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं बिहार में स्वयं गया था और मैंने वहां की सरकार के साथ उनके डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम और वहां की दिक्कतों के बारे में विचार-विमर्श किया। जहां तक कोयले और किरासिन तेल व दूसरी चीजों की कमी की शिकायत है, उनके बारे में संबन्धित मंत्रालयों को सम्पर्क में लिया है। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को ओवर आल स्टडी करने के लिए एक मैट्रो-पोलिटन टाउन और दूसरी गांव की स्टडी करने के लिए दो टीमें भी बनाई गयी हैं और उनमें कुछ संसद सदस्य भी शामिल हैं। बिहार में मैंने मोके पर जाकर बातचीत की थी। बिहार की और भी जो कुछ शिकायतें बतायेंगे, उनके बारे में हम जो कुछ यहां से कर सकते हैं जरूर करेंगे।

श्री मदन पांडे : मंत्री जी ने जो उत्तर श्री आजाद को दिया था, उसी से सम्बन्धित मेरी सप्लीमेंटरी हैं। यह बात निश्चित है कि आवंटन आप करते हैं और राज्य सरकारें उसका वितरण करती हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पांडे जी पीछे जा रहे हैं।

श्री मदन पांडे : शिकायतें लगभग सभी जगह हैं। इस सम्बन्ध में केवल यह कहना कि पुराने तजुर्बे और नये तजुर्बे को साथ मिलाकर हम हल कर लेंगे, इससे पर्याप्त काम नहीं होगा।

क्या मंत्री जी कृपा-कर कोई ऐसा तन्त्र निकालेंगे जिसमें उस इलाके के पार्लियामेंट मेम्बर और उसकी तरफ से मौनिटर करने वाली कोई एजेन्सी इस प्रणाली की जांच करे और अगर उसमें कोई नुक्स है तो वह आपके ध्यान में लावे और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के भी ध्यान में लावे ? क्या सरकार इस पर कोई विचार कर रही है।

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा विचार यह है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उतना अच्छा चलेगा, जितना उस पर लोगों का विजिलैंस होगा। हम ने सभी राज्य सरकारों को यहां तक कहा है कि हरेक फेअर प्राइस शाप पर, चाहे गांव की फेअर प्राइस शाप हो या दूसरी जगह की, उसकी निगरानी होनी चाहिए और उसके लिए निगरानी कमेटी होनी चाहिए। कुछ जगह उन्होंने निगरानी कमेटी बनाई हैं। किसी ने तालुका लैवल पर और किसी ने डिस्ट्रिक्ट लैवल पर। हमने कहा है कि इसके साथ एम० पी० जी० को भी एसोशियेट किया। उनका भी एसोसियेशन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम राज्य सरकारों से कहेंगे कि एम० पी० जी का भी एसोसियेशन जरूर करना चाहिए।

[अनुवाद]

टेलिफोन खराब रहने की दर

*487. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि :

(क) भारतीय टेलीफोन नेटवर्क में टेलीफोन के खराब रहने की दर क्या है;

(ख) यह दर जापान, आस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसे अन्य देशों में टेलीफोन खराब रहने की तुलना में कम है या अधिक है;

(ग) यदि भारत में यह दर तुलनात्मक रूप से अधिक है; तो इसे कम करने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाये हैं; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) हमारे देश में महानगरों, बड़े, छोटे टेलीफोन जिलों और दूरसंचार सर्किलों में प्रति 100 स्टेशन, प्रतिमाह औसत दोष दरों की संख्या क्रमशः 28.4, 26.5, 33.6 और 36.1 है जिसका अखिल भारतीय औसत 31.9 बैठता है।

(ख) आस्ट्रेलिया में महानगरीय एवं देश क्षेत्र की प्रति 100 टेलीफोन प्रति चार सप्ताह दोष दर क्रमशः 5.9 और 5.6 है। आयरलैंड में प्रति 100 स्टेशन प्रतिमाह 7.4 और जापान में यह दर 0.5 है।

(ग) दोष दरों को कम करने के लिए जो उपाय किए गए हैं, वे किए गए दो भागों में हैं :—एक उपभोक्ता की संस्थापनाओं सहित बाह्य संयंत्र के लिए और दूसरा एक्सचेंज उपस्कर के लिए।

(एक) टेलीफोन में अधिकांश दोष बाह्य संयंत्र के कारण होते है। की जा रही कार्रवाई इस प्रकार है :—

—वितरण प्वाइंटों की सफाई करना, व्यवस्थित करना और उन पर ताले लगाना।

—ओवरहेड खुली तार उपभोक्ता लूप को इन्स्यूलेटेड ड्राप वायर मे बदलना।

—उपभोक्ताओं की फिटिंग को फिर से स्थापित करना तथा बार-बार खराब होने वाले टेलीफोनों को बदलना।

—टेलीफोन उपस्कर के उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण को सख्त बनाना।

—वितरण प्वाइंटों में जेली भरे केबिलों का प्रयोग करना जिससे केबिलों मे पानी प्रवेश न कर सके और दोष कम हो जाएं।

(दो) टेलीफोन उपस्कर में सुधार की दृष्टि से की जा रही कार्रवाई :—

—जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उन्हें उत्तरोत्तर बदलना।

—विश्वसनीय इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज शुरू करना।

(घ) ऐसी योजना बनाई गई है कि 1986 की प्रति 100 स्टेशन प्रतिमाह दोषों की संख्या को 35 से घटाकर 1990 तक 10 और 1995 तक 5 कर दिया जाए।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैंने विवरण पढ़ा है और माननीय मंत्री जी ने सूचित किया है कि तटस्थ देशों में खराबियों/चूकों की दर भारत की तुलना मे कम है और 1990 तक खराबियों/चूकों की संख्या को 10 और 1995 तक 5 कर देने की योजना बना रहे हैं। यह एक बहुत निराशाजनक स्थिति है। क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या सातवीं योजना के अन्तर्गत खराबियों/चूकों की संख्या कम कर देना संभव नहीं है और यदि हों तो देश में संतोषजनक और विश्वसनीय टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : हमने पहले से ही प्रक्रिया आरंभ कर दी है और बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया जा रहा है और हम महसूस करते हैं कि टेलीफोन एक्सचेंजों में सुधार हो जाये और उन बाह्य उपकरणों में सुधार हो जाने से हम निरन्तर निगरानी कर रहे हैं, हम अपने उत्तर मे बताये गये लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैंने एक निचली दर अर्थात् 5 के लिए कहा है। उनका 10 का लक्ष्य है। यदि यह 10 ही रहता है तो यह एक बहुत ही असंतोषजनक सेवा होगी। वास्तव में एस टी डी के साथ विभिन्न स्टेशनों को जोड़ने के कारण होता यह है कि उपभोक्ता पर बहुत दबाव पड़ता है और नम्बरों के गलत कनेक्शन विलम्बित कालों और अन्य कई कारणों से परेशानी होती है और इन सब बातों को देखते हुए इन गलतियों को समाप्त करने और प्रति सौ टेलीफोनों पर प्रतिमाह खराबियों और चूकों की दर दस के स्थान पर पांच तक करने के लिए विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है, क्योंकि वही बेहतर होगा।

श्री संतोष मोहन देव : हम ऐसा कुछ नहीं दर्शाना चाहते हैं जो इस स्थिति में संभव नहीं है क्योंकि संसाधनों और उपस्करों की उपलब्धता में बाधायें हैं और यदि बाधाओं को दूर कर दिया जाता है तो हम इसे उपलब्ध कर सकेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूगा कि क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि उपस्कर में कुछ खराबियां होने के अन्यथा यह पता लगाया गया है कि प्रणाली मे एक बहुत अलग किस्म की खराबी पायी गयी है। कभी-कभी संसद के बने सदस्य जब दिल्ली से बाहर जाते हैं तो पाते हैं कि वे अपने क्वार्टरों में नहीं हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि उस अवधि में वास्तव में बिल अधिक हो जाता है क्योंकि किसी अन्य का कनेक्शन उसमें जोड़ दिया जाता है और परिणामतः बिल अधिक के हो जाते हैं। (**व्यवधान**) मुझे विश्वास है कि यह एक ऐसी शिकायत है जो कुछ लाइनों को आपस में जोड़ने के बारे में है और मुझे विश्वास है कि इस बात से माननीय अध्यक्ष महोदय भी सहमत होंगे।

श्री अर्जुन सिंह : मैं इस शिकायत से पूर्णतया सहमत हूँ और मैं प्रो० दण्डवते को विश्वास दिला सकता हूं कि इसको ठीक करने के हमारे प्रयास पार्टी लाइन को भी पार कर जायेंगे और हम यह देखना चाहेंगे कि इस प्रकार के गलत बिल कुछ सदस्यों ने पहले से ही शिकायतें भेजी हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं और यदि हम पाते हैं कि इसमें एक ढांचा (पैटर्न) दिखायी दे रहा है तो हम उसको भी देखेंगे क्योंकि आखिरकार (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : यह समाजवादी पद्धति नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह : समाजवादी पद्धति अन्यथा काम करेगी। मैं उस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूं। किन्तु हम उसे देखने का प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम सदस्यों की शिकायतों को दूर कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, और जगहों की टेलीफोन की हालत के बारे में हम नहीं जानते लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टेलीफोन की हालत बहुत खराब है। वहां से कोई टेलीफोन मिलता ही नहीं है। मैं खुद अपनी बात बताना चाहता हूं। मेरा लखनऊ का टेलीफोन चार महीने से खराब है। नीचे से लेकर ऊपर तक दोनों मंत्रियों को लिखा। मंत्री जी ने आदेश भी दिया लेकिन आज तक मेरा टेलीफोन ठीक नहीं हुआ है। भगवान के भरोसे एक-आध बार कभी वहां से टेलीफोन मिल जाता है, लेकिन आम तौर पर टेलीफोन मिलता नहीं है। मैं आपके माध्यम मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की टेलीफोन व्यवस्था जो कि बहुत खराब है, उसमें आप सुधार करने की क्या कोशिश करेंगे और खासकर मेरा भी टेलीफोन ठीक करवा देंगे ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : भगवान पर भरोसा रखने के स्थान पर वे मुझ पर भरोसा रख सकते है और मैंने पहले से ही इस मामले पर कार्यवाही कर रहा हूं और इसकी निगरानी की जा रही है तथा इसमें सुधार कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : संतोष जी से आपको संतोष मिल जायेगा।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संचार मंत्री जी से यह जानना

चाहूंगा कि क्या विभाग और कर्मचारी संघ ने टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के संबंध में कोई विशिष्ट समझौता किया है और क्या इस समझौते में सभी संवर्ग सम्मिलित हैं या यह केवल एक संवर्ग तक प्रतिबंधित है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य स्वयं उन सभी से वाकिफ हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं क्योंकि वे एक बहुत महत्वपूर्ण श्रमिक संघ नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तथ्य यह है कि मैं उस संबंध में आज एक वक्तव्य दे रहा हूं वह यह कि इस प्रयास में केवल एक अनुभाग ही नहीं लगा है बल्कि यह प्रयास होता है कि दूरसंचार विभाग के सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाये क्योंकि जब तक हमें सबका सहयोग नहीं मिलता है एक अनुभाग कुछ भी नहीं कर सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य के प्रभाव तथा अन्य सभी ट्रेड यूनियन नेताओं जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है, के सहयोग से और हम सबका सहयोग लेंगे तथा हम इस योजना को कार्यान्वित करेंगे।

श्री आशुतोष लाहा : श्रीमान, सत्र के आरंभ में हमें आश्वासन दिलाया गया था कि कलकत्ता टेलीफोन की स्थिति में सुधार लाया जायेगा। तब से सभी उपयोगिता लाइनें जैसे, 199 जो सहायतार्थ हैं और 181 जो ट्रंक कालों के लिए है, कार्य नहीं कर रही हैं और बिल्कुल मे कार्य नहीं कर रहीं। यहां तक कि रात में भी यदि कोई कहीं ट्रंक काल करना चाहता है तो कोई भी 181 या 780, जो ट्रंक काल के लिए कोड नम्बर है को नहीं उठायेगा। अतः क्या मैं संचार मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि कलकत्ता टेलीफोन को सुधारने के लिए हमें दिए गए आश्वासन के एक माह बाद कलकत्ता टेलीफोन को सुधारने के लिए क्या सकारात्मक उपाय किए गए हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय एक स्तर पर कलकत्ता टेलीफोन को सहायता सेवा के मामले में कुछ कठिनाई थी। तब से स्थिति में सुधार आया है। कर्मचारियों ने काम करना आरंभ कर दिया है। उनमें से अधिकांश ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। सुधार का जहां तक सवाल है जब हमने इस सभा को आश्वासन दिया है 10,000 टेलीफोन लाईनें कलकत्ता में निष्क्रय पड़ी थीं। अब संख्या घटकर केवल 562 तक पहुंच गयी है। अतः सुधार हुआ है और आगे भी होगा।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : अध्यक्ष महोदय, अभी भी हमारे देश में बहुत से ऐसे एक्सचेंज हैं जो कि मैनुअल है। उदाहरण के लिए रामगढ़ केन्द्र में जो एक्सचेज है, वह 200 लाइन से ऊपर का एक्सचेंज है, उसके संबंध में कई बार तय किया गया कि वहां पर आटोमैटिक एक्सचेंज लगाया जायेगा। उसके लिए सरकार जमीन देने के लिए भी तैयार थी, प्राइवेट जमीन की भी व्यवस्था हुई, मशीनें भी आ गई; लेकिन इसके बावजूद तीन चार साल से वहां पर आटोमैटिक एक्सचेंज नहीं लग सका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो बड़े-बड़े मैनुअल एक्सचेंज हैं उनको आटोमैटिक एक्सचेंज में बदलने की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा लक्ष्य सबसे पहले उन जिला मुख्यालयों को प्राथमिकता प्रदान करना है, जहां हस्तचालित एक्सचेंज है। इसके बाद उन हस्तचालत एक्सचेंजों, जिनका आकार बड़ा है, पर भी विचार किया जाएगा।

माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विशेष मामले के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जी० एस० बनातवाला : मोहतरम स्पीकर, दिल्ली में एक अच्छा तरीकेदार है कि सुबह-सुबह यकायक टेलीफोन बजता है और एक्सचेंज की तरफ से पूछा जाता है कि आपका टेलीफोन ठीक है या नहीं—इस बात के लिए मुबारकबाद देने के साथ मुझे एक सजेश्चन भी देना है। (व्यवधान) कभी-कभी मैं तारीफ करता हूं तो करने दीजिये।

شری جی۔ ایم بنات والا: محترم اسپیکر، دلی میں ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ صبح صبح یکایک ٹیلی فون بجتا ہے اور ایکس چینج کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ٹیلی فون ٹھیک ہے یا نہیں، اس بات کے لئے مبارک باد کے ساتھ ساتھ مجھے ایک سجیشن دینا ہے۔ (انٹروپشنز) کبھی کبھی میں تعریف کرتا ہوں تو کرنے دیجئے۔

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री अर्जुनसिंह) : तारीफ के साथ-साथ दुआ भी कर दीजिए।

श्री जी० एस० बनातवाला : क्या यह तरीकेदार सिर्फ एक चीज के लिए ही है ? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि एक चीज के अलावा भी एट-रंडम दूसरों के टेलीफोन भी ले लिए जायें और उनसे भी भी पूछा जाये कि आपका टेलीफोन ठीक है या नहीं ? इसके अलावा सिर्फ देहली ही नहीं; बाहर भी दूसरे मुकामों पर यह तरीकेवार रायज किया जाये।

شری جی ایم بنات والا: کیا یہ طریقہ کار صرف ایم پیز کے لئے ہی ہے، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ایم پیز کے علاوہ بھی ایٹ رنڈم دوسروں کے ٹیلی فون بھی لے لئے جائیں اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کا ٹیلی فون ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے علاوہ صرف دلی ہی نہیں باہر بھی دوسرے مقاموں میں یہ طریقہ کار رائج کیا جائے۔

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रचलन न केवल दिल्ली में किया गया है, बल्कि देश के अन्य भागों में भी और यह न केवल संसद सदस्यों से पूछा जाता है, बल्कि एक्सचेंज क्षेत्र में कतिपय नम्बरों को यों ही चुन लिया जाता है और जांच की जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुभव है, जब यह पूछा जाता है कि आपका टेलीफोन ठीक है, तो मैं डर जाती हूं, क्योंकि इसके बाद ही एक बार नहीं अनेक बार टेली-

फोन खराब हो चुका है। अगर पूछा जाय, तो सही मायनों में टेलीफोन खराब होने से पहले रिकार्ड बनाने के लिए पूछते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर को खतरा नहीं होना चाहिए। रोजाना ऐसा होता रहेगा तो हार्ट-अटैक का खतरा हो सकता है।

श्री अर्जुन सिंह : कुछ लोगों से शाम को पूछा जा सकता है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : शाम को पूछें या सवेरे, काम अगर ठीक से न करें तो पूछने भर से क्या काम होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री आर० एस० माने—अनुपस्थित, चौधरी राम प्रकाश अनुपस्थित।

मैं अब दूसरा दौर आरम्भ करता हूँ।

श्री डी० जी० पाटिल—अनुपस्थित, श्री असयम शेर खां—अनुपस्थित, श्री राम पूजन पटेल—अनुपस्थित।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन।

"हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड" द्वारा इलेक्ट्रानिक्स का सामान बनाए जाने में अनिवासी भारतीयों और अन्य निजी उद्यमियों की सहभागिता

+

*472. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** . क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड" द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के निर्माण में अनिवासी भारतीयों और निजी उद्यमियों की सहभागिता को अनुमति दिए जाने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र को इसमें शामिल किए जाने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) "हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड" ने वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान, पृथक-पृथक कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) व (ख) : हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक और विद्युत संचार उपकरणों के निर्माण में अनिवासी भारतीयों (एन० आर० आई०) और अन्य निजी उद्यमियों की सहभागिता के लिए कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग)	1985-86	:	83 लाख रुपये
	1986-87	:	अभी तक उपलब्ध नहीं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड में इलेक्ट्रानिकी तथा विद्युत संचार व साधन उपकरकों के निर्माण में अप्रवासी भारतीयों को सहभागी बनाने के प्रस्ताव है। तथापि, मंत्रालय द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है और उसमें यह बताया गया है कि ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। मंत्री महोदय प्रायः यह कहते हैं कि अप्रवासी भारतीय गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में उद्योग आरम्भ करने के लिए आगे नहीं आ रहे है। इस संबंध में क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि वे कौन से कारण हैं जो संचार विभाग में अप्रवासी भारतीयों के निवेश द्वारा उद्योग आरम्भ करने में सरकार को रोक रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : प्रश्न तथा उत्तर में भ्रांति है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। उन्होंने हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिग में अप्रवासी भारतीयों की भागीदारी के बारे में पूछा है। ऐसी बात नहीं है। परन्तु जहां तक भारत सरकार की औद्योगिक नीति का संबंध है, अप्रवासी भारतीय अथवा गैर-सरकारी केंत्र के उपक्रम स्वयं इलेक्ट्रानिकी क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं और उन्हें भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंस दिया जा रहा है। कोई प्रतिबंध नहीं है। परन्तु एच०टी०एल० के साथ कोई सहयोजन नहीं है। आपका प्रश्न एच०टी०एल० के साथ सहयोजन के बारे में था। अप्रवासी भारतीयों को मशीन निर्माण के क्षेत्र में शामिल किया गया है। उन्हें मेरिट के आधार पर लाइसेंस दिया जा रहा है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि० उन कतिपय सरकारी कंपनियों में से एक हैं जो मुनाफे में चल रही है। इस संबंध में क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार को सुविधाएं प्रदान करके इसका विस्तार करने में क्या कठिनाईयां हैं और सरकार सरकारी क्षेत्र में ऐसे और उद्योग क्यों नहीं आरम्भ कर रही है।

श्री संतोष मोहन देव : इस समय हमारे पास विस्तार की कोई योजना नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्यों ?

श्री संतोष मोहन देव : ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों तथा राज्य सरकारों को अनुमति दी गई है। पश्चिम बंगाल में हमारे पास औद्योगिक विकास निगम है। पंजाब में राज्य औद्योगिक विकास निगम है। हमारे हिन्दुस्तान टेली-कम्यूनिकेशन लि० है। ये सब राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। उन्हें अनुमति दी गई है और हमारी ओर से इस समय विस्तार की कोई योजना नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को नियंत्रित मूल्यों के कपड़े का वितरण

*469. श्री डी०बी० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को और ग्रामीण लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले नियंत्रित मूल्य के कपड़े की मांग की अप्रैल, 1986 से जनवरी, 1987 के बीच पूरी तरह पूर्ति की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) नियंत्रित कपड़े के उत्पादन-स्तर के आधार पर वस्त्र आयुक्त, द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वर्षवार कोटा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1986-87 के लिए नियंत्रित कपड़े का राज्यवार कोटा और अप्रैल, 1986 से जनवरी 1987 की अवधि के दौरान निर्मुक्ति किए गए नियंत्रित कपड़े का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

2. उक्त अवधि के दौरान केवल महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और त्रिपुरा के मामले को छोड़कर, जिन्हें निर्मुक्ति कम मात्रा में की गई थी, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी हकदारी के अनुसार नियंत्रित कपड़ा निर्मुक्ति किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि उनके राज्य में नियंत्रित कपड़े की अधिक मांग नहीं है। अन्य तीन राज्यों के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, जो नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिए एक शीर्ष स्तर की नोडल एजेंसी है, ने सूचित किया है कि नियंत्रित कपड़े के आबंटित कोटा की आपूर्ति को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि देय राशि का भुगतान नहीं किया गया था और राष्ट्रीय वस्त्र निगम, जो नियंत्रित कपड़ा बनाते हैं, की भारी बकाया राशि राज्य अभिकरणों के पास रुक गई थी।

3. नियंत्रित कपड़े के वितरण की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपनी वितरण व्यवस्था को सुप्रवाही तथा मजबूत बनाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रित कपड़ा लक्षित वर्ग तक पहुंचे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक नियंत्रित कपड़ा लक्षित वर्ग तक पहुंच रहा है।

विवरण

(आंकड़े लाख मीटरों में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सूती नियंत्रित कपड़ा (85%)*		पोलीयस्टर नियंत्रित कपड़ा	
		वार्षिक हकदारी	की गई निर्मुक्तियां	वार्षिक हकदारी	की गई निर्मुक्तियां
1.	आंध्र प्रदेश	98.81	107.60	13.55	8.11
2.	असम	39.22	39.41	5.41	5.26

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	143.52	164.37	19.66	19.62
4.	गुजरात	61.45	64.56	8.44	8.44
5.	हरियाणा	20.77	21.64	2.89	1.98
6.	हिमाचल प्रदेश	6.99	—	1.00	0.71
7.	जम्मू तथा कश्मीर	10.36	10.64	1.46	0.90
8.	कर्नाटक	71.62	82.27	9.83	6.90
9.	केरल	48.40	55.14	6.66	4.10
10.	मध्य प्रदेश	10 .30	121.27	14.70	13.46
11.	महाराष्ट्र	120.68	94.98	16.53	3.75
12.	मणिपुर	2.41	2.84	0.38	0.37
13.	मेघालय	2.50	2.94	0.39	0.39
14.	नागालैण्ड	1.01	1.19	0.19	0.21
15.	उड़ीसा	57.14	6.96	7.86	0.50
16.	पंजाब	24.81	26.91	3.44	2.44
17.	राजस्थान	59.29	60.47	8.15	5.91
18.	सिक्किम	0.44	0.52	0.14	0.14
19.	तमिलनाडु	95.79	69.67	13.13	7.35
20.	त्रिपुरा	4.30	0.50	0.64	—
21.	उत्तर प्रदेश	216.86	242.88	29.68	29.68
22.	पश्चिम बंगाल	108.38	117.76	14.85	16.07
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.31	0.35	0.10	0.06
24.	अरुणाचल	0.97	1.14	0.18	0.18
25.	चण्डीगढ़	0.65	0.56	—	—
26.	दादरा तथा नगर हवेली	0.22	0.21	0.08	0.01
27.	दिल्ली	9.79	10.44	0.10	0.09
28.	गोवा, दमन तथा दीव	1.71	1.81	0.28	0.27
29.	लक्षद्वीप	0.09	0.10	0.07	0.03
30.	मिजोरम	0.74	0.87	0.15	0 14
31.	पांडिचेरी	0.97	1.14	0.06	0.03
	योग	1317.50	1311.14	180.00**	237.10

*बाकी 15% राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अपने बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सीधे बेचा जाता है।

**180 लाख मीटर पोलीयस्टर कपड़ा 450 लाख वर्ग मीटर नियंत्रित सूती कपड़े के बराबर है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बोधघाट परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

*470. श्री असलम शेर खां : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने बोधघाट परियोजना के लिए सहायता देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में विदेशी वित्तीय सहायता से कोई नई विद्युत परियोजना को स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बोधघाट परियोजना की वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौते अभी भी चल रहे हैं।

(ख) और (ग) सातवीं योजनावधि में बाहरी सहायता से मध्य प्रदेश में एक अन्य विद्युत परियोजना प्रतिष्ठापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

नई दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

*471. श्री रामपूजन पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली की रोहिणी आवासीय क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है, और वे किस-किस स्थान पर स्थापित किये जायेंगे;

(ग) ये टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज के रोहिणी में सेक्टर-III के निकट स्थापित किए जाने की संभावना है।

(ग) 1988-89 तक।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के उत्पादों के मूल्य निर्धारित करना

473. **श्रीमती पटेल रमाबेन राम जी भाई मावणि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारित करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखता है;

(ख) क्या एम०ई०जी० का मूल्य निर्धारित करते समय इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा इन बातों का ध्यान रखा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) इंडियन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लि० (आई० पी० सी० एल०) की मूल्य-निर्धारण नीति कंपनी के लिए नेटवर्थ पर प्रति प्राप्ति, उतराई लागत, बाजारी परिस्थिति प्रतियोगी उत्पादों के मूल्य आदि जैसे घटकों पर आधारित है।

(ख) एम०ई०जी० का मूल्य भी उपरोक्त सामान्य सिद्धान्त पर आधारित होता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों के लिए लेवी की चीनी का कोटा निर्धारित करने के लिए मानदंड

*477. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के लिये लेवी की चीनी की प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा आवंटित की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि लेवी की चीनी का प्रति व्यक्ति आवंटन प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में विभिन्न राज्यों के लिए लेवी की चीनी का कोटा निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सामान्यतया आबादी के हिसाब से 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास के आधार पर लेवी चीनी के कोटे आवंटित किये जाते हैं।

आबादी के आधार पर इस आबंटन का हिसाब प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में 1-10-1986 को विद्यमान आबादी के संदर्भ में लगाया जाता है। राज्य के अन्दर वितरण की पद्धति के बारे में निर्णय राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्वयं निर्धारित किये गये मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

चीनी विकास निधि में जमा राशि और राज्यों को वितरित की गई राशि

***480. श्री एल० जी० घोलप :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक चीनी विकास निधि स्थापित की है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस निधि में, राज्य-वार और वर्ष-वार, कुल कितनी राशि एकत्र की गई; और

(ग) इस निधि में से विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र को वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक के वर्षों में कितनी राशि दी गई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, हाँ।

(ख) चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के उपबंधों के अधीन भारत में उत्पादित चीनी पर चीनी उपकर एकत्रित किया जा रहा है। यह उपकर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यालयों के माध्यम से एकत्रित किया जा रहा है। चूंकि उनके कुछेक वेतन तथा लेखा कार्यालयों के कार्यक्षेत्र में एक से अधिक राज्य/संघ शासित प्रदेश आते हैं, इसलिए प्रत्येक राज्य के लिये उपकर की एकत्रित की गई राशि की अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है। उपकर की एकत्रित की गई राशि चीनी विकास निधि में अन्तरित कर दी जाती है। 28 फरवरी, 1987 तक इस निधि में 361 करोड़ रुपये अन्तरित किये जा चुके हैं। पिछले 3 वर्षों के लिये ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	चीनी विकास निधि में अन्तरित की गई राशि
1983-84	76
1984-85	95
1985-86	110
1986-87 (फरवरी, 1987 तक)	40

(ग) चीनी विकास निधि का इस्तेमाल चीनी उपक्रमों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करने के लिये किया जाना होता है :—

(1) प्लांट और मशीनरी का आधुनिकीकरण और पुनर्वास करने के लिये;

(2) चीनी उपक्रमों के अधीन इलाकों में गन्ने के विकास के लिये;

(3) चीनी उद्योग से संबंधित अनुसंधान के लिये सहायता अनुदान देने के लिये;

(4) चीनी विकास निधि नियमों में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार ब्याज, भंडारण और बीमा प्रभारों पर राजसहायता का भुगतान करने के लिये; और

(5) चीनी विकास निधि अधिनियम का प्रबंध करने के लिए।

वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(करोड़ रुपये में)

		जोड़	जो महाराष्ट्र में दी गई
1.	गन्ना विकास के लिये ऋण	21.73	9.22
2.	आधुनिकीकरण/पुनर्वास के लिये ऋण	6.25	2.10
3.	चीनी का बफर स्टाक बनाये रखने के लिये ब्याज, भंडारण तथा बीमा प्रभारों का भुगतान	60.03	23.56
4.	चीनी विकास निधि अधिनियम का प्रबंध	0.10	—

उपयोग की प्रतिशतता 24.41

विदेशी सहयोग पर उच्च दर से रायल्टी देना

482. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन्नत प्रौद्योगिकी के अंतरण से संबंधित विदेशी सहयोग के लिए उच्च दर पर रायल्टी देने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा किस उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) तथा (ख) सरकार की सामान्य नीति के अनुसार, विदेशी सहयोगों के संबंध में विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली रायल्टी की अधिकतम दर आम तौर पर पांच वर्ष की अवधि के लिए 5 प्रतिशत तक सीमित होती है। किन्तु जब निहित प्रौद्योगिकी जटिल हो या उत्पादन का अधिक भाग निर्यात किया जाता हो या विदेशी प्रौद्योगिकी के स्रोत सीमित हों और विदेशी आपूर्तिकर सामान्यत: अपनी प्रौद्योगिकी से अलग न होना चाहे तब विशेष मामले के रूप में गुणों को देखते हुए रायल्टी की ऊंची दर पर भी विचार किया जा सकता है।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में कटक में महानदी बेसिन में गवेषण कार्य किया जाना

*485. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड ने उड़ीसा के कटक जिले में महानदी तटवर्ती बेसिन में 10 करोड़ रुपये की लागत से गवेषण कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, हां। परियोजना की लागत 12.20 करोड़ रुपये है।

(ख) आठ अन्वेषणात्मक कुओं को खोदने की योजना है। बालासोर, कटक और पुरी में सर्वेक्षण किए गए हैं। जिला कटक के बालिलुया गांव के पास पहला कुंआ खोदा गया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उपकरणों की खरीद के लिए ठेके दिये जाना

*486. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपनी तीन विद्युत परियोजनाओं के लिए उपकरणों की खरीद हेतु ठेके देने के लिए सबसे कम दर के तथा दूसरे नम्बर के सबसे कम दर के टेंडर पर विचार करने का तरीका अपनाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या टेंडर देने वालों को ठेका देने के बारे में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उपयुक्तता और व्यवहार्यता संबंधी सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार तकनीकी उपयुक्तता और प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए केवल न्यूनतम बोलीदाता और दूसरे नम्बर के न्यूनतम बोलीदाता तक ही सूची को संक्षिप्त करने का सहारा नहीं लिया जाता है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त करने संबंधी बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का समुचित रूप से ध्यान रखते हुए प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है।

मारुति उद्योग लिमिटेड में प्रबन्धक तकनीक

488. **श्री आर० एस० माने**
चौधरी राम प्रकाश : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड, आयोजन, उत्पादन, बिक्री, एवं बिक्री के बाद की सेवा सहित अपने सभी कार्यों में अपने जापानी सहयोगी की प्रबन्धन तकनीक का पूरी तरह अनुसरण कर रहा है;

(ख) क्या जापानी प्रबन्धन तकनीक में ग्राहकों की संतुष्टि तथा गुणवत्ता प्रतिमानों को बनाये रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डीलरों के पास और सेवा केन्द्रों में समय-समय पर जाना भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड के अध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में अपने डीलरों के पास तथा सेवा केन्द्रों में कितनी बार गये ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने जहां कहीं भी अपने उद्देश्यों और आवश्यकताओं के अनुकूल अपने सहयोगी की प्रबन्ध प्रक्रियाओं को पाया है उनका समावेश करके अपनी स्वयं की प्रबन्ध तकनीक विकसित की है।

(ख) जी, हां।

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारीगण जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा महाप्रबन्धक शामिल हैं मारुति डीलरों और सेवा केन्द्रों पर बराबर जाते रहते हैं।

दूर संचार विभाग के लिए रेडियो डिजिटलों की सप्लाई हेतु इटली की फर्म के साथ करार

4852. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दूर संचार विभाग के लिए रेडियो डिजिटलों की सप्लाई हेतु इटली की एक फर्म के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस प्रयोजनार्थ विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित की थी,

(घ) यदि हां, तो निविदायें प्रस्तुत करने वाली राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या इटली की निविदा सबसे कम दर की थी; और यदि नहीं, तो इसे स्वीकार करने के क्या कारण हैं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) :

(1) प्रश्न संभवत दूरसंचार विभाग के लिए रेडियो डिजिटल अनुमानित डिजिटल माइक्रोवेवे उपस्कर की सप्लाई के लिए इटली की फर्म के साथ करार करने के बारे में है।

(2) दूर संचार विभाग ने डिजिटल माइक्रोवेव उपस्कर की सप्लाई के लिए इटली की एक फर्म को निम्नलिखित क्रय आदेश दिये थे :

क्र० सं०	आदेश की तिथि	मद का नाम	करार का मूल्य	कम्पनी का नाम
1.	29.10.85	13 जी एच जेड डिजिटल माइक्रोवेवे उपस्कर	3426 मिलियन इटेलियन लीरा (एफ ओ बी)	मैसर्स टैलेट्रा इटली
2.	18.7.86	—वही—	3187 मिलियन इटेलियन लीरा (एफ ओ बी)	—वही—
3.	16.9.86	140 एम बी/एस आर बी पी एस के और 16 क्यू ए एम डिजिटल माइक्रोवेव उपस्कर	402 मिलियन इटेलियन लीरा सटर्लिंग 28885	—वही—

(3) उपर्युक्त मदें प्राप्त करने के लिए विश्वजनीय टेंडर मांगे गए थे। 13 जी एच जेड टेंडर के मामले में कुल 15 फर्मों ने भाग लिया था जिसमें से एक फर्म इटली की थी। उपर्युक्त क्रम सं० 3 के मामले में 9 फर्मों ने भाग लिया और भारतीय कंपनियों की ओर से कोई बोली नहीं लगाई गई थी। टेंडर में भाग लेने वाली फर्मों के नाम क्रमशत विवरण एक और दो में दिये गये हैं। दोनों टेंडरों का मूल्यांकन विधिवत गठित एक टेंडर मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया था और मैसर्स टेलिट्रा इटली का प्रस्ताव तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टि से अत्यंत स्वीकार्य पाया गया।

(4) निम्नलिखित ब्यौरों सहित विभिन्न ऋणों के अंतर्गत अभी हाल में डिजिटल माइक्रोवेव उपस्कर क आयात के लिए विश्वजनीय टेंडर आमंत्रित किये गये है।

क्र० सं०	मद का नाम	टेंडर खोले जाने की तिथि	भाग लेने वाली फर्मों के नाम राष्ट्रीय	विदेशी
1.	13 जीएचजेड डिजिटल माइक्रोवेव	21.7.86	2	72
2.	6 जीएचजेड डिजिटल माइक्रोवेव	12.8.86	3	19
3.	7 जीएचजेड डिजिटल माइक्रोवेव	5.2.87	3	8
4.	6 जीएचजेड डिजिटल माइक्रोवेव	25.3.87	—	9 (2) (दो प्रस्ताव अंशत: देशीय हैं)

इन सभी टेंडरों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इटली की फर्म ने पहले दो टेंडरों में भाग लिया है। फर्मों के ब्यौर क्रमश. विवरण तीन, चार, पांच और छः में दिये गये हैं।

विवरण—एक

13 जी०एच०जेड० डिजिटल माइक्रोवेव टेंडर में भाग लेने वाली फर्मों के नाम जिनके लिए 29.10.85 को आर्डर दिये गये थे।

क्र० सं०	भारतीय एजेंट का नाम	विदेशी फर्म के नाम
1.	मै० तरांस मार्केटिंग प्रा० लि० बम्बई	मै० ईटीपी माइक्रोवेव, यू० एस० ए०
2.	मै० एफ० एफ० सी एण्ड कंपनी बंबई	मै० वनडेल एण्ड गोलटरमैन, प० जर्मनी
3.	—	मै० जीईसी टेली० मि० यू० के०
4.	मै० मोटवानी प्रा० लि० नई दिल्ली	1. मै० एनद्ध कारपोरेशन, यू० एस० ए० 2. मै० आईडीन एम/डब्ल्यू डी० यू० एस० ए
5.	मै० इंडे एसोशिएट्स	मै० टेकलेस इन्सट्रमेंट, फ्रांस
6.	मै० इलेक्ट्रीक कारपो० इंडिया लि० हैदराबाद	मै० अलेक्ट्रीक इंडियन औफर

क्र० सं०	भारतीय एजेंट का नाम	विदेशी फर्म का नाम
7.	मै० जोस्टस इंजी० लि० नई दिल्ली	मै० एसईएल प० जर्मनी
8.	मै० ब्लयू स्टार लि० नई दिल्ली	मै० न्यूलेट पैकर्ड, यू० एस० ए०
9.	—	मै० मितसुबिसि कार्प० जापान
10.	मै० मेकास्टर कार्प० नई दिल्ली	मै० सीग्राईटी अलकातेल, फ्रांस
11.	—	मै० एनईसी कार्प० जापान
12.	मै० आईमिल, नई दिल्ली	मै० मिकोमी इन्ट्रमेंट यू० के०
13.	—	मै० बुवीक्स हैगरी,
14.	मै० इंडो पेशेपिक ट्रेड कार्प० न० दिल्ली	मै० टेलेट्रा टेलीफोननिक्स, इलै० रेडियो स्पा, इटली
15.	मै० फोटोफोन लि० नई दिल्ली	1. मै० एन्ट्रीसू अलै० कार्प जापान 2. मै० काबेल मैंडल इलै० पश्चिमी जर्मनी 3. मै० अलैक्ट्रीकल्स टुबेबे, नार्वे

विवरण—दो

दूर संचार अनुसंधान केन्द्र के लिए 140 एम०बी०/एस०आर०बी०पी०एस के और 16 क्यू ए एम डिजिटल माइक्रोवेव उपस्कर हेतु भाग लेने वाली फर्मों के नाम जिनके लिए क्रय आदेश 16.9.86 को दिये गये थे।

क्र० सं०	विदेशी फर्मों का नाम	भारतीय एजेंट का नाम
1.	दी जेनरल इलै० कार्प० टेलीकम्नीकेशन लि० इंगलैंड	मै० जी०ई०सी० आफ इण्डिया लि० न० दिल्ली
2.	मै० न्यूलेट पैकर्ड कार्प० यू०एस०ए०	मै० ब्लयू स्टार लि० नई दिल्ली
3.	मै० काबेलमैंटल इलै० प० जर्मनी	मै० फोटोफोन लि० नई दिल्ली
4.	मै० एनट्रीसू इलै० का०, लि० जापान	—वही—
5.	मै० एनईसी का०, जापान	—
6.	मै० टीआरटी 88-रियु ब्रिलिएन्ट-सवेरिन फ्रांस	मै० डीएसएसआई प्रा०लि०न० दिल्ली
7.	मै० टेलेट्रा, टेलीफोनिया, इटली	मै० इंडो पैसिफिक ट्रेड कार्प० नई दिल्ली
8.	मै० आडिन माइक्रोवेव डि०यू०एस०ए	मै० मोटवानी प्रा०लि०न० दिल्ली
9.	मै० इन्टरनेशनल टेकनालीजीज यूएसए	मै० एडवान्स टेका० नई दिल्ली

विवरण—तीन

दिनांक 21.7.86 को खोली गई 13 सीएचजेड डिजिटल माइक्रोवेव निविदा में भाग लेने वाली फर्मों के नाम—

क्र० सं०	भारतीय एजेंट का नाम	विदेशी सप्लाईकर्ता का नाम
1.	मै० इएमटी इंजी० कार्प० बंबई	मै० लीयर सिगलर, यू०एस०ए०
2.	—	मै० प्लेसई रेडियो सिस्टम, यू०के०
3.	मै० विक्की, इन्टरप्राइजेज, न० दिल्ली	मै० विक्की इन्टरप्राइजेज, न० दिल्ली
4.	—	मै० ओरिटल, फ्रांस
5.	मै० आयमिल्स सेन्स एजेन्सी प्रा०लि० नई दिल्ली	मै० मारकोनी इन्ट्रुमेंट लि०यू०के०
6.	मै० फोटो फोन लि० नई दिल्ली	मै० एनरितसु का०, जापान
7.	मै० मेकास्टर प्रा०लि० नई दिल्ली	मै० अलकातेल, फ्रांस
8.	मै० सीमेंस (इंडिया) लि० न० दिल्ली	मै० सीमेंस, प० जर्मनी
9.	मै० आवन्ती ओवरसिज, नई दिल्ली	मै० सी इटोस एण्ड कम्पनी, जापान
10.	मै० एफएफसी कं०प्रा०लि० बंबई	1. मै० डब्ल्यू एण्ड जी० प० जर्मनी 2. मै० ईटोन, यू०एस०ए०
11.	मै० हिन्दी ट्रान सर्विस प्रा०लि० बंबई	मै० टैट्रोनिक्स, यू०एस०ए०
12.	मै० आईडीटी, नई दिल्ली	मै० एसटीसा आस्ट्रेलिया
13.	मै० जोस्टल इंजी० कार्प० फरीदाबाद, हरियाणा	मै० एसईएल प० जर्मनी
14.	मै० इंडो पैसिफिक ट्रेड कार्प० नई दिल्ली	मै० टेलेट्रा, इटली
15.	मै० शिवम एजेंसीज, न० दिल्ली	मै० टेलेट्रा, एस० ए० स्वीटजरलैंड
16.	मै० जी०ईसी०लि० नई दिल्ली	मै० जीईसी, यू०के०
17.	मै० मीतसु बिसो का० नई दिल्ली संपर्क कार्यालय	मै० ओ०के०आई, जापान
18.	मै० ग्रिवेस कार्टन एण्ड कं०लि० नई दिल्ली	मै० मार्कोनी इटालियान (इटली)
19.	मै० ब्ल्यू स्टार्स, लि० नई दिल्ली	मै० हेवलेट पैकर्ड लि० यू०एस०ए०
20.	मै० एनईसी का० नई दिल्ली (संपर्क कार्यालय)	मै० एनईसी का० जापान

क्र०सं०	भारतीय एजेंट का नाम	विदेशी सप्लाईकर्त्ता का नाम
21.	मै० हिन्दुस्तान इन्ट्रमेंट, लि० न० दिल्ली	1. मै० एडवांटेस्ट कार्प, जापान 2. मै० ईवात्सु इलै० कार्प० जापान
22.	मै० हिन्दुस्तान इन्ट्रमेंट लि० न० दिल्ली	मै० इनरवन्ट इन्ट्रमेंड, फ्रांस
23.	मै० हिन्दुस्तान इन्ट्रमेंट लि० न० दिल्ली	मै० गिगा, इन्ट्रमेंट फ्रांस
24.	मै० आएमिल्स सेल्स एजें० प्रा० लि० नई दिल्ली	मै० इण्डिया इलै, कार्प, मद्रास

विवरण—चार

दिनांक 12.8.86 को खोली गई 6 जीएचजेड डिजिटल माइक्रोवेव निविदा में भाग लेने वाली फर्मों के नाम—

क्र०सं०	भारतीय एजेंट के नाम	विदेशी सप्लाईकर्त्ता का नाम
1.	—	मै० ओरिटल फ्रांस
2.	मै० पंजाब कमनीकेशन, चण्डीगढ़	मै० पंजाब कमीशनस, चण्डीगढ़
3.	मै० फारबेव फारबेज कम्पबेल, बंबई	1. मै० डब्ल्यूजी, प० जर्मनी 2. मै० इटोन यू०एस०ए०
4.	मै० एमिल शलेज एजेंसीज, न० दिल्ली	मै० माकोनी इस्ट्रमेंटस यू०के०
5.	मै० ईएमटी इंजी० कं० बंबई	मै० लियर सिंगलर यूएसए
6.	मै० एमिल सेल्स एजेंसी, न० दिल्ली	मै० इंगलीश अलै० आर्प० मद्रास
7.	मै० फोटोफोन लि०, नई दिल्ली	मै० अनरितसु कार्प जापान
8.	मै० विक्की इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली	मै० विक्की इन्टरप्राइजेज, न० दिल्ली
9.	मै० सिमेन इंडिया नई दिल्ली	मै० सिमेन प० जर्मनी
10.	मै० ब्ल्यू स्टार लि० नई दिल्ली	मै० हेवलेट पैकर्ड यू०एस०ए०
11.	मै० जीईसी इंडिया, न० दिल्ली	मै० जी०ई०सी० टेली० लि० यू०के०
12.	मै० मेकास्टर लि० नई दिल्ली	मै० सीआईटी अलकातेज, फ्रांस
13.	इण्डो पैंतिसिक ट्रेड कार्प० न० दिल्ली	मै० टलेट्रान, इटली
14.	मै० शिवम एजेंसी, नई दिल्ली	मै० टेलेट्रा एस०ए० स्वीजरलैंड
15.	मै० आवन्ती ओवरसीज, न० दिल्ली	मै० सी इटोह एण्ड कं० जापान
16.	मै० जोस्टस इंजी० कार्प० फरीदाबाद	1. मै० एसईएल (एफआरजी) प० जर्मनी 2. मै० एसटीसी आस्ट्रेलिया

क्र०सं०	भारतीय एजेंट का नाम	विदेशी सप्लाईकर्ता का नाम
17.	मै० एनईसी, कार्प० नई दिल्ली	मै० एनईसी कार्प० जापान
18.	मै० आईटीटी नई दिल्ली	मै० एसटीसी आस्ट्रेलिया
19.	मै० हिन्दुस्तान इन्ट्रुमेंट, न० दिल्ली	1. मै० एडवाटेस्ट कार्प जापान 2. मै० इवातसु अलै० कार्प० जापान
20.	—वही—	मै० गीगा स्ट्रुमेंटेशन, फ्रांस
21.	—वही—	मै० एर्नाटेक, फ्रांस
22.	मै० हिन्दी ट्रेड सर्विसेस लि० बंबई	मै० टेक्ट्रोनिक्स, यू०एस०ए०

विवरण—पांच

5.2.87 को खोली गई 7 जीएचजैड डिजिटल माइक्रोवेव निविदा में भाग लेने वाली फर्मों के नाम—

क्र० सं०	भारतीय एजेंट का नाम	विदेशी फर्म का नाम
1.	मै० फोटोफोन लि० नई दिल्ली	मै० एनविटीज कार्प० जापान
2.	मै० विक्की इन्टरप्राइजेज, जयपुर	भारतीय फर्म
3.	मै० आयमिल्स सेल्स एण्ड एजेंसी प्रा० लि० नई दिल्ली	1. रिकेई कार्प० जापान 2. इंडिजिनियस
4.	मै० मितसुबिसी कार्प० नई दिल्ली	मै० ओ०के०आई जापान
5.	मै० आईपीटीसी, नई दिल्ली	मै० टेलेट्रा मैक्सीको
6.	मै० मित्सुई एण्ड कं० नई दिल्ली	मै० मितसुई, जापान
7.	मै० यूनिट्रान लि० नई दिल्ली	मै० सोलेड का० जापान
8.	मै० एनआईएल, नई दिल्ली	1. मै० इवात्सु इलैक्ट्रीक कार्प० जापान 2. मै० एडवाटेस्ट कार्प० जापान 3. मै० एनआईएल, नई दिल्ली, इनडिजि०
9.	मै० एनईसी कार्प० नई दिल्ली	मै० एनईसी का०, जापान
10.	मै० आवन्तीक ओवरसिज प्रा० लि०	मै० सीइटोह एण्ड कं० लि० जापान
11.	मै० हिन्दीट्रान सर्विसेज, प्रा०, लि० नई दिल्ली	1. मै० टेक्ट्रोनिक्स इंक० यूएसए० 2. मै० विलट्रान कं० यू०एस०ए० 3. मै० मोट्रोला इंक, यू०एस०ए०

विवरण—छः

दिनांक 25.3.87 को खोली गई सीजीएच जैड 140 एमबीएस डिजिटल माइक्रोवेव उपस्कर निविदा में भाग लेने वाली फर्मों के नाम—

क्र० सं०	भारतीय एजेंट का नाम	विदेशी फर्म का नाम
1.	मै० फोटोन लि० नई दिल्ली	मै० अनरितसु कार्प० जापान
2.	—	मै० एमईसी कार्प जापान
3.	—	मै० मितसुबिशी कार्प, जापान
4.	मै० आईमिल सेल्स एण्ड एजेंसी नई दिल्ली	1. मै० रिकेई कार्प, जापान 2. इंडिजिनियश
5.	मै० इंडो पैसेफिक कार्प० न० दिल्ली	मै० एलेट्रा मैक्सिको
6.	मै० यूनिट्रा लिमिटेड नई दिल्ली	1. मै० सोलेड कार्प०, जापान 2. इंडिजिनेशस
7.	मै० हिन्दुस्तान इन्स्ट्रुमेंट लि० नई दिल्ली	1. मै० एवात्सु इलै० कार्प० लि० जापान 2. मै० एडवान्टेस्ट कार्प०, जापान
8.	मै० आवान्ती ओवरसीज प्रा० लि० नई दिल्ली	मै० ह्वी इटोह एण्ड कं० जापान
9.	मै० हिन्दी ट्रोन सर्विसेज प्रा० लि० नई दिल्ली	1. मै० टेक्ट्रोनिक्स यू०एस०ए० 2. मै० विल्ट्रान यू०एस०ए० 3. मै० मोटोरोला, यू०एस०ए०

दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न वैगन के लापता हो जाने के बारे में जांच

4853. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गेहूं से भरे हुए एक वैगन को दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर खातों में नहीं दिखाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) जांच के क्या परिणाम रहे हैं और इस सबंन्ध में कौन सी कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई जांच के दौरान रेल-हैड पर बिना हिसाब की गेहूं की 178 तैयार बोरियां पाई गयी थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने बिना हिसाब की इन बोरियों के लिये प्रथम दृष्टि में जिम्मेदार अपने तीन कर्मचारियों को पकड़ा था और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई आरम्भ की गई थी। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों रिकार्डों और मामले के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात इन कर्मचारियों को दोष-मुक्त कर दिया था।

खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड के लिए आर्डर बढ़ाने हेतु उपाय

4854. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, विशेष रूप से कोल इंडिया लिमिटेड खनन और इंडिया सम्बद्ध मशीनरी निगम के उत्पादन क्षेत्र की उन मदों के लिए आर्डर देने के अनिच्छुक हैं जो खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम, दुर्गापुर के उत्पादन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से खनन और सम्बद्ध मशीनरी को पर्याप्त आर्डर मिल सके ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एम० ए० एम० सी० उपयोक्ता सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के सम्बन्धित विभागों के बीच नियमित आपसी तालमेल के परिणाम स्वरूप एम० ए० एम० सी० के लिए पर्याप्त कार्यादेश प्राप्त करना संभव हुआ है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना

4855. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल चेम्बर्स आफ कामर्स कांग्रेस ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इस बात पर जोर दिया है कि आर्थिक विकास तथा और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के एक उपाय के रूप में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व गैर सरकारी क्षेत्र में सौंपा जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) समाचार पत्र की रिपोर्टों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल की 29 वीं कांग्रेस जिसने फरवरी 1987 में नई दिल्ली में अपना सत्र आयोजित किया था, में अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार व्यक्त किया गया बताया जाता है कि राज्य के स्वामित्वाधीन कम्पनियों का गैर-सरकारीकरण करके तथा राज्य अथवा नगर पालिका सेवाओं के ठेके देने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं आदि की प्रतिस्पर्धी कारगरता में वृद्धि हो सकती है।

(ख) सरकार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के गैर-सरकारीकरण के विषय में विचार नहीं कर रही है ।

कर्नाटक में स्थापित किये गये औद्योगिक एकक

4856. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र या केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र में कर्नाटक राज्य में स्थापित किये गये औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन एककों में कितनी धनराशि का निवेश किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) : हालांकि, गत तीन वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य में ऐसा कोई नया केन्द्रीय सरकारी उद्यम स्थापित नहीं किया गया है, फिर भी 31. 3. 1986 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान कर्नाटक में स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पूंजी-निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई है । अतिरिक्त पूंजी-निवेश मे शामिल है—वर्तमान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के विस्तार/आधुनिकीकरण/ नये एककों आदि के कारण किया गया पूंजी निवेश । 1.4.83 को कर्नाटक में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में 1064.82 करोड़ रुपये की पूंजी-निवेश किया गया था तथा 1.4.86 को यह राशि 1542.14 करोड़ रुपये थी । इस प्रकार इसमें 477.32 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ।

इलैक्ट्रानिक दूर संचार व्यवस्था सम्बन्धी अनुसंधान और विकास केन्द्र का कार्य निष्पादन

4857. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक विभाग एक ही शहर/जिले के अन्दर विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों के बीच कम दूरी वाले माइक्रोवेव अथवा पल्स कोड एम्पलीफीकेशन प्रणाली द्वारा सम्बन्ध जोड़ने में सुधार के लिए दूर संचार और टेलीफोन जिलों को तकनीकी विशेषता पेशकश करने की स्थिति में है ।

(ख) क्या इलैक्ट्रानिकी दूर संचार व्यवस्था कार्य निष्पादन के लिए नये अनुसंधान और विकास केन्द्र का कार्य निष्पादन संतोषजनक रहे हैं और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पी सी एमत कनीक का प्रयोग कर एक ही शहर में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में जंकशन लाइनें प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग में पर्याप्त विशेषज्ञता उपलब्ध है ।

(ख) जी हां, टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डाट) बड़ी एक्सचेंजों के लिए डिजिटल इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली पर संतोषजनक प्रगति कर रहा है । इसी दिशा में उन्होंने 128 पोर्ट माडयूल का डिजाइन पूरा कर लिया है जो छोटे एक्सचेंजों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है ।

दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा सुरक्षा और परिवहन की मांग

4858. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों ने अपने गंभीर प्रकृति के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा और परिवहन उपलब्ध किये जाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने पर, गुणागुण के आधार पर उन्हें सुरक्षा और परिवहन संबंधी सुविधायें दी जाती हैं। भविष्य में प्रत्येक मामले पर गुणागुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बांड जारी करना

4859 **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने पूंजी बाजार में प्रवेश करके बांड जारी करने और जनता से धन जुटाने का निर्णय किया है

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने इस संबंध में सरकार की स्वीकृति प्राप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम की योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) से (ग) इस अवस्था में केवल खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 27 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि भारतीय खाद्य निगम जनता, संस्थानों अथवा यदि आवश्यक हो तो बांड जारी कर धनराशि जुटा सके।

डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

4860. **श्री अनंत प्रसाद सेठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार देश के विभिन्न भागों में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिए कुल कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिए कुछ और क्वार्टरों का निर्माण कराये जाने का विचार है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा के विभिन्न जिलों में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिए ऐसे कुल कितने क्वार्टर का निर्माण कराये जाने का विचार है :

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :

डाक

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार विभिन्न भागों में बनाये गये डाक स्टाफ क्वार्टरों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त 2318 स्टाफ क्वार्टर निर्माण कार्य विभिन्न स्तर पर चल रहा है।

(ख) पहले से ही निर्माणाधीन क्वार्टरों के उपयोग की पुनरीक्षा के पश्चात् कुछ अन्य क्वार्टरों का निर्माण किया जायेगा।

(ग) उड़ीसा में पहले से ही निर्माणाधीन क्वार्टरों की जिलेवार संख्या इस प्रकार है—

1. बेरहामपुर (गंजाम जिला)	90
2. भवानीपटना (कालाहांडी जिला)	24
3. बोरबिल (क्योंझर जिला)	14
4. क्योंझरगढ़ (वही)	20
5. बांकी (कटक जिला)	8
योग—	156

निर्माणाधीन क्वार्टरों के उपयोग की पुनरीक्षा करने के पश्चात् ही अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

दूरसंचार

(क), (ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है। जानकारी प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पूरे किये गये स्टाफ क्वार्टरों की संख्या :

	राज्य का नाम	1983-84	1984-85	1985-86	कार्य प्रगति पर
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र	21	35	97	127
2.	बिहार	58	80	158	28
3.	गुजरात	22	44	57	428
4.	जम्मू व कश्मीर	24	20	1	44
5.	केरल	33	40	17	74
6.	कर्नाटक	55	55	46	252
7.	मध्यप्रदेश	56	239	49	12
8.	महाराष्ट्र	113	330	171	158
9.	असम	2	28	14	59
10.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	3	16
11.	हरियाणा	2	1	1	6
12.	हिमाचल प्रदेश	3	1	—	12

1	2	3	4	5	6
13.	मणिपुर	—	—	—	16
14.	मेघालय	24	—	10	—
15.	नागालैंड	—	—	3	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—
17.	उड़ीसा	58	17	26	156
18.	पंजाब	2	1	4	1
19.	राजस्थान	67	142	140	352
20.	सिक्किम	16	—	—	—
21.	तमिलनाडु	80	59	13	309
22.	त्रिपुरा	48	—	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	25	86	50	140
24.	पश्चिम बंगाल	16	183	58	136
	योग	725	1361	917	2326

प्रौद्योगिकी का आयात

4861. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री मोपन भाई पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की औद्योगिक क्षमताओं को और विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात और विदेशों से पूंजी निवेश को उदार बनाने के लिए सरकार ने हाल में उपायों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) भारत में अपना उद्योग स्थापित करने में रूचि दिखाने वाली नई विदेशी कम्पनियों के क्या नाम हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) विदेशी सहयोग प्रस्तावों के लिये स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रशासनिक मंत्रालयों की प्रत्यायोजित शक्तियां सरकार ने हाल ही में बढ़ा दी हैं। नई प्रणाली के अन्तर्गत अब प्रशासनिक मंत्रालय उन विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर निर्णय ले सकता है जिनमें जानकारी तथा रायल्टी के रूप में, समग्र विदेशी मुद्रा का निर्गम एक करोड़ रु० से अधिक नहीं है जो पहले 50 लाख रु० था।

इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी के आयात को और अधिक उदार बनाने के लिये, जहां प्रौद्योगिकी आधुनिकतम और नजदीकी से देखे जानी वाली हो, सरकार ने भारतीय कम्पनियों में रायल्टी तथा विदेशी इक्विटी में उच्च दर की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ग) से (ङ) 1985 तथा 1986 में सरकार ने क्रमशः 1024 तथा 957 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की मंजूरी दी है जबकि 1984 में 752 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई थी।

वास्तव में, भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के प्रत्युत्तर में सरकार मंजूरियां देती है जबकि आधुनिकीकरण तथा विकास के लिये प्रौद्योगिकी के चयन का कार्य भारतीय उद्यमियों पर छोड़ दिया जाता है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनकी जांच विभिन्न तकनीकी प्राधिकारियों तथा विचाराधीन वस्तु से संबंधित मंत्रालयों विभागों के परामर्श से की जाती है।

चिरैला आंध्र प्रदेश में डाक और दूर संचार विभागों के लिये भवनों का निर्माण

4862. **श्री सी० सम्बु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशन (जिला) में चिराला में डाक और दूर-संचार विभागों के लिये स्थायी भवनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) सरकार द्वारा डाक और दूरसंचार विभागों के लिये स्थायी भवनों तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) **डाक**—20 सेंट भूमि के प्लॉट का अधिग्रहण किया जा रहा है। चिराला में कुछ स्टाफ क्वार्टरों सहित प्रधान डाकघर के लिये विभागीय इमारत का निर्माण इस प्लॉट का अधिग्रहण करने तथा कब्जा ले लेने के बाद किया जायेगा।

दूरसंचार—टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अलाट की गई नगर निगम की 61 सेंट भूमि संबंधी मामला न्यायालय में विवादास्पद पड़ा है। अदालती मामले का निपटान हो जाने तथा विभाग के कब्जे में भूमि आ जाने के बाद टेलीफोन एक्सचेंज भवन तथा कुछ स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने के मामले पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

4863. **श्री राजकुमार राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों के पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों को स्थानान्तरण के सम्बन्ध में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की क्या नीति है; और

(ख) अब तक कितने कर्मचारियों को मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) चूंकि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एक अखिल भारतीय संगठन है इसलिए आयोग के किसी भी कर्मचारी को भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। किन्तु अपर श्रेणी लिपिक स्तर

तक के मंत्रालयीय कर्मचारियों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान्यता नहीं किया जाता। फिर भी अधीक्षक तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों तथा तकनीकी कर्मचारियों को भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है किन्तु इसमें भी अपवाद यह है कि इस प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति यदि पहाड़ी, सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में हुई हो तो उन्हें सामान्यतः किसी ऐसे ही विशेष क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

बिजली की कमी वाले राज्य

4864. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बतलें की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में बिजली की कितनी कमी रही तथा वर्ष 1986-87 और 1987-88 में बिजली की कितनी कमी होने का अनुमान है;

(ख) वर्ष 1978 की तुलना में इस समय देश में संयंत्र भार क्षमता कितनी है; और

(ग) यदि 1978 की संयंत्र भार क्षमता को बनाये रखा जाता, तो इस समय बिजली की कितनी कमी होती ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1985-86 में राज्यवार घाटा और 1986-87 में राज्यवार अनुमानित घाटा विवरण दिया गया है। वर्ष 1987-88 के दौरान राज्यवार अनुमानित घाटे का पता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन पूरा कर लिये जाने के बाद लगेगा। तथापि; लगाये गये अन्तिम अनुमानों से यह पता चलता है कि सम्भवतः वर्ष 1987-88 के दौरान देश मे विद्युत की कमी लगभग 9% होगी।

(ख) अप्रैल, 1986 से फरवरी, 1987 तक की अवधि के दौरान संयंत्र भार अनुपात 53.1% था। वर्ष 1977-78 में संयंत्र भार अनुपात 50.9% था।

(ग) वर्तमान संयंत्र भार अनुपात 1987-78 के संयंत्र भार अनुपात से बेहतर है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यवार विद्युत का घाटा और 1986-87 के दौरान (अनन्तिम) राज्यवार घाटा दिखाने वाला विवरण।

राज्य का नाम	1985-86	1986-87 (अनन्तिम)
	कमी (%)	कमी (%)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा	23.3	15.15
हिमाचल प्रदेश	0.4	10.57

1	2	3
जम्मू और कश्मीर	15.2	20.53
एन० एफ० एफ० सहित पंजाब	8.9	1.31
राजस्थान	7.4	21.14
उत्तर प्रदेश	12.2	19.15
दिल्ली	0.2	—
चण्डीगढ़	3.9	—
कुल (उत्तरी क्षेत्र)	10.7	12.96
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात	1.8	5.11
मध्य प्रदेश	0.1	1.54
गोवा सहित महाराष्ट्र	1.7	3.78
जोड़ (पश्चिम क्षेत्र)	1.4	3.61
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	—	7.90
कर्नाटक	22.2	19.75
केरल	—	(+) 6.68
तमिलनाडु	10.5	6.07
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	9.3	8.90
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	28.0	18.16
पश्चिम बंगाल	5.4	4.98
दामोदर घाटी निगम	9.5	14.72
उड़ीसा	19.2	30.1
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	13.8	15.7
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	3.6	25.76
अखिल भारत	7.9	9.09

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

4865. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान, दो नियमों के अनुसार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो समयोपरि भत्ते के नियमों में प्रवृत्त असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) एक समान नियम बनाने के लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को निगम के नियमों के अनुसार समयोपरि भत्ता अदा किया जाता है। कुछ मामलों में डिपुओं, गोदामों और बन्दरगाहों पर कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित राज्य सरकारों के शाप्स एण्ड इस्टेब्लिशमेंट्स अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार समयोपरि भत्ता अदा किया जाता है, जहां भारतीय खाद्य निगम के स्थापनों को इस मामले में छूट नहीं दी गई है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी में एकसमानता लाने के उद्देश्य से यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने भारतीय खाद्य निगम के स्थापनों को अपने शाप्स एण्ड इस्टेब्लिशमेंट्स अधिनियमों के अधीन समयोपरि भत्ते के उपबंधों से छूट दे दी है।

दिल्ली में चिकित्सा आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

4866. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 के दौरान दिल्ली में चिकित्सा-आधार पर कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : नये टेलीफोन कनेक्शन, आवेदकों की बारी आने पर प्रदान किये जाते हैं। चिकित्सा आधार पर नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, अस्थाई तौर पर जैसे परिवार में किसी की बीमारी अथवा अन्य आपातकालीन परिस्थितियां होने पर अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाते हैं। चिकित्सा आधार पर अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। वैसे, दिल्ली में 1986-87 के दौरान 28-2-1987 तक 4,434 अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गये थे।

गैस पर आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए प्राकृतिक गैस

4867. **श्री आर० एम० भोये** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस पर आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिये प्राकृतिक गैस का विदोहन करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) असम में कठलगुड़ी में (280 मेगावाट) राजस्थान में अन्टा में (430 मेगावाट) और उत्तर प्रदेश में औरैया में (600 मेगावाट) की नई केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं के लिये गैस की सप्लाई के लिये वचन दे दिया गया है। गुजरात में कवास में (600 मेगावाट) की केन्द्रीय विद्युत परियोजना को "फाल-बैक" आधार पर गैस प्राप्त होगी। त्रिपुरा में 15 मेगावाट की नई क्षमता के लिये भी गैस हेतु वचन दे दिया गया है।

प्राकृतिक गैस की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के और प्रस्तावों पर विचार गैस की उपलब्धता की स्थिति, वैकल्पिक उपयोगों और अन्य संबंधित तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुये किया जाना है।

पोलिएस्टर फाइबर और फिलामेंट यार्न की उत्पादन क्षमता बढ़ाना

4868. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोलिएस्टर फाइबर और पोलिएस्टर फिलामेंटयार्न की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1986-87 के दौरान विभिन्न कंपनियों को कितने आशयपत्र जारी किये गये; और

(ग) अतिरिक्त लाइसेंस शुदा क्षमता कितनी है और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में कितना समय लगने की संभावना है।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना निम्न प्रकार है।

मद	1986-87 के दौरान जारी आशय पत्रों (15.3.87 तक) की सं०	कुल अनुमोदित क्षमता (मी टन/प्रतिवर्ष)
पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर	1	15,000
पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न	10	1,20,000 (लगभग)

सामान्यतः प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन में करीब चार वर्ष लगेंगे।

विकास आयुक्त (औषध) के विरुद्ध शिकायतें

4869. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या उद्योग मंत्री विकास आयुक्त (औषध) के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 18 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न सं० 2315 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच विकास आयुक्त (औषध) के कार्यालय के विरुद्ध कथित अनियमितताओं और शिकायतों की जांच का कार्य पूरा किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी तथा ग्रामोद्योगों आयोग द्वारा ग्रामोद्योगों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन

4870. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की गतिविधियों का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामोद्योग की संशोधित परिभाषा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में ग्रामोद्योगों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामोद्योगों को आयोग या किसी अन्य माध्यम से क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, हां। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में इस आशय का संशोधन करने के लिये एक विधेयक इस समय संसद के विचाराधीन है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ग्राम उद्योगों का उत्पादन 1983-84 में 722.16 करोड़ रुपये मूल्य से बढ़कर 1984-85 में 807.01 करोड़ रुपये मूल्य का हो गया था और 1985-86 में यह बढ़कर 929.03 करोड़ रुपये मूल्य का हो गया था।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिये ऋण और अनुदानों के रूप में योजनाओं के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को धनराशि आवंटित की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस धनराशि को उद्योगों के विकास के लिये स्वीकृत पद्धति के अनुसार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थानों एवं स्वयंसेवी अभिकरणों को आवंटित करता है। वित्तीय सहायता में ऋण और अनुदान दोनों शामिल होते हैं जो एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्न-भिन्न होते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सहायता अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं, औजारों और उपकरणों पर होने वाले पूंजीकृत खर्च, कार्यशील पूंजी, बैंक ऋण पर ब्याज राजसहायता, आदि के लिए उपलब्ध है। ग्रामोद्योगों के उत्पादन खादी ग्रामोद्योग भवनों एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित राज्य बोर्डों और पंजीकृत संस्थानों के माध्यम से बेचे जाते हैं। प्रशिक्षण सुविधाएं विभिन्न ग्राम उद्योगों में काम कर रहे दस्तकारों के लिये भी उपलब्ध हैं। इसमें से अधिकतर उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली राजकोषीय और वित्तीय रियायतों का भी उपयोग कर रहे हैं। विभागीय उपभोग के लिए भण्डारों की खरीद के मामले में, विभिन्न राज्य सरकारें इन उद्योगों के उत्पादों के लिये मूल्य और खरीद के सम्बन्ध में अधिमान भी देती हैं।

विवरण

(ख) "ग्राम उद्योग" शब्द के पुनर्परिभाषित करने का अर्थ यह है :—

1. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई उद्योग जो बिजली के प्रयोग से अथवा बिना बिजली के प्रयोग के कोई वस्तु उत्पादित करता है अथवा कोई सेवा प्रदान करता है और जिसमें प्रति दस्ताकर अथवा कामगार, अचल पूंजी निवेश पन्द्रह हजार रुपये से अधिक नहीं है अथवा केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट निवेश :

   बशर्ते कि अनुसूची में निर्दिष्ट और ग्रामीण क्षेत्र के अलावा किसी क्षेत्र में स्थित एवं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1987 के लागू होने से पूर्व ग्राम उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त कोई उद्योग, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट किसी तथ्य के बावजूद, इस अधिनियम के अधीन ग्राम उद्योग समझा जाता रहेगा।

2. संवर्धन, रख-रखाव, सहायता, सेवा (पोषल एककों सहित) अथवा किसी ग्राम उद्योग के प्रबन्ध के एकमात्र उद्देश्य के लिये स्थापित अन्य कोई गैर उत्पादन एकक।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अमरीका की कंपनी को 25 लाख डालर से अधिक का भुगतान किया जाना

4871. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालय ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अमरीका की कम्पनी द्वारा इस आयोग को सप्लाई किये गये- ड्रिलिंग यूनिट के इस्तेमाल के बदले 25 लाख डालर से अधिक का भुगतान करने के निर्देश दिये हैं;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और इस अमरीकी कंपनी के मध्य विवाद का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) अमरीका की कंपनी ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विरुद्ध क्या दावा पेश किया; और

(घ) क्या सरकार का इस नुकसान के लिये उत्तरदायित्व निश्चित करने हेतु जांच कराने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां।

(ख) ओ एन जी सी ने उत्तरी अमेरिका की मैसर्स वेस्टर्न कंपनी के साथ जैकअप रिग, ड्रिटान-II संबंधी संविदा को 18,500 अमेरिकी डालर प्रति दिन की घटी हुई चार्टर हायर की दर के आधार पर 17-7-84 से एक वर्ष तक बढ़ाने के लिये बातचीत की है जिसकी मूल दर पहले 41,600 अमेरिकी डालर प्रतिदिन था। मैसर्स वेस्टर्न कम्पनी ने 8-10-1984 से घटी हुई दर की

अपने आफर को वापस ले लिया है और अधिक दर पर संशोधित प्रस्ताव भेजा है। आपसी स्वीकार्य दर पर सहमति न होने के कारण ओ एन जी सी ने कार्य चल रहे कुएं से पूरा होने के बाद 4-12-84 से रिग को किराये पर लेना बंद कर दिया। यह मामला अब उच्चतम न्यायालय में है और न्यायालय ने जो एन जी सी को अंतरिम आदेश दिया है कि 18,500 अमेरिकी डालर प्रतिदिन की निर्विवाद दर तथा आदगी की तारीख तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित अदायगी करें।

(ग) आरंभिक दावा 6,962,895.82 अमेरिकी डालर तथा ब्याज तथा कानूनी कार्रवाई संबंधी खर्च के लिये था।

(घ) जी, नहीं।

तमिलनाडु में उद्योगों की स्थापना

4872. श्री पी०आर०एस० वेंकटेशन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार से नये उद्योगों की स्थापना और विस्तार के सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) उन पर स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) तमिलनाडु में उद्योग स्थापित करने के लिये आशय-पत्रों की स्वीकृति हेतु उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन 25-2-1987 को प्राप्त हुये 59 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में थे। सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि सभी लम्बित औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को जितनी शीघ्रता से सम्भव हो निपटाया जाए।

राज्यों को बिजली की अधिष्ठापित करना

4873. **श्री सुधीर राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल में राज्यवार बिजली की कुल कितनी मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाई गई; और

(ख) प्रत्येक राज्य में की गई प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती हैं :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	पांचवी योजना में जोड़ी गई क्षमता (मेगावाट)	पांचवी योजना के प्रारम्भ में विद्यमान क्षमता के संदर्भ में प्रतिशत वृद्धि	छठी पंचवर्षीय योजना में जोड़ी गई क्षमता (मेगावाट)	छठी योजना के प्रारम्भ में विद्यमान क्षमता के संदर्भ में प्रतिशत वृद्धि
1.	मध्य प्रदेश	560	73.88%	1170	77.46%
2.	उत्तर प्रदेश	151	97.45%	902	28.60%
3.	हरियाणा	481.04	96.85%	186	16.53%
4.	राजस्थान	272.4	49.78%	356	43.21%
5.	गुजरात	1290	139.28%	950	44.18%
6.	महाराष्ट्र	1505	82.82%	2452	69.03%
7.	पश्चिम बंगाल	242	19.08%	788	50.85%
8.	केरल	390	62.75%	—	—

टिप्पणी :—संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं को जोड़ी गई क्षमता और स्थापित क्षमता भागीदार राज्यों के अनुमोदित हिस्सों के अनुसार उनमें विभाजित करके दिखाई गई है।

कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम दक्षिण बिजली उत्पादन केन्द्र का प्रतिस्थापन

4874. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण बिजली उत्पादन केन्द्र कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम के प्रतिस्थापन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता स्वीकार की गई है; और

(ख) यह कब स्वीकार की गई और राज्य सरकार को इसका कब भुगतान किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) मैसर्स कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन द्वारा अपने दक्षिणी विद्युत उत्पादन केन्द्र में 2×67.5 मेगावाट के यूनिट प्रतिष्ठापित किये जाने को भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। 210.75 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत में से परियोजना की वित्त पोषण योजना मे वित्तीय संस्थाओं से 135.79 करोड़ रुपये के ऋण की परिकल्पना की गई है। यह कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन पर निर्भर है कि परियोजना का क्रियान्वन करे और ऋण सहायता का लाभ उठाए।

टेलीफोन आपरेटरों को प्रशिक्षण

4875. डा० टी० कल्पना देवी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और अन्य शहरों से आंध्र प्रदेश के स्थानों को एस०टी०डी० प्रणाली के अलावा ट्रंक काल बुक करने में हो रही कठिनाई की जानकारी है;

(ख) क्या यह इस कारण से है कि आपरेटर स्वयं उन स्थानों से और उनके मार्ग से परिचित नहीं है;

(ग) आपरेटरों को अपने कार्य की जानकारी में सुधार करने और उन्हें शिष्ट एवं कर्तव्य-परायण रहने के बारे में क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(घ) हाल ही में आरम्भ किये गये प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां, दूरस्थ स्थानों के लिये जब ट्रंक काल बुक किये जाते हैं उस समय कठिनाइयां होती हैं।

(ख) जी नहीं। लगभग 36,000 टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन हैं जिसके लिये ट्रंक काल बुक किये जाते हैं और ट्रंक आपरेटरों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे सबसे परिचित हों। उन मामलों में जिनमें कि टेलीफोन आपरेटर यदि उस स्थान से परिचित नहीं होते, तो वे ग्राहकों से नम्रतापूर्वक जिला/ताल्लुका के ब्यौरे के बारे में पूछते हैं कि अमुक स्थान कहां पर स्थित है। स्थान का पता लग जाने के पश्चात् रूटिंग चार्ट के जरिये उस स्थान से संपर्क साधा जाता है।

(ग) और (घ) नियुक्ति से पूर्व, प्रत्येक टेलीफोन आपरेटरों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रत्येक टेलीफोन सर्किल का भौगोलिक ज्ञान, सामान्य प्रचालन पद्धति और उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार काम निपटाने की विधि का ज्ञान कराया जाता है। वर्ष 1986-87 में कस्टमर-इंटरफेस में सुधार की दृष्टि से एक अल्पकालिन इन-सर्विस पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। सभी यूनिटों में यह पाठ्यक्रम उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की विद्युत की मांग

4876. श्री अजय विश्वास : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की राज्य-वार विद्युत की मांग कितनी है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की विद्युत की मांग कितनी होगी; और

(ग) सातवीं योजना के अंत तक विद्युत की मांग में वृद्धि को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के दौरान तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की ऊर्जा की आवश्यकता नीचे दी गई है :—

सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में

	1986-87 के दौरान	सातवीं योजनावधि के अन्त तक
अरुणाचल प्रदेश	35	51
असम	1415	2539

1	2	3
मणिपुर	124	188
मेघालय	156	213
मिजोरम	35	120
नागालैंड	75	68
त्रिपुरा	100	211
	1940	3390

(ग) क्षेत्र के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की विद्युत कमियों को पूरा करने के पश्चात भी सातवीं योजना के अन्त में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 1451 मिलियन यूनिट ऊर्जा अधिशेष होने की परिकल्पना की गई है।

मनीआर्डर प्रभारों की दरों में कमी करना

4877. **श्री नारायण चौबे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मनीआर्डर भेजने के लिये प्रभारों की दरों में कमी करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

4878. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और विकास के लिये कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) आवंटन का सर्किलवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

किस्म	बिहार	मध्य प्रदेश	उड़ीसा
एम ए एक्स-I	27100	29800	13400
एम ए एक्स-II	12900	16900	9300
एम ए एक्स-III	6000	12000	4500

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

वनस्पति यूनिटों को आयातित खाद्य तेलों का वितरण

4879. **श्री पी० एम० सईद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पास वर्ष 1986-87 के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी वनस्पति उद्योग यूनिटों में वितरण हेतु आयातित खाद्य तेलों का कितना भंडार उपलब्ध है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तेल की कितनी मात्रा का आवंटन किया गया है; और

(ग) क्या देश में उत्पादित खाद्य तेल और आयातित खाद्य तेल की मात्रा मांग को पूर्णतया पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) वनस्पति एककों को आवंटन हेतु 1-3-1987 को राज्य व्यापार निगम के पास आयातित तेल का 1·47 लाख मी० टन भंडार उपलब्ध था। तेल वर्ष 1986-87 के दौरान वनस्पति एककों द्वारा 31-3-1987 तक उठाई गई वास्तविक मात्रा 1.23 लाख मी० टन है।

(ख) वनस्पति एककों को नवम्बर, 1986 से मार्च 1987 के दौरान आवंटित की गई तेल की मात्रा 1.41 लाख मी० टन है।

(ख) जी हां।

]हिन्दी]

महाराष्ट्र में गढ़ चिरौली में उद्योगों की स्थापना

4880. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में गढ़चिरौली एकमात्र उद्योग-विहीन जिला है ;

(ख) इस जिले को विकसित जिलों की सूची में लाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये है;

(ग) अब तक वहां कौन से उद्योग स्थापित किये हैं ;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वहां पर कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि अब तक वहां कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जिला/क्षेत्र विशेष के औद्योगीकरण का प्राथमिक दायित्व संबंधित राज्य सरकार पर होता है। केन्द्र सरकार विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें देकर उनके प्रयासों में सहायता करती है। उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमी निम्नलिखित सुविधायें पाने के हकदार है :— लाइसेंस जारी करने के मामले में उच्च प्राथमिकता, अधिकतम दर अर्थात 25% की दर से केन्द्रीय निवेश राजसहायता जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रु० हैं, एम० आर० टी० पी/ फैरा कंपनियों को निर्यात दायित्व से छूट, रियायती वित्त, करों में रियायत लघु उद्योगों को

किराया खरीद के आधार पर मशीनों आदि की सुविधायें। 'उद्योग रहित जिलों' के चुने हुए विकास केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकासार्थ केन्द्रीय सहायता योजना के अधीन राज्य सरकार ने आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य पहले ही आरम्भ कर दिया है और केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त के रूप में 26 लाख रुपये की राशि भी प्राप्त कर ली है।

(ग) इस जिले में नागपुर के कमपेटी नामक स्थान पर मैसर्स पोड्वाल पल्प एण्ड पेपर्स मिल लि० नाम से एक माझोला उद्योग स्थापित किया गया है।

(घ) गढ़ चिरोली जिले में उद्योगों की स्थापना हेतु जारी किए गए आशयपत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों और तकनीकी विकास महानिदेशालय पंजीकरणों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास महा-निदेशालय पंजीकरण
1985	1	—	—
1986	6	—	—

उपक्रमों के नाम आदि सम्बन्धी ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने 'मंथली न्यूज लेटर' में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ङ.) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में दूरसंचार सुविधाओं का विकास

[अनुवाद]

4881. **श्री के० मोहनदास :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केरल में उन जिलों के नाम क्या है जो संचार व्यवस्था की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं,

(ख) क्या इन जिलों में संचार सुविधाओं का विकास करने के लिए विशेष धनराशि का प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस सम्बन्ध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) संसाधनों तथा सीमित मात्रा में उपस्कर एवं स्टोर की उपलब्धता को देखते हुए, केरल के सभी जिलों में दूरसंचार सुविधायें कमोबेश बराबर हैं।

(ख) से (घ) उपयुक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में बिजली संकट

4882. **श्री के० कुञ्जम्बु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में सूखे की स्थिति के कारण राज्य में निकट में होने वाली बिजली संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 1987-88 के दौरान, केरल में विद्युत की उपलब्धता 5577 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है जबकि मांग 6170 यूनिट मिलियन यूनिट होगी जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 10% की कुल कमी होगी ।

(ग) विद्युत की कमी को दूर करने के लिए केरल को दक्षिणी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों तथा पड़ोसी प्रणालियों से यथासंभव सहायता प्रदान की जाएगी । नई विद्युत उत्पादन की क्षमता को भी शीघ्र चालू किया जा रहा है ।

सुपर बाजार द्वारा अच्छी किस्म के खाद्य पदार्थों की सप्लाई

4883. **श्री बी० एल० विजय राघवन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार और उपभोक्ता भंडारों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले खाद्य पदार्थों, दालों आदि की इन संस्थाओं द्वारा खरीद किये जाने से पहले इनकी गुणवत्ता की ठीक प्रकार से जांच कर ली जाती है ;

(ख) क्या इनके द्वारा घटिया किस्म की वस्तुयें बेचे जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो अच्छी किस्म की वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) : सुपर बाजार दिल्ली ने सूचित किया है कि वे दालो आदि जैसी खाद्य सामग्री की खरीद करने से पहले उनकी अपनी गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में जांच करते हैं और वे प्रतिष्ठित विनिर्माताओं से आई० एस० आई० एगमार्क तथा पी० एफ० ए० विशिष्टियों के अनुरूप माल क्रय करते हैं ताकि उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके ।

यह सूचित किया गया है कि ग्राहकों से गुणवत्ता के बारे में प्राप्त शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है ।

उपभोक्ता भंडार सम्बधित राज्य सरकारी समिति अधिनियम की परिधि में आते हैं । क्रय तथा विक्रय से सम्बधित नीतियां उनके प्रबन्धकों द्वारा राज्य सरकारों के व्यापक दिशा-निर्देशों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं ।

हिन्दी संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति

4884 : **श्री रामधन :** क्या संचार मंत्री हिन्दी संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति के बारे में 17 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3000 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में नियुक्त हिन्दी प्रशिक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की;

(ख) इसकी क्या विशेष सिफारिशें थी तथा उनमें से कितनी सिफारिशें अब तक कार्यान्वित की गई है, और

(ग) शेष सिफारिशो के कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) हिन्दी प्रशिक्षण समिति की रिपोर्ट मार्च, 1985 में प्राप्त हुई थी।

(ख) सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है जो सिफारिशे की गई हैं, वे कार्यान्वित की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

समिति की सिफारिशों का सारांश

1. सभी श्रेणी के ऐसे कर्मचारी जिनका, उनकी संबंधित भर्ती सर्किल/जिले से बाहर स्थानांतरण नहीं किया जाना हो, उन्हें हिन्दी का ज्ञान प्रदान करने के लिये विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए गृह मंत्रालय की वर्तमान हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जायेगी। परन्तु, टेलीफोन आपरेटरों की आवश्यकताओं को देखते हुए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। समिति सिफारिश करती है कि यह पाठ्यक्रम शीघ्र तैयार किया जाए और तदनुसार लागू किया जाए।

2. समिति यह महसूस करती है कि अभी स्पित होगा कि भारतीय डाक सेवा, भारतीय दूरसंचार इन्जीनियरी सेवा तथा भारतीय डाक-तार लेखा तथा वित्त सेवा में सीधी भर्ती के जरिये आने वाले अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान हिन्दी में प्रवीण बनाया जाये ताकि वे हिन्दी में टिप्पणियों पत्र आदि समझ और लिख सकें। परन्तु समिति यह व्यावहारिक नहीं समझती कि परिवीक्षा अवधि के दौरान हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त करने की शर्त सेवा में अधिकारियों को स्थाई बनाए जाने से जोड़ा जाए। "ख" और "ग" क्षेत्र के अधिकारियों को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा आयोजित क्रमशः 2 और 3 महीने की सेवा कालीन हिन्दी प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाए। यह प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए और परिवीक्षा काल के पश्चात दो वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण होना चाहिए।

3. "ख" और "ग" क्षेत्र वाले ऐसे अधिकारियों पर जिनकी श्रेणी "ख" संवर्ग में पदोन्नति होती है पैरा-2 की बातें लागू होनी चाहिए। जहां तक वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों का सवाल है, विभाग ऐसे अधिकारियों की सूची बना सकता है, जिन्हें उसे 5 वर्ष के भीतर प्रोन्नति मिलने की संभावना है, ऐसे कर्मचारियों को प्रोन्नति से पूर्व प्रशिक्षण पर भेजा जाना चाहिए। परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के मामलों में, पैरा 2 में की गई सीधी भर्ती की व्यवस्था यथावश्यक परिवर्तनों के साथ स्वतः लागू होगी। तथापि, इस पाठ्यक्रम में सफल न होने पर किसी अधिकारी की प्रोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

4. डाक तार विभाग में, अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश के लिए चलने वाले सभी पाठ्यक्रमों में राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम तथा नियमों आदि की व्यवस्थाओं (धाराओं) का ज्ञान प्रदान करने का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए तथा डाक स्टाफ कालेज भारत की भांति इसके लिए भी कम से कम 5 घंटे का समय नियत किया जाए। समिति यह महसूस करती है कि गैर पर्यवेक्षकीय वर्ग के श्रेणी "ग" संवर्ग में प्रशिक्षण के लिए अध्यापन की वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जानी चाहिए। तथापि समिति यह भी महसूस करती है कि डाक शाखा में, श्रेणी "ग" से संबंधित कर्मचारियों जैसे निरीक्षकों, एल एस जी पर्यवेक्षकों आदि को क्षेत्र "क" और "ख" में स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि की गुंजाइश है।

5. दूरसंचार शाखा में, पर्यवेक्षक संवर्ग श्रेणी "ग" में प्रमुख रूप से जूनियर इंजीनियर आते है। दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्रों में, इस श्रेणी के स्टाफ के प्रशिक्षण का माध्यम फिलहाल अंग्रेजी है। समिति यह महसूस करती है कि यथा-समय प्रशिक्षण केन्द्रों में इस स्तर पर भी प्रशिक्षण में हिन्दी का वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग होना चाहिए। विभाग को चाहिए कि वह ऐसे कदम उठाए ताकि कालांतर में, सहज रूप से हिन्दी प्रशिक्षण का माध्यम हो जाए। फिलहाल विभाग को विशेषज्ञता वाली शाखाओं जैसे स्ट्रोजर, माइक्रोवेव क्रासबार आदि में कुछ केन्द्रों पर हिन्दी में प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। भर्ती किए गए उम्मीदवारों से उनके प्रशिक्षण के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी का विकल्प देने के लिए कहा जाए तथा विभाग को तदनुसार, प्रशिक्षण केन्द्रों में उनका आवंटन करना चाहिए।

6. फिलहाल हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अभीप्सित नहीं होगा। समिति यह सिफारिश करती है कि फिलहाल डाक स्टाफ कालेज तथा उच्चस्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्रों पर अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी ही रहनी चाहिए।

7. समिति यह सिफारिश करती है कि प्रशिक्षण केन्द्रों में विशेषकर "क" और "ख" क्षेत्रों के पर्यवेक्षकीय तथा उससे निम्न संवर्गों के कर्मचारियों के लिए हिन्दी को प्रशिक्षण माध्यम बनाने की गति तेज करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाए :—

(क) विभागीय नियम पुस्तिकाओं, वित्तीय नियम पुस्तिकाओं इत्यादि का समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर तेजी से अनुवाद करना।

(ख) हिन्दी में प्रशिक्षण पाठ्य सामग्री व सहायक वस्तुओं का मानकीकरण करना, इनको हिन्दी में तैयार करना या इनका हिन्दी अनुवाद करना। इस संबंध में दूरसंचार शाखा के लिए उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र तथा डाक व वित्त व लेखा शाखाओं के लिए पोस्टल कालेज को समन्वय का कार्य करना चाहिए।

(ग) अनुवाद कार्य ऐसे सेवारत/सेवा निवृत कर्मचारियों को सौंपा जाए जो दोनों

भाषाओं में प्रवीण हो तथा जिन्हें विभाग में कार्य करने और प्रशिक्षण देने का पर्याप्त अनुभव हो। उन्हें इस कार्य के लिए पारिश्रमिक दिया जाए।

(घ) सेवारत अथवा सेवा निवृत्त अधिकारियों को हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण सुकर बनाने के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में पोस्टल स्टाफ कालेज तथा उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र मार्ग दर्शन का कार्य करेंगे।

8. परिवीक्षार्थियों तथा प्रशिक्षकों द्वारा तकनीकी अथवा प्रबंधकीय विषयों से संबंधित मानक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है और सामान्यतया यही पुस्तकें देश के विश्वविद्यालयों, तथा प्रबंध कार्य संस्थानों आदि में भी पाठ्यक्रम तथा संदर्भ ग्रंथों के रूप में इस्तेमाल की जाती है। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों के प्रयोगार्थ मानक संदर्भ पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने की दिशा में काफी प्रगति की है। समिति यह सिफारिश करती है कि पोस्टल स्टाफ कालेज तथा उच्च स्तरीय दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्रों पर शिक्षामंत्रालय की मानक ग्रंथों के निर्माण की योजना में सहयोग दें और उनकी योजना के अंतर्गत इस संस्थाओं में विशेष केन्द्र स्थापित किए जाए और जो विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रंथ तैयार करायेंगे।

9. समिति यह सिफारिश करती है कि विदेशी उपस्करों और तकनीकी की सप्लाई संबंधी करार में एक ऐसी शर्त जोड़ने की संभावना पर विचार किया जाए जिसके अधीन उपस्करों और तकनीक प्रश्न करने वाली पार्टी अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में उनके संचालन मैनुअल आदि भी है। चाहे जो भी हो, इस बात का पक्का इंतजाम किया जाए कि ऐसी सामग्री के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था हो सके और यह सामग्री दोनों भाषाओं में एक साथ उपलब्ध हो।

10. समिति यह सिफारिश करती है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार एवं प्रकाशित की गई "डाक तार हिन्दी शब्दावली" स्वीकार की जाए तथा विभाग के सभी प्रकाशनों में आधारभूत शब्दावली के रूप में इसका इस्तेमाल हो। तथापि, डाक और दूरसंचार शाखाओं में तेजी से बढ़ती हुई नई तकनीकों के विकास के कारण यह शब्दावली पर्याप्त और पुरानी पड़ गई है। यह समिति सिफारिश करती हैं कि शब्दावली के विकास के लिए पर्याप्त अवसर और स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए शब्द जिन्हें "डाक तार हिन्दी शब्दावली" मे प्रकाशित किया गया है, आधार के रूप में स्वीकार किए जाए तथा संधिकाल में अबतक बनाई गई अंग्रेजी और हिन्दी शब्दावली का साथ-साथ प्रयोग हो। जहां हिन्दी शब्दावली का प्रयोग हो, वहीं कोष्ठकों में (बेहतर होगा कि) रोमन-लिपि में उसके पर्यायवाची शब्द भी दिए जाएं। अंग्रेजी के प्रतीक, तथा अन्य चिन्ह तथा अंक आदि यथावत स्वीकार कर लिए जाएं। यदि "डाक तार हिन्दी शब्दावली "में किसी तकनीकी और वैज्ञानिक शब्द का पर्याय उपलब्ध न हो तो अंग्रेजी के ही तकनीकी वैज्ञानिक शब्द इस्तेमाल किए जाएं।

[हिन्दी]

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों में पानी

4885. **श्री जगन्नाथ चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में गैस एजेंसियों द्वारा खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का वजन बढ़ाने के लिए उनमें पानी डालकर उपभोक्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी है;

(ख) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए क्या दोषरहित उपाए किए हैं, अथवा किये जा रहे हैं;

(ग) क्या इस धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई जाँच की गई है अथवा कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) किसी भी वितरक को एल पी जी सिलिंडरों में पानी भरते हुए पकड़ा नहीं गया है। फिर भी एल पी जी सिलिंडरों में पानी होने के कुछ मामले तेल विपणन कंपनियों के ध्यान में आए हैं।

(ख) तेल उद्योग सिलिंडरों पर पिल्फर-प्रूफ अल्यूमिनियम/पी वी सी सीलों के प्रयोग को बढ़ा रहा है सभी सिलिंडर भरते समय माप और तोल विभागों द्वारा जांची गई स्वचालित मशीनों के द्वारा सही तोल को देखा जाता है। विपणन कंपनियों की ओर से वितरकों को इस बात का निर्देश है कि उपभोक्ताओं को डिलीवरी देने से पूर्व वे सिलिंडरों को दोबारा तोलें।

(ग) और (घ) सिलिंडरों का वजन होने या भरे हुये सिलिंडरों में पानी पाए जाने के संबंध में सभी शिकायतों की जांच की जाती है, और यदि ये शिकायतें सही पाई जाती हैं तो उपभोक्ताओं को उचित क्षतिपूर्ति दी जाती है तथा वितरक के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

ईक्विटी से सम्बद्ध डिबेंचरों के सम्बन्ध में एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष मामले

4886. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ईक्विटी से संबंद्ध डिबेंचरों के सम्बन्ध में अनेक मामले एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष दायर किये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मामले दायर किये गये हैं; और

(ग) उनमें से अहमदाबाद के उपभोक्ता समूह से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कितने मामले दायर किये गये हैं;

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्): (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष अभी तक इस प्रकार के बावन मामलों को संस्थापित किया गया है। इनमें से उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा की गई शिकायतों से बत्तीस मामले उत्पन्न हुये हैं।

राज्यों को खाद्यान्नों का वितरण

4887. डा० वी० वेंकटेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 (अद्यतन) के दौरान सूखे और बाढ़ से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय पूल से राज्य-वार कितने खाद्यान्नों का वितरण किया गया;

(ख) क्या उनकी आवश्यकताओं का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक मास अपनी आवश्यकताओं के बारे में सूचित करें और केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय पूल से प्रत्येक मास के आधार पर आबंटन किए जाते हैं।

वर्ष 1986-87 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सामान्य मासिक आबंटनों के अलावा, विशेष रूप से सूखा राहत के लिए गेहूं के निम्नलिखित आबंटन किए गए थे :—

राज्य का नाम	आबंटित की गई गेहूं की मात्रा (मीटरी टन में)
राजस्थान	3,00,000
मध्य प्रदेश	18,750
महाराष्ट्र	55,000

विवरण

1985-86 और 1986-87 के दौरान सूखे और बाढ़ों से प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सूखे/बाढ़ों के लिए केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के किए गए आवंटन और उनके उठान को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1985-86				1986-87			
	आवंटन		उठान		आवंटन		उठान**	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश	1075.0	252.0	1082.6	96.6	1335.0	252.0	1228.8	73.7
अरुणाचल प्रदेश	48.0	16.8	34.6	3.1	63.0	16.8	49.2	4.2
असम	395.0	385.0	305.2	142.5	530.0	436.8	405.4	169.1
बिहार	258.0	864.0	23.3	228 3	300.0	864.0	53.4	323.3
गुजरात	182.5	410.0	123.6	192.3	320.0	580.0	253.7	340.3
हरियाणा	34.2	322.0	8.3	94.0	42.0	360.0	8.8	33.2
हिमाचल प्रदेश	69.0	53.0	36.5	54.7	78.0	60.0	30.6	33.8
जम्मू तथा कश्मीर	176.0	144.0	88.9	58.8	258.0	144.0	114.0	57.3
कर्नाटक	484.0	210.0	433.3	83.2	610.0	300.0	575.8	138.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
केरल	1505.0	420.0	1429.5	110.7	1650.0	420.0	1472.2	94.3
मध्य प्रदेश	268.0	415.0	203.5	227.6	300.0	600.0 *18.75	169.5	176.3
महाराष्ट्र	435.0	720.0	394.8	383.0	700.0	780.0 *55.0	512.0	644.8
मणिपुर	43.0	24.0	29.9	1.3	52.5	24.0	28.3	6.2
मेघालय	92.5	25.2	109.8	18.3	102.0	25.2	92.6	19.1
मिजोरम	77.0	12.6	59.9	0.8	77.0	12.6	66.2	3.3
नागालैण्ड	55.0	18.0	48.1	22.0	72.0	54.5	67.9	31.0
उड़ीसा	171.0	276.0	80.0	84.9	170.0	276.0	53.2	48.3
पंजाब	13.2	124.0	2.8	37.7	19.5	180.0	2.2	1.4
राजस्थान	19.0	446.0	7.3	410.5	24.0	720.0 *300.0	10.6	388.0
सिक्किम	46.5	3.0	37.4	2.0	53.0	3.0	35.2	3.0
तमिलनाडु	525.0	360.0	388.6	123.9	705.0	360.0	397.6	64.5
त्रिपुरा	115.0	30.0	91.5	7.1	158.0	30.0	110.1	9.3
उत्तर प्रदेश	460.0	540.0	156.9	166.5	600.0	540.0	149.7	93.5
पश्चिमी बंगाल	1420.0	1512.0	172.6	665.0	1500.0	1512.0	742.3	744.9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	14.5	9.2	8.9	3.6	12.0	8.4	7.6	4.5
दिल्ली	245.0	552.0	147.3	410.1	300.0	596.0	156.3	274.0
गोवा, दमन और दीव	49.0	27.6	38.7	12.2	54.0	27.6	41.9	12.0
पांडिचेरी	23.5	2.64	12.6	3.4	22.25	3.44	5.8	नग०

* विशेष रूप से सूखा राहत प्रयोजन के लिए

** फरवरी, 87 तक

नग० = 50 मीटरी टन से कम

राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन

4888. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए माहवार कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया तथा उनके द्वारा वास्तव में कितना खाद्यान्न उठाया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरणों (उपाबंध 1 से 6) में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-4168/87]

सोडाएश उद्योग में रुग्णता

4889. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडाएश उद्योग भयंकर संकट के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस उद्योग को इसका कार्य-निष्पादन सुधारने हेतु इसे सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विकसित की गई अनुरक्षण प्रबन्ध प्रणाली का कार्यान्वयन

4890. **श्री के० राममूर्ति :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 1982-84 के दौरान 4 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की गई अनुरक्षण प्रबन्ध प्रणाली को सिंगरौली संयंत्र में सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के पश्चात कार्यान्वयन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) जनवरी, 1987 में मद्रास में हुए भारतीय संयंत्र इंजीनियर संस्थान के 15 वें राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा ब्रिटेन की मैसर्ज ब्रिटिश इलैक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल के सहयोग से अनुरक्षण प्रबन्ध प्रणाली आरम्भ की गई थी जो कि इसकी सात कार्य-योजनाओं में से एक है। उपर्युक्त सहायता, श्रम-महीनों तथा सेवाओं आदि में सुविज्ञता प्रदान किये जाने के रूप में थी। अनुरक्षण प्रबंध प्रणाली सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र के अलावा कोरबा, रामगुण्डम तथा फरक्का में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अन्य तीन चालू केन्द्रों में आरम्भ/कार्यान्वित की गई है मैसर्ज ब्रिटिश इलैक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल द्वारा भी कार्यान्वयन, की समीक्षा की जाएगी।

(ख) और (ग) इंडियन इन्स्टीट्यूशन आफ प्लांट इंजीनियर्स का 15 वां राष्ट्रीय समारोह जनवरी, 1987 में मद्रास में हुआ था जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि संयंत्र तथा मशीनरी, भवन, सेवाओं आदि जैसी सभी पूंजीगत परिसम्पित्तियों के प्रबन्ध को शामिल करने हेतु अनुरक्षण प्रबन्ध में, व्यापक रूप में, एक प्रबन्ध अपनाई जानी चाहिए ताकि विद्युत संयंत्रों के सम्बन्ध में उपलब्धता, सुनिश्चितता, कार्य-निष्पादन, क्षमता तथा उनकी कार्य-अवधि के रूप में इष्टतम लाभ प्राप्त हो सके। आशा है कि समारोह में भाग लेने वाले प्रतिनिधि/उपक्रम समारोह में हुए विचार-विमर्श की दृष्टि में वर्तमान प्रणालियों में सुधार हेतु कार्य आरम्भ करेंगे।

वीडियो कान्फ्रेंस

4891. डा० सी० पी० ठाकुर: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूर-संचार नेटवर्क के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंस की सुविधा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां, यथासमय।

(ख) चार महानगरों में वीडियो सम्मेलन स्टुडियो उपलब्ध कराने और उनको माइक्रोवेव वीडियो चैनलों से जोड़ने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया जा चुका है। इस प्रकार की परियोजना का कार्यान्वयन दूरसंचार के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तिरुचि द्वारा स्वास्थ्य को व्यवसाय जन्य खतरों का अध्ययन

4892. श्री सी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचि के व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा स्वास्थ्य को व्यवसाय जन्य खतरों के बारे में कितने अध्ययन किये गये हैं;

(ख) इन अध्ययनों के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार ने स्वास्थ्य को खतरों के कारणों को दूर करने हेतु इन अध्ययनों में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र से सहायता प्राप्त एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा संस्थान तिरुचि में स्थित है कार्य वातावरण में व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के सम्बन्ध में यह अध्ययन करता है 1986 में इसने बी० एच० ई० एल०, तिरुचि के लिए 225 अध्ययन किये थे। अधिकांशः मामलों में कार्य वातावरण संतोषजनक पाया गया था लेकिन कुछ मामलों में शोर-गुल तथा धूलकण खतरों में सेफ लिमिट वैल्यूज बढ़ गये थे। बी० एच० ई० एल, तिरुचि के लिए की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है।

लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाना

4893. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को लाइसेंस देने की नीति को और अधिक उदार बनाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार लाइसेंस देने की नीति उद्योगों के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध होगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) लाइसेंसीकरण नीति तथा प्रणाली को उदार बनाना, एक निरन्तर प्रतिक्रिया है और इस नीति के अनुसरण में सरकार द्वारा अनेक उपायो की पहले ही घोषणा की जा चुकी है जैसे 27 उद्योग समूहों तथा 82 बल्क ड्रग्स तथा फारमुलेशन्स को लाइसेंस मुक्त करना, 32 उद्योगों का व्यापकीकरण (ब्रांड बेंडिग) करना, कार्यसंचालन में मात्रा के अनुसार बचत के संबंध में क्षमता की पुनः स्वीकृति देना, परिशिष्ट-1 के उद्योगों में संशोधन करना, सम्पूर्ण रूप से लघु उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित उद्योगों का पुनरीक्षण करना, संयंत्र तथा मशीनों आदि के आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापन/नवीकरण से होने वाली क्षमता को मान्यता देने के लिए सुगम प्रणाली को अपनाया। देश में तेजी से औद्योगिक विकास प्राप्त करने में अड़चनों को दूर करने की ओर, ये उपाय निदेशित हैं।

क्षेत्रीय लकड़ी ऊर्जा विकास कार्यक्रम

4894. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय लकड़ी ऊर्जा विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मे किस प्रकार सुधार लायेगा; और

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वय के प्रारम्भिक चरणों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) क्षेत्रीय लकड़ी ऊर्जा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लकड़ी के उत्पादन तथा उर्जा प्रयोजन के लिए इसकी उपयोगिता सहित लकड़ी ऊर्जा विकास के संबंध में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले एशियाई तथा प्रशान्त क्षेत्रों के देशों के मध्य जानकारी, सामग्री तथा सुविज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम नितान्त तकनीकी प्रकृति का है।

(ख) जलाने की लकड़ी की बढ़ती हुई कमी भाग लेने वाले देशों की सामूहिक समस्या है। क्षेत्रीय लकड़ी ऊर्जा विकास कार्यक्रम अपने अनुवंशिक सामग्री, जानकारी, निरीक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्ययन भ्रमण के आदान-प्रदान तथा प्रायोगिक गतिविधियों के द्वारा जलाने की लकड़ी की सप्लाई में सुधार और इसके अपेक्षाकृत अच्छे उपयोग के लिए उचित दिशा तथा हल के विकास में गति लाने में सहायता देगा जो कि ग्रामीण समुदाय के लोगों की सामाजार्थिक उन्नति में एक अंशदान होगा।

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वय के प्रथम चरण में भारत ने क्षेत्रीय ऊर्जा लकड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित अध्ययन भ्रमण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और इस प्रकार बहुमूल्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिली।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बैटरी चालित रेल इन्जनों का निर्माण

4895. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने छोटी लाइन के लिए बैटरी चालित रेल इन्जनों का निर्माण करना आरम्भ किया है;

(ख) क्या बैटरी चालित इन्जन को परीक्षण के तौर पर चलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन इन्जनों को चलाये जाने से ऊर्जा की कितनी बचत होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) बी० एच० ई० एल०, भोपाल मे बैट्री चालित रेल इन्जन के आद्य रूप का विकास किया गया है।

(ख) भोपाल कारखाने में सीमित परीक्षण कार्य किया गया है।

(ग) स्टीम लोकोमोटिव की तुलना में बैट्री लोकोमोटिव में ऊर्जा की खपत काफी कम होने का अनुमान लगाया गया है।

बालक दत्तक ग्रहण सबंधी विधि

4896. **डा० कृपा सिंधु भोई :**

श्रीमती मीरा कुमार :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री मानिक रेड्डी :

श्री प्रकाश चन्द्र : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में यह आग्रह किया गया है कि सभी जाति, पंथ और राष्ट्रीयता के लोगों द्वारा बालक दत्तक ग्रहण के संबंध में एक व्यापक विधि बनाई जाए;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में संगोष्ठी में क्या सिफारिशें की गई और क्या संकल्प पारित किए गए;

(ग) इस विषय में एक व्यापक विधान लाने के बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) संसद में इसके कब तक पुरःस्थापित कर दिए जाने की संभावना है।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने, दत्तक ग्रहण के सम्बन्ध में 10 से 12 दिसम्बर, 1986 तक आयोजित अपनी सगोष्ठी में, यह सिफारिश की है कि यद्यपि ऐसे विधान के अधिनियम में कठिनाई होगी किन्तु निराश्रित, अनाथ और अवांछनीय बालकों के जिन्हें राष्ट्रीय बालक नीति में राष्ट्र की "सर्वोच्च आस्ति" के रूप में घोषित किया गया है' व्यापक हित है देश में दत्तक-ग्रहण विधि से सम्बन्धित समान विधान आवश्यक है।

(ग) और (घ) सरकार दत्तक ग्रहण विधि में संशोधन के किसी प्रस्ताव पर, इस समय विचार नहीं कर रही है।

माइति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारियों को बोनस और शिक्षा भत्ता

4897. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारूति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारियों के बोनस और शिक्षा भत्ता आदि मांगों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी): (क) और (ख) यद्यपि बोनस का भुगतान बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होता है तथापि मारूति उद्योग लिमिटेड की मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन द्वारा शिक्षा भत्ते की कोई मांग नहीं उठाई गई है।

[हिन्दी]

बिजली परियोजना के बारे में भारत-नेपाल वार्ता

4898. **श्री कुंवर राम :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी बिजली परियोजनाओं के सम्बन्ध में नेपाल के साथ बातचीत की जा रही है; और

(ख) क्या बिजली उत्पादन के लिए कोसी नदी के पानी का उपयोग करने हेतु किसी परियोजना पर काम चल रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) नेपाल के साथ मुख्य रूप से चार बहुद्देशीय परियोजनाओं, अर्थात करनाली, पंचेश्वर, पश्चिमी राप्ती भालूभंग और कोसी उच्च बांध के बारे में बातचीत हुई है, जिनमें विद्युत भाग भी शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 में संशोधन किए जाने की मांग

4899. **डा० दत्ता सामन्त :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैथोलिक महिला सम्मेलन तथा अन्य कैथोलिक संगठनों ने विधि मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 मे संशोधन किए जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन संशोधनों का सुझाव दिया है और इस पर क्या विनिश्चय किया गया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में डाक घर खोलना

4900. **श्री बी० तुलसीराम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कुल कितने डाकघर खोले गये;

(ख) क्या उन डाकघरों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त किए गए है,

(ग) यदि नहीं, तो उन डाक घरों में अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कौन से कदम उठाने का विचार है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में 539 डाकघर खोले गए।

(ख) जी हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

इटली के सहयोग से उद्योगों की स्थापना

4901. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी में इटली के सहयोग से जो उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इन उद्योगों में कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और ख) वर्ष 1982-83 की अवधि के दौरान इटली के सहयोग के साथ 227 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सभी स्वीकृत विदेशी सहयोग, भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम विनिर्माण की मद, सहयोग का स्वरूप, आदि से सम्बन्धित ब्यौरे इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर द्वारा मासिक आधार पर मंथली न्यूज़लेटर के पृथक के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं। उद्योगों, जिन्हें विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों अथवा उन पर लगाई गई कुल पूंजी के अनुसरण में स्थापित किया जाना है, के स्थापना-स्थल से सम्बन्धित सांख्यिकीय सूचना औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

ग्राम न्यायालय के संबंध में विधि आयोग की रिपोर्ट

490`. **श्री एस० जसपाल रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री, न्यायिक सुधार संबंधी रिपोर्ट के बारे में 11 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्यांक 1104 के उत्तर के प्रति निर्देश से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम न्यायालय के संबंध में विधि आयोग की 114 वीं रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने के संबंध में क्या विनिश्चय किया गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) रिपोर्ट पर विधि और न्याय मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में चर्चा करने का प्रस्ताव है और तत्पश्चात इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विनिश्चय किया जायेगा।

टायर निर्माताओं द्वारा उत्पादक-संघ का गठन

4903. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माताओं ने टायरों के मूल्य ऊंचे रखने के लिए एक उत्पादक-संघ का गठन किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने इस मामले में कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) राज्य सड़क परिवहन उपक्रम एसोसिएशन द्वारा की गई उत्पादक संघ के गठन और टायर तथा ट्यूब के निर्माताओं द्वारा टायर और ट्यूबों की कीमतें निर्धारित करने में समायोजित कार्रवाई करने से मुख्यतः संबन्धित शिकायतों के आधार पर एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग ने एम० आर० टी० पी० व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत जांच शुरू की है। आयोग ने अभी जॉच पूरी करनी है।

सरकारी उद्यमों द्वारा लाभ के आंकड़े बढ़ाकर दर्शाये जाना

4904. **श्री मुकुल वासनिक** :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मार्च, 1987 के हिन्दुस्तान में "ग्रोस प्रोफिट आफ पब्लिक सैक्टर यूनिट्स इन्फ्लेटिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम अपने खातों में अर्जित वास्तविक लाभ की अपेक्षा लाभ के अधिक आंकड़े दर्शा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये सरकार का और क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। उद्यमों के लेखों को सभा-पटल पर रखे जाने से पूर्व उनकी विधिवत रूप से लेखा-परीक्षा की जाती है। अतः लाभ के अधिक आंकड़े दर्शाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पे फोनों का निर्माण

4905. **श्री पी० कुलनदईवेल** :

श्री एच० बी० पाटिल :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

श्री शांताराम नायक :

श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं को पे फोन नामक एक उपकरण की सहायता से सार्वजनिक टेलीफोन चलाने के लिये प्राधिकृत किया है;

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार कितने प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत किया गया है;

(ग) क्या पे फोनों का निर्माण करने के लिये गैर-सरकारी कम्पनियों और राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगमों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं; और

(घ) इस संबंध में दूरसंचार विभाग की क्या भूमिका है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) उपभोक्ता के टेलीफोन के साथ एक अतिरिक्त उपकरण के बतौर पे-फोनों की अनुमति दी गई है। इसके प्रयोग के लिये उपभोक्ता को किसी मंजूरी या लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। पे-फोनों की प्राप्ति, संस्थापन और रख-रखाव उपभोक्ता द्वारा ही किया जायेगा। इन पर स्थानीय कॉलों के साथ-साथ एसटीडी/अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायल कॉलों की अनुमति है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों तथा निजी क्षेत्र की चार कंपनियों को पे-फोनों के निर्माण के लिये मांग पत्र दिये गये हैं। दूरसंचार विभाग का विदेशी फर्म के साथ सहयोग द्वारा भी पे-फोनों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(घ) दूरसंचार विभाग सार्वजनिक स्थलों पर जनता के उपयोग के लिये पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

[हिन्दी]

राज्यों में शीरे का उत्पादन

4906. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अपनी आवश्यकता से अधिक शीरे का उत्पादन किया है और उनके पास शीरे का फालतू भण्डार जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या है और इस समय उनके पास कितना शीरा उपलब्ध है;

(ग) क्या शीरे की कमी वाले राज्यों के उद्यमियों को फालतू शीरा आवंटित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें शीरा कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) 2.1.87 को केन्द्रीय शीरा बोर्ड की पिछली बैठक में चालू अल्कोहल वर्ष के लिये केवल पाण्डिचेरी ने 1,100 मी० टन शीरे का अनुमानित अधिशेष रिपोर्ट किया था जिसे कमी वाले राज्यों को आवंटित किया गया था और जो कि आवंटन किये गये राज्यों द्वारा परस्पर सुविधा के अनुसार उठाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में कुछ चीनी की यूनिटों ने यह रिपोर्ट दी है कि डिस्टिलरीज द्वारा शीरा कम

उठाये जाने के कारण उनके पास काफी स्टाक जमा हो गया है। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक शीरे की कोई भी मात्रा अन्य राज्यों को आबंटन के लिये नहीं दी है।

[अनुवाद]

बदरपुर ताप बिजलीघर को बिजली का उत्पादन कम करने का निर्देश

4907. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर ताप बिजली घर को पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होने के कारण बिजली का उत्पादन कम करने के लिये कहा गया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के निदेशानुसार इस क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्डों ने पन बिजली उत्पादन कम करने से इन्कार कर दिया है, और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में बिजली उत्पादन को युक्तिसंगत बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यद्यपि उत्तरी क्षेत्र सामान्यत: विद्युत की कमी का सामना करता रहा है तथापि कृषि संबंधी मांग प्राय: घट जाने के कारण विद्युत का उत्पादन विद्यमान मांग से बढ़ जाता है, तो ऐसे समय में विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन न देना आवश्यक हो जाता है। सितम्बर, 1986 से फरवरी, 1987 तक की अवधि के दौरान बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को कुछ अवसरों पर विद्युत उत्पादन को बन्द करना पड़ा था। तथापि बदरपुर ताप-विद्युत केन्द्र में उक्त अवधि के दौरान इसके कारण विद्युत उत्पादन में केवल 0.88% की हानि हुई थी।

(ग) और (घ) मांग में गिरावट आने के दौरान उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जलाशय पर स्थित जल विद्युत केन्द्रों में व्यवहारिक सीमा तक कम विद्युत उत्पादन किया जाए तथा रन-आफ-दी-रीवर पर स्थित जल विद्युत केन्द्रों को अधिकतम भार के लिये अवसर दिया जाए। यदि इसके पश्चात् भी विद्युत का उत्पादन मांग से अधिक रहता है तो ताप विद्युत केन्द्रों को बन्द करने का सहारा लेना पड़ता है। कुल मिलाकर ऐसे मामले में राज्य बिजली बोर्ड भी सहायता करते हैं।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा बिजली उत्पादन

4908. **श्री बृज मोहन महंती** :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों को विद्युत उत्पादन कार्य करने की अनुमति देने से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों विद्युत उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई कार्य किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) वर्ष 1984 से लेकर 400 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से मैसर्स टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी द्वारा 500 मेगावाट की एक यूनिट स्थापित करने और 211 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मैसर्स कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन द्वारा 2×67.5 मेगावाट की प्रतिष्ठापन यूनिटें स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। 471 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मैसर्स बाम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा 500 मेगावाट की एक यूनिट स्थापित करने के लिये सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 विद्युत के उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागेदारी पर कोई रोक नहीं लगता है जबकि राष्ट्रहित में ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय विद्युत योजना की आवश्यकताओं और लगाये जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त संसाधनों को ध्यान में रखते हुये विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिये निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों की जांच गुण-दोषों के आधार पर की जाती है।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा कैप्रोलैक्टम का लागत-अध्ययन

4909. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैप्रोलैक्टम का लागत अध्ययन औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा कब किया गया था;

(ख) क्या ब्यूरो की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है;

(ग) यदि नहीं, तो लागत अध्ययन को पूरा करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कैप्रोलैक्टम के मूल्य को एक उपयुक्त स्तर तक लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) स्वदेशी केपोलेक्टम के लागत मूल्य अध्ययन करने के लिये जुलाई, 1985 में बी०आई०सी०पी० से कहा गया था। बी०आई०सी०पी० की रिपोर्ट 1986 में प्राप्त हुई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) केप्रोलेक्टम पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। परन्तु यदि आवश्यक समझा गया तो उचित समय पर उपयुक्त कदम लिये जायेंगे।

गोल्डन टोबैको कम्पनी का बन्द होना

4911. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री सुभाष यादव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1987 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस

समाचार की ओर दिलाया गया है कि गोल्डन टोबेको कम्पनी ने अपनी 16 सिगरेट निर्माण यूनिटों को बन्द करने की घोषणा की है;

(ख) क्या भारत की अन्य सिगरेट निर्माण करने वाली कम्पनियों ने भी टोबेको गोल्डन कम्पनी का अनुसरण करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इसका सिगरेट की कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा और स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। तथापि गोल्डन टोबेको कम्पनी (जी०टी०सी०) इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यह कहा है कि उनका कोई भी एकक बन्द नहीं है तथा उनका किसी भी एकक को बन्द करने का कोई इरादा नहीं है।

(ख) सरकार इस प्रकार के किसी निर्णय से अवगत नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्रों की स्थापना

4912. **श्री बी० कृष्ण राव : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ग्रामीण जनता को रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करने के लिये पिछड़े क्षेत्रों में 150 विकास केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ख) "उद्योग रहित जिलों" में संवर्धन केन्द्रों के विकास के लिए पहले से ही एक योजना है। इस योजना के ब्यौरे "इन्सेंटिव फार इण्डस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज" नामक पुस्तिका में दिये गये हैं, जिसकी प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

तथापि, पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए विद्यमान योजना की समीक्षा और संशोधन करने के लिए गठित अन्तर-मंत्रालयीय समिति ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें भी की हैं। समिति की रिपोर्ट सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

नई लाइनें खोलना और नये टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना

4913. **श्री राधा कांत डिगाल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग वर्ष 1986-87 के दौरान नई लाइनें खोलने और नये कनेक्शन देने के अपने लक्ष्यों से आगे बढ़ गया है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1986-87 के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उक्त वर्ष में नई लाइनें खोलने तथा नये कनेक्शन के संबंध में क्या उपलब्धि रही;

(ग) उक्त वर्ष में दूरसंचार विभाग ने राजस्व के रूप में कुल कितनी धनराशि अर्जित की; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) लक्ष्यों को फरवरी 1987 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। 1986-87 के लिये अन्तिम कार्य निष्पादन अप्रैल, 1987 में मालूम होगा।

(ख) 1986-87 के लिये लक्ष्य और कार्य निष्पादन निम्न प्रकार से है;

	लक्ष्य	कार्यनिष्पादन (फरवरी 1987) तक
I. नई लाइनों को चालू करना (लाखों में)	2.80	2.10
II. नई लाइनों की व्यवस्था (लाखों में)	2.20	2.17

(ग) एमटीएनएल सहित विभाग द्वारा फरवरी 1987 तक अर्जित कुल राशि 841.22 करोड़ रुपये है।

(घ) उपर्युक्त के ब्यौरे फरवरी 1987 तक निम्न प्रकार है :—

(I) टेलीफोन सेवाओं से प्राप्ति	701.88 करोड़ रु०
(II) टेलीग्रामों से प्राप्ति	69.88 करोड़ रु०
(III) टेलेक्स से प्राप्तियां तथा अन्य विविध प्राप्तियां	69.56 करोड़ रु०
	841.22 करोड़ रु०

येलाहांका, कर्नाटक में गैस टरबाइन परियोजना

4914. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) येलाहांका, कर्नाटक में गैस टरबाइन परियोजना स्थापित करने पर कुल कितनी लागत आयेगी; और

(ख) क्या राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी और इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

उर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बंगलौर में येलाहांका में तरल पेट्रोलियम ईंधन पर आधारित 120 मेगावाट का विद्युत संयंत्र प्रतिष्ठापित करने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्तावों को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत 59 करोड़ रुपये है। परियोजना को प्रतिष्ठापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की परिकल्पना नहीं की गई है।

अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् यह राज्य प्राधिकारियों पर निर्भर है कि वे परियोजना को क्रियान्वित करें।

दूरसंचार मिशन के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

4915. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसचार मिशन के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन में रक्षा और रेलवे प्रतिष्ठान जैसे बड़े प्रयोक्ताओं के लिए एक समान नेटवर्क का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) दूरसंचार मिशन के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीय संसाधनों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सभी उपभोक्ताओं, सरकारी और गैर-सरकारी मांगों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक लम्बी दूरी नेटवर्क की योजना बनाई जाय और राज्य क्षेत्र में एक सिंगल एजेन्सी द्वारा प्रचालन किया जाय।

(ख) सार्वजनिक लम्बी दूरी नेटवर्क की योजना बनाने के सुझाव पर समुचित रूप से विचार किया जायेगा।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड का दूसरा खान विस्तार कार्यक्रम

4916. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

डा० वी० वेंकटेश : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० ने अपने दूसरे खान विस्तार कार्यक्रम की स्पैंडर्स परियोजना को पूरा करने के लिए कोई तारीख निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो यह लक्ष्य किस तारीख तक प्राप्त किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या केवल विश्वसनीय उपकरणों का ही आयात सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बंसत साठे) : (क) और (ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की दूसरी खान विस्तार परियोजना के 20,000 टन प्रति घंटा क्षमता वाले दो स्प्रैंडर क्रमशः दिनांक 10.4.1989 और 10.8 1989 को चालू हो जाने की योजना है।

(ग) और (घ) उपकरणों की विश्वासनीयता सुनिश्चित करने के लिए, सप्लायर से यह क्वालिटी-गारंटी ले ली गई है कि नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के परामर्शदाताओं से उपकरणों की संरचनात्मक डिजाइनों की जांच कराई जायेगी और परामर्शदाता यदि किसी संशोधन का सुझाव देते हैं तो सप्लायर उपकरणों में वह संशोधन बिना कोई कीमत लिये कर देगा।

इन्जीनियरिंग उद्योग में क्षमता का उपयोग

4917. **श्री भट्टम श्री राममूर्ति :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग उद्योग में क्षमता का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण है; और

(ख) इंजीनियरिंग उद्योग में उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कुछ इंजीनियरी उद्योगों में विभिन्न कारकों जैसे अवस्थापनापरक और कच्चे माल संबंधी बाधाएं मांग में अड़चनें, खराब औद्योगिक सम्बन्ध, अपर्याप्त प्रौद्योगिकीय उन्नयन आदि के कारण क्षमता का उपयोग कम हुआ है।

(ख) सरकार की औद्योगिक नीति के एक प्रमुख उद्देश्य अधिक उत्पादन को प्राप्त करना रहा है। इसे अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक और आयात नीतियों में परिवर्तन करके तथा मौद्रिक और वित्तीय अभ्युपायों तथा अवस्थापना सम्बन्धी सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

कर्नाटक को चावल का आवंटन

4918 **श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :**

श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मांग की पूर्ति हेतु और समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल से कितना चावल मांगा गया था;

(ख) उस राज्य को इन वर्षों में केन्द्र से कितना चावल आवंटित किया गया; और

(ग) उस राज्य द्वारा केन्द्रीय आवंटन में से कुल कितनी मात्रा में चावल उठाया गया ?

संसदीय कार्य, मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) 1985-86 और 1986-87 के दौरान कर्नाटक के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की मांग, उसके आवंटन और उठान का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(हजार मीटर टन में)

वर्ष	मांग	आवंटन	उठान
1985-86	590.0	484.0	433.3
1986 87	720.0	610.0	575.8*

(*फरवरी, 1987 तक)

समन्वित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आवश्यकताएं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किये गये आवंटन से पूरी की जाती हैं।

बाढ़ और अन्य प्राकृतिक विपदाओं के कारण टेलीफोन की हानि

4919. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान बाढ़ और अन्य प्राकृतिक विपदाओं के कारण टेलीफोन तंत्र को हुई कुल हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का सुरक्षित और सुविधाजनक टेलीफोन नेटवर्क के लिए सारे देश में बाहरी केबल और तार बिछाने की प्रणाली को पूर्णतः समाप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नमक आयुक्त के कार्यालय का जयपुर से स्थानान्तरण

4920. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक आयुक्त के कार्यालय को जयपुर से सुरेन्दनगर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से पहले इस बारे में गहन अध्ययन करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

4921. **श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1985-86 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गये;

(ख) क्या चालू वर्ष में और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) बिहार राज्य में संचार के क्षेत्र में दी जाने वाली प्रस्तावित अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 18

(ख) जी हां।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान बिहार में प्रस्तावित अतिरिक्त सुविधायें, बशर्ते कि इनके लिए उपस्कर और स्टोर उपलब्ध हों तथा यह तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हों।

1. कटिहार—पुर्णिया सैकेंडरी क्षेत्र में संगठित अंकीय नेटवर्क प्रारम्भ करना।
2. रांची में अंकीय टी० ए० एक्स की स्थापना।

3. पटना (राजेन्द्र नगर) एक्सचेंज का (6000-10,000) विस्तार।
4. रांची एक्सचेंज (8000-9000) का विस्तार।
5. गया पी० आर० एक्स० एक्सचेंज (3000-4000) का विस्तार।
6. भागलपुर में 20,000 के एम० ए० एक्स-I एक्सचेंज का विस्तार।
7. भागलपुर (2000-3000) का विस्तार।
8. पटना में 10,000 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना।
9. रांची में 2000 लाइनों के इलेक्ट्रानिक (आर० एल० यू०) एक्सचेंज की स्थापना।
10. मुजफ्फरपुर एक्सचेंज (3900 से 4500) का विस्तार।
11. पटना यूनिट-II (1800-3600), जमशेदपुर (6000-8700)
12. जमशेदपुर (6000-8700)
13. 20 लाइनों के 9 टेलेक्स एक्सचेंज-बशर्ते कि अपेक्षित मांग हो।
14. दुमका, हाजीपुर, मधुबनी, नवाडाह, पुर्णिया, खगरिया, सीतामढ़ी, गुलाबबाग में कम क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का संस्थापना।
15. 8400 एम० ए० एक्स-II लाइनें जोड़ना।
16. लगभग 6000 एम० ए० एक्स-III लाइनों की पुष्टि।
17. निम्नलिखित स्थानों पर संचारण प्रणाली शुरू करना :—

माइक्रोवेव :— (क) रांची—जमशेदपुर चौडी पट्टी माइक्रोवेव

(ख) पटना—बिहार शरीफ तंग पट्टी माइक्रोवेव

(ग) पटना—छपरा-सिवान तंग पट्टी माइक्रोवेव (डिजीटल)

यू० एच० एफ० (क) पटना—हाजीपुर

(ख) बेगूसराय—मंधूर

(ग) मोतीहार—बेताह

(घ) धनबाद—सिन्दरी

(ङ) दरभंगा—सहरसा

(च) मुजफ्फरपुर—सीतामढ़ी

(छ) असनसोल—दुमका

(ज) बिहार शरीफ—नवाडाह

(झ) जमशेदपुर—वारीबेस

(ण) गोपालगंज—सीवान

(त) कटिहार—रायगंज

(थ) आसनसोल—गिरीडह

(द) मेघीपुर—पूर्णिया

(ध) औरंगाबाद—गया

(न) साहिबगंज—भोगलपुर

(प) लोहारदगा—रांची

(फ) गुलमा—रांची

दक्षिण एशियाई देशों के लिए खाद्य के सुरक्षित भंडार

4922. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और छः अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने इन सात देशों की खाद्य संबंधी आपात जरूरतों को पूरा करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के लिए खाद्य के सुरक्षित भंडार बनाने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन इस योजना को अपना समर्थन देगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) क्षेत्र की खाद्य सम्बन्धी आपातिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक साउथ एशियन फूड सेक्यूरिटी रिजर्व की स्थापना करने का प्रस्ताव है इस प्रस्ताव में इस क्षेत्र के देशों अर्थात् बंगला देश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा भाग लेने की परिकल्पना की गई। इन देशों द्वारा आपसी विचार-विमर्श के जरिए इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। इस विचार-विमर्श में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन सहायता दे रहा है।

बिजली वित्त निगम की स्थापना

4923. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1987 में की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब तक किया जायेगा और इसके मुख्य प्रयोजन और लक्ष्य क्या है; और

(ग) देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने में यह किस सीमा तक सहायक होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) विद्युत वित्त निगम को निगमित किया जा चुका है। मुख्य कार्यपालक की शीघ्र ही नियुक्ति किए जाने की आशा है।

(ख) और (ग) अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त निगम में तीन पूर्णकालिक निदेशक होंगे, इनमें से ताप विद्युत और जल-विद्युत परियोजनाओं और वित्तीय कार्यों के लिए एक-एक निदेशक होगा। यह निगम विद्युत परियोजनाओं के लिए आवधिक वित्त व्यवस्था करेगा और राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों में प्रयासों की अनुपूर्ति करेगा। निगम निधियों की पर्याप्त व्यवस्था करेगा और विद्युत परियोजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से और समय पर क्रियान्वित करेगा।

[हिन्दी]

अधिक धनराशि के टेलीफोन बिल भेजे जाने की शिकायतें

4924. **श्री राम भगत पासवान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-86 के दौरान अधिक धनराशि के टेलीफोन बिल भेजे जाने की कितनी शिकायतें मिली और दिल्ली पटना और दरभंगा से ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या यह सच है कि टेलीफोन विभाग के कुछ कर्मचारी व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ करके उनसे रिश्वत के रूप में प्रतिमास एक निश्चित धनराशि लेकर अन्य व्यक्तियों के टेलीफोनों पर उनकी काल मीटर कर देते हैं, जिससे अन्य प्रयोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ती है;

(ग) क्या सरकार ने इस भ्रष्टाचार की कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) अब तक कितनी शिकायतों का सरकार अथवा प्रयोक्ताओं के पक्ष में, अलग-अलग निपटारा किया गया है और ऐसे कितने उपभोक्ताओं को उनसे वसूल की गई अधिक धनराशि वापस कर दी गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी देश भर में फैली सभी यूनिटों से मांगी गई हैं और इसे प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

कोयला खान श्रमिकों के कल्याण के लिए धनराशि

4925. **डा० प्रभात कुमार मिश्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान श्रमिकों के कल्याणार्थ अलग से धनराशि आबन्टित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में इस प्रयोजन हेतु आबंटित धनराशि की प्रतिशतता क्या है;

(ग) बिलासपुर में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) जी, हां।

(ख) कोल इण्डिया लि० का वर्ष 1986-87 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय रु. 966.20 करोड़ है। इसमें से रु. 144.12 करोड़ की राशि कोयला खनिजों के कल्याण क्रियाकलापों पर खर्च करने के लिए निर्धारित है। प्रतिशत की दृष्टि से यह रकम लगभग 14.9 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) वर्ष 1986-87 में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के लिए अनुमानित खर्च रु. 28.53 करोड़ का है। वास्तविक खर्च के दिसम्बर, 1986 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

		(रु. करोड़ में)
आवास	—	13.60
जलपूर्ति	—	1.57
चिकित्सा	—	0.31
शिक्षा	—	0.13
अन्य	—	1.92
	कुल :	17.53

[अनुवाद]

कर्नाटक के बीदर जिले में टेलीफोन सुविधाएं

4926. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के बीदर जिले के कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं और कितने गांवों में अभी यह सुविधा प्रदान की जानी है; और

(ख) शेष गांवों में टेलीफोन सुविधाएं कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) कर्नाटक के बीदर जिले में 402 ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं और 206 ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं नहीं हैं।

(ख) शेष ग्रामों में चालू और आगामी योजनाओं के दौरान टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की संभावना है जो कि सामग्री और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

मिट्टी के तेल तथा हाई स्पीड डीजल के उत्पादन के लिए नई प्रोद्योगिकी

4927. **श्री प्रताप राव बी० भोसले :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क)जी, हां।

(ख) वर्तमान रिफाइनरी तथा प्रस्तावित नई रिफाइनरियों में मिडिल डिस्टीलेटों की स्थापना करके अधिकतम हाईड्रोक्रकर निकालने का प्रस्ताव है।

धान (गुजरात) में खाद्यान्नों का भंडारण

4928. **श्री अनूप चन्द शाह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 24360 मीट्रिक टन की पूर्ण क्षमता की तुलना में 31.7.86, 31.8.86, 30.9.86,

31-10-86, 30-11-86, 31-12-86, 31-1-87 और 28-2-87 को थान (गुजरात) में किराए के गोदामों में खाद्यान्न का कितना भण्डार था ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत): थान (गुजरात) में इन तारीखों को 24,360 मीटरी टन के किराये के गोदामों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारित खाद्यान्नों के स्टाक निम्नानुसार थे :—

निम्न तारीख को	खाद्यान्नों का भण्डारित स्टाक (मीटरी टन)
31-7-1986	2,495
31-8-1986	10,447
30-9-1986	24,135
31-10-1986	28,355
30-11-1986	28,353
31-12-1986	28,631
31-1-1987	28,642
28-2-1987	28,642

महाराष्ट्र के धुले जिले में दूरसंचार फैक्टरी की स्थापना

4929. **श्री मानिक राव होडल्या गावित :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 में धुले (महाराष्ट्र) में एक दूरसंचार फैक्टरी स्थापित करने के लिए उद्घाटन समारोह हुआ था;

(ख) क्या इस एक्सचेंज का काम अभी शुरू नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का इस परियोजना का कार्य शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस काम के कब तक शुरू होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) धुले में दूरसंचार फैक्टरी की आधारशिला रखने हेतु वर्ष 1984 में एक समारोह किया गया था।

(ख) सुनिश्चित विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब कोई और विभागीय दूरसंचार फैक्टरी स्थापित न की जाए।

धुले में 3500 लाइनों के क्रासबार एक्सचेंज की स्थापना का कार्य एक अलग परियोजना है। एक्सचेंज की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु कागज एककों में वित्तीय संकट

4930. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु कागज एककों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हाल में अनेक लघु कागज एकक बन्द हो गए हैं जिसके कारण उनमें वित्तीय संस्थाओं का करोड़ों रुपया फंसा पड़ा है; और

(ग) सरकार का लघु कागज एककों को वित्तीय और आर्थिक संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्यमन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) इस समय, तकनीकी विकास महानिदेशालय की नामावली में 288 पेपर एकक हैं जिनमें से 10,000 मी. टन या इससे कम वार्षिक क्षमता वाले 241 एककों को लघु एकक माना जा सकता है।

(ख) प्रबन्ध अकुशलता, कच्चे-माल तथा बिजली की कमी, अप्रचलित मशीनों, वित्तीय समस्याओं इत्यादि जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण इस समय देश में कुछ कागज मिलें बन्द पड़ी हैं।

(ग) उत्पादन बढ़ाने तथा क्षमता उपयोगिता और वित्तीय जीवता में सुधार करने के लिए कागज उद्योग को विभिन्न राहतें तथा रियायतें दी गई हैं। इनमें से निम्नलिखित राहतें और रियायतें काफी हद तक, लघु कागज मिलों के लिए लाभप्रद होंगी :—

(1) लुग्दी तथा रद्दी कागज के आयात को ओ जी एल के अन्तर्गत लाया गया है। लुग्दी के आयात को सीमा-शुल्कों से मुक्त कर दिया गया है।

(2) राइटिंग, प्रिंटिंग तथा क्राफ्ट पेपर, जिसमें खोई से बनी लुग्दी भार के रूप में 75% से कम न हो, का विनिर्माण उत्पादन-शुल्क के भुगतान से मुक्त है।

(3) लघु कागज मिलों द्वारा बनाये जाने वाले कागज तथा गत्ते में बम्बू, हार्ड वुड, साफ्ट वुड्स, रीड्स या रेग्स के अलावा अन्य सामग्री से तैयार की गई लुग्दी वजन के रूप में 50% से कम न हो तो, रियायती दरों पर उत्पादन शुल्क लिया जाता है।

(4) 1-4-86 से लघु कागज मिलों को आनुक्रमिक स्लैब्स के लिए संवृद्धि के आधार पर उत्पादन-शुल्क का भुगतान करने की सुविधा दी गई है।

(5) सम्पूर्ण लायसेंस प्राप्त क्षमता के अन्तर्गत उद्योग को पेपर बोर्ड/स्ट्रा बोर्ड सहित सभी किस्मों का पेपर ग्रेड पल्प का निर्माण करने में नम्यता की अनुमति दी है।

(6) कृषि अवशेष, रद्दी तथा खोई से राइटिंग, प्रिंटिंग तथा रैपिंग पेपर के निर्माण के मामले में औद्योगिक लायसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

उद्योग के वित्तीय पहलुओं की जांच करने के लिये सचिव (औद्योगिक विकास) की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है। समिति ने अपने कार्यों को पूरा नहीं किया है।

केरल के इडुक्की और पथानामथीटा जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

4931. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या संचार मंत्री केरल के इडुक्की और पथानामथीटा

जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने के बारे में 22 जुलाई, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 576 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडुक्की जिले में ग्यारह टेलीफोन एक्सचेंजों और पथानामथीटा जिले में नौ टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) विस्तार कार्यक्रम को कब तक पूरा किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विस्तार कार्यों को सातवीं योजना अवधि के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो जाएं।

विवरण

पूरे किए गए विस्तार कार्यों का ब्यौरा इडुक्की जिला

1.	अरिकुझा	9 से 45 लाइनें
2.	कालूर	35 से 45 लाइनें
3.	कोडिकुलम	35 से 45 लाइनें
4.	इलापारा	45 से 70 लाइनें

मारुति कार के मूल्य में वृद्धि

4932. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :**

श्री के० प्रधानी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मारुति कार के मूल्य लागत में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई कारों की डिलीवरी बन्द कर दी गई है; और

(घ) चालू वर्ष में कितनी कारों का निर्माण किए जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख): बजट लेवियों और रुपये की तुलना में अमरीकी डालर तथा जापानी येन के मूल्य में वृद्धि के प्रभाव के कारण मारुति कारों की कीमत में वृद्धि हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 1986-87 में कारों का अनुमानित उत्पादन लगभग 50,000 है।

औद्योगिक अलकोहल के प्रयोग को निरुत्साहित करने के लिए सिफारिश

4933. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० एस० गंगुली की अध्यक्षता में समिति ने उद्योगों द्वारा औद्योगिक अलकोहल के प्रयोग को निरुत्साहित करने की सिफारिश की हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) डा० एस० गंगुली की अध्यक्षता में नियुक्त विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में सरकार को दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की गई है कि औद्योगिक उपयोग के लिये अलकोहल की अनिश्चित उपलब्धता को देखते हुये भविष्य में स्टाइरीन बुटाडीन रबर (एस बी आर पालिइथालीन, एसेटिक एसिड बी ए एम एम ई जी आदि जैसे उद्योगों का विकास पूर्ण रूप से हाइड्रोकार्बन के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने पर आधारित होना चाहिए और वर्तमान प्लांटों को यदि वे ऐसा चाहते हों तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कच्चे माल पर परिवर्तन करने के लिये स्वीकृति दी जानी चाहिये ।

(ख) और (ग) सरकार को रिपोर्ट पर अभी विचार करना है ।

बायो ऊर्जा-शिक्षा का विकास

4934. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोनों ही शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर बायो ऊर्जा-शिक्षा के विकास और संस्थाओं में इसकी शिक्षा शुरू करने के लिये कोई समेकित कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा और प्रासंगिकता और दर्जा क्या होगा और इस बारे में क्या नीति अपनाई गई है; और

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ परामर्श कर बायो ऊर्जा पाठ्यक्रम का एक व्यवसायिक विषय के रूप में विकास करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (डी एन ई एस), भारतीय बायो ऊर्जा सोसाईटी (बी ई एस आई) तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) द्वारा संयुक्त रूप से बायो ऊर्जा पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन क्षेत्रीय कालेज, अजमेर में 1985 में किया गया । बाद में इस विषय पर दिसम्बर 1986 में भारतीय बायो ऊर्जा सोसाईटी के तीसरे सम्मेलन में मुख्य विषय के रूप में विचार-विमर्श किया गया । यह सिफारिश की गई कि विभिन्न स्तरों पर बायो ऊर्जा शिक्षा के विकास के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया जाए । अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने विभिन्न स्तरों पर औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा पद्धति दोनों के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं । इस राष्ट्रीय समिति के पथ-प्रदर्शन से पाठ्यचर्या के विकास के साथ बायो

ऊर्जा अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यक्रम में शुरू किया जा रहा है। आई०आई०टी०, दिल्ली, आई०आई०टी०, बम्बई; सरदार पटेल विश्वविद्यालय (बल्लभ विद्या नगर); गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर; तथा आई०आई०टी०, खड़गपुर में बायो ऊर्जा पहलुओं का अध्यापन कार्य नवीकरणीय ऊर्जा में पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय शैक्षणिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) ने भी ग्रामीण इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी शीर्षक नाम की एक पाठ्यचर्या का विकास किया है जिसका बायो गैस प्रौद्योगिकी एक घटक है। यह व्यवसायिक पाठ्यक्रम आन्ध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा "ग्रामीण इंजीनियरिंग तकनीशियन" शीर्षक के अन्तर्गत चलाया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन में संशोधन करने संबंधी समिति

4935. **श्रीमती पटेल रमाबेन राम जी भाई मावणि :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, सरकार ने केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ता पैटर्न का अनुसरण करते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन संशोधन की समस्या की जांच करने के लिए उच्चशक्ति प्राप्त समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का कार्य इस समय किस अवस्था में है; और

(ग) क्या उपर्युक्त समिति की सिफारिशें सरकार, संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रबंध तथा संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होंगी ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) समिति ने सरकार को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 9.3.87 को प्रस्तुत की है जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। आशा है कि समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट नवम्बर, 1987 के अन्त तक दे देगी।

दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आप्टीकल फाइबर का प्रयोग

4936. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आप्टीकल फाइबर का प्रयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक छोटे, बड़े और मेट्रो (टेलीफोन) जिलों और दूरसंचार परिमंडलों के लिए आज तक इस संबंध में कार्यान्वित किये गये कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए इस संबंध में कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस समय विभाग इन प्रणालियों का प्रयोग केवल शहरी क्षेत्रों के लिए कर रहा है।

(ख) दूरसंचार विभाग ने अभी तक आप्टीकल फाइबर के प्रायोगिक लिंकों को पुणे और बम्बई टेलीफोन नेटवर्क की स्थानीय प्रणालियों में कार्यान्वित किया है।

(ग) सातवीं योजना में दूरसंचार विभाग ने लम्बी दूरी के नेटवर्क में 6219 कि०मी० आप्टीकल फाइबर प्रणाली तथा स्थानीय नेटवर्क में लगभग 846 कि०मी० की योजना बनाई गई है। इन योजनाओं में 140 एम० बी/एस तथा 34 एम बी/एस आप्टीकल फाइबर प्रणालियां शामिल हैं। आप्टीकल फाइबर प्रणालियों को चालू करने का वर्षवार अस्थायी कार्यक्रम निम्नलिखित है:—

क्र० सं०	1987-88	1988-89	1989-90
लम्बी दूरी			
6219 कि०मी	1714 कि०मी०	2159 कि०मी०	2346 कि०मी०
स्थानीय नेटवर्क			
846 कि०मी०	200 कि०मी०	420 कि०मी०	226 कि०मी०

हिमाचल प्रदेश में डाकघरों का दर्जा घटाया जाना

4937. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री उप-डाकघरों को बंद करने के बारे में 3 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 1 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के ऐसे डाकघरों के जिलावार नाम क्या हैं जिनका वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान विभागेत्तर उप-डाकघरों से दर्जा घटा कर विभागेत्तर शाखा डाकघर कर दिया गया;

(ख) क्या इनमें से किसी शाखा डाकघर का दर्जा फिर से बढ़ाकर विभागेत्तर उप-डाकघर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) दर्जा घटाये गये शेष विभागेत्तर उप-डाकघरों का दर्जा फिर से कब तक बढ़ाये जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) विभाग ने इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किये गये थे। दिनांक 18-8-1986 को जारी किये गये आदेशों के अंतर्गत देश के कुल 500 अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों को चुनिन्दा आधार पर शाखा डाकघर बनाया जाना था। दिनांक 3-2-1987 को जारी किये गये आदेश सामान्य आदेश थे तथा सभी अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों पर लागू होते थे। बाद में जारी आदेश वापस ले लिए गये हैं। हिमाचल प्रदेश में 1986-87 के दौरान जिलेवार जिन अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों को शाखा डाकघर के रूप में परिवर्तित किया गया था। उनके नाम संलग्न विवरण एक में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) ऐसे 19 अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों को उन्हें पहले की स्थिति में बहाल कर दिया गया है जिन्हें शाखा डाकघर के रूप में परिवर्तित किया गया था। उनके जिलेवार नाम विवरण-दो में दिये गये हैं।

(घ) शेष 13 डाकघर शाखा डाकघर के रूप में कार्य करते रहेंगे क्योंकि उनका परिवर्तन कार्यभार तथा अन्य निर्धारित मानदंडों के तहत किया गया था। अतः इन मामलों का संबंध उन आदेशों से नहीं है जिन्हें वापस ले लिया गया है।

विवरण—एक

हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों की सूची जिन्हें शाखा डाकघर के रूप में परिवर्तित किया गया। (1986-87)

जिला	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर का नाम
शिमला	(1) भासरी
	(2) नाभा एस्टेट
मण्डी	(3) गोपालपुर
	(4) कानैड
	(5) चैल चौक
	(6) पड्डल
	(7) चुरन
हमीरपुर	(8) लाधियाल
	(9) मोहिन
बिलासपुर	(10) रघुनाथपुरा
	(11) कन्डरौर
ऊना	(12) लोहारा
	(13) बादसली
	(14) माण्डली
	(15) सानकली
कांगड़ा	(16) दगोह
	(17) रत्ती
	(18) राजोल
	(19) किरोहा
	(20) हस्सार
	(21) पथियार
	(22) भाल्ले
	(23) ड्रामन
	(24) राहलु
	(25) भैडाघट्ट
	(26) बोथा

जिला	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर का नाम
	(27) मोहटला
	(28) कांगड़ा टाउन
	(29) गुम्मर
	(30) बारेल
	(31) दाघ
	(32) राजपुर

विवरण—दो

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की सूची जिन्हें फिर से अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर के रूप में परिवर्तित किया गया।

जिला	डाकघर का नाम
शिमला	(1) भासरी
	(2) नाभा एस्टेट
मण्डी	(3) कानैंड
	(4) चैलचौक
	(5) पड्डल
	(6) चुरग
हमीरपुर	(7) सुधियाल
बिलासपुर	(8) रघुनाथपुरा
	(9) कन्डरौर
ऊना	(10) माण्डली
	(11) सनकली
कांगड़ा	(12) भालह्री
	(13) ड्रामन
	(14) राहलु
	(15) भैंडापट्ट
	(16) खोपा
	(17) मोहटली
	(18) कांगड़ा टाउन
	(19) गुम्मर

तेल प्राकृतिक गैस के लिए छिद्रण कार्यों की तकनीकी जानकारी के लिए विदेशी सहयोग

4938. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ भारत तेल/प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिए तटदूर और देश के अन्तर्गत छिद्रण कार्यों की तकनीकी जानकारी आदि प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त कर रहा है ;

(ख) इस सहयोग के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी तकनीक का विकास करेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इसका विकास कब तक किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल के अन्वेषण कार्य में भारत सोवियत सहयोग के अलावा ओ एन जी सी और ओ आई एल ने ड्रिलिंग कार्य के लिए ठेके के आधार पर विदेशी तेल कम्पनियों को भी लगाया है।

सरकार ने ड्रिलिंग सेवाओं के लिए प्राइवेट भारतीय कम्पनियों और अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको रुमानिया, स्पेन, यू० के०, हंगरी, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी की तेल कम्पनियों के मध्य विदेशी सहयोग/संयुक्त उद्यम को अनुमोदित किया है।

(ख) से (घ) यद्यपि ओ एन जी सी और आयल इन्डिया लि० की स्वदेशी ड्रिलिंग क्षमतायें यथेष्ट हैं फिर भी विदेशी कम्पनियों के सहयोग से नवीनतम तकनीकी प्राप्त करने और अपने ड्रिलिंग प्रयत्नों को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और दूरसंचार सेवाओं का विस्तार

493'. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और दूरसंचार विभागों ने सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और दूरसंचार सेवाओं के प्रसार और विस्तार के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या वास्तव में इन विभागों ने व्यय में कोई बचत किये बिना कई सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों और डाकघरों को बन्द करके या उनका दर्जा घटकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए सेवाओं में कमी कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या पूरे कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी और सभी बन्द किये गये या दर्जा कम किये गये डाकघरों और सार्वजनिक टेलीफोनों को सातवीं योजना में फिर से शुरू किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) डाक प्रारम्भ में, छठी योजना में 1200 अतिरिक्त वितरण एजेंटों की नियुक्ति करने के अलावा, 6000 नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव था। नए प्रतिष्ठानों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए इन

प्रस्तावों की पुनरीक्षा की गई। वर्तमान संकेत यह है कि 1987-88 के दौरान 1500 नए ग्रामीण डाकघरों पर विचार किया जाए बशर्ते कि निर्धारित मानकों के अनुसार सर्किल अध्यक्षों द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन के परिणामों तथा वित्त मंत्रालय की अनुमति प्राप्त हो जाए।

दूरसंचार :

(क) जी हां।

(ख) दीर्घकालिक नीति के रूप में दूरसंचार विभाग की योजना है कि 5 किलोमीटर के षटभुजाकार वाले प्रत्येक बसे हुए भोगोलिक क्षेत्र में पूर्ण आर्थिक सहायता देकर किसी प्रमुख ग्राम में दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी जाए। तदनुसार, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 9000 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है।

(ग) डाक : जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1-4-1986 से बन्द किए गये डाकघरों की संख्या 103 है और 1-4-86 की स्थिति के अनुसार यह देश में, ग्रामीण डाकघरों की कुल संख्या का 0.08 प्रतिशत बैठता है। इतने अपर्याप्त अनुपात से ग्रामीण जनसंख्या को प्राप्त डाक सुविधाओं पर मुश्किल से ही कोई प्रभाव पड़ेगा। यह सही है कि बचत की गई रकम पर्याप्त नहीं है लेकिन इस पर विभाग को उपलब्ध समिति संसाधनों के अधिक उत्पादन सम्बन्धी इस्तेमाल करने की दिशा में एक प्रयास रूप में समझना होगा।

दूरसंचार :

(ग) जी, नहीं।

(घ) डाक : जी, नहीं। डाकघरों के स्तर में संशोधन करना और प्रायोगिक डाकघरों को बढ़ाना/बन्द करना सामान्य विभागीय प्रक्रियाओं का एक अंग है अतः निर्धारित पद्धतियों और मानकों के संदर्भ में फील्ड प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को समाप्त करना आवश्यक नहीं है।

दूरसंचार :

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

खनन और संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड का कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ विलय करना

4940. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्जुन सेन गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड, दुर्गापुर का कोल इंडिया लिमिटेड के साथ विलय करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण

4941. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी क्षेत्र की यूनिटों पर सरकार द्वारा किस प्रकार का पर्यवेक्षण किया जाता है और उन पर नियंत्रण रखा जाता है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को इन यूनिटों के निष्पादन की तिमाही रिपोर्ट प्राप्त होती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वायतता के परिणामस्वरुप सरकार द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य तथा नियंत्रण निम्न प्रकार से लिया जाता है :—

(1) लक्ष्यों, वार्षिक कार्य योजनाओं, परियोजनाओं, आदि की प्रभावी रिपोर्टिंग प्रणाली।

(2) मंत्रालय द्वारा अन्य संबंधित एजेंसियों अर्थात योजना आयोग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग आदि के साथ मिलकर उनके कार्य निष्पादन की तिमाही समीक्षा।

(3) सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध मंडल में सरकारी निदेशकों की उपयुक्त ब्रिफिंग।

(ख) जी, हां।

(ग) तिमाही रिपोर्टों के द्वारा लक्ष्यों के सम्बन्ध में कार्यनिष्पादन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभावपूर्ण उद्देश्यपूर्ण तरीके से नजर रखी जाती है, इसमें मानव संसाधन का विकास, कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण, 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन आदि शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और सिकन्दराबाद में पेट्रोल की कमी

4942. **श्री सी० सम्बु :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद और सिकन्दराबाद (आंध्र प्रदेश) में पेट्रोल की कमी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) फरवरी, 1987 के अन्त में कुछ दिनों के लिए हैदराबाद और सिकन्दराबाद में पेट्रोल की कमी की खबरें मिली थीं। विशाखापतनम और कोयाली से तत्काल सप्लाई की व्यवस्था की गई। मार्च, 1987 के पहले सप्ताह में स्थिति सामान्य हो गई है।

औषधों के लिए लाइसेंस देने, उत्पादन विनियमित करने और मूल्य निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तन तंत्र की स्थापना

4943. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने औषधों के लिए लाइसेंस देने और उत्पादन को विनियमित

करने, उनका मूल्य निर्धारित करने और औषधों के उत्पाद में चूक के लिए उत्तरदायी कंपनियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए तत्काल एक केन्द्रीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया है;

(ख) क्या न्यायालय ने केन्द्रीय औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड और औषध परामर्शदायी समिति में उपभोक्ताओं को समुचित प्रतिनिधित्व देने के साथ-साथ केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त क्षेत्रीय औषध प्रयोगशालायें स्थापित करने का भी सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित उक्त सलाहकार बोर्ड में उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व किस प्रकार दिया जाएगा; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 3 मार्च, 1987 के अपने निर्णय मे कहा —

"ऐसा प्रतीत होता है कि आम जनता के हित मे एक केन्द्रीय प्रवर्तन मशीनरी की तुरन्त स्थापना करने की आवश्यकता है। हम आशा एवं अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार इस मामले में केन्द्र सरकार को सहयोग देगी तथा उत्पादन को विनियमित करने एवं दोषों व चूक के लिए दण्डात्मक कार्यवाही करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार एक ऐसा प्राधिकरण स्थापित करके पहल करेगी जिसका अधिकार क्षेत्र समूचे देश पर होगा। उत्पादन लाइसेंस केन्द्रीकृत होने चाहिए ताकि समानता बनाये रखी जा सके।"

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) ड्रग्स टैक्नीकल एडवाइजरी बोर्ड तथा ड्रग्स कंसलटेटिव कमेटी, औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत कानूनी संस्थाएं हैं और इन पर उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व दिए जाने पर एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय मे दिये गये सुझावों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जायेगा।

पार्शियली ओरिएन्टेड यार्न और पालिएस्टर फिलामेंट यार्न के मूल्यों में वृद्धि करना।

4944. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्शियली ओरिएन्टेड यार्न और पालिएस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माता संघ ने संयुक्त रूप से पार्शियली ओरिएन्टेड यार्न के मूल्यों में मार्च, 1987 से 4000 रुपए प्रति टन की वृद्धि कर दी है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का पार्शियली ओरिएन्टेड यार्न और पालिएस्टर फिलामेंट यार्न को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) मार्च 1987 के माह में पी० एफ० वाई और पी० ओ० वाई के मूल्यों के बारे में संक्षिप्त आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए है। तथापि प्राथमिक सूचना के अनुसार मूल्यों में वृद्धि दर्ज हुई है।

(ख) स्थिति पर निगरारी रखी जा रही है और यदि आवश्यक समझा गया तो ठीक समय पर उचित उपाय किए जायेंगे।

प्लास्टिक उद्योग को उढ़ावा देने के लिए कदम

4945. **मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्लास्टिक बनाने वाले कितने एककों,/उद्योगों को प्रयोजित किया गया हैं। सहायता प्रदान की गई है;

(ख) वे कहां-कहां स्थित है और प्रत्येक एकक/उद्योग की स्थापना पर कुल कितना व्यय किया गया है,

(ग) देश में प्लास्टिक का प्रत्येक वर्ष कुल कितना उत्पादन हुआ और उसकी तुलना में वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान प्लास्टिक की प्रति वर्ष कितनी मांग थी, और

(घ) सरकार का प्लास्टिक उद्योग को आधुनिक बनाने और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्यमन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र गैस क्रेकर कम्पलेक्स के एक भाग के रूप में महाराष्ट्र के नागो थाने के स्थान पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में प्लास्टिक एसिन्स के निर्माण के लिए निम्न-लिखित एकके स्थापित की जा रहे हैं :—

एकक का नाम	क्षमता (टन/प्रतिवर्ष)
एलडीपीई	80,000
एलएलडीपीई/एचडीपीई	1,35,000
पालिप्रोपायलिन	60,000

इस कम्पलैक्स की अनुमानित लागत 1167 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आई० पी० सी० एल० के पालिप्रोपायलिन संयंत्र विस्तार (गुजरात में बड़ौदा के स्थान पर) की क्षमता का विस्तार करके, 69.36 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत 25000 मी० टन प्रति वर्ष किया जा रहा है जिस पर 69.36 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आयेगी।

(ग) देश में प्लास्टिक रेसिन्स का वर्तमान वार्षिक उत्पादन लगभग 2,80,000 मी० टन है। वर्ष 1985-86 और 1986-87 में अनुमानित मांग क्रमश: 4,90,000 मी० टन और 5,30,000 मी० टन थी।

(घ) इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) प्लास्टिक सहित पेट्रोकेमिकल उद्योग के विकास के लिए पेट्रोकैमिकल्स प्रमोशन एण्ड डिवेलपमेंट अथारिटी की स्थापना का प्रस्ताव।

(2) प्रौद्योगिकी की प्रोन्नति हेतु टी० डी० एफ० स्कीम आदि के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं।

कडप्पा-बंगलौर विद्युत लाइन और मदुरै सबरीगिरी लाइन का पूरा होना

4946. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कडप्पा-बंगलौर 400 किलोवाट विद्युत लाइन और मुदरै शबरीगिरी 200 किलोवाट लाइन से बिजली का पारेषण शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन लाइनों से किन क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई की गई है;

(ग) बंगलौर सलेम लाइन पर कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है; और

(घ) इन लाइनों से केरल की विद्युत आवश्यकता किस सीमा तक पूरा होने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) ये लाइनें दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों को विद्युत सप्लाई करने में निश्चय ही सहायक होंगी।

(ग) 17-3-1987 तक की स्थिति के अनुसार 32% नींव सम्बन्धी कार्य तथा 15% टावर उत्थापन सम्बन्धी कार्य पूरे कर लिए गए थे।

(घ) अप्रैल, 1986 से फरवरी, 1987 तक की अवधि के दौरान केरल तथा निकटवर्ती राज्यों को केन्द्रों से 423.5 मिलियन यूनिट विद्युत सप्लाई की गई।

भर्ती शुल्क टिकटों पर कमीशन

4947. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक विभाग को भर्ती शुल्क टिकटों की बिक्री पर अब तक कमीशन के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : डाक विभाग ने फरवरी, 1987 तक भर्ती शुल्क टिकटों की बिक्री करके 33,259.38 रु० की धनराशि प्राप्त की थी।

सरकारी क्षेत्र में कागज मिलों की स्थापना

4948. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कितनी कागज मिलें हैं और प्रत्येक मिल में कितना वार्षिक उत्पादन होता है;

(ख) क्या यह सच है कि कागज की मांग पूर्ति हेतु भारी मात्रा में कागज का आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या कागज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र में और अधिक कागज मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) नई कागज मिलें स्थापित करने अथवा विद्यमान मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत कितने आवेदन-पत्र सरकार की मन्जूरी हेतु लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के चार कारखाने कागज का उत्पादन कर रहे हैं :—

एकक	अधिष्ठापित क्षमता
माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	16,500 मी० टन प्रतिवर्ष
नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड	33,000 मी० टन प्रतिवर्ष
नौगांव पेपर परियोजना	1,00,000 मी० टन प्रतिवर्ष
कछार पेपर परियोजना (कार्यान्वयनाधीन)	1,00,000 मी० टन प्रतिवर्ष

(ख) देश में कागज और कागज के गत्तों उत्पादन कमोबेश खपत के अनुरूप है। कागज का आयात मुख्य रूप से विशेष प्रकार के कागजों जैसे आर्ट कागज और औद्योगिक कागज जैसे फिल्टर कागज, कन्डेंसर और कैपेसिटर टिस्यू कागज, लैमिनेटों के लिए बेस कागज आदि तक सीमित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस दिए जाने के लिए नौ आवेदन पत्र कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

कीटनाशकों का निर्माण करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र यूनिट

4949. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड में हुई दुर्घटना के पश्चात् के नए उत्पादों के पंजीकरण के लिए केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा लागू नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कीटनाशकों का निर्माण करने वाले कितने यूनिट काम कर रहे हैं,

(घ) क्या भविष्य में भोपाल जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इन यूनिटों के कार्यपालन पर कोई निगरानी रखी जा रही है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने कीटनाशकों के पंजीकरण को नियंत्रित करने सम्बन्धी नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। फिर भी, कीटनाशकी अधिनियम 1968 के अधीन स्थापित पंजीकरण समिति ने भोपाल त्रासदी के बाद देशी निर्माण के लिए किसी प्रकार के कीटनाशकों के पंजीकृत के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त अपेक्षाएं निर्धारित की हैं :—

(1) प्रयोग में लाये गये कच्चे माल सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना; और

(2) निर्माण प्रक्रिया, विदित प्रतिक्रिया उपाय और उत्पादित मध्यवर्ती सम्बन्धी विस्तृत सूचना।

(ग) देश में काम कर रही करीब 500 कीटनाशी निर्माण करने वाली एककें (सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र और लघु क्षेत्र) हैं।

(घ) और (ङ) विभिन्न उपाय किए गए हैं; इनमें :—

(1) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रेस नोटों का जारी किया जाना जिसमें प्रदूषण नियंत्रण उपायों और नई एककों के लिए पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति लेने की आवश्यकता पर जोर डाला गया है।

(2) श्रम मंत्रालय द्वारा फैक्टरी अधिनियम में संशोधन करना ताकि सुरक्षात्मक उपायों का लागू करना सुनिश्चित हो सके।

(3) रसायन सम्बन्धी त्रासदी की रोकथाम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना; और

(4) पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम 1986 को लागू करना जिसमें अन्य बातों के साथ सरकार को शक्ति दी गई है कि वह दुर्घटनाओं जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण हो सकता है कि रोकथाम के लिए कार्यविधियां और सुरक्षा उपाय निर्धारित कर सके और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए औपचारिक उपाय कर सके, शामिल हैं।

उत्तरी अमरीका में हिन्दुस्तान मशीन टुल्स लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री में वृद्धि

4950. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टुल्स लिमिटेड का उत्तरी अमरीका में अपने उत्पादों की बिक्री को दुगना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) उत्तरी अमेरीका में एच० एम० टी० के उत्पादों की बिक्री जो 1986 में लगभग 48 लाख रु० थी आशा है कि 1987 में यह बढ़कर 75 लाख रु० हो जायेगी। इसके लिए वितरक नेटवर्क को बढ़ाना होगा और एच० एम० टी० द्वारा विकसित सी० एन० सी० मशीनों को भी आरम्भ करना होगा।

इण्डियन आयल कारपोरेशन के कार्यालयों को कम्प्यूटर द्वारा जोड़ना

4951. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन चार महानगरों में स्थित अपने कार्यालयों में एक-दूसरे से सम्पर्क बनाए रखने के लिए शीघ्र ही कम्प्यूटर का प्रयोग शुरू करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन का देश में अपने विपणन कार्यों की कुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में 4 मेनफ्रेम कम्प्यूटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कर्नाटक में पन बिजली परियोजना

4952. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में इस समय कितनी पन बिजली परियोजनायें हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) कर्नाटक की विद्यमान जल विद्युत परियोजनाएं तथा इनकी क्षमता निम्नानुसार है :—

जल विद्युत परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1. शरावती	891.0
2. जोग	120.0
3. काली नदी	810.0
4. काली नदी (सूपा बांध)	100.0
5. भाद्रा	33.2
6. लिग्नामक्की	55.0
7. शिवासमुन्द्रम	30.0
8. शिमसापुरा	16.0
9. मुनीराबाद	27.0
कुल : कर्नाटक	2082.2

कर्नाटक में ताप बिजली केन्द्र

4953. **श्री एच० बी० पाटिल** . क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक में कितने ताप बिजली केन्द्र कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इन बिजली केन्द्रों के माध्यम से कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) आजकल कर्नाटक में केवल रायचूर स्थित 420 मेगावाट क्षमता वाला एक ताप विद्युत केन्द्र प्रचालन में है। इस केन्द्र द्वारा 1986-87 के दौरान (फरवरी, 1987 तक) 1151 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन किया गया।

कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कोयले के अतिरिक्त स्टाकयार्ड बनाना

4954. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लघु उपभोक्ताओं के लाभार्थ कोयले के अतिरिक्त स्टाकयार्ड बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) छोटे उपभोक्ताओं को कोयले की समय पर, आसानी से और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, कोल इंडिया लि० में पहले ही देश के विभिन्न केन्द्रों में स्टाकयार्ड खोल दिये हैं। मौजूदा स्टाकवार्डों के अलावा, कोल इंडिया लि० की 31 विभिन्न स्थानों में और स्टाकयार्ड खोलने की योजना है।

विभिन्न पत्तनों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियोजित श्रमिकों की छंटनी

4955. **डा० जी० विजय राघव राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985 से भारतीय खाद्य निगम में काण्डला, बम्बई, विशाखापत्तनम और मद्रास पत्तनों पर नियुक्त मजदूरों की छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य, मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी नहीं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने अपनी प्रमुख बन्दरगाहों पर अपने कामगारों को विशिष्ट स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना की पेशकश की थी और इस योजना के लिए 5160 कामगारों ने अपने वैकल्प दिये थे और अब वे सेवा-निवृत्त हो गये हैं।

(ख) यह योजना कामगारों को इसलिए पेश की गई थी क्योंकि बन्दरगाहों पर भारतीय खाद्य निगम का कार्यभार काफी कम हो गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के आरक्षित क्षेत्रों में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

4956. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो अब तक सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, सरकारी क्षेत्र को प्रवेश करने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से नये क्षेत्र हैं जिनमें गैर-सरकारी क्षेत्र को भागीदारी के लिए आमंत्रित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन करने के संबंध में कुछ लचीलेपन की व्यवस्था है, अभी भी औद्योगिक क्षेत्र में सरकार की नीति का आधार है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करना

4957. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में गुजरात में और विशेष रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र में लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चुने गये स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) लम्बी दूरी वाले कितने टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए यदि कोई धनराशि आवंटित की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) स्थलों के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में लगभग 420 लम्बी दूरी के पी०सी०ओ० खोलने की योजना है। सौराष्ट्र क्षेत्र में, इसमें से 150 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोले जाने की संभावना है।

(घ) इन कार्यों के लिए निधि की व्यवस्था हर वर्ष दूरसंचार सर्किल के लिए आवंटित एक मुश्त राशि से की जाती है।

महाराष्ट्र में ताप बिजली केन्द्र

4958. **श्री आर० एम० मोरे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय कितने ताप बिजली केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन बिजली केन्द्रों द्वारा कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में कितनी नई ताप बिजली परियोजनाओं की स्थापना का कार्य शुरू किये जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अप्रैल, 1986 से फरवरी, 1987 की अवधि से संबंधित अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) निम्नलिखित ताप विद्युत केन्द्रों को सातवीं पंचवर्षीय योजना की बाकी बची अवधि के दौरान चालू किये जाने का लक्ष्य है :—

केन्द्र का नाम	कुल क्षमता (मेगावाट)
खापरखेड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	2 × 210
पारली ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	1 × 210

विवरण

अप्रैल, 1986 से फरवरी, 1987 तक की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में केन्द्रवार विद्युत उत्पादन।

ताप विद्युत केन्द्र का नाम	विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)
नासिक	4600
कोराडी	3642
खापरखेडा	311
पारस	286
भुसावल	1848
पारली	1724
चन्द्रपुर	3037
उरण (गैस टरबाइन)	2341
बल्लारशाह और अन्य	38
जोड़ : महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	17827
ट्राम्बे	4427
चोला	106

हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना

4959. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के हाजिरा में विजयपुर-जगदीशपुर उच्च दाब गैस पाइपलाइन और सम्ब परियोजनाओं के बारे में अलग से एक गहन पुनरीक्षा करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) एच बी जे पाइप लाइन परियोजना के महत्व को देखते हुए कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने इसकी गहन समीक्षा करने का सुझाव दिया हैं। ई आई एल/गैल तथा सरकार द्वारा इस परियोजना की प्रगति की लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है।

दूरसंचार सर्किलों और टेलीफोन मण्डलों का पुनर्गठन

4960. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्रीमती डा० के० भण्डारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार विभाग ने सभी दूरसंचार सर्किलों तथा बड़े/छोटे टेलीफोन मण्डलों को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके कब तक पुनर्गठित किये जाने की संभावना है और उनका पुनर्गठन करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) यह पुनर्गठन देश में संचार प्रणाली के लिए कहां तक सहायक होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतोष मोहन दब) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह योजना कार्यान्वयन की स्थिति में है और 1987-88 के दौरान पूरी हो जाएगी। दूरसंचार विभाग ने नई पुनर्गठित योजनाओं को निम्नलिखित को मद्देनजर रखते हुए लागू करने का निर्णय लिया है :—

(I) फील्ड संगठन जिसमें दूरसंचार सर्किल, बड़े/छोटे टेलीफोन जिले और टेलीफोन/तार इंजीनियरी डिविजन शामिल हैं। इस प्रकार की प्रशासनिक यूनिटें/कार्यभार में वृद्धि होने पर उप-मंडल के निर्माण की शर्त पर आधारित है। इसकी वजह से स्टाफ पर्याप्त मात्रा में इधर-उधर किये गये हैं जिनकी सेवायें तबादले के योग्य हैं जिससे प्रशासनिक समस्यायें उत्पन्न होती हैं।

(II) दूरसंचार फील्ड यूनिटों के साथ दूरसंचार सर्किलों के साथ राज्यों को जोड़ने तथा अन्य अधीनस्थ यूनिटों के साथ जोड़कर प्राकृतिक दृष्टि से प्रशासनिक सीमायें अपनाना उचित होगा। (इस प्रकार के सहायक दूरसंचार एककों का नाम सैकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्र रखा गया है।)

(III) किसी सैकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्र के भीतर ओरिजिनेट होने वाले दूरसंचार परियात, जो उसी क्षेत्र में टर्मिनेट हो जाता है, के 70 प्रतिशत से अधिक परियात को तथा सैकेण्डरी स्विचिंग एरिया के साथ को—टर्मिनस मैनजमेंट यूनिट स्थापित करके, परियात रूटिंग की दिक्कतों, भविष्य की विकास योजना आदि को बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है।

(IV) सैकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्र दूरसंचार के समेकित विकास की सबसे निम्न इकाई है और यह कार्यभार के आधार पर दूरसंचार जिला इंजीनियर/प्रबंधक/महा-प्रबंधक के प्रभार के अधीन दूरसंचार जिला गठित करेगी। इससे प्रशासनिक/प्रबंधकीय और तकनीकी उत्तरदायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने में मदद मिलेगी, जिससे उस क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं का समुचित विकास सुनिश्चित होगा।

पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक-सिरिंजों की मांग

4961. **श्री ए० चार्ल्स :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक सिरिंजों" की भारी मांग है और क्या इस समय इस प्रकार की सिरिंजों का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है;

(ख) क्या केरल सरकार को पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक सिरिंजों के निर्माण की एक योजना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सामान्यतया "प्लास्टिक सिरिंज" का पुनः उपयोग नहीं होता तथा इन्हें प्रयोज्य प्लास्टिक सिरिंज के नाम से जाना जाता है। इस सिरिंजों का देश में निर्माण किया जा रहा है। तथापि, प्रयोज्य सिरिंजों तथा सुईयां सीमित अनुमति आयात क्षेत्र में आती हैं तथा दांतों और विशेष चिकित्सा उपयोग के लिए प्रयोज्य सिरिंजें ओ० जी० एल० श्रेणी में आती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मालदीव के साथ व्यापार वार्ता

4962. **श्री पी० एम० सईद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में मालदीव के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया;

(ग) क्या सरकार ने मालदीव में लघु उद्योग स्थापित करने और उनकी आवश्यक वस्तुओं की जरूरतें पूरी करने के लिए भी सहायता देने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां तो क्या इस सम्बन्ध में औपचारिक समझौता किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या कार्यक्रम है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

आस्ट्रिया के साथ सहयोग वार्ता

4963. **श्री सोमनाथ रथ** :

श्री टी० बाला गौड़ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी 1987 में आस्ट्रिया के उद्योग और व्यापार शिष्ट मण्डल के साथ सहयोग वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो दौरे पर आए शिष्ट मण्डल के साथ किस प्रकार का विचार विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम रहे ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) आस्ट्रेलिया में व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल फरवरी 1987 में भारत आया था। प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा का समन्वय कार्य भारत स्थित आस्ट्रेलियन ट्रेड मिशन ने किया था और बैठकों का आयोजन एसोसिएटेड

चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री की सहायता से किया गया था। ऐसा समझा जाता है कि प्रतिनिधियों ने चर्चायें की और भारत में अपने समकक्षियों से कई मुलाकातें की जिनका उद्देश्य था प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण तथा दोनों देशों के बीच संयुक्त उपक्रमों और निर्यात को बढ़ाना।

असका (उड़ीसा) में चीनी कारखाने का विस्तार

4964. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने असका (उड़ीसा) में चीनी कारखाने की गन्ना पिराई क्षमता 1 लाख टन से बढ़ाकर 2 लाख टन करने हेतु उसका विस्तार करके अनुमति देने का अनुरोध किया किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) और (ख) उड़ीसा में स्थित असका में मौजूदा चीनी फैक्ट्री की 1219 मीटरी टन प्रतिदिन की गन्ना पिराई क्षमता को बढ़ाकर 2000 मीटरी टन प्रतिदिन गन्ना पिराई क्षमता करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक आवेदन-पत्र 19-1-1983 को प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त विस्तार करने के लिये 21-11-1983 को एक आशय-पत्र प्रदान किया गया था। इस आशय-पत्र को अब औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया है।

नई कोयला खनन परियोजनाएं

4965. **श्री पी० एम० सईद :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई कोयला खनन परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो उनके स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(घ) इनमें से प्रत्येक परियोजना में कोयले का कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ङ) इनमें उत्पादन कब तक शुरू हो जाने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) वर्ष 1986-87 के दौरान सरकार ने रु० 388.50 करोड़ के अनुमानित पूंजी निवेश पर 7 कोयला परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। इन परियोजनाओं में से, 2 गैर-खनन परियोजनाएं हैं और 2 अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव हैं। मंजूर कोयला उत्पादन परियोजनाओं और उनसे उत्पादन शुरू होने के प्रत्याशित वर्षों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	परियोजना/स्थान	लक्ष्य क्षमता (मी० टन प्रति वर्ष)	पूंजीगत लागत (रु० करोड़ में)	वर्ष जिससे उत्पादन शुरू होने की आशा है।
1.	शोभापुर भूमिगत (वे० को० लि०) जिला बेतूल (म०प्र०) के लिये संशोधित परियोजना रिपोर्ट	0.60	20.72	उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है।

1	2	3	4	5
2.	कालिदासपुर भूमिगत (ई० को० लि०) बांकुरा जिला (प० बंगाल)	0.96	47.95	1986-87
3.	रामागुडक ओपेनकास्ट परियोजना--II (सं० को० लि०) करीमनगर जिला (आंध्र प्रदेश)	2.00	147.16	1988-89

बम्बई हाईमे ड्रिलिंग का समुद्री जल और मछली पकड़ने का प्रभाव

4966. श्री डी०बी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में ड्रिलिंग के दौरान पानी की सतह पर तेल बिखर रहा है और उन क्षेत्रों में बहुत जहरीली गैस फैल रही है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप मछली पकड़ने की मात्रा में कमी आई है और इसका मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में छोटी और लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

4967. श्री असलम शेर खां : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने छोटी और लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए किसी विशेष वित्तीय सहायता की माँग की है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेंच ताप विद्युत घर को पेंच कोयला खानों से कोयले की सप्लाई

4968. श्री असलम शेर खां : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंच ताप विद्युत घर को कोयले की सप्लाई पेंच कोयला खानों से कब तक की जायेगी;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) वर्तमान अनुमान के आधार पर प्रस्तावित पेंच ताप विद्युत केन्द्र (2×210) मेगावाट) को संशोधित करने के लिए पेंच कनहान कोयला क्षेत्र में कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अतिरिक्त मात्रा में कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् प्रस्तावित स्कीम पर कोयला लिंकेज के लिए विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

केरल में वायनाड का औद्योगिक रूप से पिछड़ा होना

4969. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वायनाड जिले का सरकार द्वारा किये गये प्रोत्साहनों के बावजूद औद्योगिक रूप से निरन्तर पिछड़ा रहने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस जिले की औद्योगिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार का तुरन्त कोई कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) विशिष्ट जिले के सर्वेक्षण सहित औद्योगिकीकरण की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केरल के वायनाड जिले का "उद्योग रहित जिले" के रूप में निर्धारण किया किया गया है और ऐसे जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए मिलने वाली रियायतों/प्रोत्साहनों का विवरण "पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन" नामक पुस्तिका में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

1985-86 के दौरान, उस जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए एक आशय-पत्र तथा एक डी जी टी डी पंजीकरण जारी किया गया है।

1984-85 तथा 1985-86 के दौरान, जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किये गये लघु उद्योगों तथा कारीगर एककों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	1984-85	1985-86
कारीगर एकक	120	497
लघु उद्योग एकक	56	152

तेल की कार्यचालन और गवेषणा लागत

4970. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :
श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत के विभिन्न तेल क्षेत्रों में तेल की गवेषणा और कार्यचालन पर प्रति बैरल कितनी लागत आती है;

(ख) भारत में तेल की गवेषणा लागत विश्व के अन्य तेल उत्पादक देशों की तुलना में विशेष रूप से मध्य-पूर्व देश की तुलना में जहां गवेषणा की स्थिति भारत के समान है, कितनी कम अथवा अधिक है;

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल उत्पादन की लागत अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड की कार्यचालन लागत को कम करने हेतु कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) छठी योजना के दौरान ओ एन जी सी तथा आयल इंडिया लिमिटेड की तेल के प्राप्य भण्डारों तथा तेल के बराबर गैस के अन्वेषण की भारित औसत लागत क्रमशः 5.30 रु० और 6.06 रु० प्रति बैरल थी।

ओ एन जी सी तथा ओ आई एल की छठी योजना के अन्तिम वर्ष में कच्चे तेल की प्रति बैरल उत्पादन लागत इस प्रकार थी :—

	रु०/प्रति बैरल लागत (सांविधिक प्रभारों को छोड़कर)
ओ एन जी सी	65.08
ऑयल इंडिया लिमिटेड	45.79

(ख) मध्य-पूर्व देशों की लागतों की तुलना कठिन है, क्योंकि

(I) मध्य-पूर्व देशों की खोज की लागत उपलब्ध नहीं है।

(II) भारत के मुकाबले उनकी अन्वेषण संबंधी परिस्थितियां भिन्न हैं क्योंकि मध्य-पूर्व देशों में अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन के भण्डार उपलब्ध हैं।

(III) अपने ही देश में अलग-अलग बेसिनों की लागतें भी अलग-अलग आती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उठाए गए कदमों में यह शामिल हैं :—

(I) उत्पादन में वृद्धि करना

(II) लागत के नियंत्रण/कम करने के उपाय आरम्भ करना।

केरल में तेल की खोज

4971. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान केरल के तटीय क्षेत्र में तेल संसाधनों की खोज के लिए कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। केरल-कोकंण बेसिन में आठ अपतट ब्लॉक अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा बोली देने के लिए प्रस्तावित हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान भूकम्पीय आंकड़ों की विवेचना के आधार पर अन्वेषण के लिए अनेक स्थानों को चुना गया है। ओ एन जी सी द्वारा 1987-88 के दौरान कोचीन हाई में एक कुंआ खोदने की योजना हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ताओं द्वारा कोल-लिंकेज हेतु आवेदन

4972. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०बी०/बी०एच० हार्ड कोक के वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा कोल-लिंकेज के संबंध में वर्ष 1978 के बाद किये गये आवेदनों का कोल इंडिया लिमिटेड ने नामंजूर कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बंसत साठे) : (क) और (ख) नए उपभोक्ताओं को दिनांक 10-10-1983 से हार्ड कोक देना बंद कर दिया गया था क्योंकि हार्ड कोक की मांग कोल इंडिया लि० के पास उसकी उपलब्धता से अधिक हो गई थी। परन्तु अब कोल इंडिया के पास हार्ड कोक की उपलब्धता में सुधार हो गया है तथा कोल इंडिया लि० अब नए उपभोक्ताओं को स्वीकार करने की स्थिति में है।

सहायक उद्योगों का विकास

4973. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में बीस से अधिक छोटे और बड़े सीमेंट कारखानों के रख-रखाव के लिए आवश्यक सामान, अर्थात् यंत्र एवं मशीनों के फालतू पुर्जे, सीमेंट की बोरियां और अनेक प्रकार का गैर-इन्जीनियरी सामान सप्लाई करने के लिए अब तक कितने सहायक उद्योग विकसित किये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले सहायक उद्योगों को कब तक सहायक उद्योग विकास कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) सीमेंट उत्पादक एककों की आवश्यकताओं के संयंत्रों व मशीनों के पुर्जे व अन्य हिस्से बनाने के लिए पर्याप्त क्षमता देश में विद्यमान है। जब कोई विशेष पुर्जा या भाग उपलब्ध नहीं होता और उसके आयात हेतु विशिष्ट प्रस्ताव सरकार को प्राप्त होता है तब आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार उसके गुणावगुण के आधार पर उस पर विचार किया जाता है। सीमेंट को जूट अथवा जूट मिश्रित सिंथेटिक बोरियों में पैक किया जाता है। इस प्रकार की बोरियां बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है और इनकी कमी के बारे में सीमेंट कारखानों से कोई

शिकायत नहीं मिली है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के कारखानों से तो इसकी उपलब्धता के बारे में कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन

4974. श्री एस० जी० घोलप : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक टेलीफोन सामान्यतः बिना बारी के दिए जाते हैं और यदि हां तो सार्वजनिक टेलीफोन देने के क्या मानदण्ड हैं।

(ख) क्या उल्हास नगर, अम्बरनाथ और बदलापुर जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर कोई सार्वजनिक टेलीफोन नहीं है;

(ग) यदि हां, तो वहां पर यह सुविधा कब उपलब्ध कराई जायेगी; और

(घ) क्या डोम्बीवली टेलीफोन एक्सचेंज जहां प्रतीक्षा सूची काफी लम्बी है, के निकट निलाजे और सोनारपाड़े गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाने की मांग की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) दिमागीय सार्वजनिक टेलीफोन विभाग की पहल पर ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं जहां ये सुरक्षित रह सकें और सामान्य जनता को जैसे अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस स्टैंड, सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महा विद्यालयों, सुपर बाजारों, होटल और रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि में आसानी से सुलभ हो सकें। व्यस्त स्थलों जैसे रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस स्टैंड आदि पर अटैंडेंट टाइप पी०सी०ओ० खोले जाते हैं।

प्राइवेट सार्वजनिक टेलीफोनों की मंजूरी एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध होने तथा उपयुक्तता एवं व्यवहार्यता के आधार पर खोले जाते हैं। इस प्रकार के टेलीफोन सामान्यतया गैर-आवासीय स्थानों जहां सरलता से जनता पहुंच सके, खोले जा सकते हैं। उस क्षेत्र की मांग करने के पश्चात बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर भी इनकी मंजूरी दी जाती है।

(ख) जी हां। इस समय उल्हासनगर, अंबरनाथ और बादलपुर स्थित रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस समय अंबरनाथ और बादलापुर में सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था कर पाना व्यवहार्य नहीं है। उल्हासनगर में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की दृष्टि से कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

(घ) निलाजे और सोनारपाड़े ग्रामों से गारंटीशुदा पी०सी०ओ० के लिए मांग प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है।

गवेषण नीति सम्बन्धी सलाहकार परिषद

4975. श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गवेषण नीति के संबंध में चेयरमैन को सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परिषद की अब तक कितनी बैठकें हुई है और उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) ओ एन जी सी ने "अन्वेषण नीति" पर एक परामर्शदात्री परिषद का गठन किया है। प्रख्यात-भूवैज्ञानिक, व्यवसायिक तथा संबधित वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी इसके सदस्य हैं।

यह परिषद ओ एन जी सी को दीर्घावधिक संदर्श योजनाओं तथा आयोग द्वारा अपनायी जाने वाली पद्धतियों और प्रौद्योगिकीयों के बारे में सलाह देगा। यह परिषद किसी भी क्षेत्र, व्यापार समूह या आयोग के उप एकक के संबध में विस्तृत अध्ययन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का भी निर्धारण करेगी।

(ग) अभी तक परिषद की एक आरंभिक बैठक हुई है, जिसमें इसने अपने सदस्यों को आपसी बातचीत का अवसर दिया।

तमिलनाडु में इण्डियन बैंक के माध्यम से टेलीफोन बिलों का भुगतान

4976. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में इंडियन बैंक की सभी शाखाओं को टेलीफोन बिलों का भुगतान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए केवल इस विशेष बैंक का ही चयन किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कार निर्माताओं द्वारा कारों के मॉडलों में परिवर्तन

4977. श्री आर० एस० माने : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के सुस्थापित कार निर्माताओं द्वारा कारों के माडलों में बार-बार परिवर्तन किये जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुराने तथा सुस्थापित कार-निर्माताओं द्वारा यात्री कारों के मॉडलों में परिवर्तन पर निगरानी रखने के लिए उनके मंत्रालय में कोई तंत्र है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सुस्थापित कार निर्माताओं ने अपने वाहनों के मॉडल जल्दी-जल्दी नहीं बदले हैं।

(ख) प्रौद्योगिकी के आयात से कारों के नए माडल बनाने संबंधी सभी प्रस्तावों की जांच तकनीकी प्राधिकरणों के परामर्श से उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग में की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में ग्राम-विद्युतीकरण कार्यक्रम

4978. श्री बी० तुलसीराम :

श्री आर० एम० भोये : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के कुल कितने गांवों में विद्युतीकरण कार्यक्रम आरम्भ आरम्भ किया गया है;

(ख) राज्य योजनाओं और केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत कितने गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है और विश्व बैंक द्वारा इसके लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) दी गई और उपयोग की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता और विश्व बैंक सहायता का प्रतिशत कितना है;

(घ) इस संबंध में यदि केन्द्रीय सरकार ने कोई मार्ग-निर्देश जारी किये हैं तो वे क्या हैं; और

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो कितनी और अपेक्षित राशि राज्य सरकार को कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण के संबंध में लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1983-84	1600	1000
1984-85	1190	1193
1985-86	800	826

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आन्ध्र प्रदेश को 7829 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी जिसमें 3254 लाख रुपये (42%) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता सम्मिलित है ।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण की गति को तेज करने और इस उद्देश्य के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का पूरी तरह समुपयोजन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं ।

(ङ) वार्षिक योजना संबंधी विचार-विमर्श के आधार पर, आन्ध्र प्रदेश में 1987-88 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए योजना आयोग ने 20 करोड़ रुपये (अनन्तिम) के परिव्यय की सिफारिश की है ।

आन्ध्र प्रदेश को परिवहन सम्बंधी राज सहायता

4979. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने पर भी आन्ध्र प्रदेश को परिवहन सम्बन्धी राज सहायता नहीं दी जा रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का आन्ध्र प्रदेश को यह राज सहायता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) परिवहन राज सहायता औद्योगिक एककों को मुख्य रूप से पहाड़ी, दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में व्यापत परिवहन की ऊंची लागत की क्षति-पूर्ति करने के लिए दी जाती है।

इस समय इस योजना का आन्ध्र प्रदेश तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह परिवहन के मामले में लागत हानियों से उस हद तक ग्रस्त नहीं है जिस हद तक इस योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र हैं।

महबूब नगर, आन्ध्र प्रदेश में डाकघर

4980. श्री बी० तुलसीराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में प्रत्येक पंचायत मंडल में एक डाकघर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में कुल कितने डाकघर हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में, एक निश्चित जनसंख्या के लिए डाकघरों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम है; और

(घ) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में, विशेषकर महबूब नगर जिले में, डाकघरों की संख्या बढ़ाये जाने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) आन्ध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के 64 मंडल प्रजा परिषद मुख्यालयों में डाकघर मौजूद हैं। जहां तक सरकार की नीति का संबंध है डाकघर खोलने के लिए मानदंडों का निर्धारण आबादी, एक डाकघर से दूसरे डाकघर की दूरी और प्रस्तावित डाकघर की लागत से होने वाली संभावित आय के आधार पर किया गया है। इन मानदंडों के तहत उन ग्रामों को महत्व दिया जाता है कि जिस ग्राम में पंचायत भवन स्थित होते हैं।

(ख) महबूब नगर जिले में डाकघरों की कुल संख्या 828 है।

(ग) जी नहीं। इसके विपरीत इस राज्य में उदारीकृत पैमाने पर डाकघर खोले गये हैं, देश में, किसी एक डाकघर द्वारा औसतन 22.76 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र और 4745 की आबादी को सेवा प्रदान की जाती है। आन्ध्र प्रदेश के मामले के आंकड़ों के अनुसार एक डाकघर द्वारा 17 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र एवं 3317 व्यक्तियों को सेवा प्रदान की जाती है। इस राज्य में कुल मिलाकर, 16,123 डाकघर हैं और इस आधार पर देश में इस राज्य का नम्बर दूसरा बैठता है जबकि पहला नम्बर उत्तर प्रदेश का है जहां की आबादी का घनत्व सबसे अधिक है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे, यदि डाकघर की दृष्टि से अतिरिक्त आवश्यकता हुई, जिसका कि अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों के साथ-साथ सामान्य प्रक्रिया के तहत मूल्यांकन किया जा रहा है। व्यवस्था की जायेगी।

दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र के लक्ष्य

4981. श्री राम धन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र के लिए छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ख) छठी योजना में और सातवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक इन लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति हुई है; और

(ग) दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र पर उपरोक्त अवधि के दौरान कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र (टी०आर०सी०) दूरसंचार विभाग की एक अनुसंधान एवं विकास यूनिट है और दूरसंचार सेवाओं में नई प्रौद्योगिकियों को प्रारम्भ करने में विभाग की मदद करता है। यह केन्द्र दूरसंचार तकनालॉजी अपने को अग्रणी रखता है। छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान स्विचिंग और संचारण में डिजिटल तकनालॉजी में आत्म-निर्भरता हासिल करने और उन्हें प्रारंभ करने, मौजूदा एनालॉग तकनालॉजी को, स्थिर बनाने, ट्रंक एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने, तार नेटवर्क को आधुनिक बनाने, बाह्य संयंत्र में सुधार लाने, डाटा स्विचिंग और टैलीमैटिक सेवाओं का विकास करने का लक्ष्य रहा है।

(ख) छठी योजना के दौरान एस एण्ड टी योजना में निर्धारित उद्देश्यों को व्यापक मात्रा में प्राप्त किया जा चुका है। कम्प्यूटरीकृत डायरेक्ट्री सहायता का विकास, 128 लाइन स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम लागू करना, दिल्ली, बम्बई और मद्रास को जोड़ने वाला प्रायोगिक पैकेट स्विचिंग डाटा नेटवर्क चालू करना, कुछ अन्य उपलब्धियां है।

(ग)

		(व्यय करोड़ रुपयों में)
छठी योजना		17.81
सातवीं योजना		19.42
(फरवरी, 1987 तक)	जोड़—	37.23 करोड़ रु०

सबसे बड़ी दस कम्पनियों को जारी किये गये लाइसेंस/आशय पत्र

4982. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सबसे बड़ी दस कम्पनियों को कितने आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) अब तक इनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की मूल लागत कितनी थी और इनके कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इनके कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबंध के अन्तर्गत देश में 1985 में उनकी परि-

सम्पत्तियों के अनुसार रेंज में निम्नलिखित पहली 10 गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय कम्पनियों को 1984 से 1986 के वर्षों के दौरान कुल 36 आशय-पत्र और 18 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये :—

(1) रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(2) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड
(3) सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
(4) टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड
(5) लारसन एण्ड टुब्रो लिमिटेड
(6) एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड
(7) सैंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
(8) गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कं० लि०
(9) बल्लरपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(10) ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड।

(ख) से (घ) सामान्यतया किसी भी औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। वास्तविक परिपक्वधि एक परियोजना में भिन्न-भिन्न होती है। इस प्रकार पिछले 3 वर्षों के दौरान जिन औदयोगिक परियोजनाओं के लिए आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं, उनमें निहित मूल निवेश लागत और लागत-वृद्धि आदि से संबंधित जानकारी उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

दिल्ली में उपभोक्ता संरक्षण केन्द्र

4983. श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण केन्द्रों के कार्यकरण में बाधा उत्पन्न किये जाने के समाचारों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) व (ख) उपभोक्ता कार्य निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली को 7.4.1986 को सचिव, महिला दक्षता समिति, 2, टेलीग्राफ लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जनता/उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के भार की जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा धर्मकांटा लगाने हेतु समिति को आई०एन०ए० मार्किट में '10×8' आकार का जो मंच आबंटित किया गया था उसके आस-पास के क्षेत्र पर व्यापारियों द्वारा अनधिकार कब्जा कर लिया गया है। यह शिकायत सम्पदा निदेशालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को, अनधिकार कब्जा करने वालों को निकालने के लिए, भेज दी गई थी, ताकि समिति उपभोक्ताओं के लाभ के लिए वहां एक तराजू लगा सके।

सरकारी क्षेत्र के लिए वेतन को उत्पादकता से जोड़ने वाला वेतन-ढांचा

4984. श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री सरकारी क्षेत्र के लिए नये वेतन ढांचे के बारे में 11 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1089 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के लिए वेतन को उत्पादकता से जोड़ने वाले नये वेतन ढांचे के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा स्वीकृत मंजूरी नीति के अनुसार मंजूरी में वृद्धि का आन्तरिक संसाधन पैदा करने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लक्ष्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और मंजूरी में हुई वृद्धि की वास्तविक राशि उत्पादकता-वृद्धि तथा लागत घटाने के अन्य उपायों से खप जानी चाहिए।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

4985. डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम वर्ष 1986-87 में विद्युत उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर पाया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक और तमिलनाडु में एच० एम० टी० घड़ियों के अधिकृत एजेंट

4986. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक और तमिलनाडु में एच० एम० टी० घड़ियों के प्राधिकृत एजेन्टों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि और अधिक प्राधिकृत एजेन्टों को नियुक्त करने की बहुत मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) कर्नाटक और तमिलनाडु में अधिकृत डीलरों तथा सर्विस एजेंटों की संख्या क्रमशः 35 और 55 है।

(ख) तथा (ग) करोबार के वर्तमान स्तर पर वर्तमान प्रबन्ध संतोषजनक समझे जाते हैं। कम्पनी द्वारा स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और कारोबार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अधिकृत डीलरों और सर्विस एजेन्टों की नियुक्त पर विचार करती है।

बूचड़खाना सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

4987. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चमड़ा उद्योग के लिए चमड़े और खाल की पर्याप्त और निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय बूचड़खाना नीति तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान द्वारा चमड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल की अनुमानित मांग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें बूचड़खाने के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता की सिफारिश की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पशु वध एक ऐसा विषय है जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर भी, चमड़ा उद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धता का पता लगाने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान को एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया है। उनकी रिपोर्ट अभी आनी है।

स्वर्गीय केंगल हनुमंतैया और मगदी केम्पे गौडा की स्मृति में डाक टिकटें

4988. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय केंगल हनुमंतैया और मगदी केम्पे गौडा की स्मृति में डाक टिकटें जारी की गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या केंगल हनुमंतैया और मगदी केम्पे गौडा की स्मृति में डाक टिकटें जारी करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

उड़ीसा में वनस्पति एककों के लिए आशय-पत्र जारी करना

4989. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितने वनस्पति एकक चल रहे है, वे कहां-कहां स्थित हैं और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि ये एकक उक्त राज्य की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में बलांगीर, कलाहांडी और फूलबनी में वनस्पति एकक स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार के अनुरोध पर क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) देश में नये वनस्पति एकक स्थापित करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) 50 मी० टन प्रतिदिन (15000 मी० टन प्रतिवर्ष) की क्षमता का एक वनस्पति एकक, उड़ीसा के

कटक जिले में जगतपुर में लगाया जा रहा है जबकि प्रतिवर्ष खपत 1 000 मी० टन के लगभग है।

कालाहांडी और फूलबनी दोनों स्थानों पर संयुक्त क्षेत्र में वनस्पति परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव हैं। इन आवेदनों को प्रथम दृष्टि में ही अस्वीकार कर दिया गया था।

(घ) नये वनस्पति एककों को लाइसेंस देने के लिए निम्नांकित क्रम/प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जा रहा है :—

(1) तिलहन उत्पादकों की सहकारी समितियां, कृषि उद्योग, भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियां, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियां;

(2) सार्वजनिक क्षेत्र;

(3) संयुक्त क्षेत्र; और

(4) निजी क्षेत्र।

[हिन्दी]

आजमगढ़ में मऊनाथ-भंजन में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

4990. श्री राज कुमार राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मउनाथ भंजन में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक काम करना आरम्भ कर देने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन में इलैक्ट्रानिक एक्सचेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में नये टेलीफोन एक्सचेंज

4991. श्री राजकुमार राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और देवरिया जिलों में स्थापित किये गये नये टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : जिले संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों में खोले गये नये एक्सचेंजों का ब्यौरा :

आजमगढ़

1. अहीरौर
2. अमीहा
3. अतरौरा
4. लरतस्सार

5. बिन्द्राबाजार
6. चिरैयाकोट
7. जहानगंज
8. जियानपुर
9. कोइलसा
10. कप्तानगंज
11. अंधूबन
12. महाराजगंज
13. मुन्हनगर
14. फारिहा
15. पुष्पुगार
16. रानीका सराय
17. सारधा
18. सुराईनीर
19. सूरजपुर
20. तेथेकमा
21. निजामबाद
22. चांदपट्टी
23. सुमरायून

बलिया

1. गरवान
2. मरियार
3. नागरा
4. रायसर
5. रेवती
6. रतनपुर
7. सिकन्दरपुर
8. उजयार भारौली
9. भीमपुरातोताल
10. फेफ्ना

देवरिया

1. चिट्टानी
2. बुधाही
3. खाड्ड

4. श्रालक्ष्मीगंज
5. पथेरदेवा
6. प्रताप्पुर
7. बुदरापुर
8. तमकुहीराज
9. तरकुलवा
10. फजिलनुगार

गाजीपुर

1. बरसरा
2. बहादुरगंज
3. दुल्लाहपुर
4. गहमार
5. मारडाह
6. सदर

जौनपुर

1. बदलापुर
2. बीबीगंज
3. जलालपुर
4. खेतासराय
5. मुगराबादशाहपुर
6. मुफ्तीगंज
7. पुरवा
8. नरेन्द्रनगर
9. राजा बाजार

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन

4992. श्री राजकुमार राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक टेलीफोन डिवीजन में इस समय कितने टेलीफोन हैं तथा कितने व्यक्तियों के नाम टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : उत्तर प्रदेश के प्रत्येक टेलीफोन जिले, तार/टेलीफोन मंडल में 28.2.1987 की स्थिति के अनुसार कार्यरत टेलीफोनों की संख्या तथा प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	यूनिट	28.2.87 को चालू टेलीफोन	28.2.87 को प्रतीक्षा सूची
टेलीफोन जिले			
1.	कानपुर	30557	4530
2.	आगरा	14553	4814
3.	इलाहाबाद	9463	2005
4.	गाजियाबाद	16555	12130
5.	लखनऊ	23164	5028
6.	वाराणसी	12972	3380
तार/टेलीफोन मंडल			
1.	आगरा (तार)	4908	1012
2.	इलाहाबाद ,,	4020	296
3.	अलीगढ़ ,,	6254	858
4.	आजमगढ़ ,,	4166	150
5.	बरेली ,,	3532	148
6.	बरेली (टेलीफोन)	6451	1244
7.	देहरादून (तार)	8459	2262
8.	गोरखपुर ,,	7971	728
9.	झांसी ,,	3354	404
10.	कानपुर ,,	3659	166
11.	लखनऊ ,,	4056	194
12.	मेरठ (टेलीफोन)	8809	7474
13.	मुरादाबाद (तार)	10852	759
14.	मुजफ्फरनगर ,,	5649	1348
15.	नैनीताल ,,	6997	511
16.	सहारनपुर ,,	8311	1819
17.	सीतापुर ,,	5511	158
18.	श्रीनगर (गढ़वाल) ,,	2177	—
19.	वाराणसी (तार)	3939	227
	योग :	216339	51745

आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में यकमा बाजार में खाना पकाने की गैस की एजेंसी

4993. **श्री राज कुमार राय :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है आजमगढ़ जिले में छः हजार की जनसंख्या वाले यकमा बाजार में खाना पकाने की गैस की एजेंसी खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेल उद्योग द्वारा एल पी जी की सप्लाई के लिए उन शहरों को लिया जा रहा है जिनकी जनसंख्या 20,000 के लगभग या उससे अधिक हो तथा वहां एल पी जी के विपणन के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पर्याप्त संभाव्य तत्व विद्यमान हो।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का पुनर्गठन

4994. **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री टी० बाल गौड़ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उद्देश्य उन्मुख बनाने के लिए इसका पुनर्गठन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं :— सुव्यवस्थित, उपयुक्त और एक-समान राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करना, विद्युत के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना, राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों के नियंत्रण और समुपयोजन के संदर्भ में गतिविधियों का समन्वय करना, विद्युत क्षेत्र में स्वीकृत स्कीमों को समय पर पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करना तथा इन स्कीमों के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करना। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के संबंध में कार्य कर रहा है। देश के विद्युत कार्यक्रम के विस्तार के साथ-साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्यों में भी वृद्धि हुई है। सरकार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कुछ स्कन्धों के विस्तार के संबंध में विचार कर रही है।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया सम्बन्धी पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

4995. **श्री हरीश रावत :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के मामलों की जांच के लिए 1986 में गठित पुनरीक्षा समिति की अन्तरिम सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या उक्त समिति की अन्तरिम रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इन्हें कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं;

(घ) क्या पिछले वर्ष जब सरकार द्वारा समिति नियुक्त की गई थी उसकी तुलना में सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के कार्यचालन में कोई सुधार हुआ है; और

(ङ) निगम के कार्यचालन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति ने सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जांच की है और अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर इसके निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं :—

1. संगठन और प्रबन्ध पहलुओं;
2. वित्तीय और लेखा पहलुओं;
3. तकनीकी और प्रौद्योगिकी पहलुओं;
4. परियोजना योजना और प्रबन्ध;
5. क्षमता उपयोग;
6. संयंत्र तथा उपकरणों का रख-रखाव और इसके बेकार रहने की अवधि;
7. वस्तु-सूची;
8. उत्पादन लागत;
9. बिक्री सम्बन्धी व्यय; और
10. साधारण रूप में विपणन, मूल्य-निर्धारण आदि ।

अधिकांश सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ग) समीक्षा समिति की अन्तिम रूप से सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में उत्पादन और कुछ अन्य पहलुओं की स्थिति प्रथम छमाही की तुलना में बेहतर है।

(ङ) उत्पादन के लिए सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के कार्य में और सुधार करने के अलावा सरकार आधुनिकीकरण, अनुसंधान एवं विकास, मानव-संसाधन विकास पर अधिक जोर दे रही है।

[हिन्दी]

चौलीगंगा परियोजना का निर्माण

4996. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पन बिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके निर्माण के लिए वर्ष 1987-88 के दौरान धन दिये जाने का विचार है;

(ख) क्या इस वर्ष धौलीगंगा परियोजना के निर्माण के लिए अनुमति दिये जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम, जिनका निर्माण किया जाना है और जिनके लिए 1987-88 के दौरान निधियां उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है, को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। कुछ नई परियोजनाओं के लिए भी निधियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं बशर्ते अपेक्षित अनुमोदन एवं स्वीकृतियां उपलब्ध हो जाएं।

(ख) से (घ) प्रस्तावित धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, चरण-1 का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम भी इसके साथ-साथ पर्यावरण एवं वन-प्रान्त संबंधी दृष्टि से स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन दिये जाने और पर्यावरण एवं वानिकी संबंधी दृष्टि से स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात ही प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जा सकती है।

विवरण

उन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम, जिनका निर्माण किया जाना है और जिनके लिए 1987-88 के दौरान निधियां उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है, को दर्शाने वाला विवरण।

केन्द्रीय परियोजनाएं

1. सलाल (रा० ज० वि० नि०)
2. चामेरा (रा० ज० वि० नि०)
3. पंचेत हिल (दा० घा० नि०)
4. कोपिली (निपको)
5. दुलहस्ती (रा० ज० वि० नि०)
6. तनकपुर (रा० ज० वि० नि०)
7. कोयल कारो (रा० ज० वि० नि०)
8. दोयांग (निपको)
9. रंगानदी (निपको)
10. टिहरी (साझा उपक्रम)
11. नाथपा झाकड़ी (साझा उपक्रम)

उत्तरी क्षेत्र

1. अपर सिन्ध (जम्मू और कश्मीर)
2. सतकना (जम्मू और कश्मीर)
3. करनाह (जम्मू और कश्मीर)
4. पश्चिम यमुना नहर (हरियाणा)
5. दादुपुर (हरियाणा)
6. संजय (हिमाचल प्रदेश)
7. आन्ध्रा (हिमाचल प्रदेश)
8. थिरोट (हिमाचल प्रदेश)
9. रोंगटोग (हिमाचल प्रदेश)
10. माही बजाज सागर सोपान-दो (राजस्थान)
11. अनुप गढ़ सोपान-1 और 2 (राजस्थान)
12. सूरतगढ़ (राजस्थान)
13. चारणवाला (राजस्थान)
14. मंग्राल आर० एम० सी० (राज०)
15. जाखम (राजस्थान)
16. पुग्गल (राजस्थान)
17. आनन्दपुर साहिब (पंजाब)
18. मुकेरियां (पंजाब)
19. यू० बी० डी० सी० चरण-दो (पंजाब)
20. मानेरी भाली चरण-दो (उत्तर प्रदेश)
21. थीन बांध (पंजाब)
22. खारा (उत्तर प्रदेश)
23. लखवार व्यासी (उत्तर प्रदेश)
24. विष्णु प्रयाग (उत्तर प्रदेश)
25. श्रीनगर (उत्तर प्रदेश)

पश्चिमी क्षेत्र

1. कडाना पी० एस० एस० (गुजरात)
2. ऊकई एम० बी० सी० (गुजरात)
3. बर्गी (मध्य प्रदेश)
4. बाण सागर टौंस सोपान-1 (म० प्र०)
5. हसदेव बांगो (मध्य प्रदेश)
6. टिल्लारी (महाराष्ट्र)

7. भिड़ा टेल रेस (महाराष्ट्र)
8. भण्डारदारा (महाराष्ट्र)
9. खडगवासला (महाराष्ट्र)
10. पवाना (महाराष्ट्र)
11. उज्जैनी पी० एस० एस० (महाराष्ट्र)
12. वैतरणा बांध दो (महाराष्ट्र)
13. भतसा (महाराष्ट्र)
14. पेंच (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र)
15. इन्दिरा सरोवर (मध्य प्रदेश)
16. भण्डारदारा सोपान-दो (महाराष्ट्र)
17. कोयना चरण-चार (महाराष्ट्र)

दक्षिणी क्षेत्र

1. नागार्जुनसागर पी० एस० एस० सोपान-दो (आन्ध्र प्रदेश)
2. श्रीसेलम सोपान-दो (आन्ध्र प्रदेश)
3. बलीमेला में ए० पी० बिजली घर (आ० प्र०)
4. पोचमपाद (आन्ध्र प्रदेश)
5. पेन्ना अहोबिलम (आन्ध्र प्रदेश)
6. नागार्जुनसागर एल० बी० सी० (आ० प्र०)
7. नागार्जुनसागर आर० बी० सी० विस्तार (आन्ध्र प्रदेश)
8. काली नदी चरण-1 (कर्नाटक)
9. वाराही (कर्नाटक)
10. घाट प्रभा (कर्नाटक)
11. मल्लारपुर (कर्नाटक)
12. मद्दुर (कर्नाटक)
13. ईदुक्की चरण-दो (केरल)
14. इदामलयार (केरल)
15. कक्कड़ (केरल)
16. कल्लड़ (केरल)
17. सरवेलार (तमिलनाडु)
18. कदमपरायी पी० एस० एस० (तमिलनाडु)
19. लोअर मेत्तूर (तमिलनाडु)
20. कुंडाह-पांच (तमिलनाडु)
21. पिकारा (तमिलनाडु)

22. वैगायी (तमिलनाडु)
23. लोअर भवानी (तमिलनाडु)
24. अपर सिलेरू चरण-दो (आन्ध्र प्रदेश)
25. श्रीसेलम बायां तट बिजली घर (आ० प्र०)
26. काली नदी चरण-दो (कर्नाटक)
27. गंगावली (कर्नाटक)
28. शिवपुर (कर्नाटक)
29. लोअर पेरियार (केरल)
30. पुयानकुट्टी (केरल)
31. परसेन्स घाटी (तमिलनाडु)

पूर्वी क्षेत्र

1. उत्तरी कोयल (बिहार)
2. पूर्वी गंडक नहर (बिहार)
3. सोन पूर्वी नहर (बिहार)
4. सोन पश्चिमी नहर (बिहार)
5. रेंगाली (उड़ीसा)
6. रेंगाली विस्तार (उड़ीसा)
7. अपर कोलाब (उड़ीसा)
8. हीरा कुड विस्तार 8वीं यूनिट (उड़ीसा)
9. पीट्टेरू (उड़ीसा)
10. रामन चरण-दो (पश्चिमी बंगाल)
11. तीस्ता प्रपात (पश्चिमी बंगाल)
12. अपर इन्दरावती (उड़ीसा)
13. अपर कोलाब विस्तार (उड़ीसा)

उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र

1. लोअर बोरपानी (असम)
2. धनसिरी (असम)
3. टागो (अरुणाचल प्रदेश)
4. उमियाम उमत्रू चरण-4 (मेघालय)

ताप विद्युत संयंत्रों में संयंत्र भार क्षमता

4997. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न राज्यों में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों में औसत संयंत्र भार क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीय औसत से कम संयंत्र भार क्षमता वाले राज्यों के विद्युत संयंत्रों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु किये गये उपायों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा आई०एल०के० के इंजीनियरों के भ्रमणकारी दलों तथा कृतिक बलों द्वारा कार्यस्थलों के आवधिक दौरे किया जाना शामिल है, जहां पर विद्युत केन्द्रों की समस्याओं को दूर करने में सहायता करने के लिए विशिष्ट कार्य-योजनाएं बनाई जाती हैं। देश के 33 ताप-विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए उनमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम शुरू की गई है। कार्मिकों के प्रशिक्षण, विदेशी तथा स्वदेशी स्रोतों से फालतू पुर्जे प्राप्त करने और अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई से संबंधित मामलों में भी राज्य बिजली बोर्डों को सहायता दी जा रही है।

विवरण

1986-87 (फरवरी 87) के दौरान ताप-विद्युत केन्द्रों का राज्यवार संयंत्र भार अनुपात

ताप विद्युत केन्द्र	संयंत्र भार अनुपात % 1986-87 (फरवरी, 87 तक)
1	2
केन्द्रीय क्षेत्र	64.3
बदरपुर	50.5
सिंगरोली सुपर ताप विद्युत केन्द्र	73.8
कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र	80.4
रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र	81.4
नेवेली	73.3
चन्द्रपुरा (दामोदर घाटी निगम)	39.6
दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम)	53.3
बोकारो (दामोदर घाटी निगम)	49.1
धोला (रेलवे)	—
निजी क्षेत्र	62.8
अहमदाबाद इलैक्ट्रीक कम्पनी	64.0
ट्राम्बे (टाटा इलैक्ट्रीक कम्पनी)	66.5
कलकत्ता इलैक्ट्रीक सप्लाई कारपोरेशन	56.2
राज्य विद्युत बोर्ड	49.3
डेसू	55.3

1	2
आई० पी० स्टेशन	67.7
राजघाट	—
हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	34.1
फरीदाबाद विस्तार	43.9
पानीपत	27.2
राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	51.5
कोटा	51.5
पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	68.1
भटिंडा	56.1
रोपड़	80.6
उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	39.8
मोबरा	37.5
पेकी	53.1
हरदुआ गंज "क"	14.1
हरदुआगंज "ख" और "ग"	38.7
आर० पी० एच०, कानपुर	—
परीछा	48.9
अनपारा	62.6
अन्य (उत्तर प्रदेश)	—
गुजरात बिजली बोर्ड	53.6
धुवरण	63.8
उकई	50.3
गांधी नगर	49.0
वानकबोरी	51.8
उत्राण	—
जी टी और अन्य	—
महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	50.4
नासिक	63.1
कोराड़ी	41.8
खापरखेड़ा	—
पारस	38.6
चन्द्रपुरा	55.2

1	2
भुसावल	47.8
पारली	44.8
उरण (जीटी)	—
अन्य	—
मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड	52.8
सतपुड़ा	52.0
कोरबा—1	47.5
कोरबा—2	60.6
कोरबा—3	55.1
अमरकंटक	60.8
कोरबा पश्चिम	51.6
आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	68.8
कोठागुडम क	57.5
कोठागुडम ख	42.3
कोठागुडम ग	65.4
विजयवाड़ा	89.8
रामागुण्डम ख	79.4
नैल्लोर	63.2
अन्य	—
कर्नाटक	47.0
रायचूर	47.0
तमिलनाडु बिजली बोर्ड	64.5
एन्नौर	49.5
तूतीकोरीन	75.2
बैसीन ब्रिज	—
बिहार राज्य बिजली बोर्ड	33.6
पतरातू	32.8
बरौनी	30.3
मुजफ्फरपुर	44.1
उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	30.6
तलचेर	30.6
पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	39.9

1	2
बंदेल	55.2
संतालदीह	27.2
कोलाघाट	33.4
गौरीपोर	—
गैस टरबाइन	—
डी० पी० एल०	28.8
असम राज्य बिजली बोर्ड	17.6
चन्द्रपुरा	58.6
नामरूप	29.9
बोंगई गांव	8.81
गैस टरबाइन	—
अखिल भारत	53.1

उत्तर प्रदेश में बांगेश्वर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

4998. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1987 में उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा में बांगेश्वर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) वित्त और संसाधन की कमी के कारण सातवीं योजना में जिला मुख्यालयों तथा उन स्थानों में जहां उच्च क्षमता के मैनुअल एक्सचेंजों में लम्बी प्रतीक्षा सूची है ऑटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है।

[अनुवाद]

छुट्टी वाले दिनों में एस० टी० डी० की दरों में कमी करना

4999. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छुट्टी वाले दिनों में एस०टी०डी० की दरें कम करने का विचार है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) क्या रात्रि में भी एस०टी०डी० कालों पर एसटीडी की कम दरें लागू होंगी।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) छुट्टी वाले दिनों में एसटीडी कालों की दरों में पहले से छूट प्रदान की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रात्रि में एसटीडी कालों की कम दरें भी पहले से ही लागू हैं।

"विंड फार्मों" की स्थापना

5000. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "विंड फार्म" सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर आने वाली लागत और होने वाले लाभ के अनुपात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कितने ("विंड फार्मों") की स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री अंतत साठे) : (क) तथा (ख) जी हां। कुल 3.6 मेगावाट क्षमता की विद्युत पैदा करने वाली पांच पवन फार्म परियोजनाएं अभी तक स्थापित की जा चुकी हैं। 1986 में उनके शुरू होने से लेकर अब तक, इन पवन फार्मों में उत्पन्न 45 लाख यूनिट बिजली पहले ही अलग-अलग राज्य ग्रिडों को दी जा चुकी हैं। स्थल-स्थल पर निर्भर करते हुए इन परियोजनाओं की पूंजीगत लागत 1.50-2.00 करोड़ रुपये/एम डब्ल्यू तथा विद्युत उत्पादन की लागत 1.20-1.50 रुपये/के डब्ल्यू एच भिन्न-भिन्न है। ये लागतें आगे और कम होती जायेंगी जैसे-जैसे क्षमता का विस्तार किया जायेगा।

(ग) देश में पवन से कई हजार मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं, 0.5 मेगावाट क्षमता की तीन और पवन फार्मों को अगले कुछ महीनों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। 10 मेगावाट क्षमता का एक बड़ा पवन फार्म भी विचाराधीन है। वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर अतिरिक्त पवन फार्म स्थापित किये जा सकते हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5001. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में विभिन्न स्थानों में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन वर्गों के कर्मचारियों का अपेक्षित प्रतिशत कितना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) समूह "ग" और "घ" के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सन्तोषजनक है। आवश्यक योग्यता और अनुभव वाले उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण समूह क और ख में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।

विवरण

स्टाफ की श्रेणी		एच० एम० टी०	एच० एम० टी० (इन्टर नेशनल)	एच० एम० टी० (बियरिंग)
ग्रुप "क",	अ० जा०	103	4	1
	अ० ज० जा०	24	—	—

1	2	3	4	5
ग्रुप "ख"	अ० जा०	185	—	2
	अ० ज० जा०	35	—	—
ग्रुप "ग"	अ० जा०	3411	10	76
	अ० ज० जा०	717	1	2
ग्रुप "घ"	अ० जा०	344	2	10
(अन्य— सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	अ० ज० जा०	75	1	—
ग्रुप "घ"	अ० जा०	74	—	2
(सफाई कर्मचारी	अ० ज० जा०	9	—	—

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वाणिज्य महत्व के निक्षेपों का पता लगाना

5002. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक महत्व के कुछ निक्षेपों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) आमतौर पर तेल मिलने से लेकर उसके वाणिज्यिक उत्पादन (जहां संभव हो) आरम्भ करने तक पांच वर्ष का समय लगता है क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के लिए संभावित क्षेत्र का चिन्हांकन करने, भण्डारण की संभाव्यता का मूल्यांकन करने, आधार भूत सुविधाओं को बनाने तथा डाउन स्ट्रीम सुविधाओं को तैयार करने में समय लगता है। इन्हीं कारणों से गत तीन वर्ष के दौरान खोजे गये तेल वाले क्षेत्रों में कहीं भी वाणिज्यिक उत्पादन अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। ओ एन जी सी को आशा है कि इनमे से अधिकतर में शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की क्षमता है। गांधार, दहेज, चंगमई गांव, लिंबोदरा, नारीमानन जैसे कुछ क्षेत्रों में पहले से ही शीघ्र उत्पादन प्रणाली आरम्भ की गई है।

सरकारी अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले मुकदमों में कमी लाने के उपायों पर विचार करने के लिए सम्मेलन

5003. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न विभागों को कोई ऐसे अनुदेश जारी किये हैं कि उन्हें केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही न्यायालय में जाना चाहिए;

(ख) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में बहुत बड़ी संख्या में मुकदमों के लंबित रहने का कारण सरकारी क्षेत्र के यूनिटों और केन्द्र तथा राज्यों के सरकारी विभागों आदि द्वारा मुकदमों और अपीलों का किया जाना है; और

(ग) क्या न्यायालयों में मुकदमेबाजी और मामलों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के उपायों पर विचार करने के लिए किसी सम्मेलन के बुलाये जाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) न्यायालयों में अधिकांश मुकदमे, प्राइवेट पक्षकारों द्वारा संस्थित किये जाते हैं, जिनमें किसी कानून या नियम के अधीन सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी जाती है। अतः सरकारी विभागों को इस आशय का अनुदेश जारी करने का प्रश्न कि उन्हें न्यायालय की शरण केवल अंतिम विकल्प के रूप में लेनी चाहिए, नहीं उठता।

(ख) यद्यपि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है, तथापि इन न्यायालयों में, सरकार द्वारा अपीलें, समुचित जांच करने के पश्चात् ही, की जाती हैं। सरकारी विभाग और पब्लिक सेक्टर उद्यम के बीच और परस्पर पब्लिक सेक्टर उद्यमों के बीच विवाद, सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अधीन पारस्परिक परामर्श या माध्यस्थम् द्वारा निपटाये जाते हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मारुति वाहनों की 'सर्विसिंग'

5004. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति वाहनों की सर्विसिंग के प्रभार एम्बेसेडर और फियेट आदि वाहनों की सर्विसिंग के प्रभारों से बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड का विचार और अधिक सर्विस स्टेशन खोलने का है; और

(घ) मारुति कारों के मूल्य घटाने के लिए कौन से कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) यद्यपि यात्री कारों की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, मारुति उद्योग लि० द्वारा निवेषों तथा वित्तीय शुल्कों की कीमतों के अनुकूल मारुति कारों की कीमतें रखने के लिए प्रत्येक प्रयास किये जाते हैं।

गांवों में ऊर्जा की खपत बढ़ाने सम्बन्धी योजना

5005. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का गांवों में ऊर्जा की खपत बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से विद्युत प्रदान करने के लिए भारतीय विद्युतीकरण निगम कार्यक्रमों को सहायता दे रहा है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग भी ग्रामीण विद्युतीकरण के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। सौर ऊर्जा के माध्यम से दरवर्ती गांवों को विद्युत प्रदान करने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के माध्यम से अब तक 300 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई सौ सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्प भी स्थापित किए गये हैं।

समाज वानिकी, ऊर्जा रोपण तथा डीजल, मिट्टी का तेल तथा जलाने की लकड़ी की सप्लाई जैसी अन्य अनेक योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में चालू है। पारंपरिक ईंधनों पर प्रतिबन्धनों को देखते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा की मांगों की पूर्ति के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का का भी दोहन कर रही है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय की गतिविधियां विशेष रूप से ग्रामीण ऊर्जा समस्याओं को सुलझाने की ओर अग्रसर हैं। इस विभाग के मुख्य कार्यक्रमों में से कुछ नीचे दिये गए हैं :—

बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना ग्रामीण परिवारो में पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देती है। उन्नत चूल्हों का राष्ट्रीय कार्यक्रम, सामुदायिक बायोगैस संयंत्र, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण और विलवणीकरण तथा फसल शुष्कन प्रणालियां जल पम्पन तथा विद्युत सृजन पवन चक्कियां, ऊर्जा ग्रामों की स्थापना जैसे अन्य मुख्य कार्यक्रमों में से कुछ हैं जो ऊजा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किये जा रहे हैं और जिससे इसकी खपत ग्रामीण क्षेत्रों में हो।

सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा के नये एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं तथा व्यक्तियों को सरल शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटिड' नामक एक नए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की स्थापना की है।

उद्योगों का विकेंद्रीकरण

5006. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है: और

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उद्योगों का छितराव करना सरकार की नीति का एक भाग है, जिसका अनुसरण किया जा रहा है। 10 लाख और 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले क्रमशः महानगरीय क्षेत्र और नगरपालिका के शहरों में उद्योगों के एकत्रित होने को रोकने के लिए सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में

स्थापना स्थलों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की छूट से पहले इन्कार किया है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों से बाहर स्थापना स्थलों के लिए बड़ी संख्या में उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करके महानगरीय क्षेत्रों और नगरपालिका शहरों से दूर क्षेत्रों को उद्योगों को ले जाने को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कुछेक उद्योगों को इन स्थानों में निवेश को आकर्षित करने के लिए केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना-स्थलों के लिए यहां तक कि एम० आर० टी० पी०/फेरा कंपनियों के लिए भी लाइसेंसमुक्त किया गया है। केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित उद्योगों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता और परिवहन राजसहायता जैसे प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

उड़ीसा में वनस्पति एककों की स्थापना

5007. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नये वनस्पति एककों की स्थापना हेतु आशय-पत्र जारी करने के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन एककों को आशय-पत्र कब तक जारी कर दिए जाएंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) उड़ीसा में नये वनस्पति एकक स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करने हेतु 1984 से प्राप्त हुए 6 आवेदन-पत्रों को प्रथम दृष्टि में अस्वीकार कर दिया गया था।

(ख) कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है।

लाइसेंस नीति को उदार बनाना

5008. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाने की प्रक्रिया को औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में मझोले और बड़े पैमाने के उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो जारी किये गए कुल आशय-पत्रों/लाइसेंसों में से कितने आशय-पत्र/लाइसेंस उड़ीसा, असम और बिहार जैसे पिछड़े औद्योगिक राज्यों के लिए जारी किये गये तथा उनका तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण किया गया और पिछले वर्ष की तुलना में इनकी स्थिति क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है कि लाइसेंस नीति को उदार बनाने का औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के औद्योगीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में क्षमता की स्थापना करने के लिए मंजूर की गई औद्योगिक स्वीकृतियों की संख्या (लाइसेंसमुक्त करने की योजना के अन्तर्गत पंजीकरण सहित) में पिछले वर्ष की उपेक्षा 1985 और 1986 के वर्षों में वृद्धि हुई है, जिससे पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमताओं की स्थापना करने की प्रवृत्ति का पता चलता है। अखिल भारतीय स्थिति की तुलना में उड़ीसा, असम और बिहार राज्यों के सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

औद्योगिक स्वीकृतियां (औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय/तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण आशयपत्र, औद्योगिक लाइसेंस)

राज्य का नाम	1984	1985	1986
1	2	3	4
उड़ीसा	59 (26)	112 (54)	84 (32)
असम	35 (34)	58 (52)	125 (123)
बिहार	75 (25)	99 (30)	137 (32)
अखिल भारतीय :	3884 (2094)	5570 (3022)	5297 (2992)

(कोष्ठकों में आंकड़े केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों की स्थिति दर्शाते हैं)

(ग) सरकार केन्द्रीय रूप से पिछड़े घोषित क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए पहले ही कई उपाय कर चुकी है। इन उपायों में केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता आदि प्रदान करना, उद्योगों को इन क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए लाइसेंसमुक्त करना और कुछेक श्रेणियों में निर्यात-दायित्व में कमी करना शामिल हैं।

अतिरिक्त पन बिजली का उत्पादन करना

5009. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त पन बिजली के उत्पादन के लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दीर्घकालीन कार्यक्रम की अवधि कितनी है;

(ग) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए तथा अतिरिक्त पन बिजली उत्पादन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, हां। देश में विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए, जिसमें अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन की आवश्यकता शामिल है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1983 में एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार की थी, जिसमें 1994-95 तक की 15 वर्ष की अवधि शामिल थी।

(ग) और (घ) निधियों के आबंटन के बारे में निर्णय प्रत्येक पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय लिया जाता है। सातवीं योजना में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय लगभग 6500 करोड़ रुपये हैं, जिससे 5400 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता प्राप्त होगी।

ईंधन तेल की खपत

5010. **श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस शताब्दी के अन्त तक ईंधन तेल की खपत का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रोलियम के अभिरक्षण के लिए कोई सुनिश्चित योजना तैयार कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने उत्पादकता में वृद्धि करने और खपत में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) देश में पेट्रोलियम की निरन्तर बढ़ रहीं मांग को पूरी करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां। ऊर्जा पर परामर्शदायी बोर्ड ने इस प्रकार का मूल्यांकन किया है।

(ख) से (घ) वित्तीय उपायों के अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण तथा उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए खोजे/किये गए अन्य उपायों में ये शामिल हैं —

(1) तेल से चलने वाले अकुशल बायलरों को बदल कर उनके स्थान पर कुशल बायलर लगाना; औद्योगिकी एककों में ईंधन/तेल की खपत के लिए अध्ययन करना; बेहतर कुशल कार्यों को अपनाने के लिए राज्य परिवहन संगठनों का अध्ययन करना; अधिक खपत करने वाले उद्योगों में ऊर्जा आडिट अध्ययन करना, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रोत्साहन देना ईंधन कुशल उपकरणों अर्थात मिट्टी के तेल तथा एल पी जी स्टोवों का विकास करना साफ्ट कोक, गोबर गैस, सौर ऊर्जा आदि जैसे वैकल्पिक ईंधनों का संवर्धन तथा सभी सरकारी विभागों और उपक्रमों को पेट्रोलियम उत्पादों की लागत और खपत करने के लिए जोर देना।

(2) अन्वेषण प्रयासों को तेज करना और कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाना।

(3) रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाना तथा रिफाइनरियों के अन्दर ईंधन की खपत को कम करने के संरक्षण स्कीमों को क्रियान्वयन करना।

वनस्पति उद्योग द्वारा सरसों के तेल /रेपसीड तेल का प्रयोग

5011. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वनस्पति निर्माता संघ से वनस्पति घी के निर्माण में देश में उपलब्ध सरसों के तेल/रेपसीड तेल का 30 प्रतिशत तक प्रयोग करने की अनुमति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) वनस्पति उत्पादक संघ ने वनस्पति तैयार करने में देशीय एक्सपेलर सरसों रेपसीड तेल की 20 प्रतिशत तक मात्रा का प्रयोग करने हेतु अनुमति के लिए अभिवेदन दिया था। 16 मार्च से सरकार ने वनस्पति के विनिर्माण मे 10 प्रतिशत एक्सपेलर सरसों/रेपसीड तेल का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। इसे पहली अप्रैल, 1987 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है।

उड़ीसा को खाद्यान्नों की सप्लाई

5012. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को उसकी मांग की तुलना में कितनी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किये;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का उड़ीसा को उसकी मांग के अनुसार खाद्यान सप्लाई करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के बारे में खाद्यान्नों की मांग, उनका आबंटन और उठान निम्नानुसार था :—

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	मांग		आवंटन		उठान	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1984	228.0	448.05	75.0	402.95	42.9	228.7
1985	540.0	781.53	157.0	595.26	92.5	298.7
1986	225.0	585.28	178.0	597.21	51.3	138.6

(ख) और (ग) खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किये जाते हैं। ये आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं।

उड़ीसा में अतिरिक्त तारघर खोलना

5013. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में वर्ष 1987-88 के दौरान अतिरिक्त तार घर खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा में वर्ष 1987-88 के दौरान फोनोकॉम आधार पर कार्य करने के लिए 90 संयुक्त डाकतार घर खोलने का कार्यक्रम है।

प्रत्येक पांच किलोमीटर पर टेलीफोन की सुविधा

5014. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 तक देश में प्रत्येक पांच किलोमीटर पर टेलीफोन की सुविधा होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सोवियत संघ से ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता

5015. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी पन बिजली परियोजना और विन्ध्याचल, बकरेश्वर तथा कहलगांव ताप केन्द्रों के अतिरिक्त अधिक ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए सोवियत संघ से सहायता मांगी जा रही है;

(ख) क्या जिन नई परियोजनाओं के लिए सोवियत संघ से सहायता मांगी गयी है उनमें से कोई परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थापित की जाएगी; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जबकि टिहरी जल विद्युत परियोजना तथा विन्ध्याचल एवं कहलगांव ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए सोवियत सहायता का लाभ उठाया जा रहा है तथापि प्रस्तावित वक्रेश्वर परियोजना के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आगे और सहायता प्राप्त करने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया जाता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस प्रकार की कोई कार्यवाई से कितना परस्पर लाभ प्राप्त होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषध निर्माण के लिए लाइसेंस

5016. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषध उद्योगों ने औषध निर्माण के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के क्या नाम हैं तथा इन उद्योगों द्वारा निर्माण किये जाने वाले औषधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन औषधों का किन स्थानों पर निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1987 (मार्च के मध्य तक) के दौरान 17 कंपनियों ने बल्क औषधों, मध्यवर्तियों और सूत्रयोगों के निर्माण के लिए लाइसेंसों के लिए आवेदन किया है। अपेक्षित विवरण ब्यौरा संलग्न में दिये गये हैं।

विवरण

क्रम सं०	यूनिट का नाम	निर्मित की जाने वाली औषध का नाम	स्थान
1	2	3	4
1.	साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रिल कार्पोरेशन	पोटाशियम पेनिसिलिन जी	तूतीकोरिन तमिलनाडू
2.	सिफेन मेडीकल लीसिंग	पेनिसिलिन-जी	जबलपुर, मध्यप्रदेश
3.	डा० पी० रवीन्द्रनाथ	लिवर एक्सट्रेक्ट फामूलेशम्स	बिहार, कर्नाटक
4.	एस० वी० नरसिम्हा राज	पैंक्रिएटिन	बिहार, कर्नाटक
5.	जी० रामा राजू	पेनिसिलिन जी	नलगोंडा, आन्ध्रप्रदेश
6	इंडियन इम्युनोलोजिकलस	रेबीस वेक्सीन	रंगा रेड्डी, आन्ध्र प्रदेश
7.	राजस्थान स्टेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	(1) सेलिसाइलिक एसिड (2) फ्स्कूरिक (3) सोडियम सेलिसाइलेट	अलवर, राजस्थान
8.	दौराला सूगर वर्क्स	विटामिन बी 6 और इसके डेरिवेटिक्स	मेरठ, उ० प्र०
9.	डा० रेड्डीज लेब्स लि०	पेनिसिलिन जी०	मेडक, आन्ध्र प्रदेश
10.	एटिक इंडस्ट्रियल लि०	(1) 4, 7 डीसीक्यू (2) 4-हाइड्रोक्सी-7 क्लोरोक्वीनोलाइन (3) 4-हाइड्रोक्सी-7 क्लोरो-क्वीनोलाईन-3 करबोक्सीलिक एसिड	बलसाद, गुजरात
11.	आई० ए० मोदी	पेनिसिलिन जी	अभी निर्णय लेना है
12.	केसर इन्टरप्राइजेज लि०	सिप्लेक्सिन मोनोहाइड्रेट	जेज्ड महाराष्ट्रा
13.	रेनबेक्सी लेब्स	मेलिडिक्सिल एसिड	रोपड, पंजाब
14.	अम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइजेज	डिक्लोफिनेक सोडियम	रेनाली, बड़ोदा गुजरात

1	2	3	4
15.	हरमेस्टास आफ इंडिया लि०	(1) आर्टिफिसियल स्वीटनर्स	24 परगना
		(2) स्टीराइल जेल कम्पाउंड	पं० बंगाल
16.	केसर इन्टरप्राइजेज लि०	पैनिसिलिन-जी	बहेड़ी, बरेली, उ०प्र०
17.	केसर इन्टरप्राइजेज लि०	(1) एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट	रायगढ़
		(2) सोडियम एम्पीसिलिन	महाराष्ट्र
		(3) अमोक्सीलिन ट्राइहाइड्रेट	

उड़ीसा में चावल मिलें

5017. श्री राधाकांत डिगाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चार आधुनिक चावल-मिलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी किन-किन स्थानों पर स्थापना की जाएगी और प्रत्येक मिल की कितनी क्षमता होगी ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई हाई तेल रिगों की सुरक्षा

5018. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई तेल रिगों को समुद्र के बाहर और भीतर दोनो ओर से खतरे की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में तेल प्रतिष्ठानों की संभावित खतरे से सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या बम्बई हाई तेल रिगों की सुरक्षा को कार्यान्वित करने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि नियत की गई है; और

(घ) इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (घ) ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए खतरे की सम्भावना बनी रहती है। इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उपाय किए गये हैं।

किये गये उपायों तथा आबंटित राशि का ब्यौरा देना सार्वजनिक हित में नहीं है।

रक्षित विद्युत उत्पादन यूनिटों के आयात के लिए विश्व बैंक से धनराशि

5019. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ राज्य सरकारों की बिजली की आवश्यकता पूरी करने हेतु रक्षित विद्युत उत्पादन यूनिटों का आयात करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आयातित रक्षित विद्युत उत्पादन यूनिटों की किन-किन राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को आवश्यकता है,

(ग) क्या ऐसे रक्षित विद्युत उत्पादन यूनिटों के आयात के लिए विश्व बैंक से धनराशि उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो आयात प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) मै० गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर कम्पनी, असम स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड और इण्डियन पेट्रो-केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड से रक्षित (कैप्टिव) विद्युत जनित्रण उपकरणों के आयात के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस समय इन आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। जबकि मै० इण्डियन पेट्रो-केमिकल कारपोरेशन परियोजना विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है, अन्य दो प्रस्ताव के लिए वित्त का प्रबन्ध सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा किया जायेगा। ये सभी प्रस्ताव सरकार की विचारणा की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्थायी समिति नियुक्त करना

5020. श्री अजय विश्वास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जहां रुग्णता के अधिक मामले हैं एक स्थायी सीमित नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी स्थायी समितियां नियुक्त की गई है; और

(ग) इन समितियों ने औद्योगिक क्षेत्रों में रुग्णता के सम्बन्ध में क्या निवारात्मक और उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में जहां रुग्णता व्यापक रूप से फैली हुई है, स्थायी समितियों का गठन करने सम्बन्धी कोई सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने औद्योगिकी रुग्णता की मॉनीटरी के लिए एक क्रियाविधि तैयार की है सरकार प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जहां रुग्णता व्यापक रूप से फैली हुई है, की समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेष अभ्युपाय कर रही है, जैसा कि जूट-उद्योग के मामले में किया गया है इसके अलावा सरकार ने "दी सिक इंडस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रोविजन) बिल, 1985" भी लागू कर दिया है, जिसमें औद्योगिक रुग्णता की समस्या को कारगर रूप से निपटाने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड नामक एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना करने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा औद्योगिकी एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन जनवरी, 1985 में कर लिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली क्षमता का विदोहन

5021. श्री अजय विश्वास : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली की विशाल क्षमता विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इसका विदोहन करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत शक्यता प्रचुर मात्रा में विद्यमान है .

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कई जल विद्युत परियोजनाए क्रियान्वित की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप सातवीं योजना के अन्त तक क्षेत्र मे अधिशेष विद्युत हो जाने की आशा है। जल विद्युत स्कीमों को हाथ में लेने के लिए अनेक पहलू शामिल हैं जिनमे अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण तथा जलमग्न संबंधी पहलू भी शामिल हैं। परियोजनाओं की संकल्पना से ही इन पहलुओं के अध्ययन पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि जल विद्युत संसाधनों के शीघ्रतापूर्वक उपयोग में सहायता प्राप्त हो सके।

बिहार में सहरसा में उद्योग स्थापित करना

5022. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार के सहरसा जिले में कोई उद्योग स्थापित करने के लिए बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1951 के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार से बिहार के सहरसा जिले में नये औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिये हाल ही मे औद्योगिक लाइसेंस के लिए कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार में सहरसा में सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली संयत्रों की स्थापना

5023. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली सयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ख) बिहार के सहरसा जिले में सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) केन्द्र सरकार ने सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत यूनिटों की स्थापना के लिए राज्य सरकार एजेन्सियों की, वित्तीय तथा तकनीकी सहायता, प्रकाश-वोल्टीय माड्यलों का प्रबन्ध करना, सर्वेक्षण तथा सम्भाव्यता रिपोर्टों इत्यादि के रूप में सहायता की है।

(ख) ऐसे विद्युत यूनिटों की स्थापना की संभावना के लिए बिहार सहित देश के उपयुक्त स्थानों का पता लगाया जा रहा है।

बिहार में पेट्रोरसायन कम्पलैक्स की स्थापना

5024. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में एक पेट्रोलियम कम्पलैक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) इस कम्पलैक्स को कब तक स्थापित किया जायेगा और किस स्थान पर ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) से (ग) बिहार में बरौनी के स्थान पर एक पेट्रो रसायन काम्पलेक्स की स्थापना करने की संभावना की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

कर्नाटक में चमड़ा संसाधन यूनिट

5025. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक चमड़ा उद्योग निगम और पश्चिम एशिया के एक अनिवासी भारतीय के संयुक्त सहयोग से कर्नाटक के बीदर जिले में एक चमड़ा संसाधन यूनिट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आशय-पत्र जारी कर दिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) बीदर जिले में तैयार चमड़ा बनाने के लिए कर्नाटक सरकार के एक उपक्रम, मे० कर्नाटक लेदर इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार० लिमिटेड के नाम एक आशय पत्र 31-10-85 को जारी किया गया था। इसका कार्यान्वयन उक्त कारपोरेशन को करना है जिसने उद्योग मंत्रालय को बताया है कि उनका एकक की स्थापनार्थ एक ग़ैर-सरकारी पार्टी के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव है, किन्तु गैर सरकारी पार्टी के बारे में पूरे ब्यौरे नहीं दिये गये हैं।

कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

5026. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयात किए गये कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का देशवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ स्रोतों पर ही निर्भर रहने की स्थिति को समाप्त करने की दृष्टि से अन्य स्रोतों से सप्लाई प्राप्त करने का है;

(ग) इस अवधि के दौरान आयात किये गये पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के मिश्रण में कोई परिवर्तन आया है; और

(ङ) इन पेट्रोलियम उत्पादों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में इस समय किस सीमा तक आत्म-निर्भरता प्राप्त है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (ब्रह्मदत्त) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किये गए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा का विवरण इस प्रकार है :—

मात्रा : मिलियन टन

	1983-84	1984-85	1985-86
कूड तेल	15.97	13.64	15.14
पेट्रोलियम उत्पाद	4.33	6.09	3.87

चूंकि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की भारी मात्रा का स्पाट टेंडरों के आधार पर आयात किया जाता है। इसलिए यह बताना संभव नहीं होगा कि किस देश से कितनी मात्रा में माल का आयात किया गया है।

(ख) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात पहले से ही विविधकृत साधनों अर्थात सावधिक करारों के प्रति और मौके पर के आधार (आन स्पाट बेसिस) पर किया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादवार आयात का विवरण नीचे दिया गया है :—

(मात्रा "000 मी० टन)

	1983-84	1984-85	1985-86
नेफ्था	129	338	—
एटीएफ	169	128	150
एस के ओ	2030	2611	2568
एच एस डी	1806	2573	890
एल डी ओ	42	—	—
एफ ओ/एल एस एच एस	—	175	20
अन्य छोटे उत्पाद	152	267	237

(घ) जी, नहीं।

(ङ) 1985-86 के दौरान मुख्य उत्पादों में आत्म निर्भरता की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

ए टी एफ	—	90%
एस के ओ	—	59%
एचएसडी/एलडीओ	—	95%

चालू बिजली परियोजनाओं को पूरा करना

5027. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के अन्त तक देश में बिजली की कितनी कमी होने का अनुमान है तथा वर्ष 1985 के अन्त तक बिजली की कमी की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(ख) विद्यमान बिजली उत्पादन क्षमताओं का कितना उपयोग किया जा रहा है तथा इसमें सुधार करने और चालू बिजली परियोजनाओं को पूरा करने तथा आरम्भ करने के लिए भी क्यों उपाय किये गये हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिजली की कितनी मांग होने का अनुमान है तथा बिजली की सप्लाई के लिये क्या लक्ष्य रखे गये हैं; और

(घ) बिजली की मांग के शत-प्रतिशत पूरा करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है तथा इसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान और वर्ष 1986-87 में (फरवरी, 1987 तक) देश में विद्युत की कमी क्रमश: 7.9% और 9.6% थी :

(ख) जल विद्युत उत्पादन क्षमता के समुपयोजन की मात्रा मुख्य रूप से जलाशयों के स्तर पर निर्भर करती है। जहां तक ताप विद्युत केन्द्रों का संबंध है, अप्रैल, 1986 से फरवरी, 1987 तक की अवधि के दौरान अखिल भारत संयंत्र भार अनुपात 53.1% था। ताप विद्युत संयंत्र भार अनुपात में और सुधार लाने के लिए किये गये उपायों में ये शामिल है; कुछ विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाले और वांछित मात्रा में कोयले की व्यवस्था करना, निवारक अनुरक्षण प्रौद्योगिकी अपनाना आदि। निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिये भी विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं; जैसे कि व्यापक रूप से मानीटरिंग करना, उपस्कर और सामग्री की सप्लाई शीघ्र करना, बाधाओं का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिये अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा करना आदि। कारगर मानीटरिंग की आवश्यकता के लिये भी राज्य प्राधिकारियों पर निरन्तर बल दिया जा रहा है।

(ग) सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान विद्युत की उपलब्धता 255 बिलियन यूनिट होने का अनुमान है, जबकि इसकी तुलना में अनुमानित मांग 269 बिलियम यूनिट होगी।

(घ) निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुये देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं। विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिये किये गये विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं; निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना विद्यमान क्षमता के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना, लघु निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, पारेषण और वितरण हानियों को कम करना, मांग और ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को क्रियान्वित करना। इन उपायों से विद्युत की उपलब्धता में सुधार होने की आशा है।

जिला मुख्यालयों और राज्यों की राजधानियों से टेलेक्स सम्पर्क

5028. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1987 के दिन कितने जिला मुख्यालय टेलेक्स द्वारा राज्यों की राजधानियों और नई दिल्ली से जुड़े हुए थे;

(ख) 1 अप्रैल, 1987 के दिन कितने जिला मुख्यालय इस प्रकार नहीं जुड़े हुये थे;

(ग) चालू योजना अवधि में कितने जिला मुख्यालयों को टेलेक्स द्वारा जोड़े जाने की संभावना है; और

(घ) क्या टेलेक्स की सुविधायें केवल सरकारी कार्यों के लिये ही उपलब्ध है अथवा गैर-सरकारी/वाणिज्यिक प्रयोग तथा प्रेस प्रयोजनों के लिए भी उपलब्ध हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 143

(ख) 293

(ग) 73

(घ) सरकारी और प्राइवेट/वाणिज्य तथा प्रेस संचार के लिये टेलेक्स सुविधायें उपलब्ध हैं ।

सामुदायिक बायो-गैस केन्द्र स्थापित करना

5029. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक बायो-गैस की स्थापना को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री : (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) जी हां । अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग इस समय सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की 90 प्रतिशत पूंजीगत लागत अदा करता है । इस लागत में केवल बायोगैस सृजन तथा वितरण प्रणाली की लागत ही शामिल नहीं है बल्कि इस में विद्युत-यांत्रिकीय रूपान्तरण प्रणाली की लागत तथा जल पम्पन की लागत जहां कहीं व्यवहार्य हो, भी सम्मिलित है चूंकि सामुदायिक बायोगैस योजना अभी एक प्रयोगात्मक एवं प्रदर्शनात्मक अवस्था पर है इसलिये अलग-अलग मामलों के आधार पर संयंत्र की तकनीकी संभाव्यता, आर्थिक व्यवहार्यता तथा प्रबन्ध कार्य के परीक्षण के पश्चात ही संयंत्र स्वीकृत किये जाते हैं । इस योजना के अंतर्गत जो संयंत्र बनाये जा सकते हैं उनकी संख्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिये उपलब्ध वित्तीय आवंटन पर निर्भर करेगी ।

हजीरा विजयपुर-जगदीशपुर पाइप लाइन परियोजना

5030. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के लिये दिये गये ठेकों और उनके कार्य-निष्पादन में आने वाली लागत का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : गेल ने एक दायित्व के आधार पर एच बी जे परियोजना के निष्पादन के लिए

फ्रांस की मैसर्स स्पाई केपेग की अगुवाई वाले उस कंसोर्शियम को 722.5 करोड़ रुपये के मूल्य का संयुक्त ठेका दिया है जिसमें जापान के मैसर्ज एन के के तथा टोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन अन्य सदस्य हैं।

गैल ने लाइन पाइपों तथा केसिंग पाइपों के लिये सेल तथा चार अन्य विदेशी कम्पनियों का निम्नलिखित आर्डर अलग से दिये हैं :—

1.	सेल	18.33 करोड़ रुपये
2.	जापानी कंसोर्शियम	114.55 ,, ,,
3.	इंटरब्रास/पेट्रोब्रास ब्राजील	84.25 ,, ,,
4.	बरग्रहोर, पश्चिम जर्मनी	70.98 ,, ,,
5.	साइडर एक्सपोर्ट, इटली	39.06 ,, ,,

मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा छोटी कारों का उत्पादन

5031. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कारों का निर्माण करने के लिये मारूति उद्योग लिमिटेड के अलावा कोई अन्य यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भारत में छोटी कारों की अनुमानित मांग कितनी है; और

(ग) वर्ष 1986 में मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा छोटी कारों का कितना निर्माण किया गया और मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा वर्ष 1987 में कितनी छोटी कारों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1000 सी०सी० तक की क्षमता के इंजन वाली सवारी कारें बनाने के लिये सरकार को कई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

(ख) सरकार द्वारा आटोमोबील और अर्थमूविंग उद्योग के संबंध में नियुक्त किये गये एक उप दल ने अक्तूबर 1984 में अनुमान लगाया था कि 1989-90 तक सवारी कारों की मांग 1,40,000 कारें हो जायेगी।

(ग) वर्ष 1986-87 (28-2-87 तक) में मै० मारूति उद्योग लिमिटेड ने 45403 कारें बनाई हैं। वर्ष 1987-88 के दौरान इस कम्पनी की योजना 68,000 कारें बनाने की है।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की परियोजनायें

5032. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने 523 करोड़ रुपये लागत की चार परियोजनाओं के लिये सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपेक्षित पूंजी जुटाने के लिये भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का क्या प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बी०पी०सी०एल०) ने 523 करोड़ रुपये की लागत की किसी भी चार परियोजनाओं के लिये सरकार से अनुमोदन आवश्यक होता है जिसका लागत अनुमान कारपोरेशन की प्रदत्त शक्तियों से अधिक होता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कारपोरेशन परियोजनाओं के लिये धन आवश्यकतानुसार साधनों, ऋणों और ऋण पत्रों के आंतरिक सृजन द्वारा जुटाती है।

ऊर्जा के पुनः उपयोग में लाये जाने वाले स्रोतों के लिए भारत फ्रांस सहयोग

5033. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत फ्रान्स संयुक्त परिषद ने ऊर्जा इत्यादि के पुनः उपयोग मे लाये जाने वाले स्रोतों में सहयोग की कार्यपद्धतियों के संबंध में विचार विमर्श किया है;

(ख) क्या 9 दिसम्बर, 1986 को भारत-फ्रान्स संयुक्त पषिषद् की बैठकें हुई थीं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसमें क्या निर्णय लिये गये और क्या कोई समझौताकिया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की 5वीं बैठक नई दिल्ली में 10 सितम्बर, 1986 को हुई थी। भारत की ओर से बताये गये दोनों देशों के मध्य संयुक्त जोखिम के गुंजाइशी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र "वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली" थी। बैठक की समाप्ति पर जारी एक संयुक्त वक्तव्य मे "ऊर्जा के लिये उपस्कर" को दो देशों के बीच सम्भावित औद्योगिक सहयोग के लिये एक उपयुक्त क्षेत्र बताया गया।

दूरसंचार में भारत फ्रान्स सहयोग

5034. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत फ्रान्स संयुक्त व्यापार परिषद ने दूरसंचार में सहयोग की कार्य पद्धतियों के संबंध में विचार विमर्श किया है;

(ख) क्या 9 दिसम्बर, 1986 को भारत फ्रान्स संयुक्त व्यापार परिषद् की बैठकें हुई थीं; और

(ग) यदि हाँ, तो इसमें क्या निर्णय लिये गये तथा क्या कोई समझौता किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद् के साथ किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचारार्थ अधिकारी स्तर की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के इंजीनियरों द्वारा तमिलनाडु में नरीमनम-II तेल कुएं का अध्ययन

5035. **श्री के० राममूर्ति :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के इंजीनियरों द्वारा तमिलनाडु में भषियाकुडी गांव में नरीमनम-II तेल कुए का विस्तृत अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस कुएं से तेल और गैस निकालने का क्या कार्यक्रम है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ब्रह्मदत्त) : (क) नारीमनन-II कुएं की ड्रिलिंग कार्य पूरा होने के बाद ही ओ०एन०जी०सी० द्वारा कूप संख्या नारीमनम-II का विस्तृत अध्ययन किया जायेगा।

(ख) इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु स्थित विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

5036. **श्री के० राममूर्ति :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तमिलनाडु स्थित कोयले पर आधारित विद्युत केन्द्रों को उनकी न्यूनतम वार्षिक आवश्यकता से कम कोयला सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या तमिलनाडु स्थित विद्युत केन्द्रों को कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये आस्ट्रेलिया सरकार के साथ समझौता करने का कोई प्रयास किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) तमिलनाडु बिजली बोर्ड के विद्युत केन्द्रों को कोयले की आवश्यकताएं स्वदेशी रूप से पूरी की जा सकती है क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है।

प्राकृतिक गैस की सप्लाई

5037. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान तथा दिसम्बर, 1986 तक विभिन्न उद्योगों तथा राज्य बिजली बोर्डों को कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस की सप्लाई की गई; और

(ख) वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक उद्योगों तथा राज्य बिजली बोर्डों को प्राकृतिक गैस की कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) राज्य विद्युत बोर्डों सहित विभिन्न उद्योगों को 1985-86 के दौरान और दिसम्बर, 1986 तक लगभग 4840 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की गई है।

(ख) ओ एन जी सी/ओ आई एल/गैल की आंतरिक आवश्यकताओं को निकालकर विभिन्न उपभोक्ताओं को निश्चित वायदे के आधार पर प्राकृतिक गैस की मांग का 1986-87 से 1989-90 के दौरान 30.370 मिलिरन घन मीटर होने का अनुमान है।

राज्यों को खाद्य तेलों का आवंटन

5038. श्री डी० बी० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की खाद्य तेलों की मासिक मांग कितनी थी; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को किये गये आवंटन और उसके द्वारा उठाई गई मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) व (ख) दो विवरण संलग्न हैं, जिनमें तेल वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयातित खाद्य तेल की मांग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उन्हें किया गया आवंटन तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा राज्यवार दिखाई गई है।

विवरण—एक

तेल वर्ष 1985-86 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयातित खाद्य तेलों की मांग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उन्हें किया गया आवंटन तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा दर्शाने वाला विवरण।

(मात्रा मीटर टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		समूचे तेल वर्ष 1985-86 की मांग	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	195000	92400	83522
2.	असम	3600	2400	305
3.	बिहार	30000	6550	6920
4.	गुजरात	136800	121200	97356
5.	हरियाणा	28800	8000	7134
6.	हिमाचल प्रदेश	24000	9320	6327
7.	जम्मू व कश्मीर	6000	4425	2359
8.	कर्नाटक	65000	41500	37047
9.	केरल	120000	21750	11435
10.	मध्य प्रदेश	62000	20200	13573
11.	महाराष्ट्र	230000	126400	126174
12.	मणिपुर	5760	5500	4937

1	2	3	4	5
13.	मेघालय	7200	3975	3435
14.	नागालैण्ड	12000	4780	2453
15.	उड़ीसा	288000	16900	11139
16.	पंजाब	19200	13900	13462
17.	राजस्थान	30000	5250	3159
18.	सिक्किम	48000	1950	1047
19.	तमिलनाडु	132000	49700	47600
20.	त्रिपुरा	4800	2540	431
21.	उत्तर प्रदेश	15600	12500	10012
22.	पश्चिम बंगाल	186000	102000	80501
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	600	380	205
24.	अरुणाचल प्रदेश	300	420	52
25.	चंडीगढ़	720	660	480
26.	दादरा व नगर हवेली	600	465	346
27.	दिल्ली	30000	16500	15454
28.	गोवा, दमण व दीव	7200	4300	4476
29.	लक्षद्वीप	180	255	150
30.	मिजोरम	3000	2460	1673
31,	पाण्डिचेरी	6000	4350	3860
	योग :	1439160	702930	597144

विवरण—दो

1986-87 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान आयातित खाद्य तेलों की मांग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उनका आबंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा मीटरी टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समूचे तेल वर्ष 1986-87 की मांग	आबंटन (नवम्बर, 86 से मार्च, 87)	उठाई गई मात्रा 28.2.87 तक
आन्ध्र प्रदेश	201000	27000	35584
असम	7200	900	640

1	2	3	4
बिहार	17280	3000	2400
गुजरात	208000	3570	42325
हरियाणा	30000	3400	2974
हिमाचल प्रदेश	12000	3400	3605
जम्मू व कश्मीर	—	1700	1593
कर्नाटक	112500	15500	16224
केरल	57000	5500	5538
मध्य प्रदेश	—	11000	8896
महाराष्ट्र	230000	36500	29154
मणिपुर	—	3100	1539
मेघालय	8400	1700	1274
नागालैण्ड	12000	3500	3224
उड़ीसा	72000	7700	5400
पंजाब	21600	6100	3550
राजस्थान	14500	2250	1889
सिक्किम	1800	510	250
तमिलनाडु	132000	17000	15980
त्रिपुरा	2736	1700	191
उत्तर प्रदेश	19200	5100	4012
पश्चिम बंगाल	186000	39300	40547
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1200	390	210
अरुणाचल प्रदेश	450	250	29
चंडीगढ़	1200	350	170
दादरा व नगर हवेली	1080	250	141
दिल्ली	35000	5800	6160
गोवा, दमण व दीव	5640	2200	1724
लक्षद्वीप	200	200	159
मिजोरम	3000	1000	1422
पाण्डिचेरी	7200	2800	2042
	1390186	244800	238886

राज्यों को गेहूं और चावल का आवंटन

5039. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 से 1986-87 (फरवरी 1987 तक) के दौरान राज्यवार कितने गेहूं और चावल का आवंटन किया गया;

(ख) वर्ष 1985-86 और 1986-87 (फरवरी 1987) के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितने गेहूं और चावल का आवंटन किया गया; और

(ग) गेहूं और चावल का वर्ष 1985- 6 की इसी अवधि के मूल्यों की तुलना में वर्तमान खरीद और निर्गम मूल्य क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एक विवरण-1 संलग्न है जिसमें 1984-85 से 1986-87 (फरवरी, 1987 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के किये गये आवंटन का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) विवरण 2 और 3 संलग्न हैं जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन 1985-86 और 1986-87 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के किये गये आवंटनों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

(रु० प्रति क्विंटल)

	1985-86 (विपणन मौसम)		1986-87 (विपणन मौसम)	
वसूली मूल्य—	गेहूं	157/-	गेहूं	162/-
	धान (साधारण)	142/-	धान (साधारण)	146/-
	धान (बढ़िया)	146/-	धान (बढ़िया)	150/-
	धान (उत्तम)	150/-	धान (उत्तम)	154/-
निर्गम मूल्य—	गेहूं	172/-	गेहूं (1.2.86 से)	190/-
	चावल (10.10.85 से)		चावल (1.10.86 से)	
	(साधारण)	217/-	(साधारण)	239/-
	(बढ़िया)	229/-	(बढ़िया)	251/-
	(उत्तम)	244/-	(उत्तम)	266/-
	चावल (1.2.86 से)			
	(साधारण)	231/-		
	(बढ़िया)	243/-		
	(उत्तम)	258/-		

विवरण—एक

1984-85 से 1986-87 (फरवरी, 87 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के किये गये आवंटन को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटर टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1984-85		1985-86		1986-87 (फरवरी 87 तक)	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आन्ध्र प्रदेश	930.0	705.42	1075.0	856.95	1265.0	663.48
अरुणाचल प्रदेश	43.2	19.05	48.0	22.2	58.5	18.1
असम	235.0	677.3	395.0	937.31	490.0	754.58
बिहार	216.0	1356.27	258.0	1565.6	275.0	1287.55
गुजरात	90.0	483.98	182.5	774.45	285.0	444.16
हरियाणा	26.4	443.04	34.2	670.75	38.5	572.84
हिमाचल प्रदेश	38.0	63.0	69.0	85.5	71.5	79.36
जम्मू और कश्मीर	156.0	361.68	176.0	463.8	234.0	358.4
कर्नाटक	245.0	637.77	484.0	819.28	560.0	711.92
केरल	1360.0	550.82	1505.0	599.02	1525.0	511.2
मध्य प्रदेश	216.0	436.56	268.0	589.92	275.0	667.66
महाराष्ट्र	300.0	1439.75	435.0	1643.5	640.0	1314.98
मणिपुर	36.0	31.0	43.0	36.0	48.5	28.0
मेघालय	78.0	40.0	92.5	44.7	93.5	33.6
मिजोरम	61.0	18.0	77.0	18.0	70.5	14.25
नागालैण्ड	48.0	52.0	55.0	68.36	64.0	79.78
उड़ीसा	84.0	461.6	171.0	625.97	160.0	472.55
पंजाब	6.0	485.4	13.2	637.11	18.0	515.58

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्थान	12.0	404.0	19.0	529.0	22.0	718.5
सिक्किम	42.5	10.52	46.5	12.76	48.5	9.53
तमिलनाडु	300.0	1109.33	525.0	1492.73	655.0	1008.2
त्रिपुरा	91.0	62.0	115.0	75.47	145.5	56.72
उत्तर प्रदेश	320.0	1685.9	460.0	1998.71	550.0	1550.73
पश्चिमी बंगाल	1320.0	2260.37	1420.0	2477.71	1375.0	2034.31
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	12.3	6.6	14.5	9.2	12.0	8.4
चण्डीगढ़	3.0	52.8	3.05	76.46	4.7	54.9
दादर तथा नगर हवेली	1.2	0.24	1.2	0.25	1.6	0.53
दिल्ली	180.0	950.8	245.0	1082.19	275.0	848.4
गोआ, द्रमन और दीव	36.0	52.4	49.0	56.84	49.52	45.52
लक्षद्वीप	5.5	0.43	5.5	0.43	5.5	0.07
पांडिचेरी	20.0	10.24	23.5	18.79	20.5	16.64

विवरण—2

1985-86 और 1986-87 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन को बताने वाला विवरण ।

(हजार मीटरी टन से)

क्रम० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1985-86		1986-87	
		चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	18.3	49.6	60.28	60.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.16	—	0.78	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	असम	4.0	10.85	5.02	5.02
4.	बिहार	—	103.15	0.06	220.94
5.	गुजरात	—	23.7	—	109.42
6.	हरियाणा	—	5.45	—	9.32
7.	हिमाचल प्रदेश	—	2.3	3.0	3.0
8.	जम्मू और कश्मीर	1.6	10.25	18.05	14.35
9.	कर्नाटक	15.7	23.6	41.45	41.45
10.	केरल	6.7	23.15	18.84	18.84
11.	मध्य प्रदेश	5.0	64.2	30.33	197.63
12.	महाराष्ट्र	—	10.55	—	11.45
13.	मणिपुर	0.23	—	1.08	—
14.	मेघालय	0.26	—	0.76	—
15.	मिजोरम	0.09	—	0.78	—
16.	नागालैण्ड	0.15	0.55	1.22	—
17.	उड़ीसा	13.0	22.7	22.02	22.2
18.	पंजाब	—	6.95	—	9.92
19.	राजस्थान	—	202.6	—	238.60
20.	सिक्किम	0.19	0.4	0.86	0.2
21.	तमिलनाडु	24.5	44.8	47.4	47.4
22.	त्रिपुरा	0.7	6.7	0.82	0.82
23.	उत्तर प्रदेश	—	174.8	—	276.34
24.	पश्चिम बंगाल	—	52.9	—	75.34
25.	अ० तथा नि० द्वीप समूह	0.16	—	0.78	—
26.	चण्डीगढ़	—	0.04	—	0.22
27.	दा० तथा न० हवेली	0.2	0.05	0.2	0.2
28.	दिल्ली	—	0.06	—	0.35
29.	गोआ, दमन और दीव	0.12	—	0.9	—
30.	लक्षद्वीप	0.05	—	0.36	—
31.	पांडिचेरी	0.17	—	0.78	—

विवरण—तीन

1985-86 और 1986-87 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1985-86		1986-87	
		चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.30	49.60	47.78	47.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.14	—	0.78	—
3.	असम	3.57	10.85	5.02	5.02
4.	बिहार	—	99.65	2.58	138.08
5.	गुजरात	—	23.24	—	16.46
6.	हरियाणा	—	5.33	—	9·32
7.	हिमाचल प्रदेश	—	1.68	3.00	3.00
8.	जम्मू और कश्मीर	1.46	5.75	7.40	—
9.	कर्नाटक	14.20	23.60	31.81	31.81
10.	केरल	6.10	23.15	31.34	31.34
11.	मध्य प्रदेश	5.00	62.29	20.70	62.26
12.	महाराष्ट्र	—	18.93	—	22.80
13.	मणिपुर	0.21	—	0.54	—
14.	मेघालय	0.26	—	0.76	—
15.	मिजोरम	0.13	—	0.78	—
16.	नागालैण्ड	0.14	0.55	1.22	—
17.	उड़ीसा	14.63	22.70	18.13	18.13
18.	पंजाब	—	6.95	—	9.92
19.	राजस्थान	—	52.30	—	38.80
20.	सिक्किम	0.17	0.40	0.42	0.20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	तमिलनाडु	22.00	44.80	39.97	39.97
22.	त्रिपुरा	0.65	6.70	0.82	0.82
23.	उत्तर प्रदेश	—	193.50	—	276.37
24.	पश्चिम बंगाल	—	51.53	—	62.38
25.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.15	—	0.78	—
26.	चण्डीगढ़	—	0.03	—	0.22
27.	दादर तथा नगर हवेली	0.09	0.05	0.20	0.20
28.	दिल्ली	—	0.06	—	0.35
29.	गोवा, दमन तथा दीव	0.20	—	0.90	—
30.	लक्षद्वीप	0.04	—	0.22	—
31.	पाण्डिचेरी	0.16	—	0.78	—

"उद्योग विहीन जिला" के स्थान पर विकास केन्द्र

2040. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983 में प्रारंभ की गई "उद्योग विहीन जिला" योजना के अंतर्गत अनेक प्रोत्साहन दिये जाने के बावजूद इसके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त कारणों वश 'उद्योग विहीन जिला" योजना के स्थान पर "विकास केन्द्र" योजना प्रारम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए, 1983-86 के वर्षों के दौरान, निम्नलिखित संख्या में आशय-पत्र (आ० प०) तथा औद्योगिक लायसेंस (औ० ला०) जारी किये गये हैं :—

वर्ष	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1983	111	13
1984	84	27
1985	114	33
1986	94	29

उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहनों के परिणाम मिल रहे हैं।

(ख) तथा (ग) उद्योग रहित जिलों में विकास केन्द्रों के विकास के लिए पहले से ही एक योजना है। इस योजना का ब्यौरा "पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग के लिए प्रोत्साहन" नामक पुस्तिका में दिया गया है। इस पुस्तिका की प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

फिर भी, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण की विद्यमान योजनाओं के पुनरीक्षण तथा संशोधन के लिए गठित अन्तर्मंत्रालय समिति ने भी इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

खाद्यान्नों के भंडारण हेतु खत्तियों का उपयोग

5041. **श्री धर्मपाल सिंह मलिकन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खत्तियों की खाद्यान्नों के भंडारण की क्षमता पर, जैसा कि बहुत से पश्चिमी देशों में किया जाता हैं, विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) मुख्यतया निर्माण की ऊंची लागत और साधनों की तंगी होने के कारण साइलों का निर्माण करने के प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं समझा गया है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का निर्यात करने के लिये साइलों का निर्माण करने की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है।

ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजों में कम्प्यूटर प्रणाली स्थापित करना

5042. **श्री के० प्रधानी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजों में कंप्यूटर प्रणाली स्थापित करने से कर्मचारी फालतू हो जायेंगे; और

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं, सरप्लस स्टाफ होने की संभावना नहीं है।

(ख) शीघ्र उत्तर दिये जाने एवं कंप्यूटरीकृत ट्रंक एक्सचेंजों के माध्यम से ट्रंक कालें लगाने से ट्रंक ट्रेफिक में वृद्धि होने की उम्मीद है। सरप्लस स्टाफ को, यदि कोई होगा, तो विभाग में अतिरिक्त मांग एवं अन्य संबंद्ध सेवा की जरूरतें पूरी करने के लिये लगा दिया जायेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन

5043. **श्री शांताराम नायक :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के कारण सुनवाई के स्तर पर मुकदमों के निपटारे में कहां तक विलंब होता है;

(ख) क्या साक्ष्य अभिलिखित करने के आधुनिक तरीकों को मान्यता देने का उपबंध करने के लिये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, जब कभी आवश्यकता होगी, सरकार साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करेगी।

कर्नाटक में डाक छंटाई कार्यालय खोलना

5044. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक के बीदर जिले में डाक छंटाई कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बीदर में छंटाई कार्यालय खोलने का औचित्य नहीं बनता है।

कर्नाटक राज्य को मिट्टी के तेल के अतिरिक्त कोटे की मांग

5045. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जन वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार से मिट्टी के तेल के अतिरिक्त कोटे की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य को मार्च, 1987 के लिए 1005 मीट्रिक टन मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

बीदर जिले के गांवों में डाकघरों की सुविधा

5046. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के बीदर जिले के ऐसे कितने गांव हैं जिनमें डाकघर सुविधायें अभी प्रदान की जानी हैं; और

(ख) शेष क्षेत्रों में डाकघरों की व्यवस्था कब तक किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) बीदर जिले में 281 ग्रामीण डाकघर मौजूद हैं तथा इनके माध्यम से जिले के सभी 598 ग्रामों में पर्याप्त डाक सेवायें प्रदान की जाती हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, बीदर जिले सहित सभी क्षेत्रों के लिए फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है और मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर ही फिर अतिरिक्त डाकघर खोलने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के केन्द्रीय कार्यालयों की अवस्थिति

5047. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कौन-कौन से सहकारी क्षेत्र के औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना की गई;

(ख) सरकारी क्षेत्र के वे कौन-कौन से उपक्रम हैं जिनका मुख्य कार्य इस समय बिहार में चल रहा है तथा उनके केन्द्रीय कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के केन्द्रीय कार्यालय स्थापित करने में क्या मान दण्ड अपनाये जाते हैं; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों को उसी राज्य में स्थापित करने का विचार है, जहां इनका मुख्य कार्य चल रहा हो ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में यथा सूचीबद्ध 26 उद्यमों के एकक/संयंत्र/कार्यालय बिहार में स्थित हैं जिनमें बिहार राज्य में 5 करोड़ रुपये से अधिक राशि का पूंजी-निवेश किया गया है। इनमें से क्रम संख्या 1 से 11 तक सूचीबद्ध किये गये उद्यमों के मुख्य कार्यकलाप इस समय बिहार में चल रहे हैं। सकल परिसम्पत्ति के रूप में उनके कुल पूंजी-निवेश की तुलना में बिहार में किये गये पूंजी-निवेश से निर्णय किया जाता है। (इन 11 उद्यमों में से 10 उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय बिहार में स्थित हैं। शेष उद्यम अर्थात् पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि० का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है।

(ग) और (घ) सम्बद्ध उद्यम के प्रमुख प्रचालन क्षेत्र के नजदीक पंजीकृत कार्यालयों की स्थापना को अधिमान्यता दी जाती है। किन्तु, विभिन्न कारणों जैसे किसी उद्यम के अनेक एकक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं, प्रशासनिक सुविधा आदि के कारण इस सिद्धान्त का सदा ही पालन करना सम्भव नहीं हो सकता है।

विवरण

उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नाम का विवरण जिनके एकक/संयंत्र/कार्यालय बिहार में स्थित हैं जिनमें 31-3-1986 को 5 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी-निवेश किया गया है।

क्रम संख्या	उद्यम का नाम
1.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड*
2.	सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड*
3.	भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड*

क्रम संख्या	उद्यम का नाम
4.	यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
5.	मैटालर्जिकल एण्ड इंजी० कनसल्टेंट (इण्डिया) लिमिटेड*
6.	भारतीय परियोजना एवं विकास लिमिटेड*
7.	केन्द्रीय खनन आयोजन एवं विकल्प संस्थान लिमिटेड*
8.	इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सूलेशन कं० लिमिटेड*
9.	भारत वैगन एण्ड इंजी० कं० लिमिटेड
10.	माइका ट्रेडिंग कारपो० आफ इण्डिया लिमिटेड*
11.	पायराइट्स, फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
12.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड
13.	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड
14.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
15.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
16.	हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपो० लिमिटेड
17.	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड
18.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड
19.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
20.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
21.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
22.	आयरन इण्डिया लिमिटेड
23.	नेशनल थर्मल पावर कारपो० लिमिटेड
24.	भारतीय खाद्य निगम
25.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
26.	भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड*

*पंजीकृत कार्यालय बिहार में स्थित है।

चीनी का आयात

5048. डा० कृपासिंधु भोई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-89 के दौरान आयातित चीनी की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) 1987-89 के दौरान आयातित चीनी की आवश्यकता के बारे में अनुमान लगाना 1986-87 से 1988-89 तक के चीनी वर्षों के दौरान चीनी के कुल उत्पादन और प्रत्याशित खपत पर निर्भर करेगा। चूंकि चालू चीनी वर्ष का मुख्य पिराई मौसम पूरे वेग से चल रहा है और अन्य वर्षों के बारे में उत्पादन की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी, इसलिये फिलहाल अपनी आयात संबंधी आवश्यकताओं का स्पष्ट अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के अतिरिक्त सिलेण्डर दिये जाना

5049. श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस का एक अतिरिक्त सिलेण्डर देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निकट भविष्य में यह व्यवस्था पुनः शुरू किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सर्दियों के मौसम में एल०पी०जी० की मांग में वृद्धि होने तथा देश के कुछ भागों में रिफिलों की सप्लाई में बैकलाग आने के कारण पिछले कुछ महीनों में एल०पी०जी० उपभोक्ताओं को दूसरा सिलिण्डर जारी करना अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है।

(ग) अनेक स्थानों पर यह पहले ही आरम्भ कर दिया गया है।

इटुक्की और पथानामथीटा जिले में टेलेक्स एक्सचेंज

5050. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पथानामथीटा और इटुक्की जिले में एक-एक टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन एक्सचेंजों को स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में इटुक्की और पथानामथीटा जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये लम्बित आवेदन पत्र

5051. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के इटुक्की और पथानामथीटा जिले में टेलीफोन कनेक्शन के लिये लम्बित पड़े हुये आवेदन पत्रों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) पिछले बकाया आवेदन पत्रों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 30-9-1986 की स्थिति के अनुसार जिलेवार लंबित आवेदनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

इटुक्की	1967
पथानामथिट्टा	3866

(ख) इटुक्की के 7 और पथानामथिट्टा के 9 एक्सचेंजों का क्रमशः विकास किया जाना है ताकि बकाया आवेदनों को निपटाया जा सके। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा इस प्रकार है। बशर्ते कि इनके लिये उपस्कर तथा तकनीकी व्यवहार्यता सुलभ हो।

इटुक्की जिला

1. कट्टप्पाना
2. थोडुपूझा
3. वंदीपेरियर
4. चोलचुवाडु
5. अन्चीरि
6. चित्तरापुरम
7. उप्पुथारा

पथानामथिट्टा

1. आडूर
2. कोन्नी
3. कुंभनाड
4. कुन्नामथानूनम
5. पंडलम्

6. पथानामाथिट्टा

7. रन्नी

8. तिरुवल्ला

9. थन्नीथोडा

कोझनचेरी में टेलीफोन एक्सचेंज को बदलकर स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज बनाना

5052. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पथानामथीटा जिले में कोझनचेरी में टेलीफोन एक्सचेंज को बदलकर स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान एक्सचेंज का स्वचलीकरण करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर और एक्सचेंज भवन उपलब्ध हो जाएं।

केरल के पथानामथीटा जिले में मंडल कार्यालय (टेलीफोन)

5053. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पथानामथीटा जिले में टेलीफोन के मंडल कार्यालय में स्थापना किये जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) पथानामथीटा के लिये अलग से दूरसंचार जिला स्थापित करने का अभी औचित्य नहीं बनता।

टेलीविजन की तरह के टेलीफोन आरम्भ करना

5054. **श्री हुसैन दिलवाई :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों में टेलीविजन की तरह के टेलीफोन आरंभ किये गये हैं;

(ख) क्या इन नये टेलीफोनों की कार्य प्रणाली टेलीविजनों की कार्य प्रणाली के समान है;

(ग) क्या यह सच है कि इन टेलीफोनों के लिये भूमिगत तार बिछाने की आवश्यकता नहीं होती है;

(घ) क्या भारत के महानगरों में नये प्रकार के ऐसे टेलीफोनों का आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं। विकासशील देशों में भी टेलीविजन टाइप के टेलीफोन जिन्हें वीडियो अथवा पिक्चर फोन कहा जाता है, प्रायोगिक आधार पर ही परीक्षण किया गया है।

(ख) जी नहीं। इनके कार्य में महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

(ग) जी नहीं। इस प्रकार के टेलीफोन के लिये भी भूमिगत केबिलों की आवश्यकता होती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

औषध-निर्माण के लिए मानदण्ड निर्धारण करने वाली समिति

5055. श्री पी०आर०एस. वेंकटेशन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित तत्व से बनने वाले औषधो तथा देश मे सुलभ प्रोद्योगिकी के द्वारा बनाये जाने वाली औषधों के चरणबद्ध निर्माण-कार्यक्रम के लिये मानदण्ड निर्धारित करने के लिये कोई सरकारी समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की रचना निम्न प्रकार है :—

1.	डा० एम० रामास्वामी उप महानिदेशक, डीजीटीडी	अध्यक्ष
2.	साइंस एवं तकनीकी विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	औद्योगिक विकास विभाग (एसआईए) का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	श्री पी० एम० मेहता, परियोजना अधिकारी रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	सदस्य संयोजक

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

करोलबाग टेलीफोन एक्सचेंज से प्लेटिनम की चोरी

5056. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में नई दिल्ली में करोलबाग टेलीफोन एक्सचेंज से प्लेटिनम की चोरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की चोरियों को रोकने हेतु अपराधियों का पता लगाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) अगस्त, 1986 में करोल बाग टेलीफोन एक्सचेंज के रूटीन अनुरक्षण के दौरान जांच से प्लेटिनम टिप युक्त अनेक रिले ट्रिवन कानटेक्ट के काटे जाने एवं चोरी का पता चला था।

(ग) पुलिस तथा विभाग द्वारा जांच करने के बावजूद भी दोषी व्यक्तियों का पता नहीं चल सका। एक्सचेंज की सतर्कता तेज कर दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा में तेल की खोज

5057. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र (कुरनूल, कडप्पाह, चित्तूर और अनंतपुर जिलों) में तेल की खोज के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में तेल पाये जाने की कोई संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) ये क्षेत्र किसी फलदायक अन्वेषण प्रयासों के लिए संभावनापूर्ण नहीं समझे गये हैं।

केरल द्वारा अन्य राज्यों से चावल खरीद

5058. **श्री के० मोहनदास** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल को चावल उत्पादक राज्यों से चावल की सीधी खरीद करने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) यदि हां, किन-किन राज्यों से खरीद की गई थी तथा कितनी मात्रा में और किस मूल्य पर ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। केरल सरकार को 1984-85 खरीफ विपणन मौसम और उसके बाद से चावल उत्पादक राज्यों से चावल खरीदने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज से नए टेलीफोन कनेक्शन देना

5059. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में बहुत समय से नये टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में अपना टेलीफोन लगवाओ योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र अभी तक लम्बित पड़े हैं और लम्बित आवेदन पत्रों को स्वीकृति देने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं। मार्च, 1986 के दौरान 100 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गये थे।

(ख) 1.3.1987 की स्थिति के अनुसार चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची में 661 ओ०वाई०टी० श्रेणी के आवेदन लम्बित हैं। 1989-90 के दौरान नया टेलीफोन एक्सचेंज खुल जाने पर इन्हें निपटा दिये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा भूखण्ड की खरीद

5060. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से ओखला औद्योगिक क्षेत्र में एक भूखंड खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो भूखंड का मूल्य कितना है और खादी-ग्रामोद्योग भवन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस भूखंड का कब्जा किस तारीख को प्राप्त किया था; और

(ग) उक्त भूखंड पर इतना समय बीत जाने पर भी कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं और निर्माण कार्य के कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को लगभग 12 लाख रुपये की राशि दी गई थी और प्लाट का स्वामित्वाधिकार 29.9.1976 को लिया गया था।

(ग) निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि उस प्लाट पर किसी का अवैध कब्जा था। प्रस्ताव है कि जैसे ही अनाधिकृत कब्जा करने वाले प्लाट खाली करें, निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया जाए।

[अनुवाद]

दिल्ली प्रशासन के इलेक्ट्रानिकी परिसर में आधारभूत सुविधाएं

5061. **श्री कमल नाथ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले एक वर्ष से अनिवासी भारतीयों सहित अनेक उद्यमी ओखला औद्योगिक क्षेत्र चरण-दो में दिल्ली प्रशासन के इलेक्ट्रोनिकी परिसर में बिजली तथा पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, ओखला फेज-2 में इलेक्ट्रानिक्स के लिए औद्योगिक बस्ती में अवस्थापनापकर सुविधाओं के प्रावधान सम्बन्धी प्रमुख कठिनाइयों, उद्यमियों जिन्हें नवम्बर, 1983

में कब्जा दिया गया था, के निर्मित फैक्टरी भवनों के अभाव के कारण हैं। 101 ऐसे प्लाटों में से केवल 8 फैक्टरी भवनों का निर्माण हुआ है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने एक सब-स्टेशन का निर्माण किया है और मशीनें भी लगाई हैं। यह संस्थान श्रमिकों द्वारा खुदाई करके केबलें बिछा रहा है क्योंकि निकटवर्ती औद्योगिक क्षेत्र में अन्य भवनों के विद्यमान होने के कारण विस्फोटन नहीं किया जा सकता। इस बीच उद्यमियों को अस्थायी कनैक्शन दिये जा रहे हैं।

योजना के अनुसार उचित रूप से पानी की पाइपें बिछा दी गई हैं और इन्हें प्रमुख लाइन से जोड़ा जा रहा हैं।

अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अर्हता पूरी न करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व

5062. **श्री एन० डेनिस** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अधिवक्ता से भिन्न कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी प्राधिकारी अथवा व्यक्ति के समक्ष विधि-व्यवसाय नहीं कर सकता हैं;

(ख) क्या सरकारी प्राधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अधिवक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने की अनुज्ञा दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने सरकारी प्राधिकारियों और कर्मचारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के सम्बन्ध में अधिवक्ता अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य नामावली में दर्ज है, ऐसे समस्त राज्य क्षेत्रों के, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है :—

(I) सभी न्यायालयों में, जिनमें उच्चतम न्यायायय भी सम्मिलित है;

(II) किसी अधिकरण या व्यक्ति के समक्ष जो साक्ष्य लेने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत है;

(III) किसी ऐसे अन्य अधिकारी या ऐसे व्यक्ति के समक्ष जिसके समक्ष ऐसा अधिवक्ता उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा, या उसके अधीन विधि-व्यवसाय करने का हकदार है।

साधिकार विधि-व्यवसाय करने का हकदार होगा।

उपर्युक्त धारा अभी तक प्रवृत्त नहीं की गई है। इस बारे में एक रिट याचिका उड़ीसा उच्च न्यायालय में लम्बित है।

ऐसी विशेष विधियां प्रवृत्त हैं जिनमें अधिकरणो या अन्य प्राधिकरणों के समक्ष साधिकार विधि-व्यवसाय करने के लिए उपस्थित होना निषिद्ध या निबंधित है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 को प्रवृत्त करने के संबंध में विभिन्न वर्गों ने भिन्न-भिन्न विचार अभिव्यक्त किये हैं। अतः सरकार ने इस विषय में कोई विनिश्चय नहीं किया है।

समुद्र की लहरों से बिजली तैयार करने की परियोजनाएं

5063. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों मे समुद्र की लहरों से बिजली तैयार करने की परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन तटों और क्षेत्रों का चयन किया गया है और विद्युत की संभावनाओं तथा अनुमानित लागत के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) पश्चिमी समुद्र-तट पर स्थित कच्छ की खाड़ी में 531.22 लाख रुपये की लागत से एक ज्वारीय विद्युत परियोजना के संबंध में तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता संबंधी अध्ययन किया जा रहा है। अब तक किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि 850 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा सकेगी। विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों के पूरा हो जाने के बाद ही परियोजना की लागत के बारे में पता चल सकेगा। अन्य पता लगाए गए क्षेत्र हैं :— 7000-8000 मेगावाट की विद्युत शक्यता वाला पश्चिमी समुद्र-तट पर कैम्बे की खाड़ी क्षेत्र और लगभग 100 मेगावाट की क्षमता वाला पूर्वी समुद्र-तट पर सुन्दरबन क्षेत्र। इन दो क्षेत्रों के संबंध में विस्तृत संभाव्यता अध्ययन किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

5064. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधकों ने अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की तरह महंगाई भत्ते की अदायगी नहीं की है जबकि इस संबंध में हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निर्णय दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और महंगाई भत्ते की किस्तों की अदायगी किस तारीख तक कर दी जाएगी;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने अपनी वेतन पुनरीक्षा पर अंतिम निर्णय लिये जाने तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान तीस प्रतिशत अतिरिक्त अंतरिम राहत (तीसरी किस्त) की अदायगी करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और सरकार द्वारा स्वीकार की गई उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की अन्तरिम सिफारिशों के अनुसरण में, भारतीय खाद्य निगम ने अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की और किस्तों की अदायगी करने के लिए 20 मार्च, 1987 को आदेश जारी कर दिये हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी अन्तरिम राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान करने की मांग करते रहे हैं।

(घ) उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति द्वारा इस संबंध में सिफारिशें, यदि कोई हो, की जानी हैं।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन का आधुनिकीकरण

5065. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के बजट में कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी; और

(ग) इन धनराशियों का इस्तेमाल करने के बाद कम्पनी किस हद तक आर्थिक दृष्टि से सक्षम हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की आधुनिकीकरण योजना के लिए 500 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है।

(ख) 1985-86 और 1986-87 में क्रमशः 50 लाख रु० और 152 लाख रु० की राशियां निर्धारित की गई थीं।

(ग) प्रतिस्थापन/नवीकरण आधुनिकीकरण की परिकल्पना विद्यमान मशीनों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करने और नये तथा आधुनिकतम वस्तुओं के लिए निर्माण क्षमता का विकास करने के लिए की गई थी। कम्पनी की उत्पादकता में पहले ही सुधार दिखाई देने लगा है।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को दी गई धनराशि

5066. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर को आज तक अल्पावधिक और दीर्घावधिक आधार पर कितनी अग्रिम धनराशि दी गई है;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा आज तक कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं;

(ग) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा अग्रिम और ऋण की राशियों पर प्रतिवर्ष क्रमशः कितने ब्याज का भुगतान किया जा रहा है; और

(घ) कम्पनी को अपनी कार्यकर पूंजी जुटाने में समर्थ बनाने हेतु ब्याज के भुगतान में राहत देने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) सरकार ने 31-3-1986 तक माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को कुल 11474 करोड़ रु० के ऋण दिये थे।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा आज तक लगभग 22.30 करोड़ रु० के ऋण दिये गये हैं।

(ग) एम०ए०एम०सी० द्वारा इन अग्रिम राशियों और ऋणों पर प्रतिवर्ष 404 करोड़ रु० के ब्याज का भुगतान किया जा रहा है।

(घ) सरकार ने ब्याज को भुगतान संबंध में एम०ए०एम०सी० की निम्नलिखित वित्तीय राहत देने का निश्चय किया है :—

(1) 31-3-1985 को सभी बकाया ऋणों को बट्टे-खाते में डालना।

(2) कम्पनी की सितम्बर, 1982 से मार्च, 1985 तक दिए गये ऋणों पर बकाया ब्याज, उस पर दण्ड स्वरूप ब्याज सहित, को बट्टे-खाते में डालना।

(3) 1985-86 से 1987-88 के दौरान दिये गये योजनेत्तर ऋणों पर 31-3-1990 तक की अवधि के लिए ब्याज अवकाश।

(4) 1986-89 और 1987-88 के दौरान एक ही बार योजनेत्तर सहायता देना जिससे वे बैंक की नकद ऋण सीमा और उस पर देय ब्याज को कम कर सकें।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा की जा रही जांच के अन्तर्गत कम्पनियां

5067. **श्री के० राममूर्ति :**

श्री शांति धारीवाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़ी, माध्यम और लघु कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने शेयरों या डिबेंचरों के रूप में धन जुटाने के लिए बाजार में प्रवेश किया है और जिनके विरुद्ध एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा भ्रामक दावों या अनुचित व्यापारिक व्यवहार के आरोपों की जांच की जा रही है; और

(ख) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उन कम्पनियों के नाम, जिनके विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने इस प्रकार की जांचें स्थापित की हैं, संलग्न विवरण में दिये जाते हैं।

(ख) ये जांचें विचार के लिए विभिन्न स्तरों पर चल रही हैं। आयोग, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के सम्बद्ध उपबंधों के अनुसार इस प्रकार के मामलों में उचित कार्यवाही करने में सक्षम है।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम
1.	नागार्जुन फर्टीलाइजर्स
2.	सूर्या प्रोटीन्स
3.	कान्टीनेन्टल केमीकल्स
4.	मोदी थ्रेड्स
5.	ग्लोरिया लीजिंग
6.	प्रशान्त प्रोटीन्स

क्र०सं०	कम्पनी का नाम
7.	अरावली लीजिंग
8.	यूनाइटेड लीजिंग
9.	अंकुर इलेक्ट्रोनिक्स
10.	हाजी मंजूर आलम
11.	मोदी अलकलीज
12.	मोदी कार्पेट्स
13.	श्री राजस्थान सिन्टेक्स
14.	रामा फाइबर्स
15.	मगना हार्डटेम्प
16.	ऊषा रेक्टीफायर
17.	असक ब्रूक
18.	दुगल कन्स्ट्रक्शन
19.	अजय पेपर
20.	विनोद पेपर
21.	श्रीट्रोन (गाजियाबाद)
22.	मुशरुम लिमिटेड
23.	नागार्जुन सिगनोडे
24.	पंजाब सेरामिक्स
25.	लक्ष्मी प्रेसीजन
26.	खेतान केमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि०
27.	कोठारी जननल फूड्स कारपोरेशन लि०,
28.	इंडियन रैयन कारपोरेशन लि०
29.	यूनीवर्सल लगैज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०,
30.	मै० शिरमौर सूद बर्ग आटो लि०,
31.	मै० ओमी (इंडिया) लि०,
32.	मै० मोडर्न सूटिंग्स लि०,
33.	मै० मोडर्न वूलन्स लि०,
34.	मै० एप्पल लीजिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,
35.	मै० ए० एल० बी० शेयर ट्रेनिंग कम्पनी लि०,
36.	मै० मानसरोवर बोटलिंग कम्पनी लि०,

नए औद्योगिक विकास केन्द्रों के चयन के लिए मानदंड

5068. **श्री शांताराम नायक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए औद्योगिक विकास केन्द्रों के चयन के प्रयोजनार्थ कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में योजना आयोग की यदि कोई प्रतिक्रिया है तो वह क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) "उद्योग रहित जिलों" में निर्धारित किये गये विकास केन्द्रों में अवरेखीय सुविधाओं के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता की योजना के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों को योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया गया था। "इंडस्ट्रियल डिस्पर्सल" पर एन सी डी बी ए की रिपोर्ट के अनुसार, "उद्योग रहित जिले" में विकास केन्द्र के चयन के लिये निम्नलिखित मानदंड रखे गये हैं :—

(1) 1971 की जनगणना के अनुसार उनमें 50,000 या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिये।

(2) 1971 की जनगणना के अनुसार उनमें गैर-घरेलू निर्माण कार्य में 10,000 से कम श्रमिक होने चाहिए।

(3) ये विद्यमान केन्द्रों के समीप नहीं होने चाहिए गैर-घरेलू निर्माण कार्यों में 10,000 से अधिक रोजगार के स्तर वाले सभी केन्द्रों को "विद्यमान केन्द्रों रूप में परिभाषित किया गया है। समीपता को, प्रत्येक श्रेणी के विद्यमान केन्द्रों से निम्नलिखित दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है :

विद्यमान केन्द्रों में गैर-घरेलू निर्माण कार्यों में रोजगार का स्तर	दूरी जिससे आगे नये केन्द्रों का चुनाव किया जाये
150 हजार से अधिक	150 कि. मी
50-150 हजार	100 कि. मी
25-50 हजार	75 कि. मी
10-25 हजार	50 कि. मी

फिर भी, राज्य सरकारों को, केन्द्रीय सरकार की सहमति से, विकास केन्द्रों के चयन में अगर एन सी डी बी ए द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों/मानदण्डों का आवश्यक रूप से अनुपालन करना उनके लिये सम्भव न हो तो अपना विवेक प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।

कोयला खानों में अवैध खनन

5069. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला खानों में अवैध खनन कार्य तेजी से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अवैध खनन के कारण इस वर्ष कुछ मजदूरों की मृत्यु भी हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या दुर्घटना की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं और यदि कोई जांच नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे): (क) से (घ) कोयला कंपनियों के पट्टा-धारी क्षेत्रों में कोई संगठित गैर-कानूनी कोयला-खनन नहीं होता है। परन्तु, चूंकि देश में कोयला-पट्टी बहुत विशाल है, इसलिए समय-समय पर कुछ व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हैं और कहीं कहीं छिट-पुट रूप से चोरी-छिपे कोयले का गैर-कानूनी खनन करते हैं। यह गतिविधियां ऐसे होती हैं कि इनके दौरान, यदि कोई दुर्घटनाएं होती हैं यो उसकी कोई प्राधिकृत रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होती।

कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम में वर्ष 1976 में संशोधन किया गया था और उसे दंडनीय अपराध बनाया गया था जिसके लिए तीन वर्ष तक की कैद और 20,000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। इन संशोधनों की वैधता उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1980 में पहले ही वैध करार दे दिया है।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ पठित राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध दंड की और रोकथाम की कार्रवाई करें। इस पर राज्य सरकार ने भी जिला प्राधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए हैं। कोयला कंपनियों को यह निदेश दिए गए हैं कि जब भी उन्हें कोयले के गैर-कानूनी खनन का पता चले, वे राज्यों में कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट दें। इसके अतिरिक्त, राज्यों में कानून लागू करने वाले राज्य सरकारों के प्राधिकारियों के साथ मिल कर कोयला कंपनियां नियमित छापे मारती है ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। कोयला कंपनियां नियमित गश्त और आकस्मिक-जांच का काम भी करती है।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में वेतन समझौतों के लिए सीमा का उल्लंघन

5070 श्रीमती पटेल रामाबेन रामजी भाई माधवि : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वेतन समझौतों के लिए कोई सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों में इन सीमाओं का उल्लंघन किए जाने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या औद्योगिक महंगाई भत्ते की दरों की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो०के०के० तिवारी : (क) और (ख) सरकार द्वारा स्वीकृत मजूरी नीति के अनुसार मजूरी में वृद्धि 10% तक सीमित रखते हुए मजूरी समझौते 4 वर्ष की अवधि के लिये किये जाने चाहिए। मजूरी में वृद्धि उन उद्यमों में 15% तक की जा सकती है जिनका मजूरी ढांचा तुलनात्मक रूप से कम है, परन्तु इनका आन्तरिक संसाधन पैदा करने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लक्ष्यों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और मजूरी में हुई वृद्धि की वास्तविक राशि उत्पादकता में वृद्धि तथा लागत में कमी के अन्य उपायों के अन्तर्गत खपा दी जानी चाहिए।

(ग) और (घ) मजूरी समझौते के ये प्राचल जनवरी, 1987 में निर्धारित किये गये थे तथा ये पूर्व प्रभावी रूप से लागू नहीं किये गये है। अत: पूर्ववर्ती समझौतों में प्राचलों के निर्धारित किये जाने के बाद अभी तक कोई समझौता नहीं किया गया है।

(ङ) फिलहाल महंगाई भत्ता निष्प्रभावन की दर पारिशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-सोवियत संयुक्त उद्यम

5071. **श्री एच०एन० नन्जे गोडा :**

श्री एस०एम० गुरड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और सोवियत संबंधी फर्मों ने ऐसे छ: संयुक्त उद्यमों में से पांच को चुना है, जिन्हें देश की मांग पूरी करने और अन्य देशों को निर्यात करने हेतु भारत में स्थापित किया जाएगा;

(ख) छठे उद्यम का चयन कब तक किया जाएगा;

(ग) संयुक्त रूप से स्थापित किए जाने वाले पांच उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) प्रश्न में उल्लिखित सांझे उपक्रम के बारे में विद्युत विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को हुआ लाभ-हानि

5072. **श्री वी शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे और उनकी कितनी प्राप्ति हुई;

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स को 1986-87 और पिछले दो वर्षों में कुल कितना निवल लाभ-हानि हुई;

(ग) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एक बीमार इकाई बन गयी है;

(घ) खराब कार्यानिष्पादन के कारण क्या है; और

(ङ) इस इकाई को सुदृढ़ आधार पर लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) (क) : ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में गत तीन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन के लक्ष्य और प्राप्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मि० टनों में)

	1984-85		1985-86		1986-87 (अप्रैल-फरवरी)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ई.को.लि	25.10	23.11	24.0	24.03	22.75	22.44

(ख) गत तीन वर्षों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को हुआ घाटा इस प्रकार रहा:

(रु० करोड़ में)

वर्ष	ई.को.लि. को घाटा
1983-84	127.88
1984-85	13.66
1985-86	69.97

वर्ष 1986-87 के खाते अभी तैयार नहीं हुए हैं।

(ग) से (ङ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को घाटा मुख्यतः जिन कारणों से हो रहा है वे हैं:— कठिन भू-खनन दशाएं; गहरी और पुरानी गैसी खानें जो अत्यधिक अलाभकर हो गई हैं, कानून और व्यवस्था की सतत समस्याएं, अपर्याप्त और अनियमित बिजली सप्लाई, श्रमिकों की बड़ी संख्या, भूमि अर्जन की समस्याओं तथा रोजगार चाहने वाले स्थानीय युवकों द्वारा रुकावटों के कारण नई परियोजनाएं खुलने में देरी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न तरीकों में वह शामिल हैं नई खानें खोलना, पहली ही बनी खनन क्षमता का पूर्णतर इस्तेमाल, उपकरणों का अधिक कुशल इस्तेमाल और बेहतर रख-रखाव, सामग्री-सूची पर कड़ा नियंत्रण और भंडार सामग्री के इस्तेमाल में किफायत, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके और अनुशासन लागू करके तथा बेशी कामगारों की पहचान करके उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देकर दोबारा काम पर लगाना, आदि उपायों से जनशक्ति का बेहतर इस्तेमाल, उत्पादन-सामग्री जैसे विस्फोटक पदार्थ, इमारती लकड़ी आदि की बेहतर उपलब्धता, नई परियोजनाओं को शीघ्रता से तथा समय पर पूरा करना तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना।

पेट्रो-रसायन उद्योगों के विकास संबंधी समिति

5073. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के पेट्रो-रसायन उद्योगों के अगले पन्द्रह वर्षों में विकास के संबंध में एक विस्तृत रूप रेखा तैयार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) यदि हां, तो रूप रेखा तैयार करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) पेट्रो-रसायन उद्योग का भावी योजना के लिये स्थापित समिति की रिपोर्ट पहले ही तैयार हो चुकी है।

"माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन" को दिए गए ऋण का माफ किया जाना

5074. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के सभी बकाया योजनागत और योजनेतर ऋण माफ कर दिये हैं;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त कम्पनी को मंजूर किये गये सरकारी ऋणों पर सभी बकाया ब्याज को भी माफ करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इन ऋणों और ब्याज को माफ करने के क्या कारण हैं;

(घ) यह ऋण और ब्याज कितनी अवधि तक के लिये माफ किए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ङ) चूंकि एम० ए० एम० सी० पिछले कुछ वर्षों से भारी घाटा उठा रहा है और इसलिए कार्य-संचालन पूंजी तथा ऋण और उसके ब्याज की पुनर्भुगतानों के लिए अपने आंतरिक संसाधनों को उत्पन्न नहीं कर सका है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 31-3-1985 तक सभी बकाया योजनागत तथा योजनेतर ऋणों को जिसकी राशि क्रमशः 6.65 करोड़ रुपये तथा 102.29 करोड़ रुपये है, और सितम्बर, 1982 से 31-3-1985 तक निगम को दिये गये सभी सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज को बट्टे खाते में डाल दिया जाये तथा ब्याज और उस पर दण्ड-स्वरूप ब्याज को छोड़ दिया जाये।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की द्वितीय खान विस्तार परियोजना के लिए आशय पत्र हेतु पश्चिम जर्मनी की डब्ल्यू० एम० आई० और मै० ए० एम० को दिया गया अग्रिम धन

5075. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या ऊर्जा मंत्री नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की द्वितीय खान विस्तार परियोजना के लिये आशय-पत्र हेतु पश्चिम जर्मनी की डब्ल्यू० एम० आई० और मै० एम० ए० एम० के बारे में 2 दिसम्बर, 1986 को दिये गये अग्रिम धन के अतारांकित प्रश्न संख्या 4503 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आशय-पत्र की शर्तों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 10 प्रतिशत अग्रिम राशि के लिये डब्ल्यू० एम० आई० (क्रेस) लिमिटेड से क्या जमानत ली गई है; और

(ग) क्या बैंक गारंटी ली गई है और यदि हां, तो यह किस बैंक की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) आशय-पत्र में यह खंड शामिल हैं—संविदा के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न चरणों में अदायगी का प्रतिशत, सुपुर्दगी अवधि, जमानत अवधि, निष्पादन परीक्षण और अन्य मानक खंड।

(ख) और (ग) मैसर्स डब्ल्यू० एम० आई० फ्रेम्स लि० ने एक बैंक गारंटी दी है जो बम्बई के हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन से ली गई अग्रिम राशि के बराबर है।

महाराष्ट्र में जिला स्तर के समाचारपत्रों को लघु उद्योग के रूप में अधिसूचित करना

5076. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जिला स्तर के समाचारपत्रों को लघु उद्योग के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जिला स्तर के समाचारपत्रों को लघु उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाना सैद्धांतिक रूप में पहले ही स्वीकार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ग) महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में दूसरों के लिए या अपने लिए समाचार पत्रों के मुद्रण तथा प्रकाशन में रत मुद्रणालयों के लघु उद्योग औद्योगिक एककों के रूप में वर्गीकरण के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध का एक मामला प्राप्त हुआ है जो कि विचाराधीन है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह देते हुए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए है कि बैंक छोटे तथा मझोले समाचार एककों को दिए जाने वाले अग्रिम, जो कि लघु उद्योग एककों के लिए बनाए गए निवेश मानदंड की शर्तों को पूरा करते हों, को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम समझें।

मिथाइलोनक्लोराइड की उत्पादन क्षमता का कम उपयोग

5077. **श्री जनकराज गुप्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिथाइलोनक्लोराइड के स्वदेशी उत्पादकों ने इसका आयात बन्द किये जाने के लिये सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से अपनी क्षमता का कम उपयोग होने का दावा किया है;

(ख) क्या सरकार ने उनके दावे की सच्चाई की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) मैथलोन क्लोराइड के दो निर्माताओं अर्थात् मैसर्स गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लि० और (मैसर्स मेटूर कैमीकल एण्ड इंडस्ट्रीयल लि० ने यह अनुरोध किया है कि आयात नीति में परिवर्तन करके इस उत्पादन को ओजीएल से हटाकर सीमित अनुज्ञेय मदों की सूची में रखा जाए क्योंकि पर्याप्त स्वदेशी उत्पादन उपलब्ध है यह अनुरोध सरकार के विचाराधीन हैं।

पोलिएस्टर स्टैपल फाइबर की बिक्री में गिरावट

5078. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलिएस्टर स्टैपल फाइबर (पी० एस० एफ०) निर्माता एकक पोलिएस्टर की बिक्री में हाल में आई भारी गिरावट और माल जमा होने के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समय विद्यमान प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में पोलिएस्टर स्टैपल फाइबर के निर्माताओं के संगठन के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उचित समय पर उपयुक्त उपाय किये जायेंगे।

12.00 मध्याह्न

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैंने, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए स्टेटसमैन के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया है। वे फिर चाल चल रहे हैं। वे "ऐसा समझा जाता है कि दिया है" जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार वे नियम (334क) का उल्लंघन कर रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, यह संसदीय परम्परा के प्रतिकूल है। यह गंभीर मामला है और इस को गंभीरता से लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे जवाब तो देने दीजिए किसी बात का।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मुझे जवाब देने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात मैं कैसे सुन सकता हूं।

....(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपस में क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग।

....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं आपस में।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मि० अमल दत्ता, आप पढ़े-लिखे वकील हैं। यह नियम की किताब भी आप पढ़ लिया करो। रूल्स की किताब आप पढ़ लिया करो।

...(व्यवधान)....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको कम से कम नियम की किताब पढ़ लेनी चाहिए।

...(व्यवधान)...

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : जी हां मैंने पढ़ी है।

...(व्यवधान)....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फायदा क्या है इस बात का।

....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या इससे कोई अर्थ निकलेगा।

...(व्यवधान)....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप किसी बात का जवाब नहीं देने देंगे मुझे। मैं किसी बात का जवाब नहीं दे सकता क्या ?

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उन्हें जवाब दे सकता हूं ?

...(व्यवधान)....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई सुनता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

...(व्यवधान)....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं।

....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप समझदार आदमी हैं। सारे के सारे कैसे शोर करने लगते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वे समझते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : तुम भी वैसे ही हो।

....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है कि आपका नोटिस मुझे भी मिला है। मुझे देख लेने दीजिए। मैं कल आपसे बात करूंगा।

[अनुवाद]

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : महोदय मैंने भी नोटिस दिया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : हमने भी आपको नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा। पहले मैं देखूंगा, फिर बात करूंगा। जब तक बात का पता न हो, कैसे बात करूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : वे जानना चाहते हैं कि क्या आपको नोटिस मिल गया है। वास्तव मे यही उनका उद्देश्य है। कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि० अमल दत्ता, आप बिना वजह क्यों बोलते हैं। कोई कारण नहीं है आपके बोलने का। बिल्कुल भी कोई कारण नहीं है।

...(व्यवधान)....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बिना वजह आग में घी डाल रहे है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें उत्तर दे दिया है, मामला समाप्त हो गया है।

....(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : यदि यहां साफ तौर से उल्लंघन हो रहा है तो उसका ध्यान रखने के लिए आप यहां हैं।

...(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : सत्ताधारी दल के सदस्य पुष्टि चाहते हैं।

....(व्यवधान)...

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : वे हमेशा ही नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आपने फैसला देना है, तो आप दे दीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : नहीं, आप दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी भी उसे पढ़ना है।

....(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दिया है, मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, आप कृपया दोनों ओर की सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : किसलिए

श्री दिनेश गोस्वामी : यह फैसला करने से पहले कि उल्लंघन हो रहा है या नहीं।

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम है।

....(व्यवधान)....

श्री दिनेश गोस्वामी : हम आपका संदेह दूर करेंगे कि उल्लंघन नहीं हो रहा है।

....(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। अगर नहीं है, तो नहीं करूंगा और अगर है, तो करूंगा.

....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपकी जरूरत होगी, तो आपकी राय भी ले लूंगा।

....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चार बोलते हैं, तो आपको किसी को कोई फायदा है ? एक ही पार्टी के चार बोल रहे हैं। कोई फायदा है इसका ? अगर एक बात कहें, तो बात समझ में आए।

....(व्यवधान)....

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सदन का अपमान किया है, यह बहुत गंभीर मामला है। नोटिस देने से पहले अखबारों में यह आया है।

....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, यह चेतावनी की बात कर रहे हैं। कृपया इन्हें बता दीजिए कि यह पुलिस स्टेशन नहीं है, लोक सभा है।

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : मैंने चेतावनी नहीं दी है।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप काहे की फिक्र करते हैं।

....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपा बैठ जाइए।

....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। क्या कर रहे हैं आप लोग ? मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग क्यों वक्त जाया कर रहे हैं ? न आपको कुछ समझ में आता है, न किसी को समझ में आता है। आप मेरी बात सुन लीजिए। कुमारमंगलम जी जरा शांति से बैठिये। आपने दिया है। हरेक को अधिकार है कि कोई भी मौशन दे। उसको मुझे भी देखने का अधिकार है। मैं उसे देखूंगा, फिर फैसला करूंगा। अभी मैंने देखा ही नहीं। देखने के बाद ही फैसला करूंगा। देखूंगा तभी पता चलेगा।

....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री शांता राम नायक : यह स्पष्टतः विशेषाधिकार हनन का मामला है, महोदय।

....(व्यवधान)....

श्री एस० जसपाल रेड्डी (महबूब नगर) : सदन में प्रैस को धमकाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक और बात है। आप तो यों ही एजिटेट हो रहे हैं। आपके खिलाफ तो है ही नहीं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? आप आराम से बैठिये, आपके खिलाफ नहीं है।

[अनुवाद]

श्री विनैश गोस्वामी : वे आरोप लगा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, आपके खिलाफ नहीं है।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : वे आरोप लगा रहे हैं।

....(व्यवधान)....

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : क्यों इन्होंने इसे प्रकट होने दिया अथवा क्या अखबार वालों ने इसे लिखा और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये।

...(व्यवधान)....

श्री शांताराम नायक : ऐसा समझा जाता है कि शब्दावलि का प्रयोग किया गया।

...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : महोदय, वे मंत्री बनना चाहते हैं।

.. (व्यवधान)....

श्री दिनेश गोस्वामी : यह कहने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि यह जानकारी मैंने दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, बाबरी मस्जिद.....

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है, आज्ञा नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : मामला अभी हल नहीं हुआ है, सरकार को पहल करनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर आचार्य आप रूल्स पढ़ कर क्यों नहीं आते ?

श्री बसुदेव आचार्य : रूल्स तो पढ़ कर ही आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि होम मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स चल रही है, आप जो कहना चाहते हैं, उन पर बात कीजिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सीधी सी बात है।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अखबार में आपको धमकी देने की कोशिश की गयी है।

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : देखूंगा साहब।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई है।

(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय मेरा मामला अलग है, मैंने एक प्रस्ताव रखा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्टेट गवर्नमेंट की बात है। अगर आप होम मिनिस्ट्री की बात करना चाहते हैं तो होम मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स आज से ही चालू हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : नेलगांव के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई भी जो आप करना चाह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स आज आ रही है, आप कर सकते हैं। हमने आपको किताब किसलिए दी है महाराज ? इसलिए दी है कि आप उसको पढ़ कर करें, जिस बात का आप जिक्र करना चाहते हैं। आज डिमाण्ड्स चालू हो रही है, आप उसमें कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सामन्त, अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमांड चल रही है, उसमें बात कीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए बोला है न कि आज है, कोशिश उस पर।

....(व्यवधान)....

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.10 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

जलयानों और प्लवी संरचनाओं को, जब उनका आयात किया जाये, सम्पूर्ण मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 1:9 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा० का० नि० 295(अ), जो 19 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो जलयानों और प्लवी संरचनाओं को, जब उनका भारत में आयात किया जाये, उन पर उद्गृहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सा० का० नि० 296(अ), जो 19 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 113/87 सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि 19 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 133/87-सी० शु० के अन्तर्गत आने वाले माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी सीमा शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 4097/87]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० कल्याणसुन्दरम) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सामान्य सेवा विद्युत लैम्प (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1986, जो 27 नवम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1230(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) प्रकाश शुष्क बैटरी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1986, जो 9 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1270(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) ट्रांजिस्टर रेडियो संग्राही शुष्क बैटरी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1986, जो 9 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1271(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 4098/87]

बंगाल इम्यूनिटी लि० के वर्ष 1 85-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्त के पश्चात 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 4100/87]

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लि० की वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट तथा पुनरीक्षा

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकारी द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 4099/87]

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट तथा पुनरीक्षा व इन्हें सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4101/87]

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं भारतीय होटल निगम लि० के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इस समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.12 म० प०

दूरसंचार सेवाओं की कारगरता और कुशलता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि प्रधान मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि "गरीबी को दूर करना, और एक सशक्त, आधुनिक, आत्म-निर्भर और स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था" को तैयार करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा था कि कार्य-कुशलता और उत्पादकता को बढ़ाना होगा।

मुझे विश्वास है कि दूरसंचार विभाग का प्रभावशाली और सक्षम संचार सेवाओं के माध्यम से इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान है।

दूरसंचार विभाग ने अपनी सेवाओं की प्रभावकारिता और कार्यकुशलता में लाने के लिए योजनायें तैयार की हैं और इस दिशा में विभाग काफी परिश्रम कर रहा है। इस संबंध में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग और समर्पण की भावना का होना जरूरी है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि कुछ समय पूर्व दूरसंचार विभाग में वेतनमान आदि और चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर असंतोष से अनेकानेक आन्दोलन किये गये। अक्तूबर/नवम्बर, 1986 में विशेषरूप से दूरसंचार के जूनियर इंजीनियरों द्वारा किए गए आंदोलन के कारण सेवाओं में काफी गड़बड़ी रही। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस मामले का संतोषप्रद ढंग से समाधान हो गया है मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कर्मचारीगण, अपनी ओर से सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, एक विस्तृत कार्यवाही योजना के साथ आगे आये हैं। जूनियर इंजीनियरों ने आश्वासन दिया है कि वे प्रतिमाह प्रति सौ टेलीफोनों की वर्तमान 35 दोषों की दर को, दिसम्बर, 1987 तक, 20 तक ले आने के लिए विशेष कदम उठायेंगे और 1990 तक, दोषों की इस दर को प्रतिमाह प्रति 100 टेलीफोनों पर 5 तक ले आयेंगे। उन्होंने स्थानीय कॉल और एस० टी० डी० कॉल लगने की दरों और ट्रंक कुशलता में सुधार लाने का भी बीड़ा उठाया है उनके द्वारा प्रस्तावित कुछ लक्ष्य उससे अधिक हैं जो हम 7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते थे।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ एक समष्टि भावना पैदा करने का उत्तरदायित्व लिया है।

इसमें न केवल जूनियर इंजीनियरों का ही सहयोग प्राप्त है बल्कि अन्य सभी कर्मचारियों और मजदूर संघों ने भी सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के हमारे प्रयासों को अपना समर्थन और सहयोग दिया है। मैंने दूरसंचार की तीन स्टाफ यूनियनों के महासचिवों से विचार-विमर्श किया है। उन सभी ने एकमत होकर मुझे आश्वासन दिया है कि वे दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए कार्य करेंगे। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, हमने प्रारम्भिक स्तर से ही अधिकारियों और कर्मचारियों के गुणवत्ता मंडलों का गठन किया है। इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। हम सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं और शिकायतों पर ध्यान दे रहे हैं और इन्हें मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाने की सोचते हैं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमने हाल ही में दूरसंचार मिशन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में हमने 31 कार्य-बलों का गठन किया है। प्रत्येक कार्यबल में 6 से 8 व्यक्ति हैं। इनमें कुछ सरकारी हैं और कुछ गैर-सरकारी। ये लोग उपभोक्ता क्रिया-कलापों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। इनमें मजदूर संघ के नेता, प्रबंध विशेषज्ञ, व्यापारी, उद्योगपति आदि भी शामिल हैं। हमने इन कार्यबलों से अनुरोध किया है कि वे सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने क्षेत्रों में कार्यवाही योजना तैयार करें। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अप्रैल, 1987 के मध्य तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दें

उपभोक्ताओं की सेवा के प्रति बेहतर संतुष्टि प्रदान करने के लिए इन कार्यबलों द्वारा तैयार की गई कार्यवाही योजनाओं का तुरन्त अनुपालन करने का हमारा इरादा है।

कुछ राज्य सरकारों ने, प्रमुख शहरों और कस्बों में उनके द्वारा स्थापित नये औद्योगिक क्षेत्रों और टाउनशिपों को शीघ्र दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था करने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैंने मुख्य मंत्रियों के साथ आवश्यक कार्यवाही के बारे में विचार विमर्श शुरू कर दिया है। हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम इन आवश्यकताओं को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर दें।

प्रधान मंत्री ने "बेहतर संचार" का जो कार्य हमें सौंपा है उसे विभाग में सभी स्तरों पर समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। मैं इस बारे में हुई प्रगति की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करूंगा।

12.15 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष

तक की अवधि में राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि में राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहाकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.16 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

(एक) बिहार में रेल सुविधाओं में सुधार करने हेतु आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : महोदय बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है इसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि रेल सुविधाओं को सुधारा जाये :—

1. **पटना में गंगा नदी पर रेल पुल** : यह पुल उत्तर तथा दक्षिण बिहार को जोड़ेगा तथा एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की ढुलाई में सुविधा होगी। अनेक बार आश्वासन दिए गये हैं कि इस पुल के निर्माण के संबंध में सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। दुर्भाग्यवश अभी तक कुछ नहीं किया गया। संसद में अनेक सदस्यों द्वारा यह मामला उठाया गया है। उत्तर बिहार के कुछ जिलों को भी इससे अत्यधिक लाभ होगा।

2. **पटना तथा गया के बीच रेल लाइन को दोहरा किया जाना** : इस लाइन पर भी परिवहन का काफी भार है। इस लाइन को दोहरा किया जाना बहुत समय से लंबित पड़ा है तथा अब बिना विलम्ब के इसे किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(दो) बिहार की बहुमूल्य प्राचीन कलाकृतियों की चोरी रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : बिहार भारत का महत्वपूर्ण प्राचीन परम्पराओं से सम्पन्न राज्य है। बिहार की ऐतिहासिक और धार्मिक परम्परा पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व है। बिहार विभिन्न धर्म और ज्ञान-गरिमा का प्राचीन केन्द्र भगवान बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की लीलाभूमि, मुस्लिम संतों की कार्यस्थली और सिखों के दसवें गुरु का जन्म स्थान भी रहा है। मिथिला "सीता का देश" माना जाता रहा है। मन्दिरों और पुरा कथाओं से जुड़ी हुई भूमि बिहार का राष्ट्र के एकीकरण में विशेष योगदान रहा है। वर्तमान में बिहार में प्राचीन मूल्यवान और दुर्लभ कलाकृतियों

मूर्तियों तथा पेंटिंग की चोरी और तस्करी बढ़ गयी है। राज्य के कोने-कोन में बिखरी पुरातन कलाकृतियां तस्करों द्वारा चोरी की जा रही है। इस प्रकार यदि हमारी कलाकृतियां विदेशों में जायेंगी तो हमारी यह अमूल्य धरोहर लुप्त हो जायेगी। बिहार में कलाकृतियो का भण्डार है। राजगीर, बौद्धगया, नालन्दा, पटना, भागलपुर, कटिहार और दरभगा आदि स्थानो पर दुर्लभ मूर्तियों की रहस्यमय ढंग से चोरी हो रही है। इन महत्वपूर्ण कलाकृतियों की सुरक्षा के लिए तुरन्त प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता है। हाल ही में चतुर्भुजी सरस्वती देवी की दुर्लभ प्रतिमा गायब हो गई। विष्णु की प्रतिमा भी खण्डित करने का समाचार है। बजीरगंज में शिव-पार्वती की मूर्ति, अमुआवा में प्राचीन काले पत्थर की गणेशजी की मूर्ति जिसका वजन करीब तीन क्विंटल था भागलपुर के संग्रहालय से अष्टधातु की अनेक मूर्तियां चोरी हो गई हैं। इनमें से कुछ तो आठवीं और नवीं सदी की बताई जाती हैं। इन मूर्तियों का मूल्य करोड़ों रुपये है। बिहार में प्राचीन संस्कृति से जुड़ी हुई कलात्मक मूर्तियों की रक्षा के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं ताकि भारत के प्राचीन गरिमामय युग की झांकी प्रस्तुत करने वाली इन वस्तुओं की रक्षा हो सके।

(तीन) देश के बेरोजगार युवकों को 'बेरोजगारी भत्ता' देने की आवश्यकता

श्री शान्ति धारीवाला (कोटा) : देश के शिक्षित, कुशल तथा अकुशल युवकों की बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। लाखों की तादात में युवक बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित हैं जगह-जगह भर्ती पर पाबन्दी लगी हुई है तथा भविष्य में भी युवको को रोजगार का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। बिजली की कमी औद्योगिक प्रसार की मन्दगति तथा ज्यादा से ज्यादा स्वचलित मशीनों के कारण एवम् उच्च शिक्षा के विस्तार से युवक बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं इस समस्या के शीघ्र समाधान की कम आशा दिखती है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने व सरकारी प्रयासों की भी प्रगति वक्तानुसार नहीं है तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है वह भी भेदभाव पूर्ण तथा जरूरतमन्दों को न देकर अपनी इच्छानुसार बड़े घराने व सम्पन्न घरानों के युवकों को दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को बेरोजगार लोगों को उनकी कठिनाइयों से कम करने हेतु बेरोजगारी भत्ते के रूप में उपयुक्त धनराशि देनी चाहिए।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा में ऋणों के वितरण और वसूली के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास वित्त सहकारी निगम की सहायता करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश देने की आवश्यकता

श्री राधाकांत डिगाल (फूलबनी) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास वित्त सहकारी निगम, उड़ीसा अर्थक्षम योजनाएं बनाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सहायता कर रहा है जिसमें योजना की एकक लागत की 25% तक 'मार्जिन मनी' का उपबंध है। निगम के क्षेत्रीय संगठन का कोई नेटवर्क नहीं है जिसमें उच्च संचालनात्मक लागत आती है, 'मार्जिन मनी' वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से दी जाएगी वाणिज्यिक बैंकों को निगम की ओर से बैंक ऋण के साथ 'मार्जिन मनी ऋण' के वितरण और वसूली के लिये सहमत कराना है अन्यथा अ० जा० और अ० जन० के तीव्र आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त लाभ नहीं मिल सकते हैं। कुछ

वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने निगम के साथ आवश्यक व्यवस्था कर ली है। परन्तु कुछ वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण के साथ 'मार्जिन मनी' ऋण की वसूली के लिए अभी भी असहमत हैं। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ीसा में कार्यरत सभी वणिज्यिक बैंकों को इस संबंध में अनुदेश भेजने के लिये निर्देश दें।

12.20 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

(पांच) विभिन्न सरकारी पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के बारे में जारी किए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति जी, देश के अन्दर आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो विधान द्वारा नौकरियों में संरक्षण प्राप्त हैं और इस संबंध में राष्ट्रपति ने जो आदेश दिए हैं, उन सब का ठीक प्रकार से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। अधिकारी वर्ग यह कह कर इन लोगों की नौकरी में अनदेखी करते हैं कि ये लोग इसके काबिल नहीं है और इस कारण इनकी नियुक्ति नहीं हो पाती। हमारे नेताओं में पंडित जवाहर लाल नेहरु तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने इन वर्गों के लोगों को पूरा-पूरा लाभ देने के लिए सदैव प्रयास किये, जिससे इन लोगों की काफी मदद हुई। जिस कारण आज इन समुदायों के लोगों को लाभ पहुंचा। मैं आज भी कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, दूरदराज के क्षेत्रों में गरीब लोगों से मिलकर उनके लिए कल्याणकारी काम कर रहे हैं ताकि गरीब लोग आगे बढ़ सकें।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो मंत्रालय अनुदेशों का पालन नहीं करता उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें और साथ ही यह भी प्रबन्ध हो कि जो सरकार के अधीन निगम हैं, चाहे वह राज्य में हों या भारत सरकार के अधीन हों, उनकी नौकरी में कमी का सर्वेक्षण कराकर 6 मास के भीतर यह पूरी की जाये। मुझे आशा है कि भारत सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही करेगी ताकि इन समुदायों के लोग लाभ उठा सकें जो विधान द्वारा इनको प्राप्त हैं।

[अनुवाद]

(छह) असम में प्राकृतिक गैस-पाइप लाइन बिछाने की एक योजना तैयार करने और उसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री एम०आर० सैकिया (नवगांव): असम में ऑयल इंडिया लि० और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों में काफी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस जलाई जा रही है। यह प्राकृतिक संपदा का अपव्यय है। राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ दुलियाजन से मोरन, गलेकी, नजीरा, शिवसागर जोरहाट, नवगांव, गुवाहटी, गोलपारा तथा धुबरी से होती हुए एक प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। यह पाइप लाइन मेजेंगा में तेल शोधन एवं पेट्रोरसायन काम्पलेक्स और जोरहाट, नवगांव, गोलपारा तथा धुबरी में उर्वरक संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरी करेगी कामरूप, नलेबेरी तथा बारबेटा जिलों में उपयुक्त स्थानों पर एक पेट्रोरसायन काम्पलेक्स तथा उर्वरक कारखाना लगाया जा सकता है। फिर जाखलबंधा जिला नवगांव

से ब्रह्मपुत्र नदी के मोमलगुरी पुल से होते हुए उत्तरी किनारे तक एक ब्रांच लाइन बनाई जा सकती है मोंगोलदोई के पटसन क्षेत्रों में एक और उर्वरक संयंत्र तथा नांगिया में स्ट्रिपिंग (एल०पी०जी०) संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। अतः मैं केन्द्र सरकार से एक योजना तैयार करने तथा इसके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं

(सात) उड़ीसा राज्य में कोयला खानों की उचित व्यवस्था करने के लिए एक अलग प्रभाग बनाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, उड़ीसा में राज्य की दो कोयल खानों अर्थात् तलचर और ईब घाटी से वर्ष 1986 के दौरान 6.6 मिलियन टन कोयला उत्पादित किया। इन दो कोयला खानों में कोयले के विशाल भंडार को देखते हुए यह काफी कम उत्पादन प्रतीत होता है। नेलको तथा राऊरकेला इस्पात संयंत्र के विद्युत के रक्षित संयंत्रों के पूरी तरह चालू हो जाने पर तथा तलचर क्षेत्र से दक्षिण में विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि हो जाने से सातवीं योजनावधि के अन्त तक कोयले का कुल उत्पादन 10 मिलियन टन वार्षिक से बढ़ जाएगा। दोनों कोयला क्षेत्रों के दूर-दूर स्थित होने से बहतर नियंत्रण के लिए, यह आवश्यक है कि उड़ीसा की दोनों कोयला क्षेत्रों के लिए बिना किसी विलंब के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में एक अलग प्रभाग (डिवीजन) स्थापित किया जाए। पहले से स्थापित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० जो ईब घाटी से संबंधित था और सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० जो तलचर कोलफील्ड्स को देखता था, के द्वारा राज्य के हितों की समुचित रक्षा नहीं की जा रही थी। जहां तक उड़ीसा की कोयला खानों के समन्वित विकास का संबंध है, नई कोयला कंपनी (द०पू० कोलफील्ड्स लि०) जिसका मुख्यालय बिलासपुर, मध्यप्रदेश में है, की स्थापना से भी अभी तक प्रभावशाली प्रगति नहीं हुई है। अतः राज्य की दोनों कोयला क्षेत्रों के प्रशासन, निरीक्षण और विस्तार के कार्य कलापों के लिए उड़ीसा में एक अलग डिवीजन होना अति महत्वपूर्ण है।

(आठ) बाढ़ नियंत्रण के लिए स्थायी उपाय करने हेतु असम राज्य सरकार को पर्याप्त धन देने की आवश्यकता

श्री पराग बालिहा (जोरहाट) : ब्रह्मपुत्र में बार-बार बाढ़ आने और भूमि कटाव होने से एक ओर बाहरी क्षेत्रों में काफी रेत जम जाती है जिससे उस क्षेत्र की मुख्य फसल चावल की खेती करना असंभव हो जाती है और दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के दोनों किनारों के आवासीय तथा कृषि योग्य भूमि के विशाल खंडों में हर वर्ष बार-बार बाढ़ आती है।

बाढ़ नियंत्रण के सभी कार्य अब तक तदर्थ आधार पर किए गए हैं वित्तीय दबावों के कारण स्थायी उपाय करना सम्भव नहीं है यहां तक की सातवीं योजनावधि में असम के लिए इस शीर्ष के अधीन तीर-योजना आवंटन में कांट-छांट के कारण सामान्य सुरक्षा और बाढ़ राहत उपाय जैसे कि दरारों (बांध में) की मरम्मत, विशाल नदी के सुमेद्य स्थानों पर जल कपाट लगाने का कार्य रुकाया है।

मानसून आने के कारण इस प्रकार के सुरक्षात्मक कार्य तत्काल करना आवश्यक है।

भूमि कटाव बढ़ने के कारण, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त हाल ही में शिवसागर (असम) में काफी जनसंख्या वाले क्षेत्र देवगढ़िया, वहां के रक्षा पीठ नामक प्राचीन हिंदू मंदिर सहित ब्रह्मपुत्र

में बह गया और पास की हजरत अजान पीर साहब दरगाह नामक मुस्लिम मस्जिद का भी यही हाल होगा यदि आवश्यक सुरक्षात्मक कदम तत्काल नहीं उठाए गए।

इसलिए जल संसाधन मंत्रालय से असम सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जाता है ताकि विलम्ब होने से पहले ही उचित सुरक्षात्मक कदम उठाना सुनिश्चित किया जाए।

12.30 म०प०

अनुदानों की मांगें—1987-88—(जारी)

गृह मंत्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा में गृह मंत्रालय से संबंधित मांग सं० 39 से 43 तथा 88 से 92 तक पर चर्चा होगी तथा इन्हें मतदान के लिये रखा जायेगा। इसके लिये 8 घंटे का समय नियमित किया गया है।

माननीय उपस्थित सदस्य जिनके अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचलित किए गए हैं यदि वे कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो वे प्रस्ताव की क्रम संख्या दर्शाते हुए टेबल ऑफिस में 15 मिनट के भीतर अपनी पर्चियां भेज दें। केवल वे कटौती प्रस्ताव ही प्रस्तुत किये गये माने जाएंगे।

प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली सूची शीघ्र ही नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई गलती पाता है तो कृपया वह अविलंब टेबल ऑफिस के अधिकारी के ध्यान में इसे लाएं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 39 से 43 तथा 88 से 92 के सामने दिखाये गये मांगशीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में सदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1987-88 के लिए गृह मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1987 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
गृह मंत्रालय					
39.	गृह मंत्रालय	21,84,00,000	—	1,09,18,00,000	—
40.	मंत्रिमंडल	1,91,00,000	—	9,52,00,000	—
41.	पुलिस	1,64,30,00,000	13 18,00,000	8 21,49,00,000	65,92,00,000
42.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	36,66,00,000	18,01,00,000	1,50,28,00,000	55,40,00,000
43.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	21,43,00,000	18,99,00,000	1,07,13,00,000	92,4[illegible],00,000
	गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाले)				
88.	दिल्ली	97,02,00,000	81,17,00,000	4,85,12,00,000	4,05,84,00,000
89.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13,38,00,000	8,45,00,000	66,92,[illegible]0,000	42,24,00,000
90.	दादरा और नगर हवेली	1,39,00,000	89,00,000	9,64,00,000	4,45,00,000
91.	लक्षद्वीप	4,10,00,000	60,00,000	20,51,00,000	3,01,[illegible]0,000
92.	चंडीगढ़	17,03,00,000	5,63,00,000	85,17,00,000	28,14,00,000

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी (अंगोल) : अध्यक्ष महोदय, कल हमारा तेलगु नव वर्ष दिवस था। अतः मैं कांग्रेस पार्टी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

कल के 'हिंदु' नामक समाचार पत्र के अनुसार सात की संख्या कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है. वर्ष 1967 में वह तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल से हार गई थी। वर्ष 1977 में केन्द्रीय में विपक्ष की सरकार बनी और वर्ष 1987 में मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। परन्तु मैं प्रधान मंत्री जी के लिए शुभकामनाएं करता हूं क्योंकि वर्ष 1987 की शुरूआत खराब ढंग से हुई है। क्योंकि वे काफी राज्यों में हार गए हैं विशेषरूप से संपूर्ण दक्षिण विन्ध्य में। पहले उनका नारा था "विश्व के मजदूरों एक हो।" इसमें उनका क्या जाता है केवल थोड़ा सा बदलना है। अब नया नारा है कि "देश के चावल उपभोक्ताओं एक हो।" इसमें भी उनका कुछ नहीं जाता है केवल दिल्ली के आदेशों को स्वीकार करना है। इसलिए, महोदय मैं, कांग्रेस शताब्दी समारोह में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए बयान कि वे सत्ता के दलालों से बचना चाहेंगे, पर खेद प्रकट करता हूं। परन्तु ऐसा लगता है कि वे सत्ता के दलालों के बंदी हैं।

सभापति महोदय : आप गृह मंत्रालय की मांग पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। कृपया विषय के संबंध में ही बोलिए।

(व्यवधान)

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी : मैं समझा कि प्रधान मंत्री गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं क्योंकि वे उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : बीच-बीच में कुछ कहना ठीक है लेकिन भाषण का मुख्य भाग मांग के क्षेत्र के बाहर नहीं होना चाहिए।

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी : राज्यपाल के बारे में हम यहां चर्चा कर सकते हैं या नहीं इसके बारे में मुझे पता नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सरकारिया आयोग को दिए गए ज्ञापन में राज्यपाल के कार्यालय को हटाने के लिए कहा गया क्योंकि हमें पहले काफी बुरा अनुभव हुआ था।**

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : राज्यपालों के नामों का यहां उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी : ठीक है। क्या मैं राज्यपालों के बारे में चर्चा कर सकता हूं ?

सभापति महोदय : आप चर्चा कर सकते हैं ··

(व्यवधान)

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी : हम यहां राष्ट्रपति के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं, तब हम यहां पर क्या चर्चा कर सकते हैं। क्या हम दिल्ली के छोटे नाले की चर्चा करें ?

सभापति महोदय : यदि इसमें कोई बात आपत्तिजनक है, तो मैं उसे सभा की कार्यवाही से निकाल दूंगा।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री बेजावाड़ा पपी-रेड्डी : जी हां, आप इसे निकाल सकते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : सभापति महोदय, क्या आप राज्यपाल को हटा रहे है अथवा उनके भाषण के एक अंश को हटा रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : आप दोनों को हटा दीजिए।

सभापति महोदय : मैं कुछ भी नहीं हटाऊंगा। मैं कुछ बातों को सभा की कार्यवाही से निकालूंगा।

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी : कोई बात नहीं। जब से इस संसद का गठन हुआ है आप यह बात तो मानेंगे कि सरकार मे चौदह फेर-बदल हुए हैं। यह एक रिकार्ड है। सम्भवतः अनेक बार फेर-बदल करने के लिए प्रधान मंत्री महोदय का नाम 'गिनीस बुक' में लिखा जाएगा ? हमने पहले कुछ महीनों में 14 बार फेर-बदल किया था।

विषय पर आते हुए मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के बारे में बात करने का प्रयास करूंगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे मे आप जानते हैं कि 10+2 स्तर के बाद सभी प्रतिभाशाली लड़के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे, आयुर्विज्ञान इंजीनियरी तथा यदि संभव हो तो, पशु चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रम में भी चले जाते हैं वे गुणावगुण के अनुसार जाते हैं। जिनकी श्रेणी नहीं बन पाती हैं, वे स्नातकों के रूप में चले जाते हैं। और अततः ये स्नातक भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षा देते हैं और वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ जाते हैं। और जब एक व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन जाता है तो वह सरकार का लगभग जमाई ही बन जाता है वह सर्व शक्तिशाली बन जाता है। और फिर वह जानकार तो प्रत्येक विषय का बनता है लेकिन वह निष्पात किसी में भी नहीं होता है। वह एक निगम से दूसरे निगम में जाता रहता है। कभी वह चमड़ा निगम का प्रबन्ध निदेशक होता है और चमड़ा तथा उससे सम्बन्धित सारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसे मत्स्य पालन निगम में स्थानान्तरित कर दिया जाता है और इसी प्रकार उसका स्थानान्तरित होता रहता है उन विभागीय लोगों के बल पर जो अन्ततः कुंठित हो जाते हैं क्योंकि वे शीर्षस्थ स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। उन्हें कार्य करने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसी ढंग से वे निगमों का प्रबन्ध चलाते हैं।

वास्तव में, कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है। और कृषि में आप पाते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कृषि निदेशक बनाया जा रहा है।

सभापति महोदय : मेरी समझ में नहीं आता की आप कृषि के बारे में क्यों बोल रहे हैं।

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी : महोदय, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बारे में बोल रहा हूं। यदि मेरी बात स्पष्ट नहीं है तो मैं समझता हूं कि मुझे तेलगू में बोलना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अब मैं हिन्दी के बारे में बोलना चाहूंगा (व्यवधान) हिन्दी के बारे में मैं नहीं जानता कि अन्नप्रयोगत्वा इन बातों का अन्त कहां होगा। मुझे बताया गया कि बिहार के गृह सचिव ने कर्नाटक के गृह सचिव से कुछ पूछताछ की थी। उन्होंने हिन्दी में लिखा था। कर्नाटक के गृह सचिव ने कन्नड में उत्तर दिया था। इसलिए मैं नहीं जानता कि इसका अन्त कहां होने जा रहा है। कि मैं नहीं जानता कि क्या मैं इन बातों पर भी बोल सकता हूं हैदराबाद अर्थात आन्ध्र प्रदेश से उच्च

न्यायलय के न्यायाधीशों के चयन के बारे में काफी गम्भीर आक्रोश पैदा हुआ था। महोदय, मेरा अनुमान है कि यह कार्य गृह मंत्रालय का है। मैं नहीं समझता कि आप इस पर आपत्ति करेंगे क्योंकि हमें यह बताया गया था कि संभवतः मंत्री महोदय अपने कार्यालय से पूछ-ताछ कर सकते हैं कि आन्ध्र के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तीन वर्ष पूर्व भेजी गई सिफारिशें अभी भी निलम्बित पड़ी है इसके लिए यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि ··· **··· मैं नहीं जाता यह कैसे हुआ है···· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बाबूलाल मालवीय (शाजापुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य कन्सन्डे डिमाण्ड्स पर तो बोल नहीं रहे हैं, इधर-उधर घुमा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रेड्डी आप अपना भाषण जारी रखें (व्यवधान) इस बात को देखने के लिए कि वे क्या असंमत बोल रहे हैं, मैं मौजूद हूं।

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी : मैं इस बात को गृह मंत्रालय की जानकारी में लाना चाहता हूं अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश के साथ अन्याय क्यों किया गया है।

अंत में मैं समझता हूं कि श्री चिदम्बरम उकता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्योंकि वे उकता रहे हैं अतएव क्या वह अपने भाषण को छोटा करेंगे ?

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी : जी हां।

श्री अमल दत्त : विपक्ष कितना सहयोगी है ?

सभापति महोदय : क्या मैं अगले वक्ता श्री अमरसिंह राठवा को पुकारूं ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं समझता हूं कि यह 77 के अन्तर्गत मामला चल रहा है।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : क्या भाषण समाप्त हो गया ?

सभापति महोदय : जी, हां।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर विपक्ष द्वारा दिया गया यह सबसे संक्षिप्त प्रारम्भिक भाषण है।

सरदार बूटा सिंह : मैंने सोचा कि यह अभी भी 77 के अन्तर्गत मामला पढ़ा जा रहा है। मैंने सम्बन्धित मंत्रालय को भेजे जा रहे सभी मुद्दों को नोट कर लिया है।

श्री पी० चिदम्बरम : इससे विपक्ष द्वारा गृह मंत्रालय को कितनी गम्भीरता की भावना से लिया जाता है उस बात का पता चलता है।

एक माननीय सदस्य : प्रारम्भिक बल्ले बाज शून्य रन पर आऊट हो गया था। अब क्या हुआ है !

सभापति महोदय : भाषण समाप्त हो गया है श्री अमर सिंह राठवा।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा (छोटा उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

हमारे देश में आदिवासी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा हैं। इन क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों की सुविधा बहुत कम है। इस वजह से आदिवासी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के लोग कुछ परेशान भी रहते हैं। वहां की पुलिस व्यवस्था जो पहले के जमाने में थी, वैसी ही आज भी है। इसलिए वहां की पुलिस को जिस कुशलता से काम करना चाहिए, उतनी कुशलता से कार्य नहीं कर पा रही है मेरी मांग है कि पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस की सुविधा को बढ़ाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। इस सुविधा के बिना वहां के लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। वहां लोगों को जलाया जाता है, मारा जाता है और उनके सामान को लूट लिया जाता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कुछ सुविधा अवश्य होनी चाहिए वहां के विकास के लिए पुलिस की सुविधा बहुत जरूरी है। पुलिस की जिम्मेदारी इसलिए भी और बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर पुलिस की संख्या कम होने के कारण वे लोग पहुंच नहीं पाते है। वहां के लिए पुलिस की संख्या को बढ़ाना चाहिए। इन सुविधाओं को देने के लिए कुछ धनराशि भी सरकार को बढ़ानी चाहिए।

हमारे गुजरात में राठवा और राठवा-कोली दो जातियां हैं। मैं राठवा हूं तो मेरा चाचा राठवा कोली कहलाता है। राठवा आदिवासी हैं और राठवा-कोली बक्शी पंच में मान लिए गए है। इस चीज को दूर करने के लिए मैं पांच साल तक सुप्रीम कोर्ट में मुकद्दमा लड़ चुका हूं। पिछले सैशन के दौरान मुझे न यहां से सैलरी मिली और न डेली एलाउन्स ही मिला। बाद के निर्णय मेरे पक्ष में गया, लेकिन इन दो शब्दों के कारण पांच साल तक मुझे काफी परेशानी उठानी पड़ी। यह समझने की बात है। वहां जिस अधिकारी ने इन दो जातियों-राठवा और राठवा कोली के बारे में गलती की इसके कारण मेरे वरिष्ठ सदस्य श्री हरुभाई मेहता, ने भी इस गलत फहमी को दूर करने में काम किया। लेकिन यहां सप्रीम कोर्ट में जीते गये। हमारे जाने-माने लीडर, होम मिनिस्टर, बूटा सिंह जी हमेशा आदिवासियों के, मजदूरों के लीडर रहे हैं, उनके विकास के बारे में सोचते रहे है और हमें मार्ग दर्शन देते रहे हैं। ऐसी परिस्थिति वाले लोगों को, जो कि राठवा जाति के हैं, उन्हें भी आदिवासी मान लिया जाए। उनके बारे में यहां से आदेश दिया जाए।

हालांकि हमारी सरकार आदिवासियों के विकास के लिए बहुत कुछ कर रही है। इसी की वजह से हम आज यहां तक पहुंचे है. वरना वहीं के वहीं होते मैं नहीं मानता कि गुजरात सरकार और केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर रही है। कर तो रही है लेकिन इन लोगों के विकास के लिए जो ध्यान देना चाहिए, उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके लिए हमारी कुछ योजनाएं हैं। ट्राइबल डवलपमेंट की है, टवन्टी प्वाएंट प्रोग्राम की योजना है वे विफल सी होती जा रही हैं उनके लिए पुलिस की व्यवस्था जरूरी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो कार्यक्रम चल रही है, जिनके लिए चलाये जा रहे हैं, उनको फायदा पहुंच इसके लिए हमें पुलिस को भी साथ लेना चाहिए।

मैं अपनी मंत्री जी को और अपने नौजवान प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश के सामने जो भी जटिल समस्याएं आयीं उनको उन्होंने दूरदर्शिता के साथ हल

किया पंजाब में इलेक्शन आया, असम समझौता आया, मिजोरम और अरुणाचल को राज्य के दर्जे दिये गये। हमारे यहां कुदाल आयोग बनाया गया, रंगनाथ आयोग भी बनाया गया। सब से बड़ी बात इन्होंने करके दिखायी वह पुलिस और रेजिमेंट की क्षमता तो बढ़ायी लेकिन उनमें अपने देश की महिलाओं की गरिमा को बढ़ाया गया। यह हमारी सबसे बड़ी सफलता है। हमारे यहां पुलिस की रेजिमेंट में महिला बटालियन को शुरू किया गया। यह हमारी महिला जाति के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे समाज में गुण्डे तत्व जो कार्य कर रहे है, देश को तहस-नहस करने जा रहे हैं, उसको यह हमारी महिला बटालियन रोक पायेगी,

एक बात मैं और कह रहा हूं। हमारे देश में जो शांत राज्य है वहां जो अप्रजातांत्रिक कार्य चलाये जा रहे हैं, आतंकवादी, जातिवादी, कौमवादी विचारों वाले लोग हमारे देश को तहस-नहस करने जा रहे हैं, उनके लिए कोई कड़े कानून हमें सोचने चाहिए ताकि हमारे देश की एकता को, प्रजातंत्र, लोकतंत्र को तोड़ा न जा सके। हमारा गुजरात राज्य बिल्कुल शांत राज्य है। वहां अभी किसानों के आन्दोलन के नाम पर आन्दोलन चलाया जा रहा है। यह एक बहाना है। अभी हमारे यहां जो चुनाव हुए थे उनमें सारे केन्डीडेट कांग्रेस आई के जीते थे। कांग्रेस पक्ष की ही पंचायतें, ताल्लुका पंचायतें और परिषदें बनीं हैं। ये बातें इनको सहन नहीं हो रही हैं, इसलिए किसान आन्दोलन के नाम पर गुजरात में यह आन्दोलन चलाया जा रहा है और वहां पर गुजरात के नेता नहीं बल्कि बाहर के नेता आन्दोलन चला रहे हैं यह बात साफ हो चुकी है और अखबारों में भी आ चुकी है। इनमें कई निर्दोष लोगों को मारा गया, कुछ लोग मारे गए हैं। अब वहां पर और आगे भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है और 50-50 आतंकवादी विभिन्न स्थानों पर पहुंच गए हैं और अशांति कायम करने के लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है। यह काम पूर्वनियोजित हैं। इसलिए वहां पर ऐसा कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि देहात क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, उनको आने-जाने की सुविधा मिल सके। अभी उनके रास्ते रुके हुए है, सड़कें रोक दी गई हैं, ट्रेन के ट्रेन उखाड़ें जा रहे हैं, पुल तोड़े जा रहे हैं ऐसी परिस्थिति में सरकार को सोचना होगा और इन लोगों के गांव-गांव तक पहुंच जाने से पहले ही इनसे निपटना होगा। इसके लिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसा कड़ा कानून बनाए जिससे देश की एकता और हमारी संस्कृति तहस-नहस न हो।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता सैनानियों को आपने बहुत सुविधाएं दी हैं, लेकिन गांव में आज भी ऐसे स्वतंत्रता सैनानी हैं जिनको इस बात का पता नहीं है। इसलिए हमको एक सर्वेक्षण करना चाहिए कि जो लोग रह गए है, उनको स्वतंत्रता सैनानियों को मिलने वाले लाभ दिए जाएं। एक मेरा सुझाव यह भी है कि स्वतंत्रता सैनानी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, ताकि उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सके। मैंने ऐसे-ऐसे स्वतंत्रता सैनानी देखे हैं जिनको मजदूरी करनी पड़ रही है। इसलिए यह अच्छा होगा कि उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दे दीजिए तथा अन्य सुविधाएं भी उसको प्रदान की जाएं।

इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद।

श्री शिव प्रसाद साहु (रांची) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री गृह द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं। पिछले दिनों हमारे युवा प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी के द्वारा मुल्क में बहुत अच्छे काम हुए हैं। पंजाब का समझौता हुआ, असम का समझौता हुआ, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया इसके अलावा कई बड़े प्रकार के काम प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने किए।

मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे देश जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो काम है वह है नेशनल इंटिग्रिटी का वातावरण पैदा करना। आज कुछ विदेशी शक्तियां हमारे मुल्क में खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों के लोगों में अलगाववाद की बात करती हैं और उन्हें खून-खराबे की ट्रेनिंग दे रही है इससे गृह मंत्रालय को सावधान हो जाना चाहिए।

हमारे देश में आज महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आये दिन अखबार में यह पढ़ने को मिलता है कि दहेज प्रथा के जरिये हमारी बहनों को आग से जलाया जा रहा है, कहीं उनको फांसी पर लटकाया जा रहा है। इस कुप्रथा को रोकने के लिये कानून को सख्त किया जाये और बहनों को इससे निजात दिलायी जाये। जब बाहर के लोग यह यह सुनते हैं कि हिन्दुस्तान में इस तरह की वारदात होती है कि टी०वी० या मोटर साइकिल या पैसों की खातिर बहनों को जला दिया जाता है तो इस पर गृह मंत्रालय को कड़ी नजर रखनी चाहिए। मैं बिहार से आता हूं हमारे यहां एक कड़ी कठिन समस्या पैदा होती जा रही है। हमारे यहां विस्थापितों का जाल बिछाता जा रहा है। हमारे यहां छोटा नागपुर इलाके में जिसमें पांच जिले आते हैं रांची, पलामू, हजारीबाग चाई बांसा और धनबाद में जो कुछ हो रहा है उसको बड़े गौर से सुनने की आवश्यकता है। गृह मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें। आज छोटा नागपुर में असन्तोष का वातावरण फैलता जा रहा है। यह एक विचारणीय विषय है कि हमारे आदिवासी लोग क्यों नाराज हो रहे हैं, आदिवासी लोगों के अलावा वहां गैर आदिवासी लोगों में भी नाराजगी की बात हो रही है। गलत लोग इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग राज्य की मांग करो वहां झारखण्ड राज्य की मांग चल रही है, कहीं छोटा नागपुर की अलग बात चल रही है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि छोटा नागपुर का इलाका एशिया का सबसे बड़ा रत्न गर्भा इलाका है। हमारे यहां कोयला, लोहा, ताम्बा यूरेनियम, बाक्साइट का भण्डार है और टाटा का बोकारो का कारखाना तथा हटिया का कारखाना है। जो कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम् भूमिका रखता है इसको विदेशी शक्तियां हमारे जनपद लोगों के बीच गलत प्रचार करके उनको उथल-पुथल कर देना चाहती हैं। इसमें गृह मंत्री जी को सावधान होना चाहिए। छोटा नागपुर में सरकारी उपकरणों के अलावा प्राइवेट सेक्टर के जरिये फैक्टरियों और कारखानों के लिए बहुत सारी जमीनें ली जाती हैं। रांची जिले में कोयलकारों की जो योजना है उसमें 650 मेगावाट बिजली पैदा होगी इसमें आदिवासी तथा गैर आदिवासियों की 70 हजार एकड़ जमीन जो रांची में आती है, वह ली जा रही है। ऐसे ही स्वर्ण रेखा डैम जो चाई बासा जिले में चाण्डिल प्रखण्ड में आता है वहां 52 हजार एकड़ जमीन ली जा रही है और उसमें 92 गांव उसमें डूब जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता। (2)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

देश के आसूचना विभाग के कार्यकरण को सरल तथा कारगर बनाने की आवश्यकता। (3)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के परिवारों के लिये कल्याण सम्बन्धी पर्याप्त उपाय किये जाने की आवश्यकता। (4)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सभी राज्यों को समुचित प्रतिनिधित्व दिये जाने की आवश्यकता। (5)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पुलिस सुधार सम्बन्धी धर्मवीर आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की आवश्यकता। (6)

सभापति महोदय : श्री शिव प्रसाद साहू जी, आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

1.00 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई

2.00 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजे म०प० पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : श्री ब्रह्म दत्त।

ब्याज की दरों में परिवर्तन और अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. मुद्रा की लागत कम करने तथा ब्याज दर नीति को नम्यता प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक आज 1-4-1987 से ब्याज दर की पद्धति में कुछ परिवर्तनों की घोषणा कर रहा है। मैं इस अवसर पर सदन को इन परिवर्तनों तथा कुछ अन्य परिवर्तनों के बारे में सूचित कर रहा हूँ।

2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक जमाओ तथा उधार दरों के संबंध में जिन महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की जा रही है वे निम्न प्रकार हैं :

   (i) 15% से अधिक की सभी बैंक उधार दरें की। प्रतिशतांक तक कम किया जा रहा है। इससे कृषि, कुछ सरकारी क्षेत्र के प्राप्तिकर्ता अभिकरणों और उद्योग को, जिसमें लघु उद्योग भी शामिल है, लाभ होगा।

   (ii) दो वर्ष की परिपक्वता वाली बैंक जमाओं (1-4-1987 को या उसके बाद की गई अथवा नवीकृत की गई) पर ब्याज की दर 1 प्रतिशतांक बढ़ाकर 10 प्रति-

शत तक की जा रही है। यह दर 2 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली जमाओ पर भी लागू होगी। एक वर्ष और उसमें अधिक (किन्तु दो वर्ष से कम) की परिपक्वता वाली जमाओ पर ब्याज की दर 8-1/2 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत की जा रही है। 5 वर्ष की जमाओ की अलग श्रेणी को, जिस पर पहले 11 प्रतिशत का ब्याज मिलता था, समाप्त किया जा रहा है। इन कदमों के फलस्वरूप बैंक जमाओ की पद्धति से, कुछ समय में, कम अवधि वाली परिपक्वताओं को लाभ होगा, इस प्रकार ब्याज दर साधन (इस्ट्रुमेंट) को प्रयोग में अधिक नम्यता आएगी।

(iii) अनिवासी विदेशी (रुपया) खातों तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों पर देय ब्याज दरों के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन जमाओ के संबंध में, जो विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाती है, ब्याज दर की विद्यमान प्रणाली और परिपक्वता प्रणाली अपरिवर्तित रहेगी।

3. सांविधिक नकदी अनुपात 37 प्रतिशत से बढ़ाकर 37.5 प्रतिशत किया जा रहा है। इससे बैंकों द्वारा बाजार उधार कार्यक्रम के लिए अभिदान में मदद मिलेगी।

4. इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह करके, सरकार अन्य वित्तीय लिखतों पर लागू होने वाली ब्याज-दरों में 1-4-1987 से निम्नलिखित परिवर्तन कर रही है :

(i) 1-4-198 को या उसके बाद जारी किए जाने वाले रूपान्तरणीय और गैर-रूपान्तरणीय ऋण-पत्री पर और इसके अलावा कम्पनियो के पास जमा कराई जाने वाली राशियों पर देय अधिकतम ब्याज-दरों में 1 प्रतिशतांक की कमी की जा रही है। इसी प्रकार, कर-मुक्त बांडो और सरकारी क्षेत्र के अन्य बांडो पर देय ब्याज की अधिकतम दर में 1 प्रतिशतांक की कमी की जा रही है।

(ii) 1-4-1987 को या उसके बाद खरीदे जाने वाले राष्ट्रीय बचत पत्रों (छठा और सातवां निर्गम) पर ब्याज की दर में 1 प्रतिशतांक की कमी की जा रही है।

(iii) जहां तक अनिवासी भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय बचत पत्रों की विदेशी मुद्रा में की जाने वाली खरीद का सम्बन्ध है, 13 प्रतिनत की मौजूदा ब्याज-दर जारी रहेगी।

(iv) इंदिरा विकास पत्रों की परिपक्वता-अवधि, जिसका मूल्य इस समय 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, 1-4-1987 को या उसके बाद बेचे जाने वाले सभी पत्रों के लिए बढ़ाकर 5 1/2 वर्ष की जा रही है। अबसे बाद इसका मूल्य 5 1/2 वर्षों में दुगना होगा।

(v) जहां तक डाकघर मियादी (टाइम) जमाओ का सम्बन्ध है, 1,2 और 3 वर्षों की जमा के लिए क्रमशः 9.5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत की ब्याज-दरें जारी रहेगी। लेकिन 1-4-1987 को या उसके बाद जमा कराई जाने वाली अथवा नवीकृत कराई जाने वाली 5 वर्षीय जमाओ के लिए, जिनमें

आवर्ती जमा भी शामिल है; ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत की जा रही है।

(vi) भविष्य निधियों में जमा राशियों पर सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. उपर्युक्त परिवर्तन करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने के वास्ते विभिन्न डाकघरों को समय देने के लिए राष्ट्रीय बचत पत्रों, इन्दिरा विकास पत्रों की बिक्री और 5-वर्षीय जमा खातों का खोला जाना, 1-4-1987 से कुछ दिनों के लिए बन्द किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में ये कार्य यथासंभव शीघ्र, लेकिन हर हालत में अधिक से अधिक 15 अप्रैल, 1987 से पुन: शुरू कर दिये जायेंगे।

2.05 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

विदेशों में भारतीयों द्वारा विशाल अवैध धनराशि रखने के मामलों की जांच करने के मामलों की जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अमेरिका की आर्थिक गुप्तचर संस्था फेयर फैक्स ग्रुप को कार्य सौंपे जाने के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम विदेशों में भारी मात्रा में अवैध धनराशि रखने वाले भारतीयों के मामलों की जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अमरीकी आर्थिक गुप्तचर एजेन्सी फेयरफेक्स की सेवाएं लिए जाने के बारे में चर्चा आरम्भ करते हैं।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : प्रो० मधु दंडवते इससे पहले कि मेरे माननीय सहकर्मी अपना भाषण आरम्भ करें (व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बृजमोहन महन्ती ; नियम 193 के अन्तर्गत आपको 1 घंटे का समय पहले से ही निश्चित करना पड़ेगा। इस नियम में अभी संशोधन नहीं किया गया है। नियम समिति जांच कर रही है और इस पर विस्तार से विचार कर रही है। पहले नियम को निलंबित कीजिए और तदोपरान्त इस पर चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : सभा की अनुमति से हमने हमेशा ऐसा किया है। हमने सभा की अनुमति के बिना कभी नहीं किया है।

श्री बृजमोहन महन्ती : आप सभा की अनुमति लें।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा उक्त नियम में ढील देने की अनुमति मुझे देती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भगत जी, क्या आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री बी० आर० भगत : नहीं, यह माननीय सदस्यों से अनुरोध है, जो बहुत ही युक्तिसंगत है। यह नियमों का कथित उल्लंघन करके धनराशि जमा किये जाने के संबंध मे एक महत्वपूर्ण चर्चा है···

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो वह कहने जा रहे हैं।

श्री बी० आर० भगत : मैं उन माननीय सदस्यों से अपील करता हू, जिन्होने यह प्रश्न उठाया है, कृपया इसमें पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण न अपनाएं····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे करेंगे ··

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यह क्या हो रहा है। मैं नहीं समझता कि हमें श्रीमान भगत जी आपकी सलाह की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसमें पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं। मैंने आपकी बात को अस्वीकार कर दिया है। इसे अस्वीकृत किया जाता है।

श्री एस० जसपाल रेड्डी : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? आप मेरी बात बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अस्वीकार कर दिया है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : परन्तु क्या सभा सहमत है। (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : सभा सहमत नहीं हुई है। इस नियम के निलंबन के लिए आप इसे सभा के मतदान के लिए रखें।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा की जाए।

श्री कमल नाथ : हम सहमत हो सकते हैं, परन्तु इस पर सभा का मतदान लिया जाए। हमें प्रक्रिया का पालन तो करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा ही कर रहे हैं। अब इस पर चर्चा की जाए। जब हम नियमों में संशोधन करेंगे तब देखेंगे।

श्री कमल नाथ : सभा की अनुमति अवश्य ली जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही तो अनुरोध किया है। मैं सभा से केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि पूर्ण चर्चा के पूर्वोदाहरणों को देखते हुए क्या मुझे सभा की अनुमति है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय के साथ एक घंटे में न्याय नहीं कर सकते हैं। अतः बेहतर है कि हम इस पर पूरी चर्चा करें।

श्री कमल नाथ : हमें प्रक्रिया का अवश्य पालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (भिवनापुर) : इनको क्यों खुजली हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी, आपका असर हो रहा है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मेरा एक निवेदन है। मैं इसे आपके स्वविवेक तथा निर्णय पर छोड़ देता हूं कि आप इस पर चर्चा के लिए जितना समय आवश्यक समझते हों उतना दें। हम इससे भाग नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० दंडवते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं विदेशों में भारतीयों द्वारा भारी मात्रा में अवैध धनराशि जमा करने के मामलों की जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अमरीकी आर्थिक गुप्तचर एजेंसी की सेवाएं लेने के संबंध में चर्चा उठा रहा हूं।

महोदय, इससे पहले कि इस विषय पर मैं अपने विचार प्रकट करूं मैं माननीय सदस्यों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्होंने मुझसे तथा अन्य सदस्यों से भी यह अनुरोध किया है कि यह चर्चा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होनी चाहिये। प्रारम्भ में ही मैं आपको बता दूं कि वास्तव में केवल दो ही पक्ष हैं, एक वे हैं जिनके वास्तव में भारत से बाहर अवैध खाते हैं तथा दूसरे वे जो इनका पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा इन दोनों पक्षों के बीच मैं किसी का भी समर्थक नहीं हूं। मैं उन लोगों के साथ हूं जो इस देश में तथा इस देश से बाहर काले धन का पता लगाना चाहते हैं।

श्री बी० आर० भगत : इस चर्चा में पूरा सदन भाग लेगा।

प्रो० मधु दंडवते : आप मेरी बात समझ गये हैं। आप समझदार हैं तथा भूतपूर्व अध्यक्ष हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) वे भूतपूर्व वित्त मंत्री तथा विदेश मंत्री हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय जहां तक इस समस्या का संबंध है, पूरे देश में इस विषय पर काफी वाद-विवाद चल रहा है। इस विषय पर चर्चा करने वालों के मस्तिक में मुख्य रूप से 3 मामले तथा 3 प्रश्न हैं। एक यह है कि कुछ लोग महसूस करते हैं कि सरकार आर्थिक अपराधियों का पता लगाने में तथा आर्थिक आसूचना को प्रभावशाली रूप से लागू करने में, अपने आंतरिक तंत्र का प्रयोग करने के मामले में असफल रही है। दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस प्रकार के मामलों की जांच कराने के लिए क्या किसी विदेशी एजेन्सी या अमरीकी एजेन्सी को नियुक्त करना उचित है, और क्या ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी परिस्थितियां थी ? तीसरी समस्या प्रधान-मंत्री तथा वित्त मंत्री के बीच समन्वयन से उत्पन्न हुई है और वह यह है कि क्या उनमें कोई आपसी तालमेल या पारस्परिक विश्वास था ? ऐसी कुछ समस्याएं मुख्य रूप से सामने आई हैं।

महोदय, मैं आंतरिक जांच तंत्र की समस्या को लेता हूं। महोदय, जहां तक इस प्रकार की जांचों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में कोई भी सरकार कड़ा रवैया नहीं अपना सकती। इसी सदन में

भारतीय अनिवासियों की समस्या पर, भारतीय अनिवासियों द्वारा पूंजी-निवेश, बोलते हुए मैंने सदन का ध्यान इस ओर दिलाया था कि हमारा आर्थिक तंत्र भारत में इस प्रकार के कारोबार के संबंध में कुछ मूलभूत नियमों का पालन करने में किस प्रकार असफल रहा है। उदाहरण के लिए एक नियम यह है कि वे विदेशी कम्पननियां तथा विदेशों में रह-रहे वे भारतीय अनिवासी जो यहां भारतीय कम्पनियों में पूंजी निवेश करना चाहते हैं, इन कम्पनियों में 60 प्रतिशत भारतीय एक्विटि होनी चाहिए। इस पर वित्त मंत्री ने कहा इस काम का दायित्व लेना हमारी क्षमता से बाहर है तथा हम स्वयं यह काम नहीं कर सकते थे अतः इसके लिए हमें विदेशी तंत्र पर निर्भर होना पड़ा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय मैंने यह प्रश्न उठाया था। मैंने इस सदन के समक्ष कुछ कंपनियों के लेखे रखे थे, जो यहां की कंपनियों में पूंजी-निवेश करने का प्रयास कर रही थीं। मैंने यह भी कहा भी कहा था कि उनके लेखाओं तथा तुलन-पत्रों में बहुत बड़े लाभ का संकेत नहीं है तथा न ही उनसे इस बात का संकेत मिलता है कि उन्होंने भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए एक बड़ी राशि उधार ली थी, में दोनों चीजें न होने पर भी वे भारतीय कम्पनियों में पूंजी निवेश कर रहे हैं। इससे हम केवल यही अनुमान लगा सकते हैं कि किसी का काला धन भारत से दूसरे देश में गया तथा वह काला धन 'गंगा जल' का स्पर्श पाकर अवश्य ही सफेद हो गया तथा वहां धन पूंजी-निवेश के रूप में हमारे देश में लौट आया।

महोदय, अब इस विशेष मुद्दे की जांच होनी चाहिए थी किन्तु किसी तरह हमारा तंत्र इसे करने में असफल रहा। महोदय, यह भी संदेह था कि शायद बाहर गयी काले धन की महाराशि या तो किसी उद्योगपति की या किसी बड़े व्यक्ति की। यह धनराशि वापिस आयी है तथा क्या इसकी ठीक प्रकार से जांच हुई। किन्तु ऐसा नहीं किया जा सकता। अतः पीछे भी हमने यह पाया है कि हमारी आंतरिक जांच तंत्र उन कार्यों को पूरी तरह नहीं कर पाया जिन कार्यों के किये जाने की उनसे अपेक्षा की जाती है। अतः कभी-कभी परिस्थितियों से मजबूर होकर अनियमितताओं तथा कदाचारों की जांच करने के लिए विदेशी आसूचना तंत्र की सहायता लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः मैं इस सदन का ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा कि 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं तथा उनकी सरकार से श्रीमती गायत्री देवी (व्यवधान) से यह शिकायत दर्ज कराई गई थी—कोई आरोप नहीं कि उनके कुछ आभूषण अमेरिका में चोरी हो गये थे, तब उस मामले में, जब श्रीमती गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं, उस समय श्रीमती गायत्री देवी की संपत्तियों की गहराई से जांच करने के लिए एक विदेशी जासूस एजेन्सी को नियुक्त किया गया था तथा उस समय किसी ने यह प्रश्न नहीं उठाया था कि विदेशी एजेन्सी को क्यों नियुक्त किया जा रहा है। बेशक, हम जेल में थे, किन्तु जो बाहर थे, उन्होंने भी संसद में या बाहर इस प्रश्न को नहीं उठाया था। भाग्य से सदन में आपात-कालीन समय के अध्यक्ष मौजूद हैं, महोदय वे हमें बतायेंगे कि उस समय किसी ने भी यह प्रश्न को नहीं उठाया था। अत उस समय यह प्रश्न ही नहीं उठता था। विदेशों में ऐसे कई मिशन हैं, जिन्हें विदेशों से कुछ सामान खरीदना पड़ता है। उदाहरण के लिए रेलवे के पेरिस, लंदन तथा जर्मनी में मिशन हैं। वे कुछ उपस्कर विदेशों से खरीदते हैं तथा कई बार वित्तीय लेन-देन भी होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इन देशों में कुछ लोगों की सांठ-गांठ से जोड़-तोड़ करके भ्रष्टाचार होते हैं। यदि हर बार जांच करने के लिए वहां हमारी व्यवस्थति जांच करने, शायद वह पर्याप्त नहीं होगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां तक संभव है हमारे आंतरिक तंत्र को जांच का दायित्व लेना चाहिए, किन्तु किसी समय यदि अन्य आर्थिक आसूचना तंत्र से कोई सहायता मिल सकती है, तो ऐसे अवसर रहे हैं जब इस प्रकार की सहायता ली गई है।

महोदय, इस विशेष फेयर फेक्स एजेंसी को किये जाने वाले भुगतान के संबंध में काफी विवाद रहा है तथा मैं आशा और विश्वास करता हूं कि जो भी मंत्री महोदय अथवा प्रधानमंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर दें वे इसका स्पष्टीकरण करें। प्रेस के माध्यम से प्राप्त हमारी सामान्य जानकारी यह है कि अन्य निजी एजेन्सियों के मामले में भी ऐसा किया गया है कि जब कुछ धन-राशियों की जांच की जाती है और ऐसे भुगतान का पता लगता है, उसका कुछ भाग उस एजेंसी को दिया जाता है। उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में इस प्रकार की जितनी भी राशि का पता लगता है, उसका कुछ प्रतिशत भाग उस एजेंसी को फीस के रूप में अवश्य ही जमा कराया जाता है। यह एक सामान्य जानकारी लगती है। हम यह जानना चाहेंगे कि इसका समाधान कैसे किया जायेगा।

तीसरा दुर्भाग्यशाली प्रश्न यह उठता है कि प्रधानमंत्री के इस मामले की जांच करने हेतु नियुक्त की गई फेयर-फैक्स एजेन्सी की सूचना कैसे नहीं दी गई? महोदय, दो ही संभावनाएं हो सकती हैं एक संभावना यह है कि यह सरकार अन्य सरकारों की भांति कई बार ऐसा मान लेती है कि जब इस प्रकार की जांच की जायेगी वित्त मंत्रालय मामलों को पर्याप्त गोपनीय रखेगा। मामलों की जांच कराना चाहेगा तथा जब प्रथम दृष्टि या कोई मामला बन जाता है तक प्रधानमंत्री उस मामले को देता है और बताता है कि प्रारम्भिक जांच से अमुक बातें पता चलायें तथा या तो मंत्री-मंडल से या प्रधानमंत्री से आदेश लेती हैं कि आगे की जांच किस प्रकार करायी जाये। जहां तक भुगतान का संबंध है, वित्त सचिव के पास एक विशेष राशि तक भुगतान करने का अधिकार है तथा यदि भुगतान की राशि उस विशेष राशि से आगे बढ़ जाती है तब वित्त मंत्री को निर्णय लेना होता है तथा जब समस्या बहुत ही जटिल होती है तो मामला मंत्रीमंडल तक ले जाया जा सकता है। इस संबंध में क्या कोई संदेह था कि प्रधानमंत्री की ओर से कुछ रुकावटें आयेंगी इसी कारण वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री से सलाह नहीं की तथा मामले को मंत्रीमंडल के समक्ष नहीं रखा गया? अथवा प्रधानमंत्री के निकट के कुछ व्यक्तियों को इससे कुछ परेशानी होती जो इसलिए ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि वे इस मामले में अन्तर्गस्त थे। शायद वित्त मंत्री ने यह सोचा था कि इस स्तर पर कोई परेशानी उत्पन्न न करें, बाद में जब सूचना मिलेगी, मामला प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया जायेगा अथवा सामान्य कार्यविधि अपनाई गई।

मेरे विचार से जो ये प्रश्न मैंने उठाए हैं उनका स्पष्ट रूप से उत्तर दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश जांच के सम्पूर्ण कांड में जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो का संबंध है उसकी भूमिका सन्देहास्पद रही है। उदाहरण के लिए, उस लोकप्रिय मामले में जब श्री गुरुमूर्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और उन्होंने उनके वकील ने जमानत के लिए आवेदन किया, कुछ पत्रों को उद्धृत किया गया जो कि फेयरफेक्स के उपाध्यक्ष श्री गोर्डन एन्ड्रीयन मैकी द्वारा लिखे माने गये थे और उस पत्र में काफी जानकारी दी हुई थी और पूरे मामले को इतना उलझनपूर्ण दिखाया गया कि यदि श्री गुरुमूर्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो और आगे जांच करने में बहुत ही कठिनाई आयेगी तथा ये दस्तावेज केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से प्रस्तुत किये गये थे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर ही सरकार की यह दलील थी।

फेयरफेक्स ग्रुप के अध्यक्ष, श्री माइकल हर्थमैन ने 'इंडिया एब्रोड' जो कि अंशतः 'संडे मेल' में दिल्ली में भी प्रकाशित किया जाता है को दिये गये एक साक्षात्कार में निरपवाद रूप से बताया है:

"वे नितान्त धोखेबाज हैं, हमने उन्हें देखा, हमने उन्हें लिखा नहीं है। हम इस बात की शपथ लेने के लिए तैयार हैं।"

यह 23 मार्च, 1987 को, सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचारों में प्रकाशित हुआ है।

यह बहुत ही विचित्र बात है कि विदेशी एजेंसी को केन्द्रीय जांच ब्यूरो का भंडाफोड़ करना पड़े तथा मामला न्यायलय के समक्ष यह कहते हुए प्रस्तुत किया जाए कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किया गया दस्तावेज जाली दस्तावेज हैं। यदि जमानत स्वीकार करने या अस्वीकार करने के छोटे से उद्देश्यों के लिए ये जाली दस्तावेज इस्तेमाल किये जाते हैं तो हम एक बहुत ही गलत पूर्वोदाहरण बनायेंगे तथा यह प्रगति की विश्वसनीयता को समाप्त कर देगा। मेरे विचार से इस विशेष मामले को मुख्य मामले से ध्यान हटाने के लिए लाया गया था।

मैं जांच-पड़ताल और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में जानना चाहता हूं।

क्या जांच-पड़ताल करने का कार्य केवल रिलायन्स कंपनी के कार्य कलापों की जांच करने तक ही सीमित था ?

क्या जांच-पड़ताल में विभिन्न कंपनियों और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लघंन की जांच भी शामिल है ?

क्या स्विच बैंक में विशाल अवैध धनराशि जमा की गई और क्या उनकी भी जांच की जाएगी ?

यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। रिपोर्ट आ गई थी। उदाहरण के लिए, मैं एक साधारण सा नमूना जिसमें दोषारोपण शामिल नहीं है उद्धृत करता हूं। 'सन्डे' के दिनांक 29 मार्च से अप्रैल, 1987 तक के अंक के पृष्ठ 42 में बताया गया है :

"तथापि, भूरे लाल ने रिलायन्स के विरुद्ध प्रमाण जुटाने के लिए स्पष्टरूप से क्रिसमस के दौरान और उससे पहले कम से कम दो सप्ताह संयुक्त राज्य अमरीका में व्यतीत किये। परन्तु क्या रिलायंस ही उसका एकमात्र लक्ष्य था ? सरकार स्थित कुछ उच्चासीन स्रोतों का विश्वास है कि जब उन्होंने अपने प्रश्नकर्ताओं को यह बताया कि संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा करने का उनका उद्देश्य रिलायंस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना था तो वे कुछ छुपा रहे थे। वास्तव में, अब बहुधा यह विश्वास है कि भूरे लाल ने मेकनी एडोल ब्रादर्स स्विटजरलैंड मे पंजीकृत एक फार्मास्यूटिकस कंपनी, जिसमें कि अमिताभ बच्चन का संयुक्त स्वामित्व है जैसा कि उसके भाई द्वारा दावा किया गया है, कि गोपनीय बातों का फेयरफेक्स की सहायता से पता लगाने का प्रयास किया। अमिताभ भारतीय पासपोर्ट धारक गैर निवासी भारतीय है और सुदृढ़ भारतीय सम्बन्धों वाले कुछ इटालियन राष्ट्रिक"

यह समाचार विशेष, अर्थात एजेंसी, एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह किसी पर भी आपेक्ष नहीं करती है परंतु इसकी जांच की जाने की आवश्यकता है, और जो भी मंत्री महोदय इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे, मैंने एक विशिष्ट दृष्टान्तर का उल्लेख किया है इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण देना चाहिए।

मैं कुछ ऐसी बात कहना चाहता हूं जो कि वैसे ही बड़ी संवेदनशील है। अर्थात् वित्त मंत्री महोदय की प्रधान मंत्री महोदय को दी गई रिपोर्ट और वह कालक्रम जिसके अनुसार रिपोर्ट प्रधान-मंत्री महोदय को कथित रूप से प्रस्तुत की गई और वह समय जब वित्त विभाग बदला गया तथा प्रारंभिक नियुक्तियों से कतिपय अधिकारियों का तबादला भी किया गया था।

महोदय, जिस रिपोर्ट के बारे में मैंने आपसे पहले बताया है जब वह प्रकाशित हुई थी तो तब समाचार रिपोर्ट सामने आई थी। "तब बच्चन टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। परंतु उनके नजदीकी मित्रों ने पुष्टि की थी कि श्री वी० पी० सिंह और उनके आदमी कुछ समय से उनके इलाहाबाद, बम्बई और दिल्ली में स्थित घरों में छापा डालने की योजना बना रहे थे सम्भवतः श्री बच्चन के स्विच आपरेशनस् के बारे में और अधिक सुरागों का पता लगाने के लिए योजना बना रहे थे। कुछ फिल्मी हस्तियों के बारे जो शामिल हुए के विदेशी दौरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिस देने के लिये प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी प्लॉय का उपयोग किया था···।"

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एच०के०एल० भगत : नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। प्रो० मधु दण्डवते भी उन्हें भली-भांति जानते हैं वे कहते हैं कि वे किसी की निन्दा नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वे संसद सदस्य के नाते किसी की निन्दा कर रहे हैं या नहीं ? वे नियमों के अधीन ऐसा नहीं कर कर सकते हैं। नियम 352 और 353 उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी पर, सदन के किसी सदस्य पर आक्षेप लगाते हैं तो यह सही नहीं है। यह बहुत चालाकी भरी युक्ति है। आप तभी निन्दा कर रहे हैं जबकि आप यह कह रहे हैं कि आप निन्दा नहीं कर रहे हैं। आप नियमों के अधीन ऐसा नहीं कर सकते हैं····।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिए।

[हिन्दी]

आराम से सारी बात सुनिए। उन्होंने अपनी बात कही है और मैंने उनकी बात सुनी है।

[अनुवाद]

मैं केवल जानकारी के लिए कहूंगा। प्रो० दंडवते भी इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रो० आप नियम जानते हैं कि हम बिना किसी आधार के बिना किसी पूर्व सूचना के किसी की निन्दा नहीं कर सकते हैं ··

प्रो० मधु दंडवते वह तो ठीक है। आधार होते हुए भी निन्दा क्यों की जाए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो वह किया जा सकता है यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं यह मेरे पास है ।

(व्यवधान)

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : कृपया मैगजीन रिपोर्ट को आधार मत बनाईये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अशांत मत होइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम समाचार-पत्रों से उद्धृत कर सकते हैं। हमें केवल यह ध्यान रखना है कि आरोपपूर्ण अथवा अपराधरोपण पूर्ण टिप्पणियां नहीं की जा सकती है।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : किसी समाचार-पत्र अथवा पालिका की रिपोर्ट से उद्धृत करने के नाम पर इस सदन के किसी माननीय सदस्य अथवा किसी गैर-सदस्य के विरुद्ध आरोपों को नहीं उठाया जा सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं भी कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाईये नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में गड़बड़ न करो।

[अनुवाद]

मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। यह मेरे पास है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं..... यहां देखो जिनकी आवश्यकता है यदि वे चीजें....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान वसन्त साठे, आप बैठिए, आप बीच में मत आइए।

[अनुवाद]

आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मैं बता दूं। आवश्यक बातें ये हैं कि (एक) सदस्य महोदय को अध्यक्ष महोदय तथा सम्बद्ध मन्त्री महोदय को एक यथेष्ट तथा अग्रिम सूचना देनी चाहिए; (दो) लगाये जाने वाले आरोपों का ब्यौरा सीधी-सीधी भाषा में हो जिनके समर्थन में सबद्ध सदस्य द्वारा प्रमाणित, अपेक्षित दस्तावेज होने चाहिए; (तीन) इस सदन में आरोप लगाने से पहले, सदस्य जांच करके अपने आपको सन्तुष्ट करले कि आरोप निराधार नहीं; (चार) सदस्य को आरोप के लिये उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा (पांच) सदस्य को आरोप को प्रमाणित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी बातें की जा सकती हैं मुझे समाचार पत्रों से उद्धरण दिये जाने पर आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह सब तो यहां पहले से ही उपलब्ध है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको यह भी पता होना चाहिये कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते। साधारण सी तो बात है यह।

(व्यवधान)

[हिन्दी[

अध्यक्ष महोदय : आप गर्म होकर बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फैसला मैंने करना है।

[अनुवाद]

आरोपपूर्ण अथवा अपराधारोपण पूर्ण टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सारे बोलेंगे तो क्या फायदा होगा ? यह भी बोल रहे हैं, वह भी बोल रहे हैं। पल्ले मेरे कुछ पड़ नहीं रहा है।

[अनुवाद]

मैं इन पर नियमानुसार कार्यवाई करूंगा····

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : नियम एकदम स्पष्ट है। नियम 352 के अनुसार कोई सदस्य उत्तरदायित्व लिए बिना किसी सदस्य के विरुद्ध समाचार-पत्रों से उदहरण देकर वैयक्तिक दोषारोप अथवा आरोप नहीं लगाएगा···।

अध्यक्ष महोदय : इसमें विनिर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो केवल नियमों की व्याख्या करने का प्रश्न है जिसे मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जब विनिर्णय देने का समय आयेगा तो आपको दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें नियमों का पता है। (व्यवधान)

लेकिन हमें लेखाओं, खातों का पता नहीं है (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इन्हें कैसे मालूम हुआ कि आप इस सदन के सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक साथ सारे बोले, क्या फायदा है इसका ? ये भी बोले, वह भी बोले, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको कैसे मालूम हुआ कि वह इस सदन के सदस्य का जिक्र कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इनका तो निर्णय मुझे करना है, आपको नहीं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह बात ध्यान में रखिए कि इस सदन के माननीय सदस्य के जो कुछ भी विरुद्ध निन्दाजनक अपराध रोपण पूर्ण और आरोप पूर्ण बात कही जाएगी वह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगी।

श्री बसंत साठे : न केवल सदस्यों के विरुद्ध बल्कि नागरिकों के विरुद्ध भी। उनको संरक्षक प्रदान करने का अधिक अधिकार है जब तक प्रामाणिक न हो वह किसी के विरुद्ध जो कि इस सदन का सदस्य नही है, कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बाहर वाला जो अपने को डेफेन्ड नहीं कर सकता है, उसका नाम नहीं लेना है।

[अनुवाद]

प्रो मधु दण्डवते : इससे पहले कि मैं आपको ध्यान दिलाऊ कि आपको इस नियम को मुझे बताए जाने से पहले ही मैंने इस पढ़ कर सुनाया था। आपको याद आएगा (व्यवधान) मैंने पूरी जानकारी रखते हुए जो किया है वह उसकी पुष्टि करेंगे। महोदय, कृपया सदन को बता दें कि 353 की यथापेक्षा मैंने लिखित में आपको एक पत्र भेजा था कि मैं निम्नलिखित शक्तियों का जिक्र कर सकता हूं (व्यवधान)

हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे करना है श्रीमान आप लोग बैठ जाइए। कृपया निधान बैठ जाइए।

[अनुवाद]

प्रो मधु दण्डवते : मैंने जो किया है बस वही बता रहा हूं जो कुछ मैंने प्रक्रियानुसार किया है वही सब मैं बता रहा हूं मैंने एक पत्र भेजा था। मैंने कतिपय नामों का उल्लेख किया था तत्पश्चात आपके सचिवालय से मुझे एक पत्र भी मिला था जिसमे निम्नलिखित किए जाने के लिए कहा गया था चर्चा आरम्भ होने से दस मिनट पूर्व मैंने पुनः एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने कहा कि यदि मैं आरोप लगाता भी हूं तो इस हालात में मैं उत्तरदायित्व लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको सभी अनिवार्यताएं पूरी करनी चाहिए (व्यवधान)

प्रो मधु दण्डवते : जो कुछ आपने कहा है मैं उसका ध्यान रखूंगा। (व्यवधान)

आप आरोप लगाए जाने का पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं ? गृह मंत्री महोदय को तो बदनामी का कोई पूर्वानुमान नहीं है।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : आपने उल्लेख किया था इसलिए हम कह रहे हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : होगा तब देखेंगे।

[अनुवाद]

प्रो मधु दण्डवते : महोदय, अब कुछ ऐसा जोकि आरोप नहीं है परन्तु वस्तुतः एक साथ रबैये को सिद्ध करता है। निदेशालय के सूत्र यह पुष्ट करते है कि मिथुन चक्रवर्ती ही अकेला ऐसा आदमी था जिसने घोषणा को कि उसका समस्त खर्चा बच्चन ने वहन किया था। उसने माना यह कोई आरोप नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एच०के०एल० भगत : वह ऐसा नहीं कर सकते। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा सकता है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय मुझे दोनों पक्षों से बचाइए।

श्री एच०के०एल० भगत : प्रो० मधु दण्डवते, आप कहते हैं कि आप नियमों को जानते है आप कहते हैं कि आप उनका पालन करते हैं परन्तु वास्तव में आप उनको तोड़ते हैं। आप उत्तर-दायित्व को नहीं लेना चाहते हैं कि आप कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : आप किसका बचाव कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री आरिफ मोहम्मद खां द्वारा किए प्रश्न के श्री भगत द्वारा उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बीच में बहुत ज्यादा दाइयां पेट फाड़ने लगती हैं तब दिक्कत होती हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अब हमें बिना दोषारोपों के तथ्यात्मक अंशों की बात करनी चाहिए।

22 जनवरी 1987 को वित्त मंत्री महोदय मेरा अभिप्राय भूतपूर्व वित्त मंत्री से है प्रधान मंत्री के पास कोई फाइल लाए थे।

एक माननीय सदस्य : आप कैसे जानते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने लिखित में दिया था (व्यवधान) क्या यह कोई आरोप है ? वित्त मंत्री महोदय का प्रधान मंत्री महोदय के पास फाइल भेजना क्या यह कोई आरोप है, महोदय ?

तत्कालीन वित्त मंत्री प्रारम्भिक जांच तथा रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक फाइल प्रधान मंत्री महोदय के पास ले गए थे तथा वह चाहते थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं कुछ घरानों पर छापा मारने के लिए प्रधान मंत्री की अनुमति महोदय 'कुछ' कोई नाम नहीं है। लेकिन अनुमति नहीं दी गई तथा पूर्व वित्त मंत्री प्रधान मंत्री महोदय के कार्यालय से वापिस लौट आए।

एक माननीय सदस्य : आप कैसे जानते है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने उत्तर दायित्व लिया है। (व्यवधान) महोदय इसमें आरोप क्या है क्या मानहानि है। महोदय आप कह दे कि 'प्रधान मंत्री' असंसदीय है मैं 'प्रधान मंत्री शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं मेरी बात करूंगा, मैं उनकी बात कैसे करूंगा।

[अनुवाद]

यह मेरे लिए असम्भव है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक आजाद देश है, वह किसी भी चीज का अन्दाजा लगा सकता है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या किसी विनिर्णय के अन्तर्गत कल्पना शक्ति भी छीनी जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप कल्पना की उड़ान भर सकते हैं,

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह बात 22 जनवरी, 1987 को हुई थी। वित्त मंत्री छापा मारने के किसी निर्देश मिले बगैर ही वापिस आ गए तथा 24 ता० को वित्त मंत्री का विभाग ले लिया गया (व्यवधान) मैं इन दोनों बातों में कोई जोड़ नहीं बैठ रहा है। इनमें कोई कार्य परिणाम जैसा सम्बन्ध नहीं है।दिशा और काल में दो निरपेक्ष घटनाएं घटती हैं अतः मैं इन दोनों बातों में कोई कार्य-परिणाम वाले सम्बन्ध नहीं जोड़ रहा हूं।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : क्या बेसजे है आपके पास।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आप कृपया मुझसे मेरे कक्ष में आकर मिलिए।

(व्यवधान)

मैं वित्त राज्य मंत्री से कतिपय सरल सी पूछ-ताछ करना चाहूंगा। क्या यह सच्चाई नहीं है कि जनवरी के अन्त में और फरवरी के आरम्भ में वित्त राज्य मंत्री श्री ब्रह्मदत्त ने यह दोषरोपण नहीं है महोदय स्विटजरलैंड और इटली की गुप्त यात्रा की थी ? (व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : महोदय मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इकट्ठा ही जवाब दे देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बाद में इकट्ठा ही जवाब दे देंगे। आप नोट कर लीजिए फिर इकट्ठा ही जवाब दे दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : संसदीय शिष्टाचार के अनुसार जब मंत्री जी खड़े थे तो मैं बैठ गया था क्योंकि इस सभा में हम साथ-साथ दो व्यक्ति नहीं हो सकते है तो मैं बैठ गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं इस बात में आप बहुत अच्छे हैं

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन उन्हें बैठने के लिए मजबूर किया गया था। क्या उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है !

प्रो० मधु दण्डवते : अब मैं निर्णायक मुद्दे पर आ रहा हूं। यह वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रधान मंत्री महोदय को दिखाई जाने वाली एक फाइल का प्रश्न है, जिसमें की गई जांच के बारे में महत्वपूर्ण संदर्भ वे मैं एक पूर्वोदाहरण और उन अध्यक्ष महोदय का निर्णय भी उद्धृत करना चाहूंगा। जिन्होंने पांचवीं लोक सभा में यह विनिर्णय दिया था और सौभाग्यवश वे आज भी इस सभा के सदस्य हैं।

महोदय पांचवीं लोक सभा में आयात लाइसेंस के कलंकनीय काण्ड पर कई दिन तक जोरदार बहस हुई थी। मैंने स्वयं भी उसमें भाग लिया था। हमारी यह मांग थी कि हमारी जानकारी तो यह है और हमें बताया गया कि "आप गलत हैं" हमने कहा कि हमारी यह जानकारी है कि फाईल में यह दिया हुआ है और उसमें मंत्री जी के कतिपय संक्षिप्त टिप्पण भी है हमने आग्रह किया ताकि यदि फाइल सभापटल पर नहीं रखी जा सकती, तो कम से कम अध्यक्ष महोदय तो फाइल मंगा सकता है

अध्यक्ष महोदय : या मंत्री महोदय को सभापटल पर रख दिया जाए।

श्री मधु दण्डवते : यदि मंत्री महोदय को सभापटल पर रखा जाएगा तो मेज टूट सकती है। (व्यवधान)

इसलिए पांचवीं लोक सभा में हमने यह कहा था कि यदि संभव हो तो उसका सारांश मंगाकर उसे ही सभापटल पर रख दीजिए। यदि वह स्वीकार्य नहीं है—आज की तरह विपक्ष बहुत निबाहने वाला था—विपक्ष ने अध्यक्ष महोदय, डा० ढिल्लों को सुझाव दिया था कि "हम एक उपाय बता रहे हैं कि आप फाइल मंगवाईये; आप मंत्री महोदय से अपने कक्ष में आने के लिए कहे और तब हम आपके कमरे में आएंगे और हमें फाइल तथा टिप्पिणियां देखने की अनुमति दी जानी चाहिए।" और महोदय, तब अध्यक्ष डा० ढिल्लों महोदय ने निष्पक्ष भाव से निर्णय दिया कि मंत्री महोदय उनकी उपस्थिति में गोपनीय ढंग से विपक्ष के नेताओं को फाइल दिखाएंगे। वे इसे देख सकते हैं लेकिन कोई भी उसमें से कुछ लिखेगा नहीं। आप केवल फाइल की जांच कर सकते हैं। आप सब कागजात देख सकते हैं परन्तु उसमें से कुछ लिखिये नहीं। परन्तु कुछ विपक्षी नेताओं ने जिन्होंने केवल फाइल की जांच की थी उनकी दुर्भाग्यवश बड़ी तीव्र स्मरण-शक्ति थी और जो फाइल की जांच कर सके उन्होंने स्पष्ट रूप से एक मामला तैयार कर लिया गया कि फाइल में कुछ स्पष्ट कमियां थीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज भी फाइल में बहुत सी कमियां हैं। मैं विगत की बात कर रहा हूं न कि आज की। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप मंत्री महोदय जी अथवा प्रधान मंत्री महोदय को निर्देश दे सकते हैं कि वी०पी० सिंह जी जो फाइल उनके कक्ष में से गये वे उसे ले आएं। उसे अपने कमरे में मंगवाकर कृपया हम विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित करें। कृपया मेहमाननिवाज बनिए, महोदय, और हम देखने का प्रयास करेंगे ...

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा आपसे अनुरोध करता रहा हूं परन्तु आप ही अस्वीकृत करते रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं फाइल तक सीधे नहीं पहुंच सकता हूं। इसका भी पूर्वोदाहरण है और अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय भी है और इस सभा में जब आपने भी अनगिनत बार विनिर्णय दिये हैं तो आपने भी विगत के अध्यक्षों के विनिर्णयों को उद्धृत किया है। संभवतः आप इस विनिर्णय को भूल गए हैं और इसलिए, मैंने तो आपको याद भर दिलाया है कि पांचवीं लोक सभा में तत्कालीन अध्यक्ष, डा० ढिल्लों महोदय ने अमुक विनिर्णय दिया था और यह इस अवसर के लिए भी एक दल उचित है तथा यदि यह फाइल आपके कक्ष में लाई जाती है तो आप लोकतंत्र तथा देश के आर्थिक जीवन की बड़े गाढ़े समय में सहायता करेंगे।

श्री वसंत साठे : पहले वह काल्पनिक उड़ान ले रहे थे और अब वे चाहते हैं कि आपको काल्पनिक फाइल भी प्राप्त करनी चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको कैसे पता ?

प्रो० मधु दंडवते : आपने जो पेशकश की है मैंने उसे मान लिया है।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : मराठी में एक कहावत है :

"बोलाचाच भात
बोलाचीच कढी"

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं उसका अनुवाद करूं जो उन्होंने कहा है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह आप दोनों के लिए था।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मेरे विचार से यह पूर्वोदाहरण होने के कारण इन समस्याओं से निपटने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। महोदय, मैं जानता हूं कि आप मुझे रोकना चाहते हैं क्योंकि मैं समय ले रहा हूं परन्तु मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से ही ये समस्याएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। विगत में ऐसे अवसरों पर हम मिलकर साथ बैठे हैं और समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। इसलिए, यह विशेष समाधान जो मैं रख रहा हूं यदि स्वीकार्य कर लिया जाता है—फिर चाहे किसी भी व्यक्ति, या कम्पनी अन्यथा व्यक्ति-विशेष के खिलाफ क्यों न हों कोई अंतर नहीं पड़ता—सम्भवतया हम सही तस्वीर प्राप्त कर सकें और इससे इस लोक सभा की श्रीमन नैक-पाक (मिस्टर क्लीन) के रूप में तस्वीर बन जाएगी। मैं यह तस्वीर लोक सभा के लिए चाहता हूं कि किसी व्यक्ति-विशेष के लिए। इस संदर्भ में मैं एक सूचना चाहता हूं। शायद मैंने समाचारपत्रों से इकट्ठी की है और यह गलत भी हो सकती है। एक बार मैंने समाचारपत्र में पढ़ा था कि स्विटजरलैंड में एक नया विधान लागू किया गया है। और उसमें उन्होंने यह घोषणा की थी कि यदि किसी देश की सरकार किसी विशेष बैंक में अपने देश की कुल जमा निधि के बारे में पूछती है, तो वे जानकारी देने के लिए तैयार होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ब्रह्मदत्त जी वहां गए और पता लगाया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : विपक्ष के नेता उनकी सहायता के लिए जा सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यह बहुत अच्छा निष्पक्ष रहेगा। यदि इस प्रकार का विधान वहां लागू किया गया है, तो मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या उस मामले में स्विस बैंकों में भारतीयों की कुल निधि का पता लगाया जा सकेगा अथवा निधि का कम्पनीवार और व्यक्तिवार अलग-अलग विवरण भी उपलब्ध हो सकेगा।

श्री ब्रह्मदत्त : आपके पास उस विधान की एक प्रति भी अवश्य होगी।

प्रो० मधु दंडवते : यह मेरे नोट हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे सुझाव दे रहे हैं। आप सुझावों को ध्यान में रखें।

श्री ब्रह्मदत्त : मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक यह सब कह रहा हूं। यदि आपके पास इसकी प्रति है, तो मैं इसे देखना चाहता हूं अन्यथा मैं इसे प्राप्त करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : यदि स्विटजरलैंड का यही नया, विधान है कि यदि कोई सरकार वहां के खातों की कुल निधि के साथ-साथ उस देश के खाते जानना चाहती है तो वह उपलब्ध हो सकेंगे, मैं केवल और यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या व्यक्तिवार और कम्पनीवार विवरण उपलब्ध हो सकेगा। यदि ऐसा हो सकता है तो सरकार को जानकारी लेनी चाहिए ताकि हम यह जान सकें कि वास्तव में क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय वह तो जरूर करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, पूरी सभा की ओर से मैं एक अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और यदि यह आपके माध्यम से आती है तो और भी अच्छा होगा। दुर्भाग्यवश देश के विभिन्न भागों के आर्थिक अपराधी अपनी अवैध रूप से प्राप्त धन तथा काले धन को स्विटजरलैंड के बैंक में जमा कर रहे हैं। यह सभा सर्वसम्मति से यह आवाज उठाए और उसको विश्व तक पहुंचाए कि हम स्विटजरलैंड की सुन्दर भूमि को न केवल इस देश के बल्कि विश्व के किसी भी भाग के घिनौने आर्थिक अपराधियों की शरणस्थली नहीं बनने देंगे। यदि हम स्विटजरलैंड सरकार पर आर्थिक अपराधियों के इस गन्दे को दूर फेंक के लिए आवश्यक विधान लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, तो यह महान योगदान होगा। मुझे आशा है कि कम से कम इस बात पर सहमत सभा एकमत होगी हम अध्यक्ष महोदय को पूरे जोर-शोर से हमारी आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में समस्त सभा इस विचार से कभी भी असहमति नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। एक बात जो व्यक्तिगत मेरे बारे में कही गयी है, मैं उसका स्पष्टीकरण कर दूं। मैं उसको एलीगेशन नहीं

मानता। शायद वह बात अनजाने में कही गयी हो। जनवरी में मैं इटली गया था। इटली गवर्नमेंट के मिनिस्टर के इन्वीटेशन पर गया था। स्विटजरलैंड मैं नहीं गया। स्विटजरलैंड को मैंने टच नहीं किया। (व्यवधान) मैं अपना पासपोर्ट, अपना वीजा आदरणीय प्रो० दंडवते जी को कल प्रेषित कर दूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैंने उनकी यह बात मान ली है कि वे स्विटजरलैंड नहीं गए!

श्री एच० के० एल० भगत : उन्होंने ऐसा कहा। उत्तरदायित्व की किस भावना से ऐसे दोषारोपण यहां किए जाते हैं। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उन्होंने यह बात कही है। उन्हें इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने कहा है कि वे इटली गए थे और ··· (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : प्रो० दंडवते बहुत ही उदार तथा खुले हृदय के व्यक्ति हैं। मुझे आशा है वे क्षमा मांग लेंगे··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा है कि क्या वह इटली गए थे या स्विटजरलैंड? उन्होंने मुझे अपनी समय-सारणी बताई है तथा उन्होंने कहा है कि वे इटली गए थे, वे स्विटजरलैंड नहीं गए थे। मैंने कहा, ठीक है। वहां क्या है। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : आपने यह कह कर एक बहुत ही अभद्र आक्षेप लगाया है कि यह एक गुप्त मिशन था। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : इन्होंने इसे 'गुप्त दौरा' कहा है। इन्होने कहा है कि वे स्विटजरलैंड गए थे। इस संबंध में यह एक आक्षेप है। उन्हें बिना शर्त क्षमा मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एच० के० एल० भगत : तभी तो पता लगा कि आप कितनी जिम्मेदारी से बात करते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : उन्हें इससे बचने नहीं दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या करते हैं आप, जयपाल जी आज तो सब आपकी नकल कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई सुनने दे तब न, आज तो सब शेर बने हुए हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : ये माफी नहीं मांग रहे हैं जो इन्होंने सीक्रेट मिशन और स्विटजरलैंड के बारे में कहा है तो अगर माफी नहीं मांगते तो विथड्रा कर लें, इनडायरेक्टली माफी मांग लें।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक आदमी को बोलने दीजिए, सबकी बात एक साथ तो नहीं सुनी जा सकती।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैंने कहा ये इटली और स्विटजरलैंड गए थे। उन्होंने कहा मैं केवल इटली गया था। ठीक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप वापस ले लीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं स्टिरजरलैंड की टिकट लेकर नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा था न कि सीक्रेट मिशन पर गए थे, आप कह दीजिए कि मैं इसको वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

क्या आप वापिस ले रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनको बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

कृपया आप बैठ जाइये। गृह मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। यहां कोई भी काले बाजारी की बात सुनना नहीं चाहता।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष जी, जब प्रो० साहब इस प्रकार के लांछन लगा रहे थे तो मैंने एक शब्द कहा था कि लांछन जिम्मेदारी के साथ लगाना चाहिए, मैंने उस वक्त कहा था कि रेसपासिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : तो क्या हुआ।

सरदार बूटा सिंह : अब सुन तो लीजिए, आप तो सारा दिन बोलते हैं इस सदन में, हमें भी तो सुन लीजिए।

मान्यवर मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया और जो सबूत वे कल पासपोर्ट आदि का पेश करने जा रहे हैं....।

प्रो० मधु दंडवते : जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : जरूरत नहीं है। मुझे पासपोर्ट नहीं चाहिए। मैं इनकी बात मान लेता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुनिए, शोर मत कीजिए। बैठ जाइए।

[अनुवाद]

क्या आप "सीक्रेट मिशन" की बात वापस लेंगे।

[हिन्दी]

आपने कहा था कि "सीक्रेट मिशन पर गये थे।"

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : सीक्रेट मिशन ? उसमें ऐसा क्या है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वापिस ले लिया। ठीक है।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : हो गई है।

सरदार बूटा सिंह : मुझे कंप्लीट करने दीजिए, वाक्य पूरा करने दीजिए। मैंने कहा था कि लांछन जिम्मेदारी के साथ लगाना चाहिए तो प्रो० साहब ने कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ लगाता हूं। अब जिम्मेदारी का तकाजा यह है कि मंत्री जी के जवाब के बाद प्रो० साहब अपना लांछन वापिस लें।

अध्यक्ष महोदय : ले लिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैंने कहा है कि वे नहीं गये थे। मैं उनका पासपोर्ट देखना नहीं चाहता। जब वे कहते हैं कि वे स्विटजरलैंड नहीं गये थे, मैं इसे मान लेता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों करते हैं, सुनते क्यों नहीं हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैं उनसे स्विटजरलैंड की हवाई यात्रा का किराया नहीं ले रहा हूं। मैंने नोट कर लिया है कि वे केवल इटली गये थे। बस यही बात है।

श्री बसंत साठे : यह गलत है। वे क्या कहते हैं। वे बिना सोचे समझे आरोप लगा रहे हैं। मुझे इस बात को स्पष्ट करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब इन्होंने 'सीक्रेट मिशन' शब्द वापिस ले लिए हैं।

श्री बसंत साठे : नहीं महोदय, उन्होंने मंत्री के शब्द को मान लिया है वे पासपोर्ट देखने वाले कौन होते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं नहीं चाहता कि आप उनके द्वारा अनुशासित हों। वे आपको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, यह आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं....

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा 'सीक्रेट मिशन' ..

प्रो० मधु दंडवते : वह ठीक है, वह मेरा कहना है उसकी यह व्याख्या भी हो सकती है। मेरे विचार से 'सीक्रेटली' का अर्थ है बिना पासपोर्ट के गुप्त रूप से जाना। 'सीक्रेट' शब्द का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है बिना शोर-गुल के, बस यही है। किस प्रयोजन से वे जा रहे है, जब लोग जाते हैं सामान्य तौर पर इसकी घोषणा की जाती है। ऐसा होता है, जब कोई मंत्री जाता है। मैं मंत्री था। उदाहरण के लिए जब मैं विदेश उस देश के राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार के लिए गया तो इसकी घोषणा की गई थी कि मैं इस विशेष प्रयोजन के लिए जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० महोदय यह आरोप का प्रश्न है।

श्री बसंत साठे : इन्होंने माननीय मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाया है। अब इन्हें एक अच्छे व्यक्ति की भांति इसे वापिस ले लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, प्रो० महोदय ...

प्रो० मधु दंडवते : मैं इसे वापस नहीं लूंगा।

श्री बसंत साठे : एक खिलाड़ी की भांति, उन्हें वापस ले लेना चाहिए....

अध्यक्ष महोदय : प्रो० महोदय, एक मिनट।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इसे वापस नहीं ले रहा। इस तथ्य को छोड़कर कि मैं यह मानता हूं कि वे स्विटजरलैंड नहीं गये थे मैंने जो कुछ भी कहा है उसका एक भी शब्द वापस नहीं लूंगा (व्यवधान) मैं एक भी पंक्ति वापस नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० महोदय, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

ऐसा करने से कोई फायदा नहीं हैं। आप सब लोग क्यों बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

सदन का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० महोदय, आपके कहने का मतलब है कि आपने कोई लांछन नहीं लगाया ?

प्रो० मधु दंडवते : नहीं ।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : माननीय सदस्य मेरे से बहुत वरिष्ठ बुजुर्ग हैं । मैं उनका बहुत आदर करता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ।

श्री ब्रह्म दत्त : जो बात उन्होंने कही कि यह बिजीट सीक्रेट थी और मैं स्विटजरलैंड गया तो कल आपकी सेवा में पूरा प्रोग्राम···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह तो आपने मान लिया है ।

श्री ब्रह्मदत्त : पूरा सुन लें । पूरा प्रोग्राम, अपना पासपोर्ट और वीसा आपको प्रेषित कर रहा हूं और आप यह फैसला करें कि इस समय वे जो तमाम बातें कही गई हैं, ये कहां तक उचित थी और कहां तक नहीं थी । अगर यह बात गलत कही गई है और अगर मेरे पास वास्तव में डाक्युमेंट न हो तो उस दशा में क्या पोजीशन होगी । मैं आपके ऊपर निर्भर करता हूं और अपने सम्मान की रक्षा का भार आप पर सौंपता हूं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या मैंने कहा था कि वे बिना पासपोर्ट के गये थे ?

]हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बात कर लेने दीजिए ।

[अनुवाद]

आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं । यह बात हम तीनों के बीच है । प्रो० साहब, मंत्री तथा मैं उनकी बात सुन रहा हूं । इस ओर माननीय मंत्री हैं, दूसरी ओर प्रो० दंडवते । आइए, मामले का फैसला करें ।

श्री वसुदेव आचार्य : लांछन का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह सब जो प्रो० दंडवते द्वारा कहा गया था वह·· (व्यवधान)

3.00 म० प०

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : हम यहां किस बात पर विचार करने जा रहे हैं । उन्हें इन बातों को साबित करना चाहिए । हमें यहां इस बारे में निर्णय लेना है ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी । इस सदन में यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बैठ जायें तो हम फैसला कर लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक बात कही है कि इन्सीन्यूएशन है मिनिस्टर साहब के खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, कोई भी कहे। चाहे वह कहें चाहे यह कहें। मेरी बात सुनिए, आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : लांछन नहीं। मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात तो सुनें।

[अनुवाद]

आपका मतलब नहीं था····(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : उन्होंने कहा, यह एक मंत्री के रूप में सीक्रेट मिशन पर गये थे। यदि यह लांछन नहीं है तो क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके साथी आपकी बात सुनने नहीं देते मैं क्या करूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर भानु प्रताप, आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : क्या उनका दौरा सीक्रेट था या नहीं ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं अभी भी कहता हूं कि यह उनका सीक्रेट दौरा था तथा इसकी घोषणा राजनीतिक सर्किल द्वारा नहीं की गई थी। यह कोई लांछन नहीं है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ये चर्चा से बचना चाहते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप देखें, मैं बीच में बोल रहा हूं, आप बीच में बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जसपाल रेड्डी : क्या इस प्रकार से सदन का समय व्यर्थ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : इसे इस प्रकार व्यर्थ नहीं होने दिया जायेगा।

श्री एस० जसपाल रेड्डी : ये चर्चा नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय : एक ही चीज जो मैं पहले भी चाहता था और अब भी चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य प्रो० दंडवते का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो भी तथ्य उनके पास हैं तथा वे उनके बारे में आश्वस्त हैं, उन्हें बताने चाहिए। यह कह कर कि वे वहां गये थे (व्यवधान) शांत रहिए।

प्रो० मधु दंडवते : यदि यह आरोप है अथवा यह मानहानि का आरोप है····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। मैं यह कह रहा हूं। यदि आप यहां कुछ कहते हैं तो बेहतर होगा आप पहले उसके बारे में आश्वस्त हो लें। हम जानते हैं कि कुछ हुआ है। हो सकता है यह केवल धारणा हो। (व्यवधान)

[हिन्दी]

आप मेरी बात को गाली समझें तो यह अच्छी बात नहीं है।

[अनुवाद]

यदि कोई इसे इस तरह लेता है, तो मैं अनुमति नहीं दूंगा।

एक माननीय सदस्य : हो सकता है यह एक आम धारणा हो।

अध्यक्ष महोदय : आम धारणा का प्रश्न नहीं है। कुछ लोग आम धारणा पर स्पष्ट हो जाते हैं।

[हिन्दी]

जो कुछ होता है हिसाब से करें। इस तरीके की बात मत करो, यह बुरी बात है, यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। शोर मत कीजिए।

[हिन्दी]

वह कहेंगे, किसी न किसी पर स्लोगेशन लगता है, किसी को बुरा लगता है तो क्यों कहें वह बात।

[अनुवाद]

मैं इसे अनुमति नहीं दूंगा। तथा साथ ही मैं अन्य सदस्यों को भी चेतावनी देता हूं कि वे जो कह रहे हैं, सच होना चाहिए। मैं भी प्रो० दंडवते से पूछ रहा हूं जब तक वे आश्वस्त नहीं हैं, उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। हो सकता है यह सच न हो। मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : प्रो० दंडवते ने बोलते हुए यह बताया कि मैंने कुछ फाइलें मंगवाई थी तथा विपक्षी दलों को उनकी जांच करने के लिए आमंत्रित किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अनेक बातें हुई हैं। किन्तु भूतपूर्व अध्यक्ष के रूप में मैंने कभी भी इस

सभा में अपनी राय नहीं की। किन्तु मुझे याद है कि तुल मोहन या एल० एन० मिश्र के मामले में

प्रो० मधु दंडवते : तुल मोहन राम का मामला ···

डा० जी० एस० ढिल्लों : जी हां, तुल मोहन का मामला। सी० बी० आई० की एक रिपोर्ट के बारे में कुछ विवाद था। और मैंने सभा और विपक्षी दल के नेताओं से पूछा था। उस समय उस ओर श्री मोरारजी देसाई थे और इस ओर श्रीमती इन्दिरा गांधी थी हमने मामले पर चर्चा की थी और उन दोनों ने एक निश्चित पद्धति पर सहमति व्यक्त की कि सी० बी० आई० फाईल में एक मुद्दे की विशेष जांच मेरी उपस्थिति में की जा सकती हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वह ठीक है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : दोनों तरफ से वह केवल एक समझौता था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें शोर करने की कौन-सी बात है। यह क्या हो रहा है (व्यवधान) आप लोगों को क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शांत रहे। कृपया बैठ जाइए। प्रो० साहब क्या आपको याद नहीं है ? मैंने भी ऐसा ही किया था। प्रो० दंडवते मेरे पास आये थे।

[हिन्दी]

बौम्बे वाले केस में मैंने किया था, मुझे याद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

अब श्रीमान दिनेश सिंह।

यह कोई नई बात नहीं हुई।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैं डा० ढिल्लों की बात से पूरी तरह सहमत हूं। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब सीमा से रहें। मैं कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होने दूंगा।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान अब कुछ महीनों से ऐसी धारणा पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वित्त मंत्रालय की पहल पर कतिपय संवेदनशील पहलुओं पर किसी प्रकार की जांच की जा रही है और उसके परिणाम स्वरूप कुछ कार्यवाही भी की गई है।

अब मैं बहुत प्रसन्न हूं कि प्रो० मधु दंडवते यह प्रस्ताव सभा के सामने लाये हैं और तथ्यों को बताने का अवसर दिया है ताकि इस तरह की गलत सूचनाओं को समाप्त किया जा सके और सरकार की विश्वसनीयता में बाधाकारी प्रयासों को रोका जा सके। उस सीमा तक हम सबको प्रो० मधु दंडवते और श्री जयपाल रेड्डी को धन्यवाद देना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : धन्यवाद।

श्री दिनेश सिंह : यदि आप देखेंगे तो (व्यवधान) क्या आप को कोई आपत्ति है, प्रोफेसर साहेब।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इसे सधन्यवाद स्वीकार करता हूं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : वे तो आपस में माफी मांग लेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : वे मांगने के लिए कभी कहेंगे ही नहीं। आपमें और उनमें फर्क ही यही है।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : मुझे विश्वास है आप ऐसा करेंगे। आप बहुत ईमानदार हैं। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : नियम 193 के अन्तर्गत आदेश पत्र में उल्लिखित आज की चर्चा निम्नानुसार है :

> "विदेशों में बहुत अधिक गैर-कानूनी निधियों को रखने वाले भारतीयों के मामलों की जांच के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त राज्य आर्थिक गुप्तचर एजेंसी फेयरफेक्स ग्रुप को नियुक्त करने के संबंध में चर्चा किया जाना।"

मैंने माननीय प्रोफेसर साहब से आशा की थी कि वे नियुक्त की गयी एजेंसी और संभव मामलों दोनों के बारे में सभा को कुछ सूचना देंगे ताकि इस सभा को और अधिक जानकारी मिल सके और सरकार को इन मामलों को देखने के और अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। यह खेदजनक बात है कि मैं प्रोफेसर साहब का बहुत आदर करता हूं और सदैव उनसे सूचना प्राप्त करने की आशा करता हूं, किन्तु ··

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हारबर) : उन्हें फेयर फेक्स के मामले से न उलझायें। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह फेयर फैक्स नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : मुझे कहना चाहिए कि मुझे काफी निराशा हुई। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : फाईल निराशाजनक नहीं थीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्ता, व्यवधान न डालें। शान्त रहिए।

श्री दिनेश सिंह : मैं यह कहूंगा कि मुझे बहुत अधिक निराशा हुई कि प्रोफेसर साहब ने संबंधित एजेन्सी के बारे में कुछ नहीं बताया कि क्या यह एजेन्सी अभीष्ट थी या अनभीष्ट, क्या यह एजेन्सी इस प्रकार की जांच-पड़ताल के लिए अधिकारी सक्षम थी या नहीं, इस एजेन्सी में किस

प्रकार के लोग कार्यरत हैं। न ही वह कोई उदाहरण बता सके, ऐसा रास्ता बता सका जिसका सरकार अनुसरण करे। उन्होंने किसी फाइल के बारे में बात की थी जिसके बारे में सभा में में दोनों ओर से बात हुई थी। मैं नहीं समझता कि इसमे कोई गंभीर सूचना थी····(व्यवधान) मैं केवल यह कह रहा हूं कि यदि ऐसी कोई फाईल की यदि इसमें कोई सूचना थी और यदि प्रोफेसर को फाईल के बारे में पता चला है तो, मुझे विश्वास है कि उन्हें सूचना के बारे में भी पता होगा (व्यवधान)

श्री एम० जयपाल रेड्डी : तो श्री दण्डवते को शासकीय गोपनीयता अधिनियम के अधीन दंडित किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : मैं प्रो० मधु दण्डवते को इस सभा का कोई साधारण सदस्य नहीं समझता जो केवल किसी अहानिकारक पत्रिका या समाचार पत्र या कहीं अन्य स्थान पर प्रकाशित किसी समाचार की बात करें ··(व्यवधान) मैं अनुभव करता हू कि जब वह सभा के सामने आते हैं तो वे अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और गौरव के साथ आते हैं। किन्तु मुझे यह कहने में खेद है कि आज ऐसा नहीं है।

प्रोफेसर साहब ने एक मामला रखा कि भारतीय जांच-तंत्र विदेशी कम्पनियों के मामलों की जांच करने के लिए उपयुक्त नहीं है और इसलिए एक विदेशी जांच एजेन्सी की नियुक्ति करनी पड़ी। उन्होंने महारानी गायत्री देवी की चोरी के मामले की बात की जिसकी जांच की जा रही है। मेरे विचार से दोनों मामलों का कोई भी संबंध नहीं है। किसी गुप्तचर एजेंसी का चोरी के मामले की जांच करना उचित ही है। किन्तु किसी एजेंसी को किसी गंभीर मामले की आर्थिक जांच करने के लिए कहना एक बिल्कुल अलग बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : केवल सुधार के लिए, न केवल चोरी अपितु, उसके बाद विदेश में उसकी परिसम्पत्तियों की भी जांच पड़ताल की गयी थी।

श्री दिनेश सिंह : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, न ही किसी परिसम्पत्तियों की जांच पड़ताल की ही कोई जानकारी है। और यदि प्रोफेसर साहब के पास ऐसी जानकारी है तो वे बेशक सभा को अधिक विस्तार से बतायेंगे। ऐसी प्रथा है कि ऐसी जांचे पड़ताल करायी जाती है क्योंकि प्रोफेसर साहब ने स्वयं कहा है कि कुछ भारतीय ऐजेंसियां ऐसा करती हैं। मैं समझ सकता हूं कि—सी० बी० आई० या राजस्व गुप्तचर विभाग चाहेंगे कि किसी अन्य देश में कुछ बातों का पता लगाया जाये किन्तु उसके लिए उनके पास उपर्युक्त तंत्र नहीं हैं। किन्तु किसी भारतीय जांच एजेंसी द्वारा बाहरी एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच करायी जाये। मैं समझता हू कि यह बहुत हैरानी की बात है कि जांच एजेंसी के माध्यम से जांच कराये बिना स्वयं ही बाहरी एजेंसी नियुक्त करे। और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या मंत्रालय ने विदेशी जांच एजेंसी को किसी भारतीय एजेंसी केन्द्रीय जांच ब्यूरो या राजस्व गुप्तचर विभाग या जो भी अन्य तंत्र सरकार के पास है, के माध्यम से मामले की जांच करने के लिए कहा है, या क्या मंत्रालय ने सीधे उस एजेंसी से बात की है। मैं समझता हूं यह एक गंभीर मामला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपसे सहमत हूं।

श्री दिनेश सिंह : मैं प्रसन्न हूं कि माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत हैं। विदेशी जांच एजेंसियों के द्वारा जांच कराने के मामलों में मुझे कुछ खतरा सा लगता है। एक बार यह कार्य हमारी एजेंसी के माध्यम से हो जाता है कि उनके पास यह पता लगाने की विशेषज्ञता हो जायेगी

कि रिपोर्ट का कौन-सा भाग है जो विश्वसनीय है और इसका कौन से भाग में गलत सूचना दी गयी है। मैं नहीं समझता कि मंत्रालय के पास यह कार्य करने की विशेषज्ञता है और इसलिए यदि मंत्रालय ने यह काम किया है तो मैं इसे एक बहुत खतरनाक काम मानूंगा और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे स्पष्ट करेगी और सभा को आश्वासन दिलायेगी कि भविष्य में ऐसे कदम नहीं उठाये जायेंगे। मैं यह क्यों कह रहा हूं। हम फेयर फेक्स कम्पनी को लेते हैं। फेयर फेक्स कम्पनी क्या है? मैं चाहूंगा कि सरकार इस विषय को स्पष्ट करे कि क्या उन्होंने फेयर फेक्स जांच दल की पृष्ठिभूमि देखी है। उन्होंने यह पता लगाया है कि आर्थिक मामलों की जांच करने के लिए अपेक्षित सक्षमता इसमें है या नहीं। समाचार पत्रों में जो कुछ भी छपा और निःसंदेह प्रोफेसर साहब ने यह पढ़ा होगा। यह एजेंसी राजनीतिक जांच एजेंसी किस्म की अधिक थी जिसने वाटर गेट और अन्य कांडों की जांच की थी। मुझे इसी बात का डर है कि सभी एजेंसियां अपने-अपने देशों की गुप्तचर एजेंसियों से संबद्ध है। मैं नहीं जानता। मैं किसी कम्पनी के विरुद्ध, चाहे वह यहां हो या वहां, कोई आरोप नहीं लगाना चाहता किन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उनकी पृष्ठभूमि देखी गयी थी। क्या किसी प्रकार के आश्वासन की आवश्यकता थी और यह आश्वासन प्राप्त किया गया था कि इसका सी०आई०ए० के साथ कोई संबंध नहीं था। यदि इसका संबंध सी०आई०ए० के साथ था तो इस बात का गंभीर खतरा था कि कोई गलत प्रकार की सूचना हमें दी जा रही हैं और जो मंत्रीपीठ के व्यक्तियों सहित हमारे देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचायेगी। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : श्रीमान सिंह, इस एजेन्सी को वास्तव में लाने वाले आदमी को अब रक्षा मंत्रालय में क्यों रखा गया है ....? ((व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि वैसा वह रक्षा मंत्रालय में करता है, तो देश की स्थिरता को और अधिक खतरा होगा ...। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : अब उस आदमी को रक्षा मंत्रालय में क्यों रखा गया है? क्या आप इस बात को स्पष्ट करेंगे? (व्यवधान)।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, मैंने सोचा कि यह चर्चा एक दलगत नीति से ऊपर उठकर की गई चर्चा है....(व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक निष्पक्ष चर्चा है, क्योंकि यद्यपि उनके वित्त मंत्रालय ने निर्णय लिया था फिर भी वह आलोचना कर रहे हैं। मेरे विचार में यह वास्तव में निष्पक्ष चर्चा है।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, अब कठिनाई यह है कि प्रो० मधु दण्डवते जब सरकार में थे तब वे मंत्रालय को ऐसा मानते थे जैसे उनका अपना हो और अब वह मुझे बताते हैं कि यह मेरा वित्त मंत्रालय है। मैं सरकार की किसी भी एजेन्सी को अपनी होने का दावा नहीं करता। मेरा विश्वास है कि इसका जितना सम्बन्ध देश से है उतना ही प्रोफेसर से उतना ही हम से अथवा सरकार से। प्रश्न केवल यह है कि इनमें काम करने का किसे अवसर मिलता है और हम सबको समय-समय पर वह अवसर मिला था।

मैं जो मुद्दा उठ रहा था वह यह था कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं (व्यवधान)।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह कटाक्ष कर रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह : मैं तो निवेदन भी नहीं कर रहा हूं मैं तो मात्र अपना डर ही बता रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि श्री जयपाल रेड्डी भी केवल अपना ही डर ही व्यक्त करेंगे और आरोप नहीं लगायेंगे।

अब मुद्दा यह है कि यदि कम्पनियों, व्यक्ति विशेषों के कार्यों की जांच करने का एक नाजुक मामला प्रत्यक्ष रूप से ऐसी विदेशी एजेन्सियों को सौंपा जाता है, जिनकी अपनी पृष्ठभूमि तक स्पष्ट नहीं है, तो हमें जो कुछ मिलने की संभावना है वह बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा अभियमित गलत सूचनाओं का एक सैट होगा। और उसका क्या परिणाम होगा ?··· (व्यवधान)।

श्री नारायण चौबे : वे कौन से नाजुक मामले हैं क्या वह कृपया उनका उल्लेख करेंगे।

]हिन्दी]

श्री दिनेश सिंह : चौबे जी दिक्कत यह है कि चुनाव में बहुत सफलता मिली है, वह वहीं की बात कर रहे हैं, यहां की नहीं सोच रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह तो खत्म कर दिया।

श्री दिनेश सिंह : यह नहीं खत्म कर पायेंगे, इसलिए परेशान हैं।

]अनुवाद]

मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले की बहुत ही सावधानी पूर्वक जांच करें। क्योंकि इस कम्पनी के चेयरमैन द्वारा कतिपय वक्तव्य दिए गए हैं जिन पर मुझे चिन्ता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह समाचार पत्र कौन सा है ?

श्री दिनेश सिंह : यह स्टेटमैन है जो आपकी दुनिया के हिस्से में प्रकाशित हुआ है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसे स्वीकार करते हैं।

श्री दिनेश सिंह : मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैं उनके द्वारा किये गये उद्धरणों को स्वीकार करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जिम्मेदार समाचार पत्र जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है भी···· करेगा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो कि अन्यों की तुलना में अधिक स्वीकार्य है।

श्री दिनेश सिंह : "श्री भूरे लाल के माध्यम से सरकार द्वारा हमें कार्य सौंपा गया और मैं समझता हूं वित्त मंत्रालय द्वारा उच्चतम स्तर पर स्वीकृत ही दी गई थी।"

अब इससे पता चलता है कि इस पर देश की सामान्य जांच करने वाली एजेन्सी के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई थी।

तत्पश्चात एजेन्सी कतिपय मूल्य सम्बन्धी निर्णय की जांच करती है और इसी से मेरे दिमाग में सन्देह पैदा होता है। इसमें कहा गया है।

> "न केवल श्री गुरुमूर्ति को ही बल्कि श्री गोयनका तथा श्री भूरे लाल के साथ भी भयंकर अन्याय किया गया प्रतीत होता है।"

वह पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि उनके साथ कुछ अन्याय किया गया है। एजेन्सी ने जो जांच की है वह आर्थिक जांच है।

मेरे विचार में श्री भूरे लाल विधि प्रवर्तन विभाग के नितान्त ईमानदार तथा समर्पित अधिकारी हैं। इस देश में यह कल्पनातीत होगा कि वरिष्ठ विधि प्रवर्तन अधिकारी को अपना कार्य करने के लिये उसके पद से हटाया जायेगा। वह कतिपय राजनीतिक निष्कर्षों पर पहुंचे हैं जिसके लिए, मुझे आशा है, उन्हें नियोजित नहीं किया गया था और फिर भी उन्होंने उसकी जांच की है और वह वहां ही नहीं रुके है। यह प्रधानमंत्री तथा अन्य लोगों के खिलाफ आरोप लगाता है। इसी बात की मुझे चिन्ता है कि क्या इस एजेन्सी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की आर्थिक जांच करना अथवा सरकार के खिलाफ प्रधान मंत्री के खिलाफ, विभिन्न अन्य लोगों के खिलाफ एक राजनीतिक मामला तैयार करना था ?

(व्यवधान)

श्री एस० जसपाल रेड्डी : क्या ही अदभुत निष्कर्ष निकाला है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : श्री वी० पी० सिंह के खिलाफ यह एक परोक्ष कटाक्ष है।

श्री दिनेश सिंह : प्रोफेसर की तरह मैं कोई कटाक्ष नहीं करता। मेरा एक सामान्य-सा प्रश्न है और एक सामान्य वक्तव्य है और मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ कहा है प्रोफेसर उससे ज्यादा अर्थ नही निकालेंगे। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं तो आपके दावे को मानता हूं परन्तु पीठासीन अधिकारी महोदय को भी आपके दावे को मानना चाहिये

श्री दिनेश सिंह : और फिर प्रोफेसर ने तब यह भी कहा है प्रधानमंत्री से परामर्श क्यों नहीं लिया गया ? मेरे विचार में वह भी एक गम्भीर मामला है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने कहा था कि क्या उनके साथ परामर्श किया गया था और यदि नहीं, तो उनके साथ परामर्श क्यों नहीं किया गया था ?

श्री दिनेश सिंह : अपने सामान्य तरीके में उन्होंने भिन्न ढंग से कुछ कहा था। (व्यवधान)

मैं तो केवल उसी बात को पकड़ रहा हूं जहां उन्होंने इसे छोड़ा है आप इस बात को महसूस नहीं करते है कि मैंने प्रोफेसर की कितनी अधिक प्रशंसा की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब आप गुप्त बातों को उद्घाटित कर रहे होंगे, तथापि मैं जानता हूं कि आपको क्या बताया गया है।

श्री दिनेश सिंह : प्रोफेसर ने अपने सामान्य कटाक्ष करने के तौर पर प्रश्न पूछे हैं कि प्रधान मंत्री से परामर्श नहीं किया गया था संभवत: क्योंकि उनके लिए यह परेशान करने वाली बात होगी। अब वह जो कटाक्ष कर रहे हैं वह अपने आप में एक गम्भीर कटाक्ष है। उसका मतलब यह है कि वित्त मंत्री जो कुछ कर रहे थे वह प्रधान मंत्री की पीठ पीछे कर रहे थे जिसके लिए प्रधान मंत्री को परेशानी होगी और वह उस समय उसको उद्घाटित नहीं करेंगे परन्तु अन्त में एक कहानी गढ़ लेंगे और इसे एक प्रकार के ब्लैक मेल के रूप में प्रधान मंत्री के समक्ष रख देंगे। (व्यवधान)

यह एक बहुत ही गम्भीर आक्षेप है। मैं आशा करता हूं कि यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जायेगा कि ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था क्योंकि मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में कार्य करता

है। प्रोफेसर आप स्वयं इस बात को जानते है, यद्यपि दुर्भाग्यवश कभी-कभी इसमें मतभेद हो जाता है। परन्तु अन्तनोगस्वा यह एक आवाज के साथ कार्य करता है और प्रधान मंत्री इस टीम के मुखिया तथा कैप्टन हैं। (व्यवधान) मंत्रिमण्डल का कोई भी सदस्य ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहेगा क्योंकि प्रधान मंत्री कैप्टन हैं। किसी भी सदस्य द्वारा की गई हर प्रकार की कार्यवाही जिसका असर पड़ सकता है, से उन्हें पूर्णतया सूचित किया जाना चाहिए जब कभी भी उनकी अनुमति सरकार के कार्यकरण के लिए नियमों, की आवश्यकता होती है, वह मांगी जानी चाहिये। लेकिन कार्यकरण के जो भी नियम हैं। उनके बारे में प्रधान मंत्री को पूर्णतया अवगत रखा जाना चाहिये, प्रत्येक मंत्री अपना कार्य करता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मंत्री की मरजी पर··।

श्री दिनेश सिंह : प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति की मरजी पर (व्यवधान)। इस जैसे गम्भीर वाद-विवाद में मैं किसी प्रकार की मरजी का बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहा हू। मैं तो कर्तव्यों और जिम्मेदारी की जानकारी दे रहा हू और इसलिए महोदय, मेरे विचार में इस प्रकार का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण तथा गम्भीर है और मैं आशा करता हूं कि इसको समुचित रूप से दूर किया जायेगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आरोप किसके खिलाफ ? (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : यदि मैं अन्तिम कुछेक क्षणों में सभा के समक्ष इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सका हूं, तो माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी, मुझे इसके लिए खेद है। मैं इसे दोहराने के लिए पुनः सभा का समय नहीं ले सकूंगा। सम्भवतया आप इसे कल पढ़ सकते हैं, जब यह कार्यवाही वृतान्त आपके पास आएगा। (व्यवधान)

इस सम्बन्ध में मुझे भय है कि फेयरफैक्स ग्रुप लि० के अध्यक्ष श्री हर्शमैन ने कहा है कि कुछ ऐसे पत्र हैं जो हो सकता है केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा फेयरफैक्स के नाम से लिखे गए हैं। महोदय मुझे इस विषय में आशंका है कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा फेयरफैक्स के नाम से वे पत्र लिखे गए थे या इस कम्पनी ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को गलत जानकारी दी इस कम्पनी के बारे में इस प्रकार का भय है।

प्रो मधु दंडवते : उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा किया है।

श्री दिनेश सिंह : मैं केवल समाचार पत्रों का ही हवाला दे रहा हूं (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्हें वे पत्र दिखाने दीजिए जिनमें फेयरफैक्स ने उद्धरत किया हो (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि श्री जयपाल रेड्डी कम्पनी को बचाने की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं। फेयरफैक्स के साथ आपके क्या सम्बन्ध हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : श्री जयपाल रेड्डी की बात को स्वीकार नहीं कर रहा हू। उन्हें स्पष्टीकरण देने का पूरा समय मिलेगा।, (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहूंगा। मैंने अपनी आशंका इस सभा और आपके समक्ष व्यक्त कर दी है और मैं महसूस

करता हूं कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा। मैं केवल यह चाहता हूं कि यह सभा इस बात को ध्यान में रखे कि इस प्रकार किसी अनजान एजेंसी को लापरवाह से ऐसा दायित्व सौंपकर देश की प्रतिष्ठा को नष्ट करना बहुत ही आसान है। महोदय, इस प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त करना बहुत कठिन बात है किसी माननीय सदस्य के बारे में बैंक के लेखे प्रस्तुत करना बहुत आसान है इसके लिए केवल इतना ही करना जरुरी है कि किसी व्यक्ति के लेखे पर उस सदस्य के नाम का कागज चिपका कर उसके फोटोस्टेड कर ली जाए और माननीय सदस्य को इसे स्पष्ट करने में पूरा जीवन लग जाएगा कि यह उसका लेखा नहीं है। अतः ऐसी घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि गलत जानकारी प्रदान करना विदेशी असूचना एजेंसियों का काम है जिसका उद्देश्य अन्य देशों की सरकारों में अस्थिरता पैदा करना है इसलिए हमें इस बारे में सचेत रहना चाहिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी। महोदय, आप केवल 12 मिनट का समय लीजिए। अब मैं समयानुसार अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : विश्वनाथ प्रताप सिंह से रक्षा मंत्रालय भी छिन जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भूरे लाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : आपकी वकालत तो हो रही है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मदत्त : उसके बाद आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। **(व्यवधान)**

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं किसी दस्तावेज या समाचारों पत्रों की खबरों का भी हवाला नहीं दूंगा जिनका अनेक बार उल्लेख किया गया है। महोदय चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है (व्यवधान) कृपया मुझे बोलने दीजिए। हमारी सरकार का काम करने का विशेष तरीका। मैं वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री में कोई भेद नहीं करता। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : मेरे लिए दोनों समान हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई जाना चाहता है, कृपया चला जाए अन्यथा खामोशी से बैठिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह उनकी सांझी जिम्मेदारी हैं। यदि वित्त मंत्रालय में कोई गलत काम होता है तो उसके लिए प्रधान मंत्री समान रूप मे जिम्मेदार हैं।

महोदय, मैं इस सभा में प्रतिष्ठित सदस्य श्री दिनेश सिंह का भाषण सुन रहा था। इसमें अपनी ही अधिक निंदा की गई है। वह वित्त मंत्रालय अथवा प्रवर्तन निदेशालय अर्थात मंत्रालय पर दोष लगा रहे थे यदि कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए मंत्रालय जिम्मेदार है। मंत्रालय, अर्थात सरकार ने ही फेयरफैक्स कम्पनी को नियुक्त किया हैं। आज वह कहते हैं कि वह गलत था। यदि फेयरफैक्स कम्पनी विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि उनके सी०आई०ए० तथा अन्य अमरीकी असूचना कर्मों से सम्बन्ध है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है पहले ऐसा किया ही क्यों गया ? मैं उस तथा-

कथित फाइल का हवाला नहीं देता जो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री के पास से जाई गई थी। फाइल चाहे हो या न हो हमारा उसमे कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु मैं महसूस करता हूं कि यदि वित्त मंत्री या उनके अधिकारियों ने कोई कार्यवाही की है तो प्रधान मंत्री भी उसके लिए समान रूप से जिम्मेदार है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पानिका यह बहस करने का समय नहीं है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार न करें।

श्री सी० माधव रेड्डी : यदि आज अमरीकी एजेन्सी पर शक किया जा रहा है और यदि वे वाटर गेट कांड की बात कर रहे हैं तो मैंने ऐसा वक्तव्य देखा है कि भारत में भी एक वाटरगेट काण्ड का पर्दाफाश होने जा रहा है। यह वक्तव्य अमरीकी कम्पनी फैयरफेक्स ने दिया है यदि ऐसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? मैं महसूस करता हूं कि प्रवर्तन निदेशालय के कार्यकरण में कुछ दोष है मैंने यह इसलिए कहा है क्योंकि—

[हिन्दी]

हिन्दी में कहते हैं-कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरे चोर से दोस्ती नहीं की जाती है।

एक माननीय सदस्य : करते है।

श्री सी० माधव रेड्डी : नहीं, मदद लेते हैं आप दोस्ती नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह पुराने पुलिस के वाकीककार हैं। वह जानते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी : जनता का मत है कि प्रवर्तन निदेशालय, जो गत दो वर्षों में इस काम को कर रहा था, में बिल्कुल भी गोपनीयता नहीं बरती जाती थी। सभी प्रकार के लोग जांच कार्य से सम्बद्ध थे।

मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं नाम क्यों लूं? नामों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। एक समय वहां कुछ लोग थे। दूसरी बार वहां दूसरे व्यक्ति थे। यह क्या है? आप प्राइवेट लोगों को चाहे वह प्रेस वाले हों या व्यापारी, ऐसी नाजुक जांच में क्यों शामिल करते हैं। मुझे आश्चर्य है क म काज का यह कौनसा तरीका है? वास्तविकता यह हैं कि यह घटना घटी है। हम चाहते हैं कि इस एजेंसी द्वारा की गई सम्पूर्ण जांच की रिपोर्ट सभापटल पर रखी जानी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ है। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन व्यक्ति भारत से पूंजी को बाहर ले गए और विभिन्न तरीकों द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करके कम या अधिक राशि के बीजक द्वारा विदेशी मुद्रा में बदलवा दिया। इस देश में अनेक लोगों ने सभी प्रकार की धोखाधड़ी की है और यह अनेक वर्षों से चल रहा है तथा आज हमारी अधिकांश पूंजी विदेशों में है। इस देश से बाहर पूंजी भेजना हमारी अर्थव्यवस्था पर एक भारी प्रहार है तथा इन मामलों पर चर्चा के समय हम सभी को इस की चिंता है। वित्त मंत्रालय की बिल्कुल सही मन्शा थी। परन्तु उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए? अच्छे लक्ष्य के लिए अच्छे साधन भी जुटाने चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कतिपय गैर कानूनी तथा संदिग्ध तरीके नहीं अपना सकते। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति को दण्ड देने के लिए आपको स्वयं इसी अधिनियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

एजेंसी को भुगतान किए जाने का उल्लेख किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि एजेंसी को विदेशी मुद्रा में कोई भुगतान नहीं किया गया। हम यह नहीं जानते। यह आश्चर्य की बात है कि भुगतान के बिना यह एजेंसी पिछले डेढ़-दो वर्षों से कार्य कर रही है। मैं नहीं जानता कि वे अपने खर्चों को कैसे पूरा कर रहे हैं। यदि विदेशी मुद्रा में कोई भुगतान किया गया है तो निश्चित रूप से यह विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन है बशर्ते इसे मंत्रालय की जानकारी में लाया गया हो, बशर्ते वित्त सचिव या वित्त मंत्री ने विदेशी मुद्रा जारी करने की स्वीकृति दी है या रिजर्व बैंक ने ऐसा कर दिया हो। जहां तक मुझे मालूम है, ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई। सरकारी तौर पर कोई भुगतान नहीं किया गया है। इसका मतलब है किसी ने भुगतान किया है। वह व्यक्ति कौन है? उसने भुगतान क्यों किया है? यदि इस प्रकार भुगतान किया गया है, तो स्वाभाविक तौर पर इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। इन बातों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए तथा सरकार और प्रधान मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वह आज नहीं कह सकते कि "मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, वित्त मंत्रालय मेरी जानकारी के बिना यह कर रहा था" नहीं मैं यह नहीं मान सकता। यह सरकार की सांझी जिम्मेदारी है सारी जिम्मेदारी प्रधान मंत्री को उठानी होगी। तत्पश्चात सम्पूर्ण जांच की जानी चाहिए और इस एजेंसी की रिपोर्ट को सभापटल पर अवश्य रखा जाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं स्विस बैंक में गुप्त खाते रखने वाले व्यक्ति कौन हैं। यह कहा जाता है कि लगभग 1700 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा स्विस बैंकों में जमा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह राशि 30,000 करोड़ रुपये भी हो सकती है। मैं नहीं जानता यदि हम इन रिपोर्टों को सही माने तो स्थिति बहुत भयप्रद है और मैं महसूस करता हूं कि सभा को उन व्यक्तियों के बारे में जानने का हक है जिन्होंने विदेशी मुद्रा अधिनियमों का उल्लंघन किया है।

इस एजेंसी के अभी भी कार्यरत होने के सम्बन्ध में मुझे नहीं मालूम कि क्या यह अभी काम कर रही है। उन्हें अभी कार्य मुक्त नहीं किया गया है। उनका दावा है "हम उनके ग्राहक हैं" मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज भी हम उनके ग्राहक हैं जैसा कि श्री दिनेश सिंह ने कहा है कि संदिग्ध पृष्ठभूमि के कारण इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता तो सरकार क्या कर रही है? मैं नहीं जानता तब उन्हें काम पर रखने की क्या आवश्यकता है। मेरे विचार में किसी विदेशी एजेंसी को कार्य सौंपना गलत नहीं है। हमारे लोग वहां नहीं हैं। निश्चित रूप से विदेश में एक विदेशी एजेंसी ही बेहतर कार्य कर सकती है। परन्तु सौंपे गए कार्य के बारे में निश्चित शर्तें निर्धारित की जानी चाहिए तथा उन्हें अपने सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें गोपनीय रखने की जानकारी होनी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि नए वित्त मंत्री महोदय, इन सभी मामलों की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे की कोई गलत काम नहीं न हो और भविष्य में इस घटना चक्र से कोई कठिनाई पैदा न हो तथा इन एजेंसियों द्वारा एकत्र जानकारी को गुप्त रखा जाए और उन्हें उजागर न किया जाए ताकि हम गोपनीय जानकारी अपने पास रख सके।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : महोदय, मुझे आशा थी कि यह वाद विवाद विषय वस्तु में निहित उद्देश्यों का ही पालन करेगी। विषय के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के कानून से बच गई उन निधियों का पता लगाना था जिन्हें गैर-कानूनी रूप से विदेशों में जमा किया था विषय तो यह था। मैंने शुरू में ही यह निवेदन किया था कि ऐसा माहौल होना चाहिए कि पूरे

सदन का ध्यान एक ही तरफ रहे तथा माननीय सदस्य इससे सहमत थे। मैं इस सदन में बार-बार यही कहता आ रहा हूं कि इस संसद में राष्ट्रीय हित के सभी प्रश्नों को उठाने की सदैव अनुमति मिलती रही है तथा ऐसे सभी प्रश्नों के समय हम सभी एकमत होते हैं। मैं अपने मित्र प्रो० मधु दंडवते से पूछता हूं जिनकी मैं विशेष रूप से इज्जत करता हूं, कि फिर आज उन्होंने यह मुद्दा क्यों उठाया कि क्या जांच करने वाला तंत्र पर्याप्त है अथवा नहीं, क्या हमने किसी विदेशी एजेंसी को नियुक्त किया है तथा क्या यह सही है अथवा नहीं। परन्तु इस पर वह अधिक गहराई से नहीं गए सिवाय इसके कि उन्होंने किसी स्विस कानून का जिक्र किया था। परन्तु, यदि उन्होंने कुछ ब्यौरा दिया होता तो उन्हें इसका उत्तर स्वयं ही मिल जाता। मैं ही इस बारे में कुछ विवरण दूंगा।

तीसरा पहलू है, प्रधानमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय के बीच समन्वयन और आपसी संबंध का है। उन्होंने पूर्णतया इस मामले पर कार्यवाही की तथा मुझे यह जानकर हैरानी हुई है कि वह सीमा से आगे बढ़ गए। संसद की मर्यादा उसके नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में वह सबसे आगे रहते हैं। परन्तु अब उन्होंने इसका पालन नहीं किया। आज यह गुप्त संकेत क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री महोदय के बारे में भी एक बात कही है। सदस्यों के बीच एक परम्परा रही है। हम सभी माननीय सदस्य हैं। जब कोई मंत्री महोदय किसी बात से इन्कार करता है तो वह कहता है कि "आपने इसे गुप्त बना दिया।" मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इसे वापिस ले लिया।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने स्विटजरलैंड वापस लिया है, गुप्त नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने एटलस के मानचित्र से स्विटजरलैंड वापस ले लिया।

श्री बी० आर० भगत : उन्होंने मुख्यतः प्रधान मंत्री महोदय तथा वित्त मंत्री महोदय के समन्वयन तथा आपसी संबंध के पहलू पर जोर दिया था। परन्तु मुझे खेद है कि वहां भी वह अपने उन मानदंडों से अलग हट गए हैं जिनका वे पालन करते थे। उन्होंने कहा था कि किसी विशेष तिथि, जनवरी आदि में, वित्त मंत्री महोदय ने एक फाइल ली जिसे न तो पृष्ठांकित किया गया था न ही कोई अनुमति प्रदान की गई थी तथा अगले दिन वित्त मंत्री को हटा दिया गया। उनका कहना भी अपनी जगह सही है। उन्होंने अवश्य ही इस बारे में पढ़ा होगा। यदि तर्कसंगति ही गलत है तो उसका निष्कर्ष भी गलत होगा। श्री साठे ने कहा है कि यह सब बे-सिर-पैर की बातें हैं। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। वह इसका प्रमाण नहीं दे सकते क्योंकि ऐसी कोई फाइल नहीं है। न ही ऐसी कोई बैठक हुई थी। न ही उसका कोई रिकार्ड है···

(व्यवधान)

इसलिए अब उनका यह कहना है कि प्रधान मंत्री महोदय ने उन्हें इसीलिए हटाया क्योंकि इस मामले पर प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन नहीं किया था।

((व्यवधान)

यदि आप भटक जाते हैं तो आप सच्चाई नहीं देख पाते हैं। मेरे सहयोगी श्री दिनेश सिंह ने प्रो० मधु दंडवते के लिए जो कहा मुझे उसका भी ध्यान आता है—मैं एक बार यह अवश्य कहूंगा कि वह बहुत सावधानीपूर्वक अपने तथ्यों और निष्कर्षों के सामने रखते थे तथा उन्होंने हमेशा देश

के हित को अपने सामने रखा जिसके लिए वह मशहूर भी हैं। परन्तु आज मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि किसी दूसरे की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने में उनका कुछ स्वार्थ हो सकता है। परन्तु इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने ऊंचे मानदण्डों की बनी हुई प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचाई···

(व्यवधान)

संसदीय कार्य तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : उन्हें श्री मधु दण्डवते के साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं तो यह कहूंगा कि सबको एक मिनट के लिए खड़े होकर मौन ध्यान करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि इसे उसे तिथि के लिये रखे।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : हुआ यह है कि जैसा कि श्री दिनेश ने भी कहा है कि वह इस मामले में गलत सूचना के चक्कर में फंस गये हैं यदि आप इस मामले में गलत सूचना के किसी पहलू को लें···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री भगत को भी तो गलत सूचना प्राप्त हुई है (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : जिसके बारे में मैंने समझा नहीं है, उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से गलत सूचना प्राप्त हुई है। (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : हममें से बहुत से व्यक्ति गलत सूचना के शिकार हो सकते हैं। परन्तु गलत सूचना का प्रयोग करते समय किसी पर ऐसे दोष नहीं लगाने चाहिए जो साबित नहीं हो सकते। प्रमुख मुद्दा तो यह है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में पूरा देश तथा संसद भी जानना चाहती है। एक विदेशी निजी जांच एजेंसी को जांच के लिये क्यों नियुक्त किया गया? क्या ऐसा करना सही था अथवा नहीं? यह मुद्दा है। यदि आप परम्परा का पालन करते हैं और यह देखते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है—माननीय सदस्य ने भी कहा है कि ऐसा पहले हो चुका है, यहां तक कि जनता सरकार के समय भी, जिसमें श्री मधु दंडवते भी शामिल थे। मेरे विचार से यदि कोई निजी गुप्तचर एजेंसी हमारे देश की सरकारी एजेंसी के मार्गनिदेशों का पालन करे तो अपने आप में उसे नियुक्त करने में कोई हानि नहीं है। हमारी सी०बी०आई० तथा आई०बी० संसद द्वारा नियुक्त एजेंसियां हैं। यदि आपको याद हो तो विदेशी मुद्रा अधिनियम मैंने ही सदन में प्रस्तुत किया था। इसके अन्तर्गत वह जांच अधिकारी हैं। समान्यतया शुरू में जब वह सर्वोच्च पद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, उन्हें निदेशक नियुक्त किया गया था। इसलिए, मार्ग निदेशों के अन्तर्गत अपने आप में ऐसा किया जा सकता है।

(व्यवधान)

उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। इस सदन द्वारा पारित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, जिसमें संसद 1950 के बाद बराबर संशोधन सुधार

करती रही है के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा आई०बी० के निदेशक को शक्तियां प्राप्त हैं। चाहे इसे आर्थिक अपराध निदेशालय बेशक कहा जाता हो। इसके निदेशों के अनुसार—जिसे कानून द्वारा संसद की स्वीकृति प्राप्त हो—यदि किसी निजी एजेंसी से जांचकर्ता तंत्र की मदद के लिए जांच करने के लिए कहा जाता है तो वह अपने आप में गलत नहीं है। इस मामले में हुआ यह है कि उसे कैसे नियुक्त किया गया ? यह कहना तो सरकार का ध्यान है मुझे नहीं मालूम। उनके अनुसार ऐसा पहले भी हो चुका है। मैं उद्धृत करता हूं कि जनता सरकार ने भी ऐसा ही किया था। इसलिए एकदम से ऐसा किया जाता हो। यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि किसी निजी गुप्तचर एजेंसी अथवा जांच एजेंसी को नियुक्त करना गलत नहीं है। ऐसा हमारे कानून तथा विनियमों के अन्तर्गत किया जाता है। एक यह मुद्दा है।

दूसरे वह व्यक्ति कौन था, श्री दिनेश सिंह इस बारे में बता चुके हैं। उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं परन्तु मैं केवल एक ही बात कहूंगा। प्रो० मधु दण्डवते ने श्री हर्षमैन का नाम लिया था। दूसरे पहलू के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है (**व्यवधान**) उन्होंने इसका पूरा हवाला नहीं दिया है। श्री हर्षमैन ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो इस देश की प्रतिष्ठा के खिलाफ है तथा प्रत्येक भारतवासी को इस पर आपत्ति करनी चाहिये। प्रो० मधु दण्डवते ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनका कहना है कि इस देश में भी वाटरगेट होगा विशेष घटना घटनी चाहिये या नहीं ? वह एक ऐसे देश के हैं जहां सरकार कैसे चलाई जानी चाहिये अथवा कानून कैसे लागू किया जाना चाहिये इन मामलों में हस्तक्षेप करने की आदत है। क्या प्रो० मधु दण्डवते इस पर आपत्ति नहीं उठाएंगे ? क्या यह सही है ? मैं कहूंगा कि यह हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ है इसको पूरी तरह अस्वीकृत किया जाना चाहिये। उनका यह कहने का क्या मतलब है कि इस देश में वाटरगेट होगा क्या यहां वाटरगेट हो सकता है ? मैं यह माननीय सदस्यों से पूछ रहा हूं। जब हम अपनी सरकार की प्रणाली अथवा उस मामले में ब्रिटेन की सरकार की प्रणाली का अनुसरण करेंगे तो क्या इस देश में या ब्रिटेन में वाटरगेट हो सकता है ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वाटरगेट हो सकता है। वहां कार्यकारिणी विधानमंडल से अलग है, परन्तु भारत तथा ब्रिटेन में नहीं। (**व्यवधान**) जी हां यदि आपको तथ्यों का पता हो या आपने प्रक्रिया समझी हो तो आइये आगे (**व्यवधान**) हमारी व्यवस्था में वाटरगेट जैसा करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। मैं यही बात कह रहा हूं। आप इतिहास को देखें, हमारे यहां पर प्रधानमंत्री है। वाटरगेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित है और किसी से नहीं। जब उन्होंने वाटरगेट कहा था तो उनका मतलब इस देश के प्रधानमंत्री से था। वाटरगेट राष्ट्रपति निक्सन से सम्बद्ध है। वहां राष्ट्रपति निक्सन इसे झेल सकते हैं। परन्तु हमारे यहां तो प्रधानमंत्री लोग हैं, जिनमें श्री मोरारजी देसाई शामिल हैं— सभी कांग्रेस के भी नहीं हैं— पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई। अब हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हैं। क्या पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्रियों के बारे में कोई कुछ कह सकता है ? हमारे प्रधानमंत्रियों ने सबसे ऊंचे मानदंड निर्धारित किये हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते और न ही कभी गलत काम कर सकते हैं। पूछिये क्यों ? क्योंकि यहां सतर्क संसद है जहां उत्तरदायित्व से दूर नहीं भाग सकते हैं। मुझे अफसोस है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जहां मेरा श्री वसंत साठे से मतभेद है। वह राष्ट्रपति प्रणाली का समर्थन कर रहे हैं, परन्तु मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली में उत्तरदायित्व वहन करना दूर की बात है और इसलिए वाटरगेट जैसी स्थिति वहां पैदा की जा सकती है। परन्तु यहां संसद के प्रति उत्तरदायित्व मासिक अथवा साप्ताहिक नहीं होता वरन, प्रतिदिन हर घंटे रहता है जिसमें प्रधानमंत्री संसद तथा जनता के प्रति

प्रतिदिन, हर घंटे उत्तरदायी रहता है। यहां तक कि वह कोई गलत कदम उठाता है, तो वह पकड़ा जाएगा, उसकी खिचाई की जायेगी। कल्पना कीजिए एक देश में ···

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण कर रहा हूं। मैंने कभी भी अध्यक्षीय प्रणाली वाली सरकार की वकालत नहीं की है। मुझे मालूम नहीं कि मेरे अच्छे माननीय मित्र श्री बी० आर० भगत को कहां से यह सब कहां से मालूम हुआ।

श्री बी० आर० भगत : यह गलत जानकारियों में से एक है।

श्री वसंत साठे : मैंने तो केवल मात्र यह कहा है कि हमें मुख्य कार्यकारी को संविधान के ढांचे के अन्तर्गत ही सीधे चुनना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसका क्या अभिप्राय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर संवैधानिक वाद-विवाद की अनुमति नहीं दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री बी० आर० भगत : मैं दूसरी ओर बैठे अपने मित्रों को सलाह दूंगा कि उन्हें फेयरफैक्स के चेयरमैन की इस टिप्पणी को अस्वीकार करना तथा उसका खण्डन करना चाहिये कि यहां वाटरगेट कांड होगा। उन्हें हमारे प्रशासनिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का कोई काम नही है यहां क्या अच्छा है अथवा कौन हमारी देखभाल कर सकता हैं। हमारा रिकार्ड ससार मे किसी से कम नहीं है। अतः किसी को भी हमें सलाह देने की आवश्यकता है। (**व्यवधान**)

श्री मधु दण्डवते ने उल्लेख किया था कि सदन को अब स्विटरलैंड सरकार द्वारा पारित कानून पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। पहले एक कानून था। मुझे पता है कि जनता सरकार की शासनावधि में जब वे कतिपय खातों की जांच करना चाहते थे तो वे अपने दूत को उस देश में भेजा था, मधु दण्डवते महोदय को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। इन लोगों ने कहा कि आप हमें ब्यौरा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इसे नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा कानून ऐसा है कि हमारा बैंकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। स्विस सरकार ने उनको यही कहा। उन्हें पता होना चाहिये था। लेकिन वे अनभिज्ञ थे कि उन्होंने अपने आदमी को वहां भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं, हमारा अपने बैंकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे हमारे अधीन कार्य नहीं करते तथा हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इसीलिये वह स्विटजरलैंड नहीं गया।

श्री बी० आर० भगत : तब से यह तथ्य है कि कानून में परिवर्तन किया गया है, लेकिन किस बात के लिये बदला गया है ? यह बात हमें जाननी चाहिये। यह किसी गुट के व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी में संलिप्ति के विशिष्ट मामले में जानकारी देने भर के लिये बदला गया है। सरकार कुछ और अधिक बता सकेगी। उदाहरणार्थ, यत्र-तत्र सम्पर्क रखने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत माफिया गुट आपराधिक गतिविधियों के रूप में काफी पैसा इकट्ठा कर रहा था। उन्होंने अमरीकी सरकार को जानकारी दी जाने दी। दूसरे मामले में एक अनुरोध पर पूर्व राष्ट्रपति मारकोस के पैसे को रोक लिया गया। यदि स्विस सरकार यह सब होने देगी तो स्विस बैंकों का सारा पैसा निकाल लिया जायेगा तथा वे दिवालिए हो जाएंगे।

जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि यह पूर्ण रूप से आर्थिक मामला है, यद्यपि आज अर्थशास्त्र राजनैतिक-अर्थशास्त्र हो गया है तथा यह शुद्ध आर्थिक शास्त्र नहीं है। अतः मैं राजनीति को अर्थशास्त्र से अलग नहीं करता हूं। अतः जैसा मैंने पहले कहा था इसे दलगत राजनीति नहीं बनाया जाना चाहिये। तथ्यों के अनुसार यह मामला काफी गम्भीर मामला है। प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः—उच्च व्यक्तियों के विरुद्ध जो आक्षेप लगाये गये है वह सत्य नहीं हैं तथा उन्हें इसमें लिप्त नहीं किया जाना चाहिये।

हमें जोर इस बात पर देना चाहिये कि सरकार से पूछा जाये कि वह क्या कार्यवाही करने जा रही है। तथ्य यह है 30000 करोड़ रुपये—यह सब काल्पनिक सोच-विचार है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि न्यासीय जमा खाते—न कि अन्य जमा खातों—के बारे में बड़ी सही जानकारी देता है, उस जानकारी के अनुसार स्विस बैंकों में 1325 करोड़ रु० या आसपास तक जमा है।

4.00 म०प०

उन्होंने ऐसा ही कहा है। वह एक आधार है। अन्य आधार भी हो सकते हैं, और अन्य पैसा तथा दूसरे जमा खाते भी हो सकते हैं। चलो यह सदन सरकार को निर्देश दे अथवा हम सभी कहें कि यह भारी राशि का मामला है और जो व्यक्ति भी काला-बाजारी अथवा काले-धन में संलिप्त है यह सारा सदन उसके विरुद्ध खोज करने के बारे में एक मत है चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। यदि वे गम्भीर अपराधों में लगे हैं तो आओ उनके बारे में पता लगाएं लेकिन यहां उनका जिक्र न करें, यह ऐसा मामला नहीं है कि आक्षेप लगाये जायें और कीचड़ उछाला जाये। हमे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में नहीं लगना चाहिये। आओ हम यह देखें कि किस प्रकार पता लगाने में यह मामला सरकार की क्या सहायता कर सकता है ताकि इस मामले को साहसपूर्ण तथा प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मुझे अप्रसन्नता है कि जितना गम्भीर विषय है सरकार ने उसी गम्भीरता से उस पर कार्यवाही नहीं की है क्योंकि मेरे मतानुसार इस वाद विवाद मे सरकार के कामकाज के तरीकों से सम्बन्धित तथा इस देश की अखण्डता तथा सुरक्षा सम्बन्धी बहुत ही महत्वपूर्ण तथा गम्भीर प्रश्न उठते है।

अब यह तो मान लिया गया है कि सरकार ने अपने कुछ कार्य के निहित हेतु एक विदेशी जांच एजेन्सी को लगाया था। इस संबंध में तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन हमें जो ज्यादा परेशानी है वह यह कि यह कम्पनी ऐसे देश से है जिसके साम्राज्यवादी इरादों का सभी को पता है। संयुक्त राज्य अमेरीका इस देश की अखण्डता तथा सुरक्षा को अस्थिर करने पर तुला हुआ है। यह एक ठोस धारणा है और इसके बावजूद भी श्री दिनेश सिंह तथा श्री भगत के भाषणों से अब ऐसा लगता है कि जांच एजेन्सी की वास्तव में कोई जांच नहीं की गई थी। ऐसा लगता है कोई भी नहीं जानता है कि क्या यह उपयुक्त तथा सही एजेन्सी है तथा अमेरीकन एजेन्सियों जैसे सी०आई०ए० तथा एफ०बी०आई० से इसके क्या सम्बन्ध हैं। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था सम्बन्धी गम्भीर मामलों की जांच के लिये अमेरीका जैसे साम्राज्यवादी देश की कम्पनी को चुना गया। अर्थव्यवस्था इन अर्थों में कि जो करोड़ों रुपया हमारे देश में होना चाहिये, उसे कहीं और रखा जा रहा है।

दुर्भाग्य से, ऐसा लगता है कि आजादी के 40 वर्षों के बाद तथा इतने मन्त्रालयों, निदेशालयों मन्त्रियों—पूर्ण मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री के होने के बावजूद भारत सरकार भारतीय कानून के अन्तर्गत जांच हेतु कोई एजेन्सी भारत में ही नहीं तलाश सकी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज, 1987 में हमें यह बताया जा रहा है कि यदि हम विदेशियों के पास जाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार यह बात साफ-साफ मान ली गई है कि भारतीयों अथवा विदेशों में अप्रवासी भारतीयों द्वारा कानून-उल्लंघन का पता लगाने के लिये हम कम से कम बुनियादी सुविधाएं बनाने में भी असफल रहे हैं। अतः मैं सविनय कहूंगा कि यह एक गम्भीर मामला है तथा इस बात का पता लगाने की कोशिश करने के कि क्या प्रो० मधु दण्डवते दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं आप अपना दिल ही क्यों नहीं टटोलते और अपने घर को क्यों नहीं सम्भालते और यह बात इस देश के लोगों को भी पता लगने दो। छः या दस सप्ताह से प्रत्येक दिन 'उत्तरदायी समाचारपत्र, उत्तरदायी पत्रिकाएं तथा समाचार पत्रिकाएं' इस बारे में कहानियां प्रकाशित कर रही हैं। मैं यह 'कहानी' शब्द का प्रयोग कर रहा हूं लेकिन इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? लोग इस बात से उकता गये हैं। मैंने यह सोचा कि सरकार ने सहर्ष ठोस सबूत रखकर इस अवसर का स्वागत किया होता और देश के लोगों को विश्वास में लिया होता। आप यह सब तो नहीं करते लेकिन प्रो० मधु दण्डवते को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम उन्हें बलि का बकरा नहीं बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : हम प्रो० मधु दण्डवते का पूरा-पूरा सम्मान करते हैं। उन्हें बलि का बकरा बनाने का प्रश्न ही नहीं है (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं ऐसी एजेन्सी को चुने जाने का प्रबल विरोध करता हूं, और यह एजेन्सी भी उस देश से है, जिसको भिन्न-भिन्न तरीकों से अन्य देशों में विशेष रूप से हमारी सरकारों तथा व्यवस्था को अस्थिर करने की योग्यता सर्व विदित है। अतः मैं ऐसे प्रयास का जोरदार विरोध करता हूं।

अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आपने एक एजेन्सी को चुन लिया है और इसे नियुक्त कर लिया है। मैं जानना चाहूंगा कि यह नियुक्ति कब की गई? इस नियुक्ति के विधि-तंत्र क्या थे? किस मन्त्रालय ने उस नियुक्ति का निर्णय लिया? नियुक्ति से पूर्व उस एजेन्सी की विश्वसनीयता का पता लगाने के लिये क्या प्रयास किए गए थे? क्या इसे आर्थिक अपराधों की जांच करने की निपुणता प्राप्त है? श्री दिनेश सिंह ने यह बड़ा संगत प्रश्न उठाया था।

यह माना जाता है कि इसे वाटरगेट कांड जैसी राजनैतिक जांच करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। ठीक है हमें नहीं पता कि इस देश से भी वाटरगेट जैसे कई कांड हो रहे हैं। हो सकता है कई कांडों का पर्दाफाश हो। (व्यवधान)

अधिक भावुक न बनें। मैंने केवल कहा है हो सकता है

दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस कम्पनी को वास्तव में क्या कार्य सौंपा गया था। कार्य सौंपते हुए क्या उनसे व्यक्ति या कम्पनी विशेष के बारे में जांच करने के लिए कहा गया था। और सामान्य तौर पर बाहर जमा काले धन का पता लगाने के लिए नहीं कहा गया था? किये जाने वाले इस कार्य के लिए भुगतान करने की क्या शर्तें थीं? तुरन्त यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई भुगतान किया गया है और यदि हां तो कितना, कैसे और कब तथा किसके द्वारा। यह एक

अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। मुझे विश्वास है कि ब्रह्म दत्त जी आप इसे गम्भीरता से ले रहे हैं। कृपया इसे गम्भीरता से लें। उतावले न बनें।

श्री ब्रह्म दत्त : मैं आपकी हर बात को गम्भीरता से ले रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि एजेंसी को इस कार्य के लिए नियुक्त करने का निर्णय सरकार के किस स्तर पर लिया गया था। क्या निर्णय अफसरशाही स्तर पर लिया गया था? वित्त मंत्रालय में क्या राज्य मंत्री के स्तर पर अथवा केन्द्रीय वित्त मंत्री के स्तर पर लिया गया था अथवा प्रधान मंत्री के स्तर पर लिया गया था अर्थात क्या यह मंत्रीमण्डल का निर्णय था या किसी विशिष्ट उपसमिति ने इस एजेंसी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था? मैं यह सब जानना चाहता हूं क्योंकि देश को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। इस नियुक्ति के लिए किन व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका अदा की? वे सरकार में किन पदों पर आसीन हैं?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एजेंसी द्वारा काम में काफी प्रगति किए जाने तक इसकी नियुक्ति के बारे में उच्चतम स्तर पर सरकार को कोई जानकारी नहीं थी? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ प्रकाशनों में छपा है कि इसकी नियुक्ति सितम्बर 1985 में की गई थी। इस देश की सरकार के उच्चतम स्तर को इसका पता कब लगा? क्या इस विषय में प्रधान मंत्री सचिवालय से परामर्श किया गया था? यदि शुरू में उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं पड़ा तो उन्हें इसकी जानकारी कब मिली? महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस आधार पर और आगे जांच करने के लिए इन एजेंसियों को इस देश द्वारा हमारी सरकार द्वारा कोई जानकारी प्रदान की गई थी? क्या आगे जांच करने के लिए उन्हें कोई वर्गीकृत जानकारी दी गई थी मैं जानना चाहूंगा कि क्या—मैं आशा करता हूं कि आप कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर देंगे मैं अभी थका नहीं हूं, आप उत्तेजित न हो···

श्री ब्रह्म दत्त : मैं उत्तेजित नहीं होता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस एजेंसी ने आज तक भारत सरकार को कोई रिपोर्ट दी है? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या रिपोर्ट दी गई है और यह रिपोर्ट कब और किसे दी गई थी? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या किसी व्यक्ति अथवा संस्था का नाम बताया गया है जिस देश में काला धन जमा कर रखा है मुझे विश्वास है कि आप उसका बचाव करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप कृपा करके इस सभा को विश्वास में लेंगे और हमें बतायेंगे कि यह रिपोर्ट किस बारे में है? यदि मामला वहीं समाप्त हो जाता तो देश बाद की घटनाओं से इतना चिंतित न होता। सर्वविदित है कि इस देश में बहुत अधिक कालाधन है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है न केवल 40,000 करोड़ रुपये का कालाधन इस देश में है बल्कि वह धन जो इस देश में होना चाहिए था, विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कम राशि के बीजक तैयार करने के लिए, अधिक राशि के बीजक तैयार करने के लिए, सम्पत्ति खरीदने के लिए, अधिकारियों और बाहर के लोगों को रिश्वत देने के लिए। मैं नहीं जानता किस कार्य के लिए, परन्तु यही सभी कारण बताए जाते हैं। वह धन स्विटजरलैंड के बैंकों के गुप्त खातों में जमा रहता है। यह बात सर्व विदित है। वास्तव में भूतपूर्व मंत्री महोदय ने कालेधन के इन जमाखोरों के लिए आम माफी की योजना घोषित की थी तो हमने कहा था कि हम इसका विरोध करते हैं। मैं यह कहूंगा कि यह पता लगाना सरकार का काम है कि कौन बाहर धन जमा कर रहा है तथा आम माफी नहीं दी जानी चाहिए। सरकार धर्मार्थ प्रवृत्ति के रूप घुटने टेक कर सहायता ही दे रही है (**व्यवधान**)

महोदय हम श्री ब्रह्मदत्त से पूछना चाहेंगे कि यदि ऐसा था तो क्या उन्हें कम दुख हुआ होगा स्थिति क्या है। हमने देखा कि सुन्दर नगर स्थित एक मकान की अचानक तलाशी ली गई। इस तलाशी का इस जांच मे सम्बन्ध था न कि उस महत्वपूर्ण पत्र से। इसलिए हम इस आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी प्रेस रिपोर्ट में कहा है (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप विशिष्ट रूप से जानना चाहते हैं

श्री ब्रह्म दत्त : मैं केवल यह पूछना चाहता हू कि क्या आपने इसे प्रमाणित कर दिया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, श्री बूटा सिंह उस पत्र का ब्यौरा देना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे विचार में दिल्ली में सुन्दर नगर स्थित एक मकान तथा मद्रास में स्थित एक मकान और बम्बई के कुछ कार्यालयों की तलाशी फेयरफेक्स द्वारा की गई जांच के परिणाम स्वरूप कराई गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपने उन्हें किस लिये गिरफ्तार किया है ? शायद विदेशी खाते की जाच के लिये इस फेयरफेक्स को नियुक्त करने से उनका सम्बन्ध था। गिरफ्तार किये गये व्यक्ति कौन हैं ? वे गैर-सरकारी व्यक्ति हैं। वे सरकारी अधिकारी नहीं हैं इस सिलसिले में सर्व श्री गुरुमूर्ति और जानकी-रमन को गिरफ्तार किया गया था। वे सरकारी अधिकारी नहीं हैं यह कैसा सम्बन्ध ? इन व्यक्तियों के माध्यम से यह सम्बन्ध स्थापित हुआ प्रतीत होता है, परन्तु भारत सरकार ने विदेशी संस्था को नियुक्त किया। इस मामले की गम्भीरता को देखिये। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इन दोनों अभियुक्तों की जमानत की अर्जी का विरोध किया जा रहा है और इस आधार पर रिमांड मांगा जा रहा है कि भारत सरकार और विदेशी जांच एजेंसी के बीच हुये भुगतान और एजेंसी की नियुक्ति में इन्होंने भूमिका अदा की थी। न्यायालय में एक पत्र पेश किया गया जिसके आधार पर रिमांड मांगा गया। जमानत का विरोध किया गया। इस कार्यवाही के दौरान दूसरे देश से एक रिपोर्ट आई कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पेश किया गया पत्र जाली है यह एक विचित्र नाटक चल रहा है। इसके बाद क्या होता है ? इस पत्र का एक और संस्करण पेश किया जाता है "हमने यह पत्र कभी नहीं लिखा"।

श्री ब्रह्मदत्त महोदय, कृपया जवाब दे कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वह तथाकथित जाली पत्र कैसे प्राप्त हुआ। श्री बूटा सिंह, कृपया उन्हें न रोके। वह इस बात को नोट कर रहे हैं। आप उन्हें नोट करने से रोक रहे हैं। नहीं, उन्हें नोट करने दीजिये।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वह तथाकथित जाली पत्र कब और कैसे मिला था ? यह एक बहुत गम्भीर मामला है। यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसे एक अभियुक्त के रिमांड के लिये इस्तेमाल कर रही है और उस दस्तावेज के आधार पर वे जमानत की अर्जी का विरोध कर रहे है तो उन्हे यह पत्र कब और कहां से प्राप्त हुआ? नहीं, यदि ऐसा नहीं है और उस पत्र की विषय वस्तु, सही नहीं है यदि वह सही है तो मामला और गम्भीर बन जाता है जबकि भारत सरकार कतिपय व्यक्तियो की नियुक्ति के लिये और उन्हें भुगतान करने के लिये कुछ व्यक्तियों की सहायता ले रही है और यदि वह पत्र सही नहीं है तो सभी प्रश्न बिना उत्तर के रह जाते हैं।

अब क्या हुआ है ? लोग इस विषय में अत्यन्त चिंतित क्यों रहे हैं ? क्या हुआ है ? यदि तत्कालीन वित्त मंत्री के मामले में यह समझा जाता है कि फेयरफेक्स की नियुक्ति करके उन्होंने

गलती की है तो 24 जनवरी को उन्हें अधिक संवेदनशील विभाग अर्थात रक्षा में भेज दिया जाता है अचानक ही उन्हें अधिक संवेदनशील विभाग सौंप दिया जाता है। इसके बाद कुछ और दिलचस्प घटनाएं घटती हैं। प्रवंतन विभाग के निदेशक ···

श्री ए० चार्ल्स : यह सब आपकी विवेचना हैं।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इतने मिनिस्टर किसलिये बिठा कर रखे हुए हैं।

[अनुवाद]

आपके किले की रक्षा के लिये अनेक मंत्री हैं अधिकांशतः अक्षम····(**व्यवधान**)

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हू। हुआ क्या है ? प्रवर्तन निदेशक को जबरन महत्वहीन स्थिति में ला दिया गया जैसा कि आधीरात को कोई शासन परिवर्तन हो गया हो। इस देश के एक शीर्षस्थ प्रवर्तक अधिकारी को अगले दिन प्रातः 8 बजे अपना कार्यभार सौंप देने के लिये कहा जाता है 'घ' श्रेणी के कर्मचारी को भी उससे कहीं अधिक सम्मान और चिंता का हक है।

श्री ब्रह्मदत्त : इसके लिये सही समय कौन सा है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या 10 बजे रात को ? क्या आप केवल रात को काम करते हैं ? क्या आप दिन में काम नहीं कर सकते ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : और उस विभाग का सचिव महत्वहीन हो जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान सोमनाथ चटर्जी आप मध्य रात्रि के उन आदेशों को भूल गये हैं, जिनके वे आदि हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने सोचा था कि वे दिन चले गये हैं अन्य बातों से कुछ बातें अधिक वंशानुगत होती है। हम इस बात की चिन्ता है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे जिनके लिये उन्हें पूरे देश से प्रशंसा मिल रही थी वह है कालेधन का पता लगाना, दोषी व्यक्तियों को सामने लाना तथा बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा बड़ी संख्या के दोष स्वीकार करने और क्षमा याचना किये जाने से यह पता चलता है कि श्री वी०पी० सिंह अधिकांश मामलों में सही थे। हमने इसका समर्थन किया था। हमने उनकी आम माफी की योजना का समर्थन नहीं किया था परन्तु हमने कालेधन का पता लगाने, वित्तीय घोखबाजों जो देश को बरबाद कर रहे हैं, के विरुद्ध कार्यवाही करने के उनके प्रयास का समर्थन किया था। करोड़ों रुपया जो हमारे देश में होना चाहिये था, जिसका हमारे विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिये था, उसका इस्तेमाल कुछ व्यापारिक घरानों और कुछ सुपर-स्टारों द्वारा हर प्रकार के घृणित कार्यों के लिये किया जा रहा है यह देश खामोश रहा। अब यह प्रतीत होता है कि श्री वी०पी सिंह की गलती यह है कि उन्होंने एक अमरीकी एजेंसी की सहायता ली थी, उन्हें चाहिए था कि यह कार्य अपनी एजेंसी द्वारा कराते। परन्तु हमें आशंका है कि उनके स्थानान्तरण, वित्त मंत्रालय से उनको हटाये जाने का उद्देश्य कालेधन और विदेशों में जमा राशि के बारे में और जांच को रोकना है। (**व्यवधान**) मैं जानना चाहूंगा (**व्यवधान**)····

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। यह क्या है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय मंत्री, श्री ब्रह्मदत्त से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें उनके वरिष्ठ वित्त मंत्री से यह बताने की अनुमति मिल गई है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को रक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपने के बाद से भारत में कहीं पर कोई छापा मारा गया है ? विदेशों विशेष तौर पर स्विटजरलैंड में काले धन का पता लगाने के लिए की जा रही जांच के सम्बन्ध में क्या हमारी किसी एजेंसी ने इस सिलसिले में दोषी व्यक्तियों का पता लगाने का प्रयास किया है ? क्या आप कृपया देश को विश्वास में लेकर तत्सम्बन्धी ब्यौरा बतायेंगे ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सेलम) मेरे विचार से श्री सोमनाथ चटर्जी को प्रारम्भ में ही बताया जाना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और संसद में हैं वे निश्चित रूप से उनके स्वर में स्वर मिलाकर यह कहेंगे कि काले धन का पता लगाया जाएगा और काले धन को समाप्त करने का आंदोलन रोका नहीं जा सकता; तथा इस देश का प्रत्येक व्यक्ति उस आंदोलन का समर्थन करेगा और वह कदम स्पष्ट है। किसी भी उपाय से प्रयास को कम नहीं होने देना चाहिए।

मैं श्री सोमनाथ चटर्जी का आभारी हू कि उन्होंने काफी लम्बे समय के बाद कुछ प्रश्न उठाए जो कि सुसंगत हैं।

श्री अमल दत्त : आप क्यों ··· (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : श्री अमल दत्ता का हवाला नही दिया है और न ही उनसे बात ही कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से उनका विरोध क्यों कर रहे है ? वे कुछ तथ्य सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं; यह अच्छी बात है। इसमें गलत क्या है ?

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : पहला प्रश्न यह है कि क्या फैयरफेक्स जैसी जांच करने वाली निजी एजेंसी की नियुक्ति कानून द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा की जा रही है; क्या यह नियुक्ति लिखित में है अथवा मौखिक है और किस तरह की है ? मुख्य कारण यह है कि फेयर-फेक्स नाम की अमरीकी एजेन्सी की नियुक्ति के प्रश्न पर ही स्वयं चर्चा शुरू की गई है। क्या वहाँ नियुक्ति ही कोई प्रश्न है; यदि हां, तो किसके द्वारा और कब ? जिस व्यक्ति ने यह नियुक्ति की थी क्या उसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया था ? मेरे विचार से यह मूलभूत प्रश्न है जो कि दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं उठाया गया है और मेरे विचार से वित्त मंत्री महोदय इसके बारे मे सभा को बतायेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्री सोमनाथ चटर्जी ने इसे उठाया था ···

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो खड़ा होता है वह यह है कि यदि एक नियुक्ति की गई थी तो क्या यह ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं की गई थी जिसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था ? क्या यह ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया जिसने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ऐसा किया ? यदि हां, तो किस अधिकार के अधीन ऐसा किया ? यह अन्य प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसके महत्व का कारण यह है कि काफी लम्बे समय के बाद संयुक्त राज्य

अमरीका की विदेशों में जांच-पड़ताल करने की एजेन्सी आर्थिक अपराधों की खोज-बीन करने के लिए कहा गया; एक ऐसी एजेंसी जिसे हम सभी जानते हैं कि वह केवल राजनीतिक जांच-पड़ताल करती है न कि आर्थिक जांच-पड़ताल करती है; इसके अमरीका की केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसी से भी संबंध है। उनके कितने निकट के संबंध है, उनकी पहुंच कहां तक है, सभा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

4.25 म० प०

(श्री बकम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, यदि मैं यह कहूं कि एक अन्य प्रश्न यह उठता है कि क्या इस फेयरफेक्स नामक एजेंसी को जांच-पड़ताल के लिए नियुक्त किया गया है—वित्त मंत्रालय मे माननीय राज्य मंत्री कृपया यह नोट करें कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी कतिपय संगत प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : वे परवाह नहीं करते। आप यहां असंगत बात कर रहे हैं।

श्री विनेश गोस्वामी : वे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : ब्रह्मदत्त जी आप बुरा न मानें तो क्या मैं आपका ध्यान एक मिनट के लिए इधर आकृष्ट कर सकता हूं? (व्यवधान)

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या फेयरफेक्स की नियुक्ति कतिपय विशेष अपराधों और अपराधियों को समाप्त करने के लिए की गई थी अथवा क्या प्रवर्तन निदेशालय के किसी बाह्य हाथ द्वारा यह नियुक्ति की गई थी।

एक माननीय सदस्य : क्या उन्हें नियुक्त किया भी गया था?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या उन्हें नियुक्त किया गया था यह प्रश्न तो पहले ही उठाया जा चुका है। मैं यह प्रश्न पहले ही उठा चुका हूं।

श्री एम० जयपाल रेड्डी : बिचारे मंत्री जी जवाब नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठता है वह यह है कि क्या जानकारी इकट्ठी करने का कोई तरीका रहा है अथवा क्या केवल फेयरफेक्स को ही इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा गया, यदि हां तो प्रवर्तन निदेशालय का फेयरफेक्स से परिचय किसने करवाया, यदि प्रवर्तन निदेशालय वह प्राधिकरण है जिसने अंततः फेयरफेक्स की नियुक्ति की?

सभापति महोदय यह अफवाह है—मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच है—यह कुछ प्रकाशनों में भी आया है कि किसी एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार ने प्रवर्तन निदेशालय से फेयरफेक्स एजेन्सी का परिचय करवाया और इस आधार पर यदि प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार तथा वित्त मंत्रालय आदि उसे नियुक्त करते हैं वास्तव में कोई भी व्यक्ति भविष्य में आने वाली स्थिति के प्रति चिंतित होगा।

सही जानकारी न देने का प्रश्न उठाया गया है और उस पर सभा में पहले से ही फिर से जोर दिया गया है। सही जानकारी न देने की शुरूआत स्टेट्समैन नामक समाचार पत्र तथा अन्य प्रकाशनों में उपलब्ध है। परन्तु सभापति महोदय मामला यह भी है कि क्या फेयरफेक्स द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट उपलब्ध भी कराई गई है। यदि हां, तो सरकार को दी गई जानकारी क्या है? सभा उसे जानना चाहती है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बहुत अच्छे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अथवा क्या यह जानकारी केवल प्रो० मधु दंडवते के पास ही है, अथवा फेयरफेक्स के बारे में यह जानकारी सिर्फ जयपाल जी या प्रो० मधु दंडवते के पास है अथवा क्या यह सरकार के पास भी उपलब्ध है? (**व्यवधान**)

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या दिसम्बर, 1986 में भारत में एक निजी वस्त्र कम्पनी द्वारा अधिकारिक तौर पर नियुक्त फेयरफेक्स की सेवाओं का उपयोग किया गया था और क्या कम्पनी फेयरफेक्स के अध्यक्ष को भारत में लाने के लिए उत्तरदायी है और जांच-पड़ताल करने वाले पत्रकार के माध्यम से परिचय हुआ। (**व्यवधान**)

मैं व्यक्तियों पर आरोप लगाने में विश्वास नहीं करता हूं—मैं कह रहा हूं कि वित्त मंत्री उत्तर दें। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कोई टीका-टिप्पणी न की जाय।

(**व्यवधान**)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वे वित्त मंत्री बनना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम उनको समर्थन देते हैं।

सभापति महोदय : उनको समर्थन न दें।

(**व्यवधान**)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कोई जांच की गई थी—इस मामले में जांच का विनिमय किया गया था, क्या वित्त मंत्रालय ने उन अपराधियों के विरुद्ध जिन्होंने कतिपय लोगों की सेवाएं लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय से फेयरफेक्स का परिचय करवाया था, मामले वापिस लिए। यह एक स्पष्ट प्रश्न है जिसका मैं उत्तर चाहता हूं।

मैं यह यह जानना चाहता हूं क्या फेयरफेक्स का प्रवर्तन निदेशालय से परिचय कराने के कारण कुछ प्रकाशक कम्पनियों के विरुद्ध मामले छोड़ दिये गए या वापिस ले लिए गए हैं।

(**व्यवधान**)

अन्य मुख्य प्रश्न यह है कि जब श्री गुरूमूर्ति की तलाशी ली गई थी तो क्या उनकी तलाशी तकनीकी विकास महानिदेशालय की फाइल खो जाने के मामले में ली गई थी जो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सुविदित तथ्य है अथवा इस विशिष्ट फेयरफेक्स जांच के संबंध में उनकी तलाशी ली गई थी। यह महत्वपूर्ण भी है और गंभीर भी है क्योंकि श्री सोमनाथ चटर्जी ने प्रश्न उठाया है। सरकार को आगे आना चाहिए और इसे स्पष्ट करना चाहिए।

संचार माध्यमों से काफी गलत जानकारी दी गई इस सभा में अधूरी सच्चाई बताई गई और निराधार आरोप लगाए गए जिनके लिए दायित्व लेने के लिए वे तैयार है लेकिन मामले के कोई भी निष्कर्ष असत्य नहीं पाये गये। सभा में चारों ओर से कटाक्ष किये गये। लेकिन तब ऐसा अति वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया गया। किसी को भी आगे और बोलने से रोका जाए।

एक आधारभूत मामला सामने आता है कि क्या फेयरफेक्स बड़े हिमखण्ड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। यह सच है कि बाहर काफी काला धन जमा है और यह भी सच है कि विदेशी मुद्रा

विनियम अधिनियम का उल्लंघन चल रहा है। उन्हें सब पता है। लेकिन हममें से वास्तव में ही किसी को भी यह पता नहीं है कि क्या महत्व और परिमाण हैं। हम भी यह महसूस करते हैं कि भारत सरकार को सशक्त, ठोस कदम उठाने चाहिए और फेयरफेक्स जैसी प्राइवेट एजेन्सी को नियुक्त नहीं करना चाहिए। सरकारी एजेंसियों को इस मामले की जांच जल्दी-जल्दी करनी चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश को अस्थिर करने की यह विश्वव्यापी नीति है। इसके विभिन्न दृष्टिकोण हैं। ऐसा माना जाता है कि फेयरफेक्स के अंतर्राष्ट्रीय आसूचना एजेंसियों से संबंध हैं। क्या यह संगठन यदि प्राइवेट जांच-पड़ताल करने वाली एजेंसी है तो क्या यह अपनी सेवाएं नि:शुल्क दे रही है? मेरी जानकारी के अनुसार प्रकाशनों और समाचार पत्रों में जो जानकारी उपलब्ध है, फेयरफेक्स को एक भी पैसा या रुपया या सेंट नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि क्या उन्हें नियुक्त किया गया है और पैसे दिये गये हैं। यदि उन्हें भुगतान किया गया है और निस्संदेह क्या उन्हें नहीं दिया गया है, तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई प्राइवेट संस्था, जासूसी या अन्यथा बिना कुछ प्राप्त किए अपनी जेब से पैसा खर्च करेगी? फेयरफेक्स का उद्देश्य क्या था? यह एक मुख्य प्रश्न है। फेयरफेक्स के अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में इस आशय की जो बात कही है कि एक वाटरगेट संभव है, तो यह संकेत करता है कि जिसकी वे जांच कर रहे थे वे आर्थिक अपराध नहीं थे अपितु राजनीतिक खेल खेल रहा था। वह हमारे देश में अस्थिरता उत्पन्न करने वाली कतिपय विदेशी और देश के भीतर की ताकतों के हाथ का उपकरण अथवा हथियार बनाना चाहता है या बना हुआ है।

यह उपयुक्त समय है कि हमने इस देश में गम्भीरता से इस तथ्य को नोट किया है कि प्रचार माध्यमों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए मैं किसी प्रकार का नियंत्रण लगाने का सुझाव नहीं दे रहा हूं। मेरे विचार में यह खुद प्रचार माध्यमों को, जो हमारे देश में एक बहुत ही जिम्मेदार व्यवस्था है, सोचना होगा कि राष्ट्रहित की यह मांग है कि इससे पहले कि वे अपने प्रकाशनों में आक्षेप तथा आरोप लगाने शुरू करें, उन्हें यह समझ लेना चाहिए····(व्यवधान)।

सभापति महोदय : वह इस मामले में झुक नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं जो कुछ कह रहा हूं वह यह है कि प्रचार माध्यमों का एक वर्ग बहुत ही जिम्मेदार माध्यम है मैं सभी प्रचार माध्यमों की बारे में नहीं कह रहा हूं निःसन्देह उन्होंने अपना कार्य अच्छी तरह किया है···। (व्यवधान) परन्तु जो प्रश्न उठता है वह यह है कि ऐसे मामलों में संचार माध्यमों के कुछ ऐसे वर्ग होते हैं। प्रचार माध्यमों में कतिपय ऐसे लोग होते हैं जो राष्ट्र को अस्थिर बनाने के लिए इस शक्तिशाली औजार का उपयोग करना चाहते हैं। वे निहित स्वार्थों का अंग होते हैं। इस बात को जान लेना चाहिए कि भारत की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी वे इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि वे इस देश में अस्थिरता लाने के लिये समाचार पत्र अथवा किसी प्रकाशन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जनता उनको माफ नहीं करेगी। राष्ट्र ने यह बिल्कुल स्पष्ट संकेत कई बार दिया है और ऐसी स्थिति नहीं बनने देनी चाहिये जब राष्ट्र को पुनः उपयुक्त कदम उठाने पड़ेंगे।

मैं यह कहते हुये अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि इस सभा के लिए समस्त तस्वीर की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। यह सरकार के लिए अथवा विपक्ष के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है कि जानकारी को हम सब से दूर रखा जाये। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रोफेसर दण्डवते के पास काफी जानकारी उपलब्ध है जिसे वे हमें दिखाने की कृपया नहीं करते हैं। और यह बिल्कुल स्पष्ट

है कि सरकार के पास कुछ जानकारी उपलब्ध है। यह राष्ट्र हित की बात है। मैं इस सभा को व्यक्तिगत रूप से यह सुझाव देना चाहूंगा कि हम सबको जिनके पास इस मामले के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, एकजुट हो जाना चाहिए और इस समस्या को सुलझाना चाहिए क्योंकि यह एक व्यापक नीति का एक अंग है। यह हम जो हिंसघात देख रहे हैं आज उसकी एक किस्म ही है। जब कोई व्यक्ति और गहराई में जाता है तो हथियारों सम्बन्धी मामला इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। वास्तव में हमें अपना दिमाग लगाना चाहिये और इस मामले की गहराई में जाना चाहिए यह आर्थिक अपराधियों का एक सामान्य मामला तो बिल्कुल ही नहीं है। यह एक काफी गहरा मामला है, यह एक काफी बड़ा मामला है। वास्तव में, यह एक सांठ-गांठ युक्त नीति है जिसे कई ताकतों ने एक साथ मिलकर राष्ट्र की छवि को गिराने, हमारे राष्ट्र के नेताओं को गिराने और राष्ट्र में अस्थिरता लाने का प्रयास करने के लिये अपनाया है। सभापति महोदय, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय सभापति महोदय, जब चर्चा आरम्भ हुई तो सत्ताधारी दल की ओर से किये गये भारी हंगामे ने मुझे बंगाली की एक कहावत याद दिला दी। मुझे खेद है कि मुझे बंगाली में बोलना पड़ा है और उसके बाद इसका अनुवाद करना है :—

ठाकुर घारे की
अभी तो कला खैनी

ठाकुर घारे का मतलब है वहां मन्दिर में कौन है। यह प्रश्न है। मन्दिर के अन्दर से उत्तर आता है। "मैंने केले नहीं लिए" क्योंकि केले अन्दर हैं और व्यक्ति भी अन्दर है बाहर से कोई व्यक्ति पूछ रहा है, वहां मन्दिर में कौन है। अन्दर वाला आदमी जिसने केले चुरा कर खा लिए हैं अपने आप को उस अपराध से बचाने के लिए बाहर आता हुआ यह वाक्य बोलता है "नहीं-नहीं, मैंने केले नहीं लिए" प्रतीत होता है ऐसा वातावरण बन गया है.... (**व्यवधान**)।

यह एक बंगाली कहावत है। मेरे प्यारे भाई अपनी माता जी से पूछिये.... (**व्यवधान**)। श्री कुमार मंगलम, अपनी माताजी से पूछिये कि आपने अधिक नहीं सीखा है।

इसलिये महोदय, स्थिति यह है.... (**व्यवधान**)।

श्री हर्ष भाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, प्रत्येक सदस्य ममता बनर्जी की अनुपस्थिति का लाभ उठा रहा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, ममता बनर्जी अब बिल्कुल चुप रहने लगी है।

सभापति महोदय : शांत, शांत, कृपया भाषण जारी रखें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं कि आक्षेप कौन लगा रहा है, किन नियमों का पालन किया जा रहा है, क्या यह कहा जा सकता है, क्या वह कहा जा सकता है। जी, हां, संसदीय प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। मैं सहमत हूं। परन्तु तब, महोदय तथ्य यह है कि आज देश में चाहे यहां विद्यमान हमारे मित्र इसे पसन्द करें अथवा नहीं—शक्तिशाली प्रचार माध्यम के द्वारा कई प्रश्न उठाए गए हैं, लाखों प्रतियां परिचालित की गई हैं परन्तु, इसका उत्तर नहीं दिया गया। क्या सत्ता के पक्ष में बैठे हमारे मित्र हमारे होठों को सील कर देंगे, लाखों लोगों के सन्देह का यहां उत्तर नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन्हें गम्भीरता से जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ती है।

कई प्रश्न जो मैं पूछना चाहती थी, वे मेरे माननीय साथी श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा पहले ही पूछ लिये गए हैं। इसलिए, मैं उन सबको नहीं दोहराऊंगी। मैं उनमें से कुछ पर बल देना चाहूंगी। प्रथमतया मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इस अमरीकन एजेन्सी को नियोजित करना हमारे देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है जैसा कि इससे मालूम होता है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहती, कई व्यक्तियों द्वारा इसकी जांच की गई है। मेरा प्रश्न यह है कि वास्तव में किसने इस एजेन्सी को नियोजित किया था। इससे चारों ओर रहस्य का वातावरण पैदा हो गया है क्या कोई व्यक्ति यह विश्वास करेगा कि मात्र कुछ अधिकारियों ने ऐसा किया था ? किसी ने भी ऐसा नहीं किया। निश्चित रूप से वित्त मंत्री की जानकारी के बिना ऐसा नहीं किया गया होगा।

कई समाचार पत्रों में भी यह कहा गया है कि मंत्रिमंण्डल ने विदेशी एजेन्सी को नियोजन को स्वीकृति दी थी। मंत्रिमण्डल अथवा मंत्रिमण्डल का प्रमुख उस एजेन्सी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उछाली गई गन्दगी के कारण बाद में कोई अन्य निर्णय ले सकता है। इसलिये, यह समाचार पत्रों में छपा है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

मुझे इस बात पर काफी आश्चर्य हुआ कि ऐसा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वाद-विवाद चल रहा है, सारे देश में गन्द उछाला गया है और यह कि दो प्रमुख प्रभावशाली व्यक्ति यहां मौजूद नहीं हैं न तो भूतपूर्व वित्त मंत्री और न ही वर्तमान वित्त मंत्री। यह वास्तव में सबसे हास्यास्पद बात है इस सारे मामले को कितनी गम्भीरता से लिया जा रहा है—इस पर देशवासियों द्वारा सन्देह किया जाएगा अथवा इसमें कोई ऐसी गुप्त बात है जिसे गुप्त रखे जाने की आवश्यकता है, नाटक में करने वाले व्यक्तियों को प्रकट हो जाना चाहिये। इसमें किसी को भी विश्वास नहीं होगा। माननीय ब्रह्मदत्त इस प्रहार को सहेंगे। लेकिन आप कुछ भी कहें तब भी यह प्रश्न बना रहेगा।

एक ऐसे व्यक्ति विशेष के स्विस बैंक के खाते के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है जो सभा आदि के किसी माननीय सदस्य का सम्बन्धी रहा है। यदि मैं सभा का वह सदस्य होती तो मैं वह पहली सदस्या होती जो सामने आकर खुद वे खुद यह कहती कि स्थिति यह है। मैंने सभा को इस बारे में अवगत करा दिया होता। मैं वास्तव में नहीं समझती कि इस सभा का एक माननीय सदस्य, यद्यपि उन पर इतना कीचड़ उछाला गया है, क्यों नहीं खुद सामने आता और सभा के समक्ष हम सबके समक्ष और हमारे माध्यम से देश के समक्ष यह मामला क्यों नहीं रखता कि उनके भाई का स्विस के बैंक में कोई खाता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : दाल में कुछ काला है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : जब तक वह कार्य नहीं किया जाता कुछ भी कहा जाए मुझे विश्वास है। वास्तव में इस धारणा को बदला नहीं जा सकता है। मैं ऐसा अनुभव कर रही हूं। आप गुस्सा हो सकते हैं। किसी को खुशी हो सकती है। सत्ताधारी दल के अन्दर कई विचार धाराये पनप रहे हैं। मैं उन्हें देख सकती हूं। हम अन्धे नहीं हैं। अतएव, किसी को गुस्सा आ सकता है। किसी को खुशी हो सकती है। परन्तु तथ्य यही है कि जब तक ये कार्य नहीं हो जाते हैं, वास्तव में कोई भी व्यक्ति यहां इन सभी बातों को गम्भीरता से नहीं लेगा। इसलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि फेयरफैक्स की नियुक्ति कैसे की गई थी। श्री गुरुमूर्ति की गिरफ्तारी भी काफी अजीब है। क्या वह

रिलायन्स कम्पनी से सम्बन्धित गुप्त फाइलों के लिए की गई थी, क्या यही बात थी, तो उसे दिसम्बर में ही गिरफ्तार किया जाना चाहिये था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उससे पूछताछ की गई थी न कि गिरफ्तार किया गया था।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उससे पूछताछ की गई थी न कि गिरफ्तार किया गया था।

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी आमतौर पर मैं हर समय आपकी ओर ही देखती हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पीठासीन अधिकारी का अपना ही आनन्द है।

श्री नारायण चौबे : आप एक खूबसूरत पीठासीन अधिकारी हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि उस समय उससे पूछताछ की गई थी—तो यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है—वित्त मंत्रालय में तेजी से हो रहे घटनाक्रम के बाद रक्षा मंत्रालय में स्थानान्तरित करना, श्री भूरे लाल को हटाना, तत्पश्चात श्री पाण्डे को आर्थिक कार्य से हटा कर प्रवर्तन विभाग देना, तत्पश्चात रिलायन्स कम्पनी के काफी लम्बे समय से पड़े आ रहे मामलों को निपटाना—और बम्बई पत्तन में पड़े कच्चे माल को उठाने की अनुमति देना, आदि-आदि अन्ततो गत्वा यह गिरफ्तारी हुई। इससे लोगों के दिमागों में स्वाभाविक सन्देह पैदा होता है।

मुझे नहीं मालूम कि श्री गुरुमूर्ति का पूर्ववृत्त क्या है। उनकी पिछली गतिविधियां क्या हैं? वह भारत सरकार तथा फेयरफैक्स की बीच बिचौलिया कैसे बन गए? मुझे नहीं मालूम कि यह सब कैसे हुआ? यदि ऐसा हुआ है तो यह सब बहुत आपत्तिजनक है। अब इन सब बातों को पृष्ठभूमि में सब कर एक संदेह पैदा हो गया है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच करनी होगी कि यह सब कैसे हुआ, इस एजेंसी को नियुक्ति किसने किया, उनकी अदायगी का क्या तरीका था, क्या मंत्रीमंडल स्तर पर इसको स्वीकृति मिल गई थी। यह सब चीजें स्पष्ट रूप से इस सभा के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

महोदय, तत्पश्चात यदि सरकार ने इस एजेन्सी को नियुक्त किया था तो इस संबंध में सरकार ने जो भी सूचना एकत्र की है वह उनकी टिप्पणियों सहित सभापटल पर रखी जानी चाहिए अब तो वह किसी की भी सम्पत्ति नहीं हैं। अब पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है। इसलिए एक सही प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। अन्यथा इसका दूसरा मतलब लगाया जाएगा अर्थात अब जो कहा जाएगा निश्चय ही उस पर विश्वास कर लिया जाएगा। मैं यही बात कहना चाहती हूं। जिस तरीके से अदायगी भी गई वह भी बहुत आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि एक औद्योगिक घराना दूसरे औद्योगिक घराने से बदला लेना चाह रहा है क्योंकि उसे विदेशी एजेंसी को अदायगी करनी पड़ी हैं आदि-आदि। हमें यह सब नहीं मालूम कि श्री गुरुमूर्ति इस सौदे में जिस तरह शामिल हुए उनके बारे में हमें कुछ और जानकारी मिलनी चाहिए।

अब इस पूरी जांच का क्या हुआ? ऐसा लगता है कि यह जांच कई घरानों जैसे टाटा, रिलायंस कम्पनी, गोयंका तथा श्री चाबरिया तथा युनाइटेड ग्रुप कम्पनीज के श्री विजयामूलिया इन के बारे में आपके पास आरम्भ की गई कौन-सी सूचना है? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? इसलिये इन सब के बारे में स्पष्टतया बताना होगा। अन्यथा हमें यह नहीं पता लगेगा कि इन लोगों ने क्या लेन-देन किया। उच्चतम कार्यकारी अधिकारी को यह सब स्पष्ट करना करना चाहिए।

सदस्यों के दिमाग से संदेह दूर करने के लिए उन्हें स्पष्टरूप से व्यक्तिगत वक्तव्य देना चाहिये अन्यथा मेरे दिमाग में तथा इस देश के करोड़ों व्यक्तियों के दिमाग में संदेह बना रहेगा। आपको इन संदेहों को दूर करना चाहिए। मुझे आशा है कि हम सभी तथा मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी व अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गये सभी प्रश्नो के उत्तर देने का प्रयत्न किया जाएगा। धन्यवाद।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, सदन में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने का मौका मिला है जिसने पूरे वातावरण मे उत्तेजना तथा काफी गड़बड़ी पैदा की है। मुझे आशा है दूसरे पक्ष के सदस्य मुख्य मुद्दे अर्थात भ्रष्टाचार समाप्त करने पर अधिक ध्यान देंगे, उसका महत्व कम करने का प्रयास नहीं करेंगे। शुरू में ही प्रो० मधु दण्डवते ने अपने दृष्टिकोण के तीन उद्देश्यों पर जोर दिया था। एक यह कि सरकार जांच के लिये अपने कारगर तंत्र को मार्ग निर्देश देने में असफल रही है दूसरे क्या यह सही था अथवा सही है कि यू० ए० अथवा किसी विदेशी एजेंसी को नियुक्त किया जाए तथा तीसरे वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री के बीच क्या समन्वय है। मुझे लगता है अब वित्त मंत्री की भूमिका पर अधिक जोर दिया जा रहा तथा मुख्य मुद्दे अर्थात भ्रष्टाचार दूर करने पर जोर नहीं रहा। महोदय, फेयरफैक्स की नियुक्ति की गई तथा राज्य मंत्री जो इस समय चर्चा के प्रभारी हैं वह बताएगे कि किन परिस्तिथयों में तथा किन व्यक्तियों द्वारा फेयरफैक्स की नियुक्ति की गई तथा उसका क्या परिणाम निकला अब वे सभा को इस सम्बन्ध में विश्वास में लेंगे।

परन्तु महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि फेयरफैक्स ने स्थिति अथवा मामले के आर्थिक पक्ष की ओर ध्यान दिलाने के स्थान पर अपनी जांच को बदल कर उसे राजनैतिक रंग दे दिया है। उन्हें लगा कि ऐसी स्थिति यहां पैदा हो सकती है। हमें यह भी मालूम है कि पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें योजना बनाई गई थी कि भारत में गड़बड़ी करके महत्वपूर्ण नेताओं की जान पर संकट पैदा किया जाये मेरे विचार से यह इस दिशा में एक ऐसा ही प्रयास है। जब 'वाटरगेट' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनसे यही पूछना चाहिए : कि इस देश के संबंध में वह किस स्थिति की कल्पना कर रहे हैं। महोदय मुझे तथा राष्ट्र को यही बताया गया है कि यहां ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जैसे अभी हमारे मित्र श्री भगत कह रहे थे कि संसदीय प्रणाली की सरकार में सरकार तथा संसद अपनी गतिविधियों का समन्वयन करते हैं तथा सरकार चलाने में वह एक दूसरे की मदद करते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली में स्थिति दूसरी तरह की होती है, कांग्रेस सरकार पर नजर रखती है। कार्यकारिणी का इससे कोई संबध नही होता परन्तु यहाँ तो कार्यकारिणी इससे सम्बद्ध है। इस प्रकार इन दो प्रणालियों में यही प्रमुख अन्तर है इसलिए यहां वाटरगेट, इरानगेट या कोई अन्य बुरा गेट जैसे कांड नहीं हो सकते यहां केवल अच्छी बातों ही हो सकती हैं। महोदय, क्योंकि लोकतन्त्र के द्वार विपक्ष तथा सत्तारूढ़ दल दोनों के लिए खुले हैं···

एक माननीय सदस्य : यहां इंडिया गेट तो है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, यहां इंडिया गेट भी है, दिल्ली गेट भी है। इस प्रकार सब तरह की स्थिति पर चर्चा करने के सभी मौके हमारे पास हैं। (व्यवधान) संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार में ऐसा संभव नहीं है। वहां समन्वय तथा संघर्ष दोनों संभव हैं। तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी वहां अपराधी करार दिया जा सकता है। यहां प्रणाली में ही सुरक्षोपाय निहित है ताकि प्रणाली में दरार न पड़ने पाये तथा वह निरन्तर आगे बढ़ती रहे। इसलिए श्रीमती गीता मुखर्जी तथा अन्य मित्रों द्वारा फेयरफैक्स के संबंध में पूछे गए प्रश्नो का उत्तर मंत्री महोदय देंगे।

परन्तु यह ध्यान रखा जाये कि 1975 के दौरान श्रीमती गायत्री देवी के जवाहरातों की चोरी हो जाने पर एक विदेशी एजेन्सी की मदद ली गई थी। ऐसा कब किया गया। जनता पार्टी की सरकार के समय ऐसा किया गया। इसलिए तब यदि किसी विदेशी एजेंसी की कार्यकुशलता का उपयोग सही माना गया था तो अब क्या हुआ। मैं फेयरफैक्स की नियुक्ति को सही नहीं ठहरा रहा हूं परन्तु मैं ऐसी ही समान्तर स्थिति बता रहा हूं। ऐसा पहले भी किया गया, अब भी किया जा रहा है, बेहतर यही होगा यदि ऐसा नहीं किया जाए तथा हमारी पुरानी प्रक्रिया को विकसित किया जाए ताकि हम मामले की जांच कर सकें।

महोदय, समाचार पत्रों में खबर छप गई है परन्तु हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शासकीय गोपनीयता अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उस फेयरफैक्स की जांच से क्यों जोड़ा जाए। उसे इसके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सरकार द्वारा कुछ कार्य किन्हीं विशेष मौकों पर किये जाते हैं। तब आप पूछते है ऐसा दिसम्बर में क्यों नही किया गया? बाद में क्यों किया गया? महोदय, इसका उत्तर यही है कि पहले हम जांच करते हैं यदि ऐसा तुरंत किया जाए तो आप कहेंगे कि बिना जांच के ऐसा किया गया। यदि जांच के एक महीने बाद ऐसा किया जाये तो आप हम पर यह आरोप लगाते हैं कि ऐसा इस कारण नही किया गया। बाद में उत्पन्न स्थिति के कारण किया गया। महोदय, ऐसा मामला नहीं है। सरकार का मामला ऐसा है कि ऐसी स्थिति में काला धन पकड़े जाने के लिए कुछ छापे मारने पड़ते हैं। तथा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को छापे मारने का श्रेय जाता है। आपने श्री ब्रह्मदत्त से खास तौर पर यह पूछा कि क्या छापे उसके बाद भी जारी है या नहीं। वह आपको ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां छापे जारी रखे गए। मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी वचन बद्ध हैं कि सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को जड़ से दूर किया जाए। संसद बनने के समय से हम पहले सांसद हैं जब दल बदलने के विरोध में विधेयक पारित करके उन्होंने राजनैतिक भ्रष्टाचार को दूर किया और वह वित्तीय भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये भी दृढ़संकल्प हैं। विपक्ष को इसमें सहायता देनी चाहिए। पूरे सदन तथा सभी पक्षों का यह प्रयत्न होना चाहिए कि सभी तरफ से भ्रष्टाचार दूर किया जाए चाहे उसमें कोई विदेशी शामिल हो या कोई स्विच बैंक का खाता हो। किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। परन्तु इस प्रयत्न में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में एकता हो इसमें हमारी प्रणाली को नुकसान नहीं होगा न ही विदेशी हमें नीचा दिखा सकेंगे। हम न ही इसकी अनुमति देंगे न ही इसे बरदाश्त करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि फेयरफैक्स द्वारा इसे राजनैतिक मोड़ दिये जाने की कार्यवाही की कुशलता पूर्वक जांच की जानी चाहिए। मैं माननीय वित्त राज्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस का सही उत्तर दिया जाए फेयरफैक्स का क्या बिजनेस था? उन से कब यह विशेष काम करने के लिए कहा गया था, यह इस प्रक्रिया से कब हटे? जो काम उन्हें नहीं सौंपा गया वह उसे क्यों कर रहे हैं। तथा फेयरफैक्स के अध्यक्ष को यह कहने का कोई हक नहीं है कि ऐसी स्थिति में उस अधिकारी के तबादले से संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा हो जाता। वहां तो कई बातें हो सकती हैं। मुझे मालूम है वहां क्या हुआ। अमरीकी सरकार ने कॉन्ट्रास को दो विलियन डालर्स दिये ताकि वह निकारगोअन सरकार का तख्ता पलट दें। परन्तु अमरीका सरकार अमरीकी जनता नहीं है अमरीकी जनता ने मौके पर सरकार का विरोध किया। इसलिए यदि आप अमरीका का एक पक्ष देखते हैं तो दूसरा भी देखिए।

मुझे विश्वास है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक मत बहुत मजबूत हैं। हम फेयरफैक्स ही नहीं, परन्तु सी० आई० ए० के यदि कुछ इरादे हैं जिससे देश में अराजकता फैले तो उन्हें भी खत्म

कर देंगे। हम आगे बढ़ेंगे तथा श्री राजीव गांधी के दल विरोधी कानून से राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचार का विरोध करके वित्तीय भ्रष्टाचार दूर करने के इरादे एक दिन अवश्य सफल होंगे तथा पूरे सदन को उनके इस प्रयत्न की सराहना करके सहयोग देना चाहिये।

4.56 म० प०

नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अमिताभ बच्चन।

श्री अमिताभ बच्चन (इलाहाबाद) : महोदय मैं नियम 357 के अन्तर्गत आपकी अनुमति से एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : जी हां, आप बोल सकते हैं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वती पुरम) : यह वाद-विवाद के दौरान नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अमिताभ, आप बोलिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहें, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। आप कृपया अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री अमिताभ बच्चन को बोलने का पूरा हक है। वह इस सभा के माननीय सदस्य हैं, उन्हें बोलने का पूरा हक है। उनके बोलने पर हम उनका स्वागत करेंगे। परन्तु कुछ प्रक्रिया संबंधी नियम हैं। यदि वह चर्चा में भाग लेना चाहें तो वह अभी बोलें। परन्तु यदि वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो···

सभापति महोदय : इसकी भी अनुमति है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियमानुसार यदि एक सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : परन्तु चर्चा के बीच नहीं।

सभापति महोदय : किसी भी समय कोई भी सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है। नियमानुसार····

(व्यवधान)

श्री अमिताभ बच्चन : माननीय सभापति महोदय, कुछ पत्रिकाओं में मेरे विरुद्ध आरोप तथा लांछन लगाए गये हैं तथा प्रो० दंडवते ने जो कहा, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं।

"कि भोरे लाल ने फेयरफैक्स की मदद से मेकसी अडोल ब्रदर्स के कुछ सीक्रेट खोले है, यह स्विटजरलैंड में दवाईयों की एक रजिस्टर्ड कम्पनी है तथा अमिताभ बच्चन के दावे के अनुसार यह कम्पनी संयुक्त रूप से अमिताभ बच्चन की अपनी कम्पनी है। अमिताभ बच्चन भारतीय पासपोर्ट पर अप्रवासीय भारतीय तथा कुछ इटलायिन नागरिकों जिनके भारत से गहरे संबंध हैं सम्पति कैसे रख सकते हैं।"

एक अन्य बात जो उन्होंने कही वह यह है कि :—

"यह कोई आरोप नहीं है अपितु वास्तव में इससे उनका स्वच्छ दृष्टिकोण सिद्ध होता है।"

मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह कितना अस्वच्छ है केवल श्री मिथुन चक्रवर्ती ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि उनके सारे खर्चे बच्चन द्वारा वहन किये गये थे।" इस सदन का एक सदस्य होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं और यह बात रिकार्ड की जानी चाहिये कि दोनों रिपोर्ट पूर्वतः झूठी हैं। स्विटजरलैंड में न ही मेरे भाई की इस नाम से कोई कम्पनी है और न ही विदेश में श्री मिथुन चक्रवर्ती का मैंने कोई खर्चा वहन किया था। समाचार पत्रों में प्रकाशित यह खबर दुर्भावपूर्ण है। उन्होंने इसे मेरा अपमान करने के लिए प्रकाशित किया है तथा यदि मैं किसी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करूं, वह केवल शब्दाडंबर है, पूरा मिर्च-मसाले से भरा है, जिससे दुर्गन्ध आ रही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए।

(व्यवधान)

5.00 म० प०

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : क्या वे सदन की समिति का सामना करने के लिए तैयार हैं ?

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए। गृह मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। गृह मंत्री महोदय कुछ कहने के लिए खड़े हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

सरदार बूटा सिंह : मुझे खेद है कि दूसरी बार मुझे प्रो० मधु दंडवते को याद करवाना पड़ रहा है कि इन्होंने इस सदन में जो कुछ कहा है वे उसकी जिम्मेदारी ले। (व्यवधान) यदि उनके पास कोई नैतिक बल है अथवा उसकी कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा है और यदि उनके हृदय में संसदीय लोकतंत्र के प्रति जरा भी आदर है उन्हें अपने स्थान से उठकर तथा इस सदन में गलत होने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

सरदार बूटा सिंह : श्री दंडवते ने जो आज चर्चा प्रारम्भ की है श्री अमिताभ बच्चन द्वारा उसका खण्डन कर दिये जाने पर वह अपने-आप समाप्त हो जाती है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) सभापति महोदय ने मुझे इसकी अनुमति दे दी है। मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या सहज रूप से खण्डन कर देना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के समान है दूसरी बात यह हैं कि क्या अमिताभ बच्चन सदन की समिति द्वारा जांच के लिए तैयार हैं।

सभापति महोदय : श्री दिनेश गोस्वामी। (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सदन समिति की जांच किसलिए है ? आपकी बात का पहले ही खण्डन किया जा चुका है। अब आप सदन की समिति की बात कर रहे हैं।

5.03 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा—जारी

विदेशों में भारतीयों द्वारा विशाल अवैध धनराशि रखने के मामलों की जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अमेरिका की आर्थिक गुप्तचर संस्था फेयरफैक्स ग्रुप को कार्य सौंपे जाने के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए। श्री दिनेश गोस्वामी।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : श्री नारायण चन्द पाराशर, जिन्होंने मुझसे पहले बोला है, ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह सरकार काले धन तथा आर्थिक अपराधों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए कृत संकल्प है। इस संबंध में मुझे याद आया कि 14-2-85 को इस देश के प्रधानमंत्री ने जोधपुर में एक चुनाव रैली में कहा था कि इस देश से काला धन समाप्त कर दिया जाएगा तथा जब वे बोल रहे थे, वे जानते थे कि कठिनाईयां हैं क्योंकि राजनेकर समिति के अनुसार, उस समय अनुमानित 18,241 करोड़ रु० का काला धन था तथा काले धन पर 1985 के प्रतिवेदन के अनुसार, इस समय काले धन की राशि 34,740 करोड़ रु० से 40,530 करोड़ रु० तक है। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि वे इस युद्ध में सफल हुए हैं। किस प्रकार एक जनरल युद्ध में सफल हो सकता है। जब आप अपने शत्रु को इस देश से बाहर भेज देते हैं तो आप सफल हो जाते हैं तथा प्रधानमंत्री सफल हो गये हैं।

**

श्री शांता राम नायक (पणजी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं इस बात पर झुक नहीं रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं आपका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 352 की ओर दिलाता हूं इसमें अंतिम बिन्दू के अनुसार यह व्यवस्था है;

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

"कोई भी व्यक्ति उच्च अधिकार वाले व्यक्ति के आचरण पर आक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो"··· (व्यवधान)

हमसे यहां सन्देहात्मक प्रकार के मामले पर बात करने की आशा नहीं की जा सकती है। वे प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं बोल सकते। नियमों के अधीन वे ऐसा नहीं कह सकते। आप मूल प्रस्ताव ला सकते हैं। इसलिए इसे सभा की कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : हम इसकी जांच करेंगे। यदि जरूरी हुआ, हम इसे सभा की कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देंगे। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : यह वह हथियार है जो प्रत्येक सांसद को प्राप्त है। उसे यह सब चीजें जानने का अधिकार है। यदि उन्हें यह पसन्द नहीं है, मैं समझता हूं कि उनका ज्ञान अधूरा है।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट दी है कि केवल पिछले वर्ष ही 393 करोड़ रु० का धन इस देश से बाहर गया है तथा जूरिख, जिनीवा, ह्वांग कांग, न्यू जर्सी, मैनहटन तथा बरमूडा की तिजोरियों में जमा किया गया है। अतः क्या यह सच नहीं है कि आप हमारे काले धन का 393 करोड़ रु० इस देश के बाहर भेज सकते हैं? यदि मैं इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दूं तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। मैं यह नहीं समझ सकी कि वे चिल्ला क्यों रहे हैं··· (व्यवधान)

इस तथ्य के बावजूद कि इस सम्बन्ध में मैं पूर्णतः प्रधानमंत्री के साथ हूं। कई बार लोग मुझे पूछते हैं। लोग मुझसे असहज प्रश्न करते हैं। मैं उन्हें उत्तर देना चाहूंगा। (व्यवधान)

मैं लोगों से तर्क करना चाहूंगा; देखिए प्रधानमंत्री ठीक हैं किन्तु लोग मुझसे असहज प्रश्न पूछते हैं। (व्यवधान)

मैंने लोगों को बताया है कि वे सभी आरोप जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं वे राष्ट्र को अस्थिर बनाने के लिए एक व्यापक षड्यन्त्र है। यह दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावाद का एक अंग है। किन्तु तब लोग पूछते हैं, यह दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावाद क्या होता है?

मैं कहता हूं मुझे यह नहीं पता। जब भी कोई बहस होती है या विरोधी पक्ष कोई प्रश्न उठाते हैं जिसका शासक दल के पास कोई उत्तर नहीं होता तो हमेशा यह तर्क दिया जाता है कि यह दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावाद है इसलिए इसमें कोई बात तो होगी।

पहला प्रश्न मैं यह पूछना चाहूंगा कि मैं प्रसन्न हूं भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री वी० पी० सिंह यहां उपस्थित हैं। श्री दिनेश सिंह जी इस सभा के हमारे प्रतिष्ठित सदस्य ने अपने दल की ओर से वाद विवाद आरम्भ करते हुए कहा था कि इस विदेशी एजेन्सी को नियुक्त करना गलत था। इसलिए मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। यह बात नहीं है कि श्री मधु दण्डवते ने इसे नियुक्त किया है। यदि विपक्ष के मधुदण्डवते ने इस एजेंसी को नियुक्त किया होता तो यह एक अलग बात होती। इस देश की सरकार ने विदेशी फर्म को नियुक्त किया था। मैं श्री वी० पी० सिंह से एक बात पूछना चाहूंगा कि : क्या उन्होंने इसकी नियुक्ति स्वयं ही की थी या देश के प्रधानमंत्री के परामर्श से की थी थी और यदि उन्होंने यह नियुक्ति अपने देश के प्रधान मंत्री के परामर्श के बिना स्वयं ही की थी तो क्या वे ऐसे संगठन, जो इस सभा के दोनों पक्षों को संदिग्ध प्रकृति का लगता है को नियुक्त करने का उत्तरदायित्व लेने को तैयार है।

रक्षा मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : इसमें मैं अपना उत्तर दायित्व भी मानता हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : इसलिए मैं देश के भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री वी० पी० सिंह को बधाई देता हूं। (व्यवधान)

मैं श्री वी० पी० सिंह जिन्होंने पिछले एक वर्ष तक काला धन समाप्त करने और आर्थिक अपराधों को खतम करने के लिए प्रशंसनीय साहस दिखाया है, को बधाई देता हूं। उन्होंने उत्तर-दायित्व स्वीकार किया है। (व्यवधान)

काला धन निकालने के लिए उन्हें उपलब्धि क्या हुई ? परिणाम यह हुआ कि उन्हें वित्त-मंत्रालय से हटा दिया गया मैं जानना चाहूंगा कि वित्त राज्य मंत्री श्री ब्रह्मदत्त की राय क्या है। क्या आप समझते हैं कि श्री वी० पी० सिंह द्वारा इस विदेशी फर्म को नियुक्त करना सरकार के अनुसार सही निर्णय था या नहीं ? श्री वी० पी० सिंह ने अपना उत्तर दायित्व स्वीकार किया है हम यह जानना चाहेंगे कि इस सरकार की क्या राय है कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहूंगा। पहली बार इण्डियन एक्सप्रेस के सम्पादकीय सलाहकार श्री मालगांवकर ने 23 जुलाई 1986 को दो लेख लिखे पहली बार शासक दल के अनुसार एक संदिग्ध समाचार पत्र में संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा यह प्रकाशित कराया गया। (व्यवधान)

यह 23 जुलाई 1986 को प्रकाशित हुआ था। यदि फेयरफैक्स ऐसा संगठन था जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जुलाई 1986 से फरवरी या मार्च 1987 तक स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। इस तथ्य के बावजूद भी कि एक पत्रकार जो उनके अनुसार संदेहास्पद पत्रकार है किन्तु जो हमारे अनुसार इस देश का बहुत प्रतिकृत सपादक है ने जुलाई 1986 में लिखा था कार्यवाही न करने की सरकार की गलती को उत्तरदायित्व लेने को कौन तैयार है इस मामले में फाइल के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। 23 जुलाई, 1986 को फाईल के बारे में एक लेख छपा था और 2 दिसम्बर 1986 को शासक पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह कहते हुए उत्तरदायित्व लिया कि फाईल उनके पास है। उन्होंने यह संसद में स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि फाईल उनके पास है। इस तथ्य के बावजूद भी कि शासक पक्ष के एक माननीय सदस्य ने एक स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि फाईल उनके पास है तो फाईल को ढूंढने के प्रयास क्यों नहीं किए गये और यदि सरकार की राय में यह मामला इतना गंभीर था तो यह फाईल उनसे ले क्यों नहीं गयी ? मैं सरकार से यह बात स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा। संयुक्त राज्य आर्थिक गुप्तचर एजेंसी जिसको नियुक्त करना मैं नहीं जानता ठीक था या नहीं मैं इसकी जांच करने वाला नहीं हूं सरकार को ही इस बारे में निर्णय लेना है मुझे यह कहना है :—

> "मेरे सहित किसी भी व्यक्ति ने, अथवा फेयरफैक्स ग्रुप की ओर से कभी भी आपके ग्राहक श्री एम० गुरुमूर्ति से पत्राचार नहीं किया यदि हमारी तरफ से कोई पत्राचार हुआ दिखाई देता है तो यह एक जाली।"

मैं जानना चाहूंगा कि श्री मी० ए० मैके या किसी अन्य के विशिष्ट वक्तव्य के बाद भी कि यह एक जाली है सरकार की स्थिति क्या है क्या सरकार यह कह सकती है कि "नहीं···यह जाली नहीं थी और मि० मैके का वक्तव्य गलत था ?" दुर्भाग्य से अब तक सरकार ने कोई विरोध नहीं किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्यों जबकि मि० मालगांवकर ने 23 जुलाई 1986 को लिखा और उसके बाद 27-7-1986 को इसे दुबारा लिखा 16-12-1986 तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई

गई। पांच महीने बीत जाने दिए गये। मैं जानना चाहता हू कि क्यों जबकि पूरा मामला जुलाई 1986 में प्रकाशित हुआ और श्री गुरुमूर्ति और श्री जानकीरामन को इण्डियन एक्सप्रेस में पत्र के प्रकाशित होने तक गिरफ्तार नहीं कर लिया गया था एक ऐसा पत्र जिस पर हम आज चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम चर्चा करेंगे ।

श्री एच० के० एल० भगत : यह एक ऐसा मामला है जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री दिनेश गोस्वामी : यह विचाराधीन नहीं है। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : वे एक ऐसे मामले को संदर्भित कर रहे हैं जिसके बारे में न्यायालय को निर्णय करना हैं··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि यह न्यायाधीन है आप इसका जिक्र नहीं कर सकते।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं जाना चाहता हू क्यों, इस तथ्य के बावजूद भी कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिसम्बर 1986 में दायर की गयी थी, मि० गुरुमूर्ति को उस तिथि तक गिरफ्तार नहीं किया गया जब तक पत्र इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित नहीं हो गया। यह एक ऐसा पत्र है जिस पर हम आज संसद में चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम इस पर चर्चा करेंगे तो देश में पूरा लोकतंत्र, जो इतना नाजुक है कि यह बिखर जायेगा।

ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तरों की सभा को अपेक्षा है। यह सच नही है कि जमानत की अर्जी पर आदेश देते समय न्यायाधीश ने कहा है कि सूचना किसी रक्षा या संवेदनशील मामले से संबधित नहीं है ? वास्तस्व में चूंकि यह मामला समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया है सरकार वास्तव में पर्याप्त धन बचा सकती थी। क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि 67 करोड़ रु० की राशि के अप्राधिकृत ऋणों की एक श्रृंखला थी जिसके परिणाम स्वरूप कम्पनी ने डिबेचर और स्टाक वापिस लिए और जारी किए और सरकार 360 करोड़ रु० के डिबेचरों को परिवर्तित होने को रोक सके। इस शरीफ आदमी मि० मागॉवकर जो सत्तारूढ़ दल के अनुसार संदेहास्पद चरित्र का है ने इस देश को इस राशि को बचाने में सहायता दी है। क्या यह सच है या नहीं ? क्या मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करेंगे ?

इसलिए मैं प्रधानमंत्री को एक बार फिर बधाई देता हूं मैं इस प्रस्ताव के लिए अपने संदिग्ध मित्र प्रो० दण्डवते का समर्थन नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे ताकि मैं कुछ शंकाओं का समाधान कर सकूं। जो लोगों को है क्योंकि वे कुछ असुविधाजनक प्रश्न कर रहे हैं और मैं उनकी शंकाओं को स्पष्ट करना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उसे बदनामी नहीं कहूगा क्योंकि व्यंग्य से उन्होंने मेरी प्रशंसा की है।

श्री जगन्नाथ कौशल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने का कोई विचार नहीं था। किन्तु दोनो तरफ के भाषणों को सुनने के बाद मैंने सोचा कि मुझे सभा के विचारने के साथ अपने विचार भी व्यक्त करने चाहिए।

यह बड़ा अजीब प्रश्न है कि हम बिना पूरे तथ्य जाने किसी विषय पर वाद विवाद कर रहे हैं। आधे शतक तक एक अधिवक्ता होने के कारण मेरे मन में एक दृढ़ भावना पैदा हुई है कि जब भी हम पूरे तथ्यों के बिना बहस करते हैं हम बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसी सभा में हुई घटनाओं से यह प्रमाणित हो गया है।

दो माननीय सदस्य एक मंत्री महोदय और दूसरे श्री अमिताभ बच्चन को अपने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने पड़े हैं उन्होंने बताया कि जो भी आक्षेप या तुक्ष उनके विरुद्ध किए गये हैं, पूरी तरह गलत है। यह प्रदर्शित किया गया है।

आरम्भ से ही मैंने सोचा था कि हम एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। कारण यह है कि यहां तक कि विपक्षी सदस्यों ने बताया है कि केवल एक तथ्य विदित है बाकी सब तथ्य को या तो उनके द्वारा या सरकार द्वारा सत्य ठहराया है यदि वे उन्हें बता सके और यदि उनके पास पूरे तथ्य हैं।

5.17 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केवल यही तथ्य ज्ञात है कि एक विदेशी एजेंसी उन गैरकानूनी निधियों का पता लगाने के लिये नियुक्त की गयी है जो कुछ कम्पनियों के नाम पर विदेशों में जमा की गयी है; उन्होंने कहा कि हम इसके आगे कुछ नहीं जानते क्योंकि जो समाचार पत्रों में अन्य कुछ छपा है वह हम समझ सकते हैं कि वे या तो अर्धसत्य है या कच्चे तथ्य हैं। और दुर्भाग्य से जब हम ऐसे गंभीर मामलों पर सभा में वाद-विवाद करते हैं मैं सभा से और दोनों ओर के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि बहुत अधिक सावधान रहे। क्योंकि ओनरेबल स्पीकर्स द्वारा इतने अधिक आक्षेप और इतने अधिक बातें कही गई है।

एक माननीय सदस्य : स्पीकर द्वारा नहीं (व्यवधान)।

श्री जगन्नाथ कौशल : माननीय स्पीकर्स के पीठासीन माननीय अध्यक्ष के अतिरिक्त दोनों ओर से बोलते रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जब आप हमारा सन्दर्भ दे तो आपको कहना चाहिए कि सभा के वक्त।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं अपनी बात में सुधार करता हूं। दोनों ओर से हुए भाषणों में वास्तव में हुआ यह कि कुछ सदस्यों ने कहा कि ये एजेंसी जिसे नियुक्त किया गया था उचित एजेंसी नहीं थी। प्रो० दण्डवते ने अपना भाषण आरम्भ करते हुये एक प्रश्न उठाया कि विदेशी जांच एजेंसी नियुक्त करना देश के लिये उचित नहीं है। यह पहला प्रश्न है जो उन्होंने उठाया और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। इसमे खतरा है और खतरा देश के सामने आ गया है। हम एजेंसी पर ही शक कर रहे है। हम शक कर रहे हैं कि यह एजेंसी हमारे संपर्क में कैसे आयी। हम कम्पनी की क्षमता के बारे में भी शक कर रहे हैं। हम एजेंसी के इरादों के बारे में शक कर रहे हैं और अन्ततः हम उन रिपोर्टों पर निर्भर नहीं कर सकते जो ऐसी एजेंसी ने दी हैं और तब तो और भी जब विरोधी पक्ष ने यह आरोप लगाये हैं कि एजेंसी के सी०आई०ए० से संबंध हैं। अतः इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्रयोजन के लिए विदेशी एजेंसी को नियुक्त करने से बचे। यदि एक एजेंसी को पहले नियुक्त किया जा चुका है तो दो और गल्तियां निश्चय ही पहली को सुधार नहीं देगी। और मैं सरकार से हमारी अपनी एजेंसी विकसित करने के लिये कहूंगा क्योंकि हम उस एजेंसी पर निर्भर कर सकते हैं वह एजेंसी हमारे प्रति उत्तरदायी होगी और वह एजेंसी अधिक उत्तरदायी और पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त होगी।

अब यह एक प्रश्न है जो प्रो० दण्डवते ने उठाया है। अन्य प्रश्न जो उठाया गया था वह यह है कि इस एजेंसी को वित्त मंत्रालय ने नियुक्त किया था। क्या इस एजेंसी को कुछ अदायगी दी गई

है ? क्या इस एजेंसी ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? मुझे सरकार से यह प्रश्न इसलिये पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अब सौभाग्यवश श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि इसका दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। इसलिये कम से कम यह तो मालूम है कि उन्होंने ऐसा किया। एक दूसरी बात जो अभी हमें बताई जानी है कि क्या एजेंसी ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हम माननीय मंत्री से यह जानना चाहेंगे कि क्या एजेंसी ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा क्या एजेंसी को अभी तक कोई पारिश्रमिक दिया गया है। (व्यवधान)

ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठते है। एक दूसरी चीज जो हम जानना चाहेंगे वह यह कि क्या उन एजेंसियों के चेयरमैन अथवा वाइस चेयरमैन के लिये हमारे देश की स्थिति के बारे में वक्तव्य देना उचित है। क्या उन्हें इस तरह बात करने का कोई हक है, तथा क्या हमें यह कहने का हक है कि चूंकि वह दल उसे जालसाजी कहता है तथा दूसरा उसे भरोसेमंद दस्तावेज कहता है क्या उस पर संसद में क्या चर्चा की जा सकती है ? इस मामले में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रो० दंडवते को तब तक इंतजार करना चाहिये था जब तक और तथ्य सामने नहीं आ जाते। इस चर्चा से दुर्भाग्यवश केवल आरोप ही लग गए हैं। (व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस सभा मे जो भी चर्चा होनी है उसका आधार मजबूत होना चाहिये और जब तक उसका मजबूत आधार नहीं होता इस प्रकार के गम्भीर मामले पर चर्चा करना लाभदायक नहीं रहता बल्कि उससे उच्च पदाधिकारियो के चरित्र पर दोष लगाया जाता है। अब यदि श्री अमिताभ बच्चन सभा मे उपस्थित नहीं होते तो उनके चरित्र पर भी दोष लगाया जाता। वह तो सौभाग्यवश यहां उपस्थित थे और उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। अन्यथा सबको ऐसा लगता कि चूंकि वह फलां फलां है, तथा फलां फलां उनके मित्र हैं इसलिये मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह बहुत अधिक अनुमान न लगाएं (व्यवधान)

सभा में इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिये कि सरकार की नीति क्या है। सरकार की नीति जिसके लिए वह वचनबद्ध भी हैं, कि काले धन का पता लगाया जाये तथा वह नीति जारी रहेगी। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपने प्रयत्नो में ढील आने न दे तथा सरकार एक से अधिक बार यह आश्वासन दे चुकी है कि प्रयत्नों में ढील नहीं आने दी जायेगी।

श्री नारायण चौबे (मिश्रनापुर) : परन्तु वह बहुत चुनिंदा रूप से यह कार्य कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरे विचार से विपक्ष के माननीय सदस्य एक से अधिक मौकों पर परस्पर विरोधी बातें कह चुके हैं। एक तरफ तो वह यह कह कर सरकार की बढ़ाई करते हैं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है तथा उन्होंने देश की महान सेवा की है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम अभी भी इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : अब वह यह कहते हैं कि छापे चुनिंदा आधार पर मारे जाने चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो हम यह कहते हैं कि छापे अंधाधुंध नहीं पड़ने चाहिये। छापे तभी पड़ने चाहिये जब प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध हों। दूसरी ओर वह यह कहते हैं कि जिनके खिलाफ प्रमाण उपलब्ध होता है हम उनमें से चयन करते हैं····(व्यवधान)

मैं सदन का आभारी हूं कि माननीय सदस्य बहुत इत्मीनान से मेरी बात सुन रहे हैं। मैं सरकार की इस नीति का समर्थन करता हूं कि प्रारंभिक जांच के बाद तथा प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध करने के बाद छापे पड़ने चाहिये। मैं सरकार की इस नीति का समर्थन करता हूं क्योंकि कोई भी सरकार अंधाधुंध छापे नहीं मार सकती है। ऐसे कार्यों के अचानक परिणामों से हम सभी वाकिफ हैं।

इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अपनी नीति जारी रखे। यह बहुत सराहनीय नीति है तथा मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि इसमें ढील नहीं दी जायेगी।

जहां तक आरोप लगाये गये हैं तथा परस्पर विरोधात्मक वक्तव्य दिये गये हैं इससे मुझे लगता है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तथा मुझे यह आशा नहीं थी कि प्रो० दण्डवते तथा श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे जिम्मेदार नेता आरोप लगाएंगे तथा परस्पर विरोधी बात कहेंगे।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : अध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यह चर्चा संसद के पिछले सत्र में अज्ञात स्विस पूंजी के संबंध में हुई थी तथा जिस पर उस समय सभा में चर्चा हुई थी। महोदय तत्कालीन वित्त मंत्री श्री बी०पी० सिंह ने तब सभा को आश्वासन दिया था कि···

श्री एच० के० एल० भगत : हमने कहा था कि हम आपका फैसला मानेंगे। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। दोनों पक्षों के अनेक सदस्य कुछ कहना चाहेंगे मेरा विचार है कि हमने दो बजे चर्चा शुरू की थी तथा अब इसे समाप्त करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इनके भाषण के बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, जब हमने स्विस बैंकों में अज्ञात पूंजी का मुद्दा उठाया था तब तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री बी०पी० सिंह ने इस सभा में वायदा किया था कि वह इन खातों का पता लगाएंगे तथा दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाएंगे। आज भी हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं परन्तु आज इस अज्ञात पूंजी पर एक अलग प्रकार का साया है। दूसरी ओर के मित्रों ने यह कहा है कि इसे राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि वह आर्थिक अपराध तथा आर्थिक मामला है। अपराध आर्थिक है परन्तु राजनैतिक दबाव तथा राजनैतिक कारणों से यदि इसकी जांच अथवा इन आर्थिक अपराधों का पता लगाना रोका गया तो हमें इसे राजनैतिक स्तर पर उठाना ही पड़ेगा तथा यदि आप सभा के समक्ष सच्चाई चाहते हैं तथा सभा में वास्तविकता पर प्रकाश डालना चाहते हैं तो यह अपरिहार्य होगा और यदि इसके पीछे कोई राजनैतिक दबाव होगा तो वह भी सामने आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक समाचारपत्र में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि प्रधान मंत्री—इस सभा के नेता—ने अपनी संसदीय दल की बैठक में भाषण देते समय कहा था कि उन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जैसे निहित स्वार्थों का पता लगाना होगा जो इस देश में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तथा उनकी पूंजी से वर्षों से हमारे देश के लोकतंत्र में अस्थिरता लाई जा रही है। अब यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कौन सी हैं, यह पूंजी किसकी है तथा क्या वह वास्तव में देश में अस्थिरता ला रही हैं तब यह पूरी प्रक्रिया रुक गई है। हमें तो ऐसा ही लगा है तथा हम चाहेंगे कि वित्त राज्य मंत्री उत्तर देते समय

यह बताएं कि भारतीय नागरिकों के स्विस बैंक खातों का पता लगाने के संबंध में जो जांच शुरू की गई थी वह जारी रखी जायेगी या उसे रोक दिया जायेगा ? हम चाहेंगे कि स्पष्ट रूप से आप हमें इस बारे में बताएं।

श्री ब्रह्मदत्त : यह किसके हैं ?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : भारतीय मूल के नागरिकों के।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि दूसरे पक्ष के बहुत से सदस्यों ने यह बताया है कि फेयरफैक्स एजेंसी की नियुक्ति करना सही नहीं था तथा कई अन्य कठिनाइयां तथा आरोप भी लगाये गये हैं। यदि दूसरे पक्ष के सदस्य यह नहीं समझ पाये कि मंत्रिमंडल किस प्रकार कार्य करता है तो मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सबसे पहले समान दर्जे पर काम करते हैं। वह मालिक नहीं हैं। तथा तत्कालीन वित्त मंत्री पर दोष डाल देने से सरकार उससे बच नहीं सकती। प्रधानमंत्री को इसका पूरा दायित्व लेना होगा।

एक माननीय सदस्य : क्या आपने कोई प्रश्न किया है ?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : यदि कोई प्रयत्न किया भी गया है तो भी वह आपकी ओर से किया गया है हमारी ओर से नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : इसमें झगड़े के अलावा भी कुछ और है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : यह लड़ाई से कुछ अधिक है। यह बिल्कुल वैसा नहीं है। अतः हमें इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए और यदि दूसरे पक्ष से भी इतने अधिक सदस्यों ने कहा है कि यह एक गलत निर्णय था जो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वी० पी० सिंह ने लिया था, यदि वह गैर जिम्मेदार थे तो श्री वी० पी० सिंह को रक्षा जैसा और अधिक संवेदन शील मंत्रालय क्यों दे दिया गया ?

अब मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री के चले जाने के बाद भी छापे डाल रहे हैं। किन्तु मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा इस मंत्रालय का कार्य-भार सम्भाल लेने के बाद या आपके द्वारा इस कार्य को आरम्भ करने के बाद डाले जा चुके छापों के संबंध में अब भी कार्यवाही का जारी रख रहे हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री वी० पी० सिंह जब वित्त मंत्री थे उस समय डाले गये छापों पर आपने अब तक क्या कार्यवाही की है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने उनमें से किसी कार्यवाही को छोड़ दिया है या आपने कोई कार्यवाही शुरू की है, आरोप पत्र दिया है या किसी को दण्डित किया है ? उनके कार्यकाल के दौरान आरम्भ किये गये मामलों की स्थिति क्या है ? इसके बारे में जानने की मेरी रुचि है।

यह कहा गया था कि यह एक प्रकार की गलत सूचना है जो अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। किस बारे में गलत सूचना ? क्या हम इसको सत्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं ? क्या हम यह सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। सरकार की ओर से किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया। गलत सूचना तभी फैल सकती है जबकि कोई खण्डन न किया गया हो। हमारी सरकार में हमारा इतना विश्वास है ? हमें यह हमेशा था।

कुछ मित्रों ने कहा : "आप सी० बी० आई० जैसी हमारी गुप्तचर सेवाओं का लाभ क्यों नहीं उठाते हैं ? उनका किस बात के लिए उपयोग करें ? उन अधिकारियों को क्या ऐसे अधिकारियों

को परेशान किया जाये जो इस प्रकार के मामलो की जांच-पड़ताल करते हैं ? इससे हमारी पूरी प्रशासनिक सेवा के जो मुख्य आधार हैं उनका मनोबल गिरेगा ? यह कार्य और व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है। आखिरकार श्री भूरे लाल या श्री विनोद पाण्डे एक विशेष जांच एजेंसी से संबद्ध हैं। वे किसी जांच एजेंसी के प्रमुख थे या किसी विशेष मंत्रालय के अधीन प्राधिकारी थे। अब आपके पास सी० बी० आई० के लोग उनका पीछा करते हैं। पूछताछ करने और उन्हें परेशान करने के लिए हैं। क्या किसी सभ्य सरकार ऐसा कर सकती है अथवा उसे ऐसा करना चाहिए वह अत्यधिक ईमानदार तथा अच्छे अधिकारियों में से एक हैं।

एक माननीय सदस्य : केवल अब आप यह बात कह रहे हैं।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : आरम्भ से ही हमने ऐसा सोचा था और हम अब भी ऐसा ही समझते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वह निगरानी अधीन है।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं यहां नहीं बात हैं। अन्य हैं शासकीय गुप्त बात अधिनियम का दुरुपयोग है। यह अप्रचलित और प्राचीन अधिनियम ब्रिटिश काल में हमारे देश में उनके हितों की रक्षा करने के लिए पारित किया गया था। हमें इसी सभा में यह पहले भी पता चला था जब हमारे एक सहयोगी ने काल बेशों के मामले को उठाया था। कई लोगों को उस संबंध में परेशान किया गया था। अब भी यह शासकीय गुप्त बात अधिनियम हमारे अपने अधिकारियों को और उन लोगों को परेशान करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है जो काला धन निकालने का प्रयास कर रहे हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों चाहे वे मंत्री हो अथवा सचिव हों, की आज्ञा का पालन करते हैं। अतः अभी भी समय है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम का संशोधन किया जाये; अथवा यह एक निशानी के रूप में है जो संभवत अंग्रेजों ने यहां छोड़ दी है। जिसका केवल दुरुपयोग ही हो रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री हमें यह आश्वासन देंगे कि अधिनियम यहां लागू नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे बदल देना चाहिए था।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव: मैंने वाक्य समाप्त कर दिया है और अब कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। समाप्त करने से पहले मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास पूरे तथ्य नहीं थे। आपको आई० एम० एफ० द्वारा प्रकाशित सूचना के अलावा और क्या तथ्य चाहिए कि कई करोड़ रुपये विभिन्न ढंगों से बर्बाद कर दिये गये हैं। महाशय आप इसके अलावा और क्या प्रमाण मांगते हैं ? वास्तव में एक अनुच्छेद था जिसमें लिखा था कि इसमें गत कुछ वर्षों से इसमें कुछ 2000 करोड़ था कुछ ऐसे ही चकरा देने वाले आंकड़ों की वृद्धि हुई है। पिछली बार हमारी चर्चा का यही विषय था। अब जांच आरम्भ हो गयी है तो पूरा मामला बिगाड़ा जा रहा है। अतः मैं चाहता हू कि वित्त राज्य मंत्री इन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दें।

डा० ए० के० पटेल (मेहसाणा) : महोदय, मैं सत्तारूढ़ दल से अपने मित्रों से आशा करता था कि वे प्रो० मधु दंडवते को बधाई देंगे। (व्यवधान) दुर्भाग्य से उन्होंने शोर मचाना आरम्भ कर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

डा० ए० के० पटेल : हमारे युवा, जोशीले प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है और जनता को भी बताया कि वे भ्रष्टाचार समाप्त करने और काला धन निकलवाने पर तुले हुए हैं। दुर्भाग्य से सत्तारूढ़ दल के हमारे मित्र भ्रष्टाचार को हटाने और समाप्त करने के स्थान पर अलग ही व्यवहार कर रहे है।

मैं और समय नहीं लूंगा। मैं केवल दो प्रश्न वित्त राज्य मंत्री से पूछूंगा। मैंने सत्तारूढ़ दल के कुछ मित्रों को तत्कालीन वित्त मंत्री पर यह आरोप लगाते हुए सुना है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वास्तव में उन्होंने स्विस बैंक मे जमा किये गये काले धन के बारे में जांच करवा कर ठीक ही किया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछता हूं कि क्या 29 मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें संयुक्त राज्य आर्थिक गुप्तचर एजेंसी फेयरफेक्स के चीफ का वक्तव्य है कि शायद भारत में काफी व्यापक विवाद इसलिए हुआ कि यह उनकी 'दुखती रग' को छू रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वहां खातेदार कौन हैं? और यह भी कि अगले दिन आर्गेनाइजर में 5 अप्रैल 1987 को यह प्रकाशित हुआ था कि स्विस बैंक में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 31 खाते पाये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस बारे में पूछताछ की है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे कुछ प्रश्न करने की अनुमति दी जाय। मैं पहले से उठाये गए किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा क्यों करते हैं। बिना मतलब क्यों जिद करते हैं। कोई नयी बात कर रहे हैं तो मुझे उलाहना दो।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं उनमें से था जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैं प्रश्न करूंगा, मैं भाषण नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दो सेकेण्डर के जो दूसरे नम्बर पर होते हैं वे भी सवाल करने के लिए खड़े होते हैं। उन्हें कौन-सा कत्थक करना होता है।

(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उत्तर को दो भागों में सीमित करूंगा। पहला, ये जो तमाम फेयरफेक्स के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में और दूसरा जो इस चर्चा में माननीय सदस्यों ने कुछ बिन्दु उठाए हैं, उनके बारे में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि तमाम चर्चा एक बड़ी भारी गलतफहमी के आधार पर उठायी गई हैं। फेयरफैक्स ग्रुप जो अमेरिका की एक

गुप्तचर एजेंसी है, उसको हमने किसी इन्वेस्टीगेशन का काम नहीं दिया। मैं, उनकी हैसियत भी आपको बताना चाहता हूं। उनकी हैसियत केवल एक इन्फारमर की हैसियत हो सकती है, जो साधारणतया एक आदमी इन्फारमेशन देता है और उसकी इन्फारमेशन के ऊपर अगर सरकार को फायदा होता है तो उसका हिस्सा उसको दिया जाता है।....(व्यवधान) आप पहले स्थिति समझ लें।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या बोल रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त : मैं जो बोल रहा हूं, वही तथ्य हैं, जो मेरी जानकारी में है और जो रिकार्ड के आधार पर हैं, जो सही हैं और जो कल्पनिक नहीं हैं।....(व्यवधान) दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि फेयरफेक्स ने अभी तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को किसी एजेंसी को कोई ऐसी सूचना नहीं दी जो कि प्रमाणिक मानी जाय या महत्वपूर्ण मानी जाए, ऐसी कुछ सूचना नहीं दी।....(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : गैर-प्रमाणिक दी है।...(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : आरिफ साहब, गैर-प्रमाणिक भी नहीं दी।... (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : कुछ दिया कि नहीं दिया। क्या दिया है, बताओ।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर गलत होगा तो ये जिम्मेदार होंगे। सदन में बोल रहे हैं, कमरे में बन्द करके बात नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय चौबे जी, उन्होंने जो कुछ दिया, केवल आपको कल्पना करने की शक्ति दी और उसकी कोई वजह हमारे पास नहीं है। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : उन्होंने कुछ दिया कि नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। यह बहुत बुरी बात है। हर एक मिनट में आप खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बेसिरपैर की बातें क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने एक परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए हों... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं। अस्वीकृत (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्हें कल्पना से लड़ने का अधिकार है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न बिल्कुल भी प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : मैं हैसियत और बताना चाहता हूं। इनकी हैसियत केवल इन्फार्मर की थी कि अगर कोई सूचना साधारण व्यक्ति भी दे सकता है तो हम उसे कुछ पैसे देंगे, लेकिन कोई सूचना नहीं दी। कुछ कम्पनीज से हमारे अधिकारियों ने जानकारी मांगी उन्होंने एक कापी सीधी भेज दी और एक कापी कोरियर, जिसको पत्रवाहक कहते हैं, की हैसियत से भेजी उसके लिए पैसे देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं हमारे किसी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने सरकार के किसी विभाग ने न कोई पेमेंट किया है, न किसी पेमेंट का अधिकार दिया।...

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : मैं आप सबसे जूनियर हूं।....

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या कहानी है!

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : यह गैर-कानूनी ढंग से किया गया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो रहा है, हर मिनट में आप खड़े हो जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अब यह मंत्री महोदय कहते हैं कि वे कभी भी उन्हें यह काम सौंप नहीं गया था। (व्यवधान) कृपया आप इसे सभा की एक समिति को सौंपें।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप पहले सुनने के लिए सब्र क्यों नहीं रखते? एक मिनट आप बैठते हैं और दूसरे मिनट आप खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पूरा भाषण समाप्त होने दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देख रहा हूं....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने कहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। मैंने उनमें से किसी को भी अनुमति नहीं दी है। यह एकदम गैर-जिम्मेदारी वाली बात है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अमल दत्ता महोदय, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैंने इन महानुभाव को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में बात नहीं आई कि यह तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनें जयपाल रेड्डी, आप उनकी बात सुने बगैर जजमेंट दे रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त : सदन में अगर आपको अपनी बात कहने का अधिकार है तो आपको सुनना भी चाहिए। आप सुनने की हिम्मत रखें। आपको पता चलेगा कि अभी क्या होता है। मेरा निवेदन यह है माननीय विरोधी दल के सदस्यों को सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। यह हिम्मत मैं उनमें पैदा करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मदत्त : आपको बात सुनना भी सीखना चाहिए। आपसे आशा की जाती है कि आप हमारी बात सुनें। आपको सुननी ही होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त महोदय, अगर आपका व्यवहार ऐसा होगा तो····

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : इस तरह शोरगुल में हाउस नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्ता जी, आप सोचते हैं कि अकेले आपको ही कुछ कहना है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि आपकी पसन्द का ही वक्तव्य दिया जाए ? कृपया बैठ जाइए। सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं ···

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ब्रह्मदत्त : मैं सरकार के हर अधिकार के साथ बोल रहा हूं। मैं सरकार के पूर्ण प्राधिकार सहित बोल रहा हूं। अगर आप सुनें तो बहुत अच्छा हो। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक युक्तियुक्त व्यवस्था प्रश्न को तो सुन सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं सुन सकता····(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : नियम 376 के अध्यधीन मैं एक व्यवस्था प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था प्रश्न यह है कि पूर्व वित्त मंत्री तथा वर्तमान वित्त राज्य मंत्री ने अंतर्विरोधी वक्तव्य दिये हैं। सिंह महोदय कहते हैं; "मैं नियुक्ति की जिम्मेदारी लेता हूं।" और वह कहते हैं (व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : इन लोगों में सुनने की क्षमता ही नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप नहीं बैठ सकते हैं, तो मुझे सदन की अनुमति मांगनी होगी।

[हिन्दी]

आप रूल 115, डायरेक्शन्स बाई द स्पीकर देखिए। अगर कोई चीज आपकी रह जाती है, तो आपके पास वह रूल है। उसमें आप ला सकते हैं ऐसे शोर करने से तो बात नहीं बनेगी (व्यवधान) मिस्टर अमल दत्ता, आपको अगर हार्ट-मुटेक हो गया, तो मैं क्या करूंगा।

[अनुवाद]

मुझे आपको सदन से बाहर ले जाना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : जरा सुनने की हिम्मत तो रखिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कुछ धैर्य रखिए। आप शोरगुल से मेरी आवाज दबा नहीं सकते (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा। उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर कुछ असंगति होगी···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप क्या व्यवस्था देते हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी रूलिंग यह है कि इनको सुनो। अगर कोई गड़बड़ है, तो रूल 115 में मेरे पास आ जाओ।

[अनुवाद]

श्री एस० जसपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आप प्रधानमंत्री को बुलवाइए····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह कहने वाले कौन होते हैं ?

[हिन्दी]

आप बैठिए। इनकी बात सुनिए। अगर आपको नहीं जंचती है, तो आप रूल 115 के तहत नोटिस दे दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मदत्त : चौबे जी, सच को तो आपको सुनना पड़ेगा। आपको सच तो सुनना ही होगा। साहस है आपमें ? इन लोगों में सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है। यह एकदम कायरता है। आप शोरगुल में मेरी आवाज डुबो नहीं सकते। मेरी बात आप लोगों को सुननी ही होगी···· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बहुत बुरी बात है इतना भद्दा तरीका आप अख्तियार करें।

[अनुवाद]

इसकी जितनी निन्दा की जाय कम है।

[हिन्दी]

आप इनकी बात को सुनने दीजिए। यह कोई तरीका थोड़े ही है।

[अनुवाद]

कुछ कहते नहीं बनता यह निन्दनीय है (व्यवधान)

[हिन्दी]

मि० ब्रह्मदत्त जी, आप आराम से बोलिए।

श्री एच० के० एल० भगत : अध्यक्ष महोदय, ब्रह्मदत्त जी खुद अपोजीशन लीडर रहे हैं। इनको कौन दबा सकता है।

श्री ब्रह्मदत्त : ज्यादा तजुर्बा मेरा उसी का है, वही है।

अध्यक्ष महोदय : ब्रह्मदत्त जी, आराम से बात करें।

श्री ब्रह्मदत्त : मेरा निवेदन है, जरा सुन लें, आपकी समझ में आ जायेगा, अगर कोई दिक्कत पड़ेगी तो मैं हाजिर हूं, मैं सदन से जा नहीं रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आराम से बात कीजिए।

श्री ब्रह्मदत्त : बहुत आराम से कर रहा हूं, (व्यवधान) जरा शांति से सुनिए। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इस सरकार ने फेयरफैक्स ....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री श्री (बसंत साठे) : वे बाहर जाने का बहाना खोज रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : वाक-आऊट मत कीजिए।

फेयरफैक्स ग्रुप की जो सेवाएं प्राप्त की, मैं उनकी हैसियत आपको बताना चाहता हूं। उनकी हैसियत केवल एक इन्फार्मर की थी। ना उसकी हैसियत हमारी सी० बी० आई० के मुकाबले में थी और ना रा के मुकाबले में थी। एक साधारण इन्फार्मर जब कहता है कि उस आदमी की चोरी इनकमटैक्स की आपको बताता हूं, और हम जो उनको पकड़ लेते हैं तो इन्फार्मर को इनाम देते हैं, यह अरेन्जमैंट उनके साथ था।

(व्यवधान)

मैं यह फिर दोहराना चाहता हूं कि उन्होंने कोई, फेयरफैक्स ग्रुप ने हमारी सरकार को, वित्त विभाग को, किसी एजेन्सी को कोई ऐसी सूचना नहीं दी जिसके आधार पर उनको कोई पैसा दिया जाता।

मैं कहना चाहूंता हूं कि कुछ सवालात हमने बाहर की कम्पनियों को भेजे। उनका उत्तर हमें सीधा भी प्राप्त हुआ, फेयरफैक्स के मार्फत भी प्राप्त हुआ। उसके लिये पैसे के वह अधिकारी नहीं हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि फेयरफैक्स ग्रुप के चेयरमैन के जो बयानात अब निकले हैं, उन पर हमको सख्त एतराज है। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वह सही हैं या नहीं। अगर वह सही हैं तो हम उनको ठिकाने लगायेंगे।

(व्यवधान)

चाहे आप सुनिये या हल्ला कीजिए, बात आपको सुननी पड़ेगी।

जो बयानात उनके अब आये हैं, उन पर हमें सख्त एतराज है और वह हमारे मुल्क के मामले में दखलन्दाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वह कोई सही सूचना हमें अब तक नहीं दे सके, और ना कोई धेले का पेमेंट हमारे यहां से हुआ है।

मैं जब इस सदन में शुरू-शुरू में आया था तो मैं समझता था कि बहुत बड़े लायक आदमी से मुझे कुछ सीखने का मौका मिला।

(व्यवधान)

मैं तो आपका शिष्य बनने को तैयार हूं, आप क्यों एतराज करते हैं ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके साथ रह आप कुछ भी नहीं सीख सकते ।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : आपके तो हम सहपाठी हैं, आपके शिष्य नहीं हैं, सहपाठी हैं। उसी स्कूल में हम पढ़े, जिसमें आप पढ़े थे । आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं ।

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आदरणीय प्रो० दंडवते जी ने 3 बातें कहीं । पहली बात यह कही कि मैं गुप्त यात्रा पर स्विटजरलैंड गया । मैं फिर दोहराना चाहता हूं ।

श्री वसुदेव आचार्य : वह तो हो गया ।

श्री ब्रह्मदत्त : अभी हुआ नहीं है । होगा तो पता चलेगा ।

मैं अपनी पूरी अथौरिटी और पूरा पासपोर्ट आपकी सेवा में हाजिर करूंगा और प्रो० दंडवते जी की सेवा में हाजिर करूंगा । अगर उसमें कहीं गलती है तो उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूं ।

6.00 म० प०

[अनुवाद]

श्रीमान अमल दत्ता, मैं आपको अपनी निजी डायरी भेज सकता हूं । आप चिन्ता न करें ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें गोपनीय बातें नहीं चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक मैग्जीन का सहारा लेकर कुछ ऐसी बात पढ़ी जो कि इस माननीय सदन के एक सदस्य के बारे में थी जिसका यहां खंडन कर चुके हैं । लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि फेयरफैक्स से उन माननीय सदस्यों के बारे में या उनके किसी रिश्तेदार के बारे में न कोई पूछताछ की, न उन्होंने हमें कोई जानकारी दी । 'संड' मैग्जीन में क्या छपा है या किसी दूसरे अखबार में क्या छपा है इससे आपको गलतफहमी हो सकती है, हमें नहीं हो सकती है । ··· (व्यवधान) ···आप जरा सुनिए । तीसरी बात जो आपने कही उसका आपको जिन्दगी भर पश्चाताप करना पड़ेगा, अगर आप में मनुष्यता है ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : एक बात आपने भूतपूर्व वित्त मंत्री, जो कि मेरे बगल के दाहें हाथ में बैठे हैं, उनके बारे में कही ।

प्रो० मधु दण्डवते : अभी तक बैठे हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त : हां, अभी तक बैठे हैं और हमेशा बैठे रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन यह रहेंगे और उससे आपको मुश्किल पड़ने वाली है । वह प्रस्तावली लेकर वित्त मंत्री जी के पास गये जिसमें कुछ लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति नहीं दी, यह नितान्त निराधार है । वह न कभी पत्रावली लेकर गये और न प्रधानमंत्री जी ने अस्वीकृति दी । मैं आपकी मौजूदगी में यह कह रहा हूं कि उनको इसके बारे में कष्ट नहीं देना चाहता हूं । यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस बात के संबंध में बता दूं कि प्रधान मंत्री जी ने कभी किसी जांच की मनाही नहीं की।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप चुप करिए, क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : मान्यवर, माननीय मधु दंडवते जी ने जो यह भवन बनाना चाहा था, उसमें तीन खम्भे थे। यह खम्भे गिर गये। अब उनको आगे अपने बारे में सोचना है, उस पर वह विचार करें।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त : आप ठीक नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भवन की बात कही है, मैं मधु दंडवते जी से अर्ज करना चाहता हूं कि—

"जिस मकां की नींव ये बालू से भरेंगे,
उस मकां में ख्वाब इनके यूं ही मरेंगे।"

श्री ब्रह्मदत्त : इसके अलावा दो और बातें आईं। इस सदन की एक भूतपूर्व सदस्या के बारे में कहा गया कि उनके बारे में कोई एजेंसी लगायी गई, लेकिन हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। एक आरोप यह लगाया गया कि कुछ मुकदमे वापिस लिये गये। इस देश के इतिहास में एक मुकदमा वापिस लिया गया था और वह सन् 1979 में लिया गया था। जहां तक मुझे जानकारी है वह आपको बताना चाहता हूं। पूरी जानकारी जिस दिन होगी तो अवगत करा दूंगा। यहां पर अपने को एक समाचार पत्र का मालिक कहने वाले व्यक्ति, जिनके दूसरे धंधे हैं, उन्होंने एक फर्जी फर्म बनायी थी और इनकम टैक्स के आफिसर्स ने उस फर्जी फर्म के ऊपर मुकदमा दायर किया था और साथ ही साथ सी०बी०आई० ने भी एक केस फोरजरी का दर्ज किया। लेकिन हुआ क्या ? इस पर उन्होंने इनकम टैक्स सैटलमेंट कमिशन में एक दरखास्त दिया और वहां पर यह कहा गया कि इनको इम्युनिटी दी गई लेकिन सी०बी०आई० ने कहा कि यह इम्युनिटी इनकम टैक्स के मामले में हो सकती है, फोरजरी में नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को सालिस्टर जनरल नियुक्त किया था—मैं 1979 की बात कर रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक उधर से है। (व्यवधान) उस जमाने में उन्होंने यह राय दी और यह इम्युनिटी इनकम टैक्स में भी हुई और साथ-साथ फोर्जरी के फौजदारी मुकदमे में भी हुई। ऐसा अन्धेर हमने कभी देखा नहीं। न ऐसा कभी हुआ, न कभी होगा। अगर हुआ तो 1977 से 1979 के बीच में हुआ। और एक ही नहीं बहुत अन्धेर हुए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : इमरजेंसी में रोशनी बहुत थी।

श्री ब्रह्मदत्त : एक बात यहां बार-बार उठाई गई कि हमको मिथुन चक्रवर्ती ने कोई जवाब दी। हमें उसके बारे में पूरी जानकारी है, न उसका आधार कुछ है, न उसके बारे में आगे प्रोसीड करने का कोई मामला है और न किसी का उसके ऊपर पूरा अधिकार बनता है। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मिथुन चक्रवर्ती ने क्या जवाब दिया था ?

श्री ब्रह्मदत्त : कोई जवाब नहीं दिया था। (व्यवधान) उसका जवाब आपको देना है। (व्यवधान)

माधव रेड्डी जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट के काम करने का ढंग वही है जो पार्लमेन्टरी डिमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में एक गवर्नमेंट का होना चाहिए। हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। हम संयुक्त रूप से उसके लिए जिम्मेदार हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह पेमेन्ट फेयरफैक्स को किसने किया या अगर पेमेन्ट किसी ने नहीं किया तो वह कैसे काम कर रही थी। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कभी कोई एडवान्स नहीं दिया करते भी कैसे इन्फार्मर को। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि यहां के उनके चेयरमैन इस दौरान (व्यवधान)···हर्षमैन प्रेजीडेंट या जो भी कुछ हैं, वे आये, उनके ठहरने के लिए बुकिंग यहां की एक टैक्सटाइल कम्पनी ने किया। पेमेन्ट उन्होंने खुद डालर में किया, लेकिन यह बात भी सही है कि उस टैक्सटाइल कम्पनी के मालिक भी उन दिनों, जब वे हिन्दुस्तान में थे, उसी होटल आंबराय में आकर ठहरे थे। यह जरूर संबंध है। इसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी, तो हम बता देंगे। (व्यवधान) अभी आप जल्दी क्यों करते हैं।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण-मध्य) : उनका नाम क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त : देखिए, दत्ता सामंत जी, मैं आपको मौका नहीं दे सकता कि आप उनके सिर पर सवार हो जायें। अगर मैं नाम बता दूं, तो आप खुद अंदाजा लगाइए, अटकल लगाइए।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत : आप कृपया, उनका नाम बताएं।

श्री ब्रह्मदत्त : श्रीमान दत्ता सामंत, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करिये।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : जब मुझे तथ्य प्राप्त हो जाएंगे, मैं उनका नाम बता दूंगा। लेकिन इस दौरान आप अपनी कल्पनाशक्ति का प्रयोग करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना काम करिए। आप मुझे एड्रेस करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी, आप कृपा करके बैठिए। यह मादरी जुबान है, किसी और की नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : सोमनाथ चटर्जी जी ने यह पूछा कि फेयरफैक्स के क्रिडेंशियल्स क्या हैं, उनकी ट्रेडिशन्स क्या हैं और उनका अनुभव क्या है ? मान्यवर, यह बातें तभी पूछी जाती हैं, जब हम किसी को घर में नौकर रखते हैं, हमने तो उनको नौकर भी नहीं रखा। एक इन्फारमर की हैसियत से हम किसी से कभी पूछते नहीं। तुम इन्फार्मेशन दोगे, तो पैसा पाओगे। इसलिए कुछ पूछा नहीं गया। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि वे अपनी हैसियत से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहां से कोई पैसा नहीं मिला, कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। लेकिन उनको हैसियत से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।

इसके बाद यह कहा गया कि इनकम टैक्स की रेड्स की क्या पोजीशन है। मैं स्पष्ट घोषणा करना चाहता हूं, कि इनकम टैक्स की चोरी करने वालों, कस्टम या एक्साइज की चोरी करने वालों, चोरी से बाहर धन जमा करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जो भी सख्त से सख्त कदम हैं, वे जारी रहेंगे और जारी हैं। मैं सब को बताना चाहता हूं, जनवरी, 1987 में इनकम टैक्स विभाग ने 6 7 सर्चेज कीं (व्यवधान)

[अनुवाद]

अगर आप हिन्दी नहीं समझते हैं तो मैं आपको अंग्रेजी में बता दूंगा अन्यथा मैं बंगला समझ तो लेता हूं लेकिन बोल नहीं सकता। मैं बंगला केवल समझ सकता हूं।

[हिन्दी]

जनवरी, 1987 में इनकम टैक्स वालों ने 677 सर्चेज की और फरवरी, 1987 में 566 सर्चेज हुई हैं। आप एमनिस्टी के खिलाफ हैं, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने, उस बात से मैं सहमत हूं, सिद्धान्ततः सहमत हूं, किसी आदमी को सुधरने का मौका दिया है, बशर्ते कि वह सुधरे। यह बहुत अफसोस की बात हमारे लिए है कि मौके का लोगों ने उपयोग नहीं किया। इसलिए आज 31 मार्च की रात को 12 बजे उसकी मियाद खत्म होती है। (व्यवधान) अब ऐसा है, मैं बहुत सुधारने की कोशिश कर रहा हूं आपको, माननीय सदस्य को कह रहा हूं, मैं सफल नहीं हो रहा हूं, तो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी क्या सफल होते··· (व्यवधान) यहां पर एक बात स्वीटजरलैंड के कानून के बारे में उठाई गई है। उसका जवाब माननीय भगत जी ने दिया है। स्वीटजरलैंड के साथ हमने सम्पर्क स्थापित किया। उन्होंने यह कहा है कि उनका जो पुराना कानून है, उसमें केवल अगर कोई पैसा वहां इस प्रकार का जमा हुआ, जिसका किसी क्राइम से संबंध है, तब उसके बारे में वह जानकारी देंगे। लेकिन अगर जितनी शक्ति माननीय सदस्य यहां व्यय कर रहे हैं, यदि स्वीटजरलैंड की पार्लियामैंट मे व्यय करें, उनके कानून में संशोधन करा लें, तो मैं उनका आभारी होऊंगा। (व्यवधान) मैं सदन का बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। बार-बार यह कहने की कोशिश की गई है कि सी०बी०आई० ने फेयरफैक्स के मामले में परेशान करने के लिए या किसी का सर्च किया। सी०बी०आई० ने एक मुकदमा दर्ज किया था, दिसम्बर, 1986 में शायद (व्यवधान) इन्टेरोगेशन आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपका करें, हमारा नहीं करें। (व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : बराबर है। वही मुकदमा सी०बी०आई० के पास दर्ज है लेकिन सी०बी०आई० को बाद में महसूस हुआ कि कुछ जगहों पर बड़ी गोपनीय सूचनायें इकट्ठी की जाती हैं और बाहर

भेजी जाती है। इसके संबंध में उन्होंने रेड्स कीं। चूंकि, इस वक्त वह मामला तफ्तीश में है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि एक जगह कुछ कार्यवाही हो रही है, जो देश के हित में नहीं है (व्यवधान) एक दिन सूचना मिली। दिल्ली के मकान में कुछ कागजात जलाये जा रहे हैं। इसलिए उस मकान को सर्च किया। किसी को परेशान नहीं किया गया। लेकिन जब उस मुकद्दमें की कलाई खुले, तो यह मालूम पड़ेगा कि वहां चोरी का धन्धा और चोरी से कागजात बाहर भेजने का धन्धा होता था। मेरे लिए यह अफसोस की बात है कि उन्हीं लोगों की बात पर विश्वास करके आप सब चर्चा उठाते हैं। कल्पना की बात करते हैं। जिन मुद्दों पर आपने चर्चा उठाई, वे मुद्दे स्पष्ट हो गए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमन्, क्या आप संतुष्ट हो गए हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या आप संतुष्ट हैं ?

((व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा के सामने रखिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : मैं जो अरेंजमेंट था उससे सैटिसफाइड हूं। (व्यवधान) भूतपूर्व वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार की इजाजत दी, वह बिल्कुल सही दी थी, कोई दिक्कत नहीं थी।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : किसके लिए अनुमति ?

श्री ब्रह्मदत्त : किसी से जानकारी लेने की अनुमति और यदि वह उक्त जानकारी दे देता है तो उसे कुछ राशि का भुगतान कर सकते हैं। बस यही कुछ, न कुछ अधिक न कुछ कम।

[हिन्दी]

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चर्चा केवल कल्पना के आधार पर उठाई गई। एक बात बार-बार कही गई, जिस पर मैं एतराज करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : अमल महोदय, आप भी सूचना देने वाले/मुखबिर हो सकते थे !

श्री ब्रह्मदत्त : नहीं, आप कैसे जानते हैं कि वह मुखबिर है या नहीं हैं। हम मुखबिर का नाम नहीं बता सकते चाहे वह कोई भी हो। हम किसी को भी मुखबिर नहीं कह सकते हैं।....

प्रो० के० के० तिवारी : लेकिन ऐसे लोग हैं ·· (व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : नहीं, नहीं। किसी प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : के० के० तिवारी से सलाह मत लीजिए। उन्होंने बहुतों को बहकाया है और वह आपको भी मुसीबत में डाल देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त : श्रीमान, मैं आप जैसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा गलत राह पर नहीं ले जाया सकता। के० के० तिवारी की तो बात छोड़िये, मुझे वे ही नहीं बहका सकते हैं। मैं किसी बहकावे में आने वाला नहीं हूं। यदि आप भी कोशिश करें तो भी मैं बहकावे में नहीं आ सकता लेकिन बहुतों का मैं मार्ग दर्शन करने में मैं कामयाब रहा हूं। मुझे याद है, एक बार इसी सदन श्रीमान सोमनाथ चटर्जी थे। मैंने दो तीन वाक्य बोल कर श्री सोमनाथ से पीछा छुड़ाने का फैसला किया, और मैंने उनसे पीछा छुड़ा लिया।

[हिन्दी]

• अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह चर्चा केवल कल्पना के आधार पर, निराधार तथ्यों के आधार पर उठाई गई है। सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और सरकार काले धन के विरुद्ध और बाहर विदेशों में धन रखने के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक कार्यवाही जारी रखे हुए है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.17 म० प०

तत्पश्चात लोक-सभा बुधवार 1 अप्रैल, 1987/11 चैत्र, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

सनलाइट प्रिंटर्स, दिल्ली-6 फोन : 233363

पी०एल०एस० 48/26/25/87(एन०)
185

© 1987 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।